भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिये
प्रतिवेदन

संख्या–2

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		**v**
विहंगावलोकन		**vii**
अध्याय –I : सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	**1**	
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में निवेश	1.2	2
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.3	5
बजट बर्हिगन, उपदानों, प्रत्याभूतियों और देयों की माफी	1.4	6
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देना	1.5	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	1.6	11
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	1.7	13
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम	1.8	14
सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	20
619–बी कम्पनियाँ	1.10	21
वाई टू के की समस्या का सामना करने के लिये सार्वजनिक उपक्रमों की तैयारी	1.11	21
अध्याय –II : सरकारी कम्पनी से संबन्धित समीक्षा	**2**	
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की कार्यपद्धति	2	23
प्रस्तावना	2.1	24
संगठनात्मक ढांचा	2.2	24
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3	24

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	2.4	24
भूमि का अधिग्रहण	2.5	25
अवसंरचना का विकास	2.6	28
भूखण्डों का आबंटन तथा अग्रेत्तर कार्यवाही	2.7	31
औद्योगीकरण में प्रगति	2.8	34
परियोजना सूत्रीकरण एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन	2.9	35
निवेशों का विश्लेषण	2.10	37
अन्य रोचक बिन्दु	2.11	40
अध्याय –III : सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें		
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	3	
दर सूची, देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण	3अ	43
सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि	3ब	85
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विरुद्ध बकाया देय	3स	107
इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स की परिलब्धि	3द	119
अध्याय –IV : अन्य रुचिकर विषय	4	
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	127
अन्य सांविधिक निगम	4ब	143
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	4स	149
परिशिष्ट	**संख्या**	**पृष्ठ**
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1999 को पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण एवं बकाया ऋण	1	157
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	2	175
ऋण प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और मार्च 1999 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को दर्शाती हुई विवरणी	3	195

परिशिष्ट	संख्या	पृष्ठ
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	4	201
सांविधिक निगमों के कार्यात्मक परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी	5	207
सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	6	213
कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	7	219
कम्पनी के कार्यात्मक परिणाम को दर्शाती विवरणी	8	221
दर सूची का संशोधन दर्शाती विवरणी	9	223
उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व में अंशदान और आधिक्य/कमी को दर्शाती विवरणी	10	227
दर सूची के त्रुटिपूर्ण लागू करने से राजस्व के कम प्रभारण को दर्शाती विवरणी	11	229
भार में अनियमित कमी के कारण राजस्व में कमी दर्शाती विवरणी	12	231
खराब मीटरों के कारण राजस्व का अमूल्यांकन/कम मूल्यांकन दर्शाती हुई विवरणी	13	233
कम संविदा भार के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी	14	237
विद्युत चोरी के लिए गलत/मूल्याकंन न करने के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी	15	239
मांग प्रभारों की कम बिलिंग के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी	16	243
मीटरों की विशुद्धता का परीक्षण न करने के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी	17	245
विद्युत प्रभारों आदि की कम बिलिंग/बिलिंग न करने को दर्शाती विवरणी	18	251
विद्युतीकृत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों की बिलिंग न किये जाने को दर्शाती विवरणी	19	255
विद्युत बिलों के अतिविलम्ब से निर्गमन के कारण ब्याज की हानि दर्शाती हुई विवरणी	20	257
परिषद की सतक्रता शाखा खण्ड एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के स्थलों की जाँच को दर्शाती विवरणी	21	259

परिशिष्ट	संख्या	पृष्ठ
राजस्व के बकायों का अवधिवार विवरण दर्शाती विवरणी	22	261
किश्तों में भुगतान की सुविधा प्राप्त उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया दर्शाती विवरणी	23	263
सरकारी उपभोक्ताओं से प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूल न होने को दर्शाती विवरणी	24	265
दोषी करने वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विच्छेदित न किये जाने की स्थिति दर्शाती विवरणी	25	267
बैक मिलान विवरण में अन्तरों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	26	269
1985–09 के दौरान ताप विद्युत सयंत्रों में प्राप्त पी एल एफ, सम्भावित उत्पादन और उत्पादन में कमी की विवरणी	27	271
सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के प्रमुख मापदण्ड (लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ)	28	275
उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को किये गये विक्रय का विवरण	29	277
श्रेणीवार दर सूची एवं ऊर्जा विक्रय	30	279
लघु/अतिलघु जल विद्युत उत्पादन इकाईयों का ब्यौरा	31	281
नवीकृत इकाईयों का उत्पादन सम्पादन	32	283
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ	33	285
बजट प्रावधान, स्रोतो एवं निधि को उपयोग का विवरण	34	287
अपूर्ण कार्यो में निधियों का अवरोध	35	289

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक उद्यम जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के आधीन है, निम्न वर्गो के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम एवं

(iii) विभागीय प्रबन्धन के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है और समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी)की (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 19ए, के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धन के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के परिणामों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। तथापि, कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनमें सरकारी निवेश होने के बावजूद वे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि सरकार का उनकी अंश पूँजी में योगदान 51 प्रतिशत से कम है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जो कि सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सम्बन्ध में उसे राज्य सरकार द्वारा सी ए जी के परामर्श से नियुक्त किये गये शासपत्रित लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रसारित किया जाता है।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामले शामिल हैं जिनका वर्ष 1998 के दौरान किये गये लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षो में संज्ञान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं हो पाये। जहाँ आवश्यक हुआ, 1998–99 से बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी शामिल किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सामान्य

- *31 मार्च 1999 तक राज्य के पास 97 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित), 5 कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619—बी के अन्तर्गत तथा आठ सांविधिक निगम थे। बारह कम्पनियाँ समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत एवं तीन कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत थीं।*

  (प्रस्तर 1.1, 1.2.1 तथा 1.10)

- *105 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (97 सरकारी कम्पनियों एवं आठ सांविधिक निगम) में कुल निवेश 20842.20 करोड़ रुपये था जिसमें 2409.58 करोड़ रुपये (अंश आवेदन राशि के 27.23 करोड़ रुपये शामिल करके) की अंश पूँजी तथा 18432.62 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे।*

  (प्रस्तर 1.2)

- *वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने 12 सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधक निगमों द्वारा लिए गये 2017.07 करोड़ रुपये के ऋण एवं उनपर ब्याज की प्रत्याभूति दी। मार्च 1999 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूति की कुल राशि 2508.74 करोड़ रुपये थी।*

  (प्रस्तर 1.4)

- *97 सरकारी कम्पनियों एवं आठ सांविधिक निगमों में से, मात्र तीन कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों ने वर्ष 1998—99 के लिये अपने लेखे तैयार किये और 1991 सरकारी कम्पनियों एवं छः सांविधिक निगमों के लेखे 1 से 24 वर्षों की अवधि से बकाया थे। समापन के अन्तर्गत वाली तीन कम्पनियों के कोई लेखे बकाया नहीं थे।*

  (प्रस्तर 1.5.1)

- *नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, 35 सरकारी कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों ने अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया था। क्योंकि उनकी 3286.4 करोड़ रुपये की संचित हानि, 1443.66 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।*

  (प्रस्तर 1.6.1.2 तथा 1.6.2.2)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की कार्यपद्धति

- *औद्योगिक क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा विकास में कार्यरत कम्पनी की चार सहायक कम्पनियाँ थीं जिनकी अंशपूँजी में इसका कुल 345.04 लाख रुपये का निवेश पूर्णतया क्षरित हो गया।*

  (प्रस्तर 2.1 एवं 2.10.2)

- *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पास द्वितीय पोषक लाइन की लागत को जमा करने से पूर्व, जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान इकाइयों के सम्बन्ध में ऊर्जा की माँग के आंकलन में असफलता के फलस्वरूप 70 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।*

(प्रस्तर 2.6.1)

- *कम्पनी ने, बिना कोई आंकलन किये आठ औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग के पास 77.83 लाख रुपये की धनराशि जमा की परन्तु उद्यमियों के आकर्षित न होने के कारण कथित धनराशि निरुद्ध रही।*

(प्रस्तर 2.6.3)

- *विस्तृत अध्ययन तथा संभावित इकाइयों को चिन्हित किये बिना, कानपुर में द्वितीय साफ्टवेयर तकनीकी पाक्र (एस टी पी) की स्थापना से न केवल कम्पनी की 23.76 लाख रुपये की निधियाँ निरुद्ध हुई अपितु 134.64 लाख रुपये की परिहार्य हानि भी हुई।*

(प्रस्तर 2.9.2)

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

3अ. दर सूची, देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण

- *1997–98 तक के पाँच वर्षों में परिषद ने 7913.45 करोड़ रुपये की हानि वहन की क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति की लागत, इस अवधि में 120 से 177 पैसे की औसत बिक्री वसूली के विरुद्ध, 167 से 245 पैसे प्रति यूनिट के बीच बदलती रही।*

(प्रस्तर 3अ.4.1 व 4.1.2)

- *नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, नोएडा (एन पी सी एल) को विशेष दर सूची के अधीन विद्युत बिक्रय के विरुद्ध 81.92 करोड़ रुपये के बकाया मार्च 1999 तक के अतिरिक्त 22.73 करोड़ रुपये का बिलम्ब भुगतान प्रभार संचयित हो गया। आगे, दिसम्बर 1993 की शर्तों के अधीन एन पी सी एल को उत्पादन इकाई की स्थापना में असफलता पर 15 जून 1998 के बाद उसे विशेष टैरिफ के दो गुनी दर पर देयकीकृत नहीं किया गया जिसके कारण 37.49 करोड़ रुपये का अल्प प्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 3अ.4.3.2)

- *गलत दर अनुसूची का प्रयोग, करने के कारण 15.87 करोड़ रुपये के राजस्व निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों (12.68 करोड़ रुपये) एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं (3.19 करोड़ रुपये) का अल्पप्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 3अ.5.5)

- *संविदागत भार में अनियमित कमी, रियायतों एवं छूट की स्वीकृति तथा गुणांक कारकों के गलत प्रयोग से 5.02 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण/हानि हुआ। पुनः त्रुटिपूर्ण मीटरों के कारण ऊर्जा का अप्रभाण/अल्पप्रभारण के फलस्वरुप 3.88 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 3अ.5.6 से 3ब.5.9)

- *10 उपभोक्ता अपने अनुबन्धित भार से कम पर देयकीकृत किए गये जबकि 9 उपभोक्ता या तो कम बिल योग्य मांग या मांग प्रभार की लागू दरों से कम दरों पर देयकीकृत किए गये जिसके फलस्वरूप 8.37 करोड़ रुपये का अवप्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 3अ.5.10 व 3अ.5.13)

- *राजस्व का बकाया 1993–94 में 2038.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997–98 में 5171.52 करोड़ रुपये हो गया जो केवल दो माह के निर्धारण तक सीमित प्रतिभूति राशि के समक्ष 8.94 से 12.95 माह के निर्धारण को दर्शाता था।*

(प्रस्तर 3अ.6)

3ब. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि

- *सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि के 1638 मेगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 1365.5 मेगावाट रही जो 83 प्रतिशत की उपलब्धि थी।*

(प्रस्तर 3ब.4.2)

- *तापीय संयंत्रों में निर्धारित प्लांट लोड फैक्टर के न प्राप्त करने से 18806 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 1203.58 करोड़ रुपये था।*

(प्रस्तर 3.ब.4.3)

- *सातवीं योजनागत विभिन्न परियोजनाओं के चालू करने में अत्याधिक विलम्ब के कारण कुल 44036.25 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 2791.89 करोड़ रुपये था।*

(प्रस्तर 3ब.6.1)

- *आनपारा 'स' के लिए सृजित सामान्य सुविधाओं/कोल हैंडलिंग प्लाँट, वाटर ट्रींटमेट प्लांट आदि अवस्थापनों पर परिषद द्वारा किया गया कुल व्यय 222.18 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहा क्योंकि शासन ने परियोजना की रुपात्मकता तय नहीं की।*

(प्रस्तर 3ब.6.1(2स))

3स. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विरुद्ध बकाया देय

- 31 मार्च 1999 को परिषद के कुल दायित्व 29954.53 करोड़ रुपये के थे जिसमें 6427.12 करोड़ रुपये के चालू दायित्व शामिल थे।

(प्रस्तर 3स.1)

- 31 मार्च 1999 को, सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं के उपार्जित और देय ब्याज सहित दीर्घ अवधि ऋण क्रमशः 19205.68 करोड़ रुपये एवं 3720.19 करोड़ रुपये के थे।

(प्रस्तर 3स.5.3)

- परिषद की 497.16 करोड़ रुपये तक की निधियाँ, विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण, अवरुद्ध रहीं।

(प्रस्तर 3स.6.1)

- मार्च 1999 के अन्त पर, सरकार से प्राप्य 11266.38 करोड़ रुपये के उपदान के विरुद्ध, मात्र 136.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

(प्रस्तर 3स.6.3)

3द. इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स की परिलब्धि

- छः ताप विद्युत केन्द्रों (टी पी एस) की 38 इकाइयों में से मात्र 24 इकाइयों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई एस पी) की स्थापना की गई। ओबरा ताप विद्युत गृह का वास्तविक उत्सर्जन स्तर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू पी पी सी बी) द्वारा निर्धारित 350 मि ग्रा/एन एम3 के मानक के समक्ष असमान्य रूप से 8930 मि ग्रा/एन एम3 तक उच्च अभिलेखित किया गया।

(प्रस्तर 3द.4)

- पनकी ताप विद्युत केन्द्र की इकाई III एवं IV पर संवर्धन कार्य किये जाने में क्रमशः 10 महीने एवं 4 महीने का विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 45.55 करोड़ रुपये मूल्य की 348.87 मि यू के उत्पादन की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.5)

- परिषद द्वारा ई एस पी की संस्थापना में असफलता के कारण, पनकी ताप विद्युत केन्द्र की इकाई I एवं II क्रमशः नवम्बर 1995 और अप्रैल 1997 से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण नियन्त्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार बन्द पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 1999 तक 80.22 करोड़ रुपये मूल्य की 489.14 मि यू उत्पादन की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.7)

4. विविध रुचिकर विषय

उपरोक्त समीक्षाओं के अतिरिक्त सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अभिलेखों की सामान्य नमूना जांच में निम्न विविध रुचिकर विषय पाये गये:

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड

- *बुलन्दशहर शुगर फैक्ट्री की क्षमता में वृद्धि के लिये आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 29.10 करोड़ रुपये की लागत में वृद्धि हुई।*

(प्रस्तर 4अ.1)

- *सरकार के अनुमोदन एवं वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना, आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के लिए सामग्री की अधिप्राप्ति किये जाने के परिणामस्वरूप 3.97 करोड़ रुपये की निधियाँ निरुद्ध हो गयीं।*

(प्रस्तर 4अ.2)

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

- *कम्पनी को, साझेदारों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति के सत्यापन में विफलता और सघन देखरेख के अभाव के परिणामस्वरूप दो मामलों में 5.60 करोड़ रुपए की हानि हुई।*

(प्रस्तर 4अ.4)

- *शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना, बाण्ड के निर्गमन द्वारा 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि एकत्रित करने के कारण, 97.07 लाख रुपये को ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, मर्चेन्ट बैंकर को 25 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।*

(प्रस्तर 4अ.5)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

- *दो प्रकरणों में, प्रतिपूर्ति की दर निर्धारण किये बिना ऋण के आहरण से 3.20 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।*

(प्रस्तर 4ब.4)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

- *एक उपभोक्ता को, 'बे' प्रभारों (10.87 लाख रुपये) एवं प्रतिभूति जमा (79.50 लाख रुपये) की कम वसूली करके तथा मीटर के धीमी गति से चलने पर निर्धारण (411.71 लाख रुपये) न करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया।*

(प्रस्तर 4स.1)

- *निजी फर्मों से कराये गये परिवर्तकों के रूटीन एवं टाइप टेस्ट पर परिषद ने 0.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।*

  (प्रस्तर 4स.2)

- *33/11 के वी उपकेन्द्र/लाइनों के निर्माण पर किया गया 0.38 करोड़ रुपये का व्यय, सितम्बर 95 में चोरी गये कन्डक्टर को न बदलने के कारण निष्फल रहा।*

  (प्रस्तर 4स.3)

- *राज्य सरकार द्वारा 9787 अम्बेदकर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये दी गयी (मार्च 1998 तक) 325.03 करोड़ रुपये के समक्ष निधियों की, परिषद ने मार्च 1999 तक 6738 ग्रामों के विद्युतीकरण पर मात्र 173.18 करोड़ रुपये का व्यय किया, 151.85 करोड़ रुपये का अवशेष धन चालू खाते में रखा गया फलस्वरूप 22.02 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के आवर्ती ब्याज की देयता पैदा हो गई।*

  (प्रस्तर 4स.7)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय–1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में निवेश	1.2	2
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.3	5
बजट बर्हिगन, उपदानों, प्रत्याभूतियों और देयों की माफी	1.4	6
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देना	1.5	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	1.6	11
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	1.7	13
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम	1.8	14
सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	20
619–बी कम्पनियाँ	1.10	21
वाई टू के की समस्या का सामना करने के लिये सार्वजनिक उपक्रमों की तैयारी	1.11	21

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 1999 को राज्य सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत 97 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित) एवं 8 सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 1998 को कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संख्या भी वही थी। सरकारी कम्पनियों के लेखों (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित)की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक(सी ए जी)की सलाह पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार, यह लेखे सी ए जी द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के भी आधीन है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्रम सं0	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 69(2)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों एवं सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों एवं सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा

क्रम सं0	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
7.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक(कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों और सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
8.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासकीय लेखाकारों एवं सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में निवेश

31 मार्च 1998 को 20142.51 करोड़ रुपये के कुल निवेश (अंश पूँजी: 2292.44 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण 17831.89 करोड़ रुपये, अंशपूँजी आवेदन राशि 18.18 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 1999 को 105 सरकारी कम्पनियों में (37 सहायक कम्पनियों सहित 97 सरकारी कम्पनियों और 8 सांविधिक निगम) कुल निवेश 20842.20 करोड़ रुपये (अंश पूँजी: 2382.35 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण:' 18432.62 करोड़ रुपये, अंशपूँजी आवेदन राशि: 27.23 करोड़ रुपये) था।

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 1999 को 97 सरकारी कम्पनियों (37 सहायक कम्पनियों सहित)में कुल निवेश, 31 मार्च 1998 में 4437.25 करोड़ रुपये, (अंश पूँजी 1865.24 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 2553.83 करोड़ रुपये, अंश पूँजी आवेदन राशि: 18.18 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 3358.98 करोड़ रुपये (अंश पूँजी 1948.01 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण 1383.74 करोड़ रुपये, अंश पूँजी आवदेन राशि: 27.23 करोड़ रुपये था।

सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये में)		बी आई एफ आर को संदर्भित कम्पनियों की संख्या
		दत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण*	
(क) कार्यरत कम्पनियाँ				
(ब) अकार्यरत कम्पनियाँ	56 (59)	1871.62 (1835.77)	1226.09(2540.42)	10[d] (10)
(i) परिसमापनाधीन	12[a] (12)	15.86 (15.86)	0.03 (0.03)	शून्य
(ii) बन्दीकरण के अन्तर्गत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) विलयन के अन्तर्गत	3[b] (3)	0.47 (0.31)	2.69 (2.69)	शून्य
(iv) अन्य	26[c] (23)	87.29 (31.48)	154.93(10.69)	शून्य
योग	**97 (97)**	**1975.24 (1883.42)**	**1383.74 (2553.83)**	**10 (10)**

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गत वर्ष के आंकड़ें हैं)

चूंकि 41 कम्पनियाँ 3 से 24 वर्षो की अवधि से कार्यशील नहीं थीं अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत परिसमापन/बन्दीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 261.27 करोड़ रुपये का भारी निवेश सन्निहित था, उनके अविलम्ब परिसमापन अथवा पुनर्जीवन के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट 1 एवं 2 में विवरण सहित दिये गये हैं। इलेक्ट्रानिक्स, ऊर्जा एवं वित्त पोषण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दीर्घावधि ऋण में कमी के कारण, ऋण अंश पूँजी अनुपात 1997–98 में 1.37:1 से घटकर 1998–99 मे 0.70:1 हो गया।

---

* पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2 में वर्णित दीर्घावधि ऋण, उन पर संचित एवं देय ब्याज को छोड़कर हैं।

a परिशिष्ट–1 क्रम संख्या 24,25,26,27,28,37,38,39,40,45,67 एवं 84 के सन्दर्भ में।

b परिशिष्ट–1 क्रम संख्या 44,47 एवं 48 के सन्दर्भ में।

c परिशिष्ट–1 क्रम संख्या 3, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 34, 35, 36, 50, 55,56,57,58,59,60,61,62, 64, 65, 66,71,83 एवं 93 के सन्दर्भ में।

d परिशिष्ट–1 क्रम संख्या 31,32,41,42,43,75,78,79,80 एवं 82 के सन्दर्भ में।

सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 1999 को, सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश में से 58.80 प्रतिशत समता अंश पूंजी थी और 41.20 प्रतिशत ऋण थे तुलना में 31 मार्च 1998 को क्रमशः 42.45 प्रतिशत और 57.55 प्रतिशत थी।

1997–98 तथा 1998–99 की समाप्ति पर सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश (समता, अंश आवेदन राशि को शामिल करके तथा दीर्घ अवधि ऋण) नीचे पाई ग्राफ में दिया गया है।

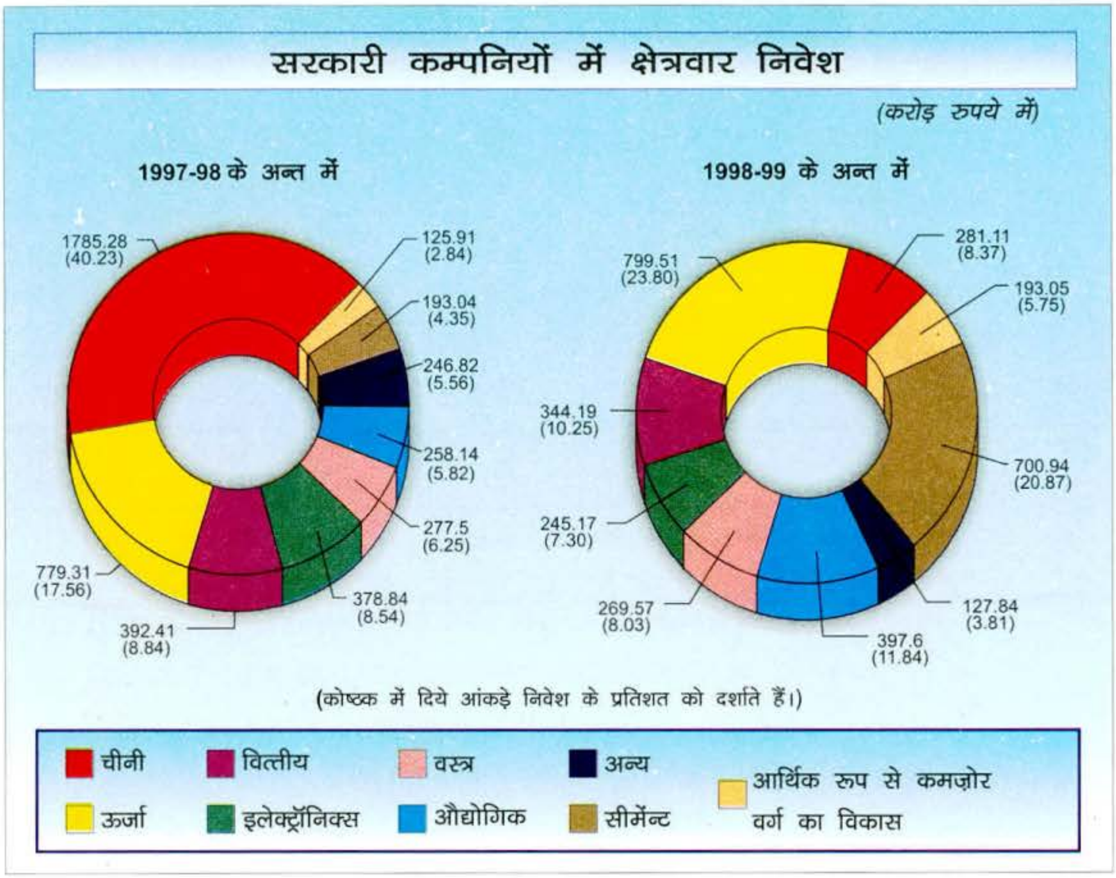

1.2.2 सांविधिक निगम

मार्च 1998 एवं मार्च 1999 के अन्त में आठ निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निगम का नाम	1997–98		1998–99	
		पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	--	13598.31	--	15178.75
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	315.83	97.10	321.57	105.82*
3.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00	1391.22	100.00	1423.04

* अनन्तिम

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निगम का नाम	1997–98		1998–99	
		पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	11.37	1.82	12.77	1.43
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	--	51.82	--	28.26
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	--	128.42	--	302.20
7.	उत्तर प्रदेश वन निगम	--	7.00	--	7.00
8.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	--	2.37	--	2.37
	योग	**427.20**	**15278.06**	**434.34**	**17048.87**

आठ निगमों में से, पाँच निगमों के पास कोई अंश पूँजी नहीं है। 31 मार्च 1998 को इन सांविधिक निगमों के 15278.06 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों के विरुद्ध, 31 मार्च 1999 को यह 17048.87 करोड़ रुपये के थे। बकाया ऋणों में वृद्धि मुख्यतः उत्तर प्रदेश जल निगम में 135 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में 12 प्रतिशत ऋण वृद्धि के कारण थी।

सभी निगमों के नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं और 1998–99 तक के तीन वर्षों की, प्रत्येक® सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट–4 एवं 5 में दिये गये हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन®®

सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों के निजीकरण/विनिवेश हेतु बनाई गई नीति (जून 1994) में समाजिक एवं कल्याण क्रिया कलाप एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं में कार्यरत उद्यमों को छोड़कर ऐसे सभी उद्यमों की समीक्षा करने का प्रावधान था जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी और जिन्होंने अपनी निवल पूँजी का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था।

® उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को छोड़ कर, जिसकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को 1997–98 में सौपी गई थी किन्तु लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए।

®® पुनर्गठन के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों का संविलयन एवं बन्दीकरण सम्मिलित है।

परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन, उद्यमियों का चयन आदि की विभिन्न पद्धतियों और आधार का वर्णन करती हुई एक व्यापक नीति सरकार द्वारा अभी भी बनानी है।

निजीकरण/विनिवेश/बी आई एफ आर को सन्दर्भित मामलों की समीक्षा एवं निर्णय के लिए तथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि के अनुमोदन हेतु एक उच्चाधिकार समिति (ई सी) का गठन (दिसम्बर 1995) किया गया। ई सी का अनुमोदन, यदि कोई हों लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

1.4 बजट बहिर्गमन, उपदानों, प्रत्याभूतियों और देयों की माफी

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, उपदानों, निर्गत की गई प्रत्याभूतियों, देयों की माफी एवं ऋणों के अंश पूँजी में परिवर्तन के ब्योरे परिशिष्ट–1 एवं 3 में दिये गये हैं।

1998–99 तक के तीन वर्षो में अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं उपदान के रूप में राज्य सरकार से सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन नीचे दिया गया है:

(राशि: करोड़ रुपये मे)

	1996-97				1997-98				1998-99			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि
अंश पूँजी	11	33.63	-	-	11	48.94	2	1.16	9	26.48	2	7.14
ऋण	14	117.25	2	974.81	12	109.95	2	829.50	13	113.80	4	1149.49
अनुदान	--	--	--	--	--	--	1	60.28	--	--	--	--
उपदान												
(i) परियोजनायें कार्यक्रम योजनायें	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	3.01
(ii) अन्य उपदान	11	221.20	--	--	13	197.77	1	638.03	4	80.62	1	133.92
(iii) कुल उपदान	11	221.20	--	--	13	197.77	1	638.03	4	80.62	3	136.93
कुल बहिर्गमन	**25**	**372.08**	**2**	**974.81**	**26**	**356.66**	**2**	**1528.97**	**21**	**220.90**	**8**	**1293.56**

1998–99 के दौरान, सरकार ने 12 सरकारी कम्पनियों (821.63 करोड़ रुपये) और चार सांविधिक निगमों (1195.44 करोड़ रुपये) द्वारा लिए गये कुल 2017.07 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में, 18 सरकारी कम्पनियों (969.17 करोड़ रुपये) और पाँच सांविधिक निगमों (1539.57 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 2508.74 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति बकाया थी। वर्ष के दौरान, प्रत्याभूति वाले ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के चार प्रकरण (कम्पनी: एक; सांविधिक निगम: तीन) हुए। वर्ष के दौरान, सरकार ने एक कम्पनी (46.53 करोड़ रुपये) तथा एक निगम (5.00 करोड़ रुपये) में 51.53 करोड़ रुपये की राशि के अपने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया। सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को कोई प्रत्याभूति कमीशन देय नहीं था।

1.5 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देना

1.5.1 कम्पनियों के लेखों से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619 बी सह–पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत तैयार होने चाहिए। इन्हें विधायिका के समक्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 9 माह के अन्दर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में इनके लेखे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार, लेखा परीक्षण एवं विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

तथापि, जैसा कि परिशिष्ट–2 से देखा जा सकेगा, 97 सरकारी कम्पनियों में से मात्र तीन कम्पनियों (एक कम्पनी सहित जिसने अप्रैल 1997 से सितम्बर 1998 की अवधि के लेखे तैयार किये) और 8 सांविधिक निगमों मे से दो निगमों ने वर्ष 1998–99 के लिए अपने लेखे, बताई गयी अवधि के दौरान तैयार किये। अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि के दौरान, 40 सरकारी कम्पनियों (5 कम्पनियों सहित जो समापन/बन्दी के अन्तर्गत थीं) ने 1998–99 वर्ष के लिये या गत वर्षों के (37 कम्पनियों द्वारा गत वर्षों के 47 लेखे और तीन कम्पनियों द्वारा तीन लेखे वर्ष 1998–99 के लिए जिसमें एक लेखा अप्रैल 1997 से सितम्बर 1998 की अवधि को लेकर था) 50 लेखे (समापन/बन्दी के अन्तर्गत कम्पनियों के 8 लेखों को शामिल करके) तैयार किये। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान, 6 सांविधिक निगमों ने 1998–99 या गत वर्ष (पांच निगमों द्वारा गत वर्षों के पांच लेखे) के छः लेखे तैयार किये। 30 सितम्बर 1999 को अन्य 91* सरकारी कम्पनियों (समापन के अन्तर्गत 9 कम्पनियों एवं संविलयन के अन्तर्गत 3 कम्पनियों सहित) और सात सांविधिक निगमों के लेखे 1 वर्ष से 24 वर्षो तक की अवधि के लिए बकाया थे, जैसा कि निम्न तालिका में ब्यौरा दिया गया:

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 24,25 एवं 67 पर कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत थी और कोई बकाया नहीं था।

क्रम संख्या	वर्ष जिसके लेखे बकाया थे	वर्षों की संख्या जिसके लिये बकाया थे	कम्पनियों/निगमों की संख्या		परिशिष्ट–2 क्रमांक संख्या का सन्दर्भ	
			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	1975-76	24	1		14	
2	1977-78	22	1		13	
3	1978-79	18	1		40*	
4	1982-83	17	1		60	
5	1980-81	16	1		38*	
6	1983-84	16	1		71	
7	1984-85	15	1		58	
8	1985-86	14	2		9,59	
9	1986-87	13	4		35, 62,70,74	
10	1987-88	12	2		57,61	
11	1988-89	11	6		36, 50,56,65,66,69	
12	1976-77	10	1		26*	
13	1989-90	10	2		46,83	
14	1990-91	9	4		18,34,89,90	
15	1991-92	8	3		3,11,21	
16	1992-93	7	4		15,20,55,95	
17	1993-94	6	3		12,63,68	
18	1986-87	5	1		28*	
19	1994-95	5	2		33,64	
20	1987-88	4	1		48@@	
21	1993-94	4	1		37*	
22	1995-96	4	5	1	2,17,49,73,75	6
23	1993-94	3	1		27*	
24	1996-97	3	7		23,32,54,78,80,92,97	
25	1989-90	2	1		44@@	
26	1997-98	2	8		16,19,22,77,79,93,94,96	
27	1990-91	1	1		47@@	
28	1993-94	1	1		84*	
29	1995-96	1	1		45*	
30	1996-97	1	1		39*	
31	1998-99	1	22		1,4,5,6,7,8,10,29,41,42,43, 51,52,53,72, 6,81,85,86,87, 88,91	2,3,5, 7, 8

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 26,27,28,37,38,39,40,45 एवं 84 पर कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत हैं; इसलिए, बकाया उनके समापन में जाने की तिथि तक हैं।

@@ परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 44,47, एवं 48पर कम्पनियाँ संविलयन में हैं; अतः, बकाए संविलयन की तिथि तक हैं।

उपरोक्त 91 सरकारी कम्पनियों में से, जिनके लेखे बकाया हैं, 38[@] कम्पनियाँ अकार्यशील कम्पनियाँ थीं।

प्रशासनिक विभाग को निरीक्षण एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कम्पनियों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान लेखे तैयार एवं अंगीकृत कर लिये जायें। यद्यपि लेखों के अन्तिमीकरण के बकाये के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं शासन को आधिकारिक रूप से त्रैमासिक जानकारी देने के बावजूद, सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप, इन सरकारी कम्पनियों में किये गये निवेशों को लेखा परीक्षा में मूल्यांकित नहीं किया जा सका।

1.5.2 विधायिका में सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की स्थिति

विभिन्न सार्वजनिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस ए आर) को सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुत करने की स्थिति निम्न तालिका में इंगित की गई है।

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक कि एस.ए.आर. विधायिका में प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिसके लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत नही किये गयें		
			पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत करने में बिलम्ब के कारण
1-	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	1989-90	1990-91 से 1992-93, 1993-94,	06-08-1997, 18-06-1998,	सूचना प्रतीक्षित है
2-	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1993-94	1994-95 1995-96 1996-97	08-11-1996 20-01-1998 10-09-1999	सूचना प्रतीक्षित है

@ परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 3,9,13,14,15,18,20,23,26,27,28,34,35,36,37,38,39,40,44,45,47,48,50,55,56,57, 58,59,60,61,62,64, 65,66,71,83,84 एवं 93

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक कि एस.ए.आर. विधायिका में प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिसके लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत नही किये गयें		
			पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत करने में बिलम्ब के कारण
3-	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96	07-07-1995 18-04-1996 28-08-1998	सूचना प्रतीक्षित है
4-	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम	1997-98	1998-99	अंतिमकरण के अन्तर्गत	लागू नहीं
5-	उत्तर प्रदेश वन निगम[अ]	--	--	--	---
6-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	**	1990-91 1991-92 1992-93 1993&94	23-02-1998 23-02-1998 27-02-1998 19-08-1999	सूचना प्रतीक्षित है
7-	उत्तर प्रदेश जल निगम	**	1995-96 1996-97	21-10-1997 18-02-1999	सूचना प्रतीक्षित है
8-	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[(ब)]	--	--	--	---

(अ) लेखा परीक्षा 1997–98 से सौंपी गई। प्रथम पपृथक लेखा परीक्षा प्रतिवदेन निर्गमन के अन्तर्गत है।

** सरकार से सूचना प्रतीक्षित थी।

(ब) लेखा परीक्षा 1997–98 से सौंपा गया है। लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम

93* सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 23 की कम्पनी, जो निर्माण में है, को सम्मिलित करके) एवं 7** सांविधिक निगमों के नवीनतम तैयार लेखों के अनुसार, 60 कम्पनियों एवं 3 निगमों ने क्रमशः कुल 223.24 करोड़ रुपये एवं 70.86 करोड़ रुपये की हानि हुई और शेष 32 कम्पनियों और 4 निगमों ने क्रमशः कुल 45.15 करोड़ रुपये एवं 451.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

नवीनतम तैयार किये गये लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, नवीनतम 3 वर्षों के तैयार लेखों के अनुसार प्रत्येक निगम के कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट–5 में दिये गये हैं।

1.6.1 सरकारी कम्पनियाँ

1.6.1.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ और लाभांश

3 कम्पनियों (दो सहायक कम्पनियों को शामिल करके) में से, जिनके वर्ष 1998–99 के लेखे सितम्बर 1999 तक तैयार कर लिये गये थे, एक कम्पनी (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 31) ने 0.10 करोड़ रुपये लाभ कमाया, लेकिन लाभांश घोषित नहीं किया।

इसी प्रकार, 40 कम्पनियों, जिन्होनें सितम्बर 1999 तक गत वर्षो के अपने लेखे तैयार किये, में से 19 कम्पनियों ने 41.64 करोड़ रुपये का कुल लाभ कमाया और मात्र 14 कम्पनियों ने दो या अधिक अनुवर्ती वर्षो में लाभ कमाया।

सरकार ने सरकारी कम्पनियों के लिये कोई लाभांश नीति नहीं बनाई। तथापि, सरकार ने सरकारी कम्पनियों द्वारा कारपोरेट योजना बनाने और योजना में भविष्य में को स्पष्ट करने का आदेश (जून 1994) दिया लेकिन सरकारी कम्पनियों द्वारा कोई भी योजना तैयार नहीं की गई।

1.6.1.2 हानि उठाने वाली कम्पनियाँ

3 कम्पनियों (दो सहायक कम्पनियों को शामिल करके) मे से, जिन्होंने सितम्बर 1999 तक 1998–99 के लिए अपने लेखे तैयार कर लिये थे, दो कम्पनियों (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 30 एवं 82) ने कुल 4.31 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

इसी प्रकार, 40 कम्पनियों जिन्होनें सितम्बर 1999 तक अपने गत वर्षो के लेखे को तैयार कर लिये थे, में से 21 कम्पनियों ने कुल 77.00 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

---

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 8 के एक निगम ने, जिसकी लेखापरीक्षा 1997–98 दी गई, अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

** परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 35, 36, 40 एवं 83 पर 4 कम्पनियों ने अपने लेखे प्रारम्भ से तैयार नहीं किए है।

60 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से, 35 कम्पनियों की कुल संचित हानि 2026.52 करोड़ रुपये हुई, जोकि उनकी कुल दत्त पूँजी 1022.09 करोड़ रुपये से बहुत अधिक हो गई थी।

खराब प्रदर्शन के कारण दत्त पूँजी के पूर्ण क्षय के होने के बावजूद, राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी में अशंदान, अगले ऋणों की स्वीकृति, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन, उपदान आदि के रूप में वित्तीय सहायता देती रही। उपलब्ध सूचना के आधार पर, इन 35 कम्पनियों में से 6 कम्पनियों को 1998–99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति एवं ऋणों का पुनः पूँजी में परिवर्तन के रूप में 129.57 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता दी गयी।

1.6.2 सांविधिक निगम

1.6.2.1 लाभ कमा रहे सांविधिक निगम और लाभांश

दो संविधिक निगमों, जिन्होंने अपने 1998–99 तक के लेखे सितम्बर 1999 तक तैयार कर लिए थे, मे से मात्र एक सांविधिक निगम (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 4), ने 3.74 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 0.31 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। उपरोक्त लाभ कमाने वाले निगम में लाभांश उपरोक्त 0.31 करोड़ रुपये के लाभांश के रुप में कुल प्रति लाभ पूँजी के प्रतिशत के रूप में गणना में 2.43 प्रतिशत निकला। वर्ष 1998–99 में सभी सांविधिक निगमों में कुल निवेश 434.34 करोड़ रुपये का 0.07 प्रतिशत था जबकि गतवर्ष में यह 1.85 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार, पांच निगमों, जिन्होंने सितम्बर 1999 तक गतवर्षो के लेखे तैयार कर लिये थे, में से दो निगमों (परिशिष्ट–2 क्रम संख्या 5 व 6) ने कुल 36.64 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और इन सभी निगमों ने दो या अधिक वर्षो तक लगातार लाभ कमाया।

1.6.2.2 हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

पाँच निगमों, जिन्होनें सितम्बर 1999 तक अपने गत वर्षो के लेखे तैयार कर लिये थे, में से तीन निगमों ने कुल 70.86 करोड़ रुपये की हानि उठायी।

तीन हानि उठाने वाले निगमों में से दो निगमों की कुल संचित हानि 1259.92 करोड़ रुपये थी जो कि उनकी प्रदत्त पूँजी 421.57 करोड़ रुपये से बहुत अधिक हो गई थी।

खराब प्रदर्शन से दत्त पूँजी के पूर्ण रूप से क्षय होने के बावजूद, राज्य सरकार ने इन निगमों को पूँजी के लिए अंशदान, अगले ऋणों का पूँजी में परिवर्तन, एवं उपदान, आदि के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही। उपलब्ध सूचना के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा 1998–99 में

पूँजी के लिए अंशदान एवं ऋणों का पूँजी में परिवर्तन के रूप में एक निगम को 10.74 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी।

1.6.2.3 सांविधिक निगमों का संचालन सम्पादन

सांविधिक निगमों का संचालन सम्पादन परिशिष्ट–6 में दिया गया है जो निम्न तथ्य प्रकट करता है:

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में प्रेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत 1996–97 में 24.58 प्रतिशत से बढ़कर 1998–99 में 26.86 प्रतिशत हो गया। यह ऊर्जा के बढ़े हुए क्षय को इंगित करता था।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपने वाहनों की औसत संख्या 1996–97 की तुलना में 1998–99 में 9.4 प्रतिशत घट गई, जबकि उसी अवधि के दौरान किराये पर ली गई बसों की औसत संख्या में 97.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह किराये पर लिये गये बसों पर निर्भरता दिखाता था। अभिधारिता अनुपात 1996–97 में 67 से घटकर 1998–99 में 65 हो गया।

(iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा वितरित ऋण 1996–97 में 423.14 करोड़ रुपये (1491 मामले) से घटकर 129.39 करोड़ रुपये(637 मामले) हो गया जोकि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हानिकारक था।

(iv) उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा विक्रय किये जाने वाले विभिन्न उत्पादों में 1995–96 की तुलना में 1997–98 में कमी दिखाई थी।

1.7 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1998–99 की अवधि में 97 कम्पनियों में नियोजित* पूँजी 2060.69 करोड़ रुपये आगणित हुई और उन पर कुल प्रतिलाभ** 96.43 करोड़ रुपये था जोकि 4.68 प्रतिशत था जबकि 1997–98 में कुल प्रतिलाभ 177.97 करोड़ रुपये (9.30 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, 1998–99 के दौरान, सांविधिक

* नियोजित पूँजी–शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां (प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है। केवल वित्तीय कम्पनी और निगमों को छोड़कर जहाँ यह प्रदत्त पूँजी के पूर्व और अन्तिम शेषों के कुल माध्य तथा आरक्षित निधि एवं ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।

** नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ आय की गणना हेतु ऋण ली गई निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोडा जाता है और हानि से घटाया जाता है जैसा कि लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

निगमों के सम्बन्ध में नियोजन पूँजी एवं उन पर प्रतिलाभ क्रमशः 12065.18 करोड़ रुपये और 2114.12 करोड़ रुपये (17.52 प्रतिशत) था, जब कि 1997–98 में कुल प्रतिलाभ 2053.46 करोड़ रुपये (18.58 प्रतिशत) था। सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी एवं नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का ब्यौरा परिशिष्ट–2 में दिया गया है।

1.8 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखा परीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि के दौरान 34 सरकारी कम्पनियों एवं 6 निगमों के लेखों के लेखा परीक्षा को समीक्षा के लिय चयनित किया गया। पी एस यू की समीक्षा के परिणामों की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव नीचे तालिका में दिया है।

विवरण	लेखों की संख्या		लाख रुपये में	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(i) लाभ में कमी	4	1	276.78	221361.86
(ii) लाभ में वृद्धि	–	–	–	–
(iii) हानियों में वृद्धि	3	1	206.60	591.88
(iv) हानियों में कमी	1	–	6.05	–
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों को न बताना	1	–	81.98	–
(vi) वर्गीकरण की त्रुटियां	1	–	119.99	–

उपरोक्त कम्पनियों एवं निगमों में से कुछ के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई कुछ प्रमुख त्रुटियों और चूकों को नीचे उल्लिखित किया गया है:

अ. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में पायी गयी त्रुटियां एवं चूकें

दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल ऐण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (1997–98)

(i) दीर्घावधि निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के लिए प्रावधान न करने के कारण, इस वर्ष के निवेश 71.62 लाख रुपये से अधिक बताये गये जबकि हानि कम बताई गयी।

(ii) सेवानिवृत्ति के समय देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान न करने से, इस वर्ष की हानि (3794.18 लाख रुपये) को 75 लाख रुपये से कम बताया गया।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस ऐण्ड टयूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड (1997–98)

कम्पनी द्वारा 'ग्रेच्युटी–कम–लाईफ इंश्योरेन्स स्कीम' के अन्तर्गत ली गई पालिसी के प्रीमियम के भुगतान की देयता का प्रावधान न करने के कारण, चालू देयतायें एवं प्रावधान 30.22 लाख रुपये से, इस वर्ष की हानि 7.53 लाख रुपये से एवं संचित हानि 30.22 लाख रुपये से कम बतायी गई थीं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड (1995–96)

चलचित्र गृह के विक्रय से प्राप्य धनराशि (264.68 लाख रुपये) में एक चलचित्र हाल के विक्रय से प्राप्य का शेष 15.70 लाख रुपये शामिल थे। भुगतान न होने के कारण, कम्पनी द्वारा चलचित्र हाल का कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया गया था और कुछ भी प्राप्य नहीं रह गया। इस प्रकार, प्राप्य धनराशि एवं संचित हानि क्रमशः 15.70 लाख रुपये से अधिक और कम बतायी गई थी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (1997–98)

(i) 1979–80 से 1991–92 के दौरान पूर्ण किये गये 92 पुराने कार्य, जिनका पुनरीक्षित आंकलन प्राप्त नहीं किया गया था, से सम्बन्धित देयों का लेखों में प्रावधान न करने के कारण विविध देनदार (4031.00 लाख रुपये) को 348.43 लाख रुपये से अधिक बताया गया था। परिणामतः, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान इसी राशि से कम बताया गया था।

(ii) 32 कार्यो की अतिरिक्त लागत के 304.70 लाख रुपये के पुनरीक्षित आंकलन, दावे के लिये या तो प्रस्तुत नहीं हुये या स्वीकृत नहीं किये गये और अदत्त रहे। लेखों में न तो प्रावधान किया गया और न ही तथ्य को बताया गया था।

(iii) संविदा खाते (2297.04 लाख रुपये) से अन्तरित सकल लाभ में अन्तरण 79.66 लाख रुपये अधिक बताया गया था क्योंकि सेन्टेज प्रभारों, को निविदा कार्य (57.60 लाख रुपये),

29 कास्ट प्लस एवं बजट कार्य पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की दर पर (18.11 लाख रुपये), लेखांकन किया गया और कास्ट प्लस एवं बजट कार्यो की असूचीकृत स्टील शटरिंग सामग्री पर 15.33 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत ह्रास लगाया गया (3.95 लाख रुपये)।

(iv) अन्य प्राप्तियां (463.50 लाख रुपये) 49.56 लाख रुपये से अधिक बताई गई थी क्योंकि मशीनों पर लीज किराये (16.57 लाख रुपये) का अधिक लेखांकन हुआ और गत वर्षो के स्वामित्व एवं पुर्जो के प्रभार (32.99 लाख रुपये) को चालू वर्ष में लेखांकित किया गया।

(v) कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान न करने के कारण कर्मचारियों के लिए प्रावधान (2019.18 लाख रुपये) को 47.99 लाख रुपये से कम बताया गया था।

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (1993–94)

(i) विविध देनदारों (75.38 लाख रुपये) में 21.90 लाख रुपये के ऐसे देनदार शामिल थे जो 7 वर्षो से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(ii) ऋण एवं अग्रिम (160.01 लाख रुपये) में शामिल 21.08 लाख रुपये ऐसी फर्मो से प्राप्य थे जो या तो बीमार थीं या बन्द थीं और इसका न तो कोई प्रावधान किया गया, न ही कोई तथ्यात्मक उल्लेख किया गया।

(iii) अन्य चालू परिसम्पत्तियों (241.07 लाख रुपये) में 8.81 लाख रुपये सम्भाव्यता प्रतिवेदन की लागत के शामिल थे यह 1986–87 एवं 1987–88 में संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए बनवाई गई थी किन्तु कोई इकाई स्थापित न हो सकी। इसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया, परिणामतः चालू सम्पत्तियों 8.81 लाख रुपये से अधिक एवं हानि कम बताई गयी थी।

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (1995–96)

(i) विविध देनदारों (83.34 लाख रुपये) में 46.99 लाख रुपये शामिल थे जो 1991 तक पालीथीन बैग एवं कांटेदार तार को बढ़ी दर पर विक्रय का था, जिसको ग्राहकों ने स्वीकार नहीं किया था। संदिग्घ ऋणों के लिए प्रावधान न होने के कारण, 46.99 लाख रुपये से विविध देनदार अधिक बताये गये और हानि कम बताई गई।

(ii) ऋण एवं अग्रिम (794.84 लाख रुपये) में पूर्व के वर्षो के लिए व्यापार कर के लिए 23.79 लाख रुपये शामिल थे और जिन्हें लाभ हानि खाते में अभिलेखित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ऋण एवं अग्रिम 23.79 लाख रुपये से अधिक एवं हानि कम बताई गयी थी।

(iii) कम्पनी ने सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण 21.99 लाख रुपये पर प्राप्य एवं देय ब्याज (12.86 लाख रुपये प्रत्येक) का प्रावधान नहीं किया जिसके कारण असुरक्षित ऋण और ऋण एवं अग्रिम कम बताये गये।

ब. सांविधिक निगमों के प्रकरणों में पायी गयी त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1996–97)

(i) ग्रेच्युटी (735.59 लाख रुपये) में नैनीताल क्षेत्र एवं केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के सम्बन्ध में वर्ष 1996–97 में देय ग्रेच्यूटी 33.72 लाख रुपये शामिल नहीं थे।

(ii) संचय आरक्षित निधि एवं निधियों (34821.03 लाख रुपये) में ह्रास आरक्षित निधिः 34790.99 लाख रुपये, इन्श्योरेन्स आरक्षित निधिः 11.91 लाख रुपये, पेन्शन निधिः 8.39 लाख रुपये और अन्य आरक्षित निधियाँः 9.74 लाख रुपये शामिल थे जो कि बाहर की प्रतिभूतियों में निवेशित नहीं किये गये थे। इन निधियों के संचालन के नियम नहीं बनाये गये थे (मार्च 1997)।

(iii) प्रगतिगत भवन कार्य में (257.34 लाख रुपये) में 93.23 लाख रुपये के चार पूर्ण कार्य शामिल थे। इन कार्यो को पूँजीकृत न करने के कारण गत वर्षो में 10.74 लाख रुपये एवं चालू वर्ष में 8.24 लाख रुपये के ह्रास का कम प्रावधान हुआ और परिणामतः 18.98 लाख रुपये से संचित हानि एवं 8.24 लाख रुपये से इस वर्ष के लिए हानि कम बतायी गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1998–99 तक के तीन वर्षो में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन के आधार पर एवं यू पी एस ई बी के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) में उल्लिखित त्रुटियों एवं चूको को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले उपदान/आर्थिक सहायता को विचार में न रखते हुये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में शुद्ध आधिक्य/कमी तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत निम्नानुसार होगाः

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1996–97	1997–98	1998–99
1.	शुद्ध आधिक्य/(–) कमी लेखा बही के अनुसार	170.79	291.64	410.64
2.	राज्य सरकार से प्राप्य उपदान	1556.77	1839.61	2157.55
3.	राज्य सरकार से उपदान के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(–)कमी (1–2)	(–)1385.98	(–)1547.97	(–)1746.91
4.	यूपीएसईबी के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों से शुद्ध आधिक्य/(–)कमी में निवल वृद्धि/कमी	(–)120.33	(–)116.39	(–)56.07
5.	राज्य सरकार से उपदान के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(–)कमी, लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव लेने के बाद (3–4)	(–)1506.31	(–)1664.36	(–)1802.98
6.	नियोजित पूँजीपर कुल प्रतिलाभ*	(–)44.65	(–)62.81	(–)274.00
7.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	––	––	––

स. *पी एस यू के वित्तीय मामलों में स्थाई अनियमिततायें और प्रणाली दोष*

पी एस यू के वित्तीय मामलों में स्थाई अनियमिततायें और प्रणाली दोषों को उनके लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान बार बार इंगित किया गया था लेकिन इन पी एस यू द्वारा अब तक कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

स.1 *सरकारी कम्पनियाँ*

उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स ऐण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

(i) विशेष कम्पोनेट योजना/स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में वित्तीय पोषण के लिए लागू

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, शुद्ध आधक्य/कमी तथा लाभ एवं हानि खाते में रेखांकित ब्याज (पूँजीगत ब्याज को छोड़कर) को दर्शाता है।

प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्पनी के अनुमत्य उपदान के अंश की राशि एवं मार्जिन मनी ऋण की राशि का भुगतान, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रणी बैंको को चेक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा एक वर्ष के दौरान उपयोजित उपदान एवं मार्जिन मनी ऋण के वितरण का लेखांकन, बैकों को लाभार्थियों को वितरण हेतु भुगतान किये गये उपदान एवं मार्जिन मनी बताता था न कि वास्तविक उपयोग। 31 मार्च 1993 तक कम्पनी की 61 इकाइयों से सम्बन्धित 271.44 लाख रुपये विभिन्न बैंकों में अवितरित पड़े हुये थे।

(ii) बैंकों द्वारा वापस किये गये अवितरित ऋणों की वापसी की राशि को ऋणी के खातों में क्रेडिट नहीं किया गया, परिणामतः अवितरित राशि पर ब्याज प्रभारित हो रहा था। इसके परिणास्वरूप, 31 मार्च 1993 तक वापस की गई राशि 33.35 लाख रुपये (गतवर्षः 26.58 लाख रुपये) पर ब्याज (राशि अनिर्धारित) अधिक बताया गया था।

स.2 सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

(i) लेखों में दिखाये गये स्टाक की राशि, मूल्यांकित भण्डार खाता, जो कि तिथि तक अंकित नहीं था, से मिलान किये बिना केन्द्रीय लेखो के शेषों का प्रतिनिधित्व करती थी। कबाड़ का मूल्य भी भौतिक शेषों पर आधारित नहीं था।

(ii) ऋण एवं अग्रिमों का वर्षवार विवरण परिषद के पास उपलब्ध नहीं था।

(iii) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की प्राप्ति एवं खपत भी वास्तविक के बजाये अनुमानित के आधार पर लेखांकित की गयी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

'निवेश' के अन्तर्गत आने वाला 23.77 लाख रुपये का ह्रास आरक्षित निधि निवेश खाता जुलाई 1975 से कोषागार द्वारा असत्यापित था और इसीलिए, वसूल नहीं किया जा सका। लेखों में इस राशि का प्रावधान भी नहीं किया गया था।

1.9 सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कुल समीक्षायें/प्रस्तर		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षायें/प्रस्तर की संख्या	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
1976-77	2	53	--	5
1977-78	5	28	1	3
1979-80	6	59	--	7
1980-81	6	30	--	2
1981-82	4	73	4	39
1982-83	5	50	4	21
1983-84	4	60	4	10
1984-85	2	14	1	7
1985-86	6	22	6	11
1986-87	3	28	2	19
1988-89	5	22	5	13
1989-90	6	14	3	10
1990-91	6	21	5	21
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	4	28
1993-94	5	31	5	31
1994-95	5	41	5	38
1995-96	7	39	7	30
1996-97	8	40	8	30

1.10 619–बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत पांच कम्पनियाँ थीं। नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर इन कम्पनियों की दत्त पूँजी एवं कार्यचालन परिणामों को निम्न तालिका में इंगित किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	द्वारा निवेश			लाभ(+)/ हानि (–)	संचित हानि
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	अन्य		
अल्मोड़ा मैग्निसाइट लिमिटेड	1998-99	2.00	--	1.22	0.78	(+) 1.40	2.59
कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994-95	0.24	--	--	0.24	(+) 0.00003*	0.07
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	प्रारम्भ से ही (1975–76) लेखे का अन्तिमीकरण नहीं किया गया						
स्त्रील एण्ड फास्टेनर्स लिमिटेड	1978-79	0.90	--	0.55	0.35	(-) 0.45	--
उत्तर प्रदेश सीड एवं तराई डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	2.77	0.83	--	1.94	(+) 3.07	--

1.11 वाई टू के की समस्या का सामना करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की तैयारी

प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य की 97 सरकारी कम्पनियों एवं आठ सांविधिक निगमों में से छः** कम्पनियों और दो*** सांविधिक निगमों में आंशिक कम्प्यूट्रीकरण हो गया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने वाई टू के का समाधान कर लिया है। शेष सार्वजनिक उपक्रमके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

* 316 रुपये मात्र।

** परिशिष्ट–2 की (अ–सरकारी कम्पनियों) क्रम संख्या 2, 10, 30, 31, 88 और 94

** परिशिष्ट–2 की (बी–सांविधिक निगमं) क्रम संख्या 2 और 3

अध्याय 2

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की कार्यपद्धति

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	2.1	24
संगठनात्मक ढांचा	2.2	24
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3	24
वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	2.4	24
भूमि का अधिग्रहण	2.5	25
अवसंरचना का विकास	2.6	28
भूखण्डों का आबंटन तथा अग्रेत्तर कार्यवाही	2.7	31
औद्योगीकरण में प्रगति	2.8	34
परियोजना सूत्रीकरण एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन	2.9	35
निवेशों का विश्लेषण	2.10	37
अन्य रोचक बिन्दु	2.11	40

2

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की कार्यपद्धति

मुख्य अंश

औद्योगिक क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा विकास में कार्यरत कम्पनी की चार सहायक कम्पनियाँ थीं जिनकी अंशपूँजी में इसका कुल 345.04 लाख रुपये का निवेश पूर्णतया क्षरित हो गया।

(प्रस्तर 2.1 एवं 2.10.2)

भूमि अधिग्रहण हेतु अनुपयुक्त प्रस्तावों को वापस लेने के फलस्वरूप 26.37 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ जिससे बचा जा सकता था यदि अधिग्रहण की कार्यवाही विस्तृत अध्ययन तथा संभावित क्रेताओं से दृढ़ वचन के पश्चात् प्रारम्भ की गई होती।

(प्रस्तर 2.5.2)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पास द्वितीय पोषक लाइन की लागत को जमा करने से पूर्व, जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान इकाइयों के सम्बन्ध में ऊर्जा की माँग के आंकलन में असफलता के फलस्वरूप 70 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.6.1)

कम्पनी ने, बिना कोई आंकलन किये आठ औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग के पास 77.83 लाख रुपये की धनराशि जमा की परन्तु उद्यमियों के आकर्षित न होने के कारण कथित धनराशि निरूद्ध रही।

(प्रस्तर 2.6.3)

प्रथम पार्क की परिचालन सफलता को आकलित किये बिना, वाराणसी में द्वितीय निर्यात प्रोन्नति औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप 42.91 लाख रुपये निरूद्ध हो गये।

(प्रस्तर 2.9.1)

विस्तृत अध्ययन तथा संभावित इकाइयों को चिन्हित किये बिना, कानपुर में द्वितीय साफ्टवेयर तकनीकी पार्क (एस टी पी) की स्थापना से न केवल कम्पनी की 23.76 लाख रुपये की निधियाँ निरूद्ध हुई अपितु 134.64 लाख रुपये की परिहार्य हानि भी हुई।

(प्रस्तर 2.9.2)

2.1 प्रस्तावना

राज्य में औद्योगिक विकास की प्रोन्नति हेतु, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में, उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड का निगमन 29 मार्च 1961 को हुआ। वर्तमान में, कम्पनी भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं की पहचान तथा क्रियान्वयन तथा सरकार एवं स्वायतशासी संस्थाओं के स्थान पर सिविल कार्यो को करने में कार्यरत है।

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन, प्रबन्ध निदेशक एवं एक अंशकालिक अध्यक्ष सहित 19 निदेशकों से समन्वित एक निदेशक मण्डल में निहित है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य अधिशासी है तथा एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, एक सामान्य प्रबन्धक तथा एक वित्तीय नियन्त्रक से सहायित है। कम्पनी के दस क्षेत्रीय कार्यालय तथा दस मण्डलीय कार्यालय हैं जो क्रमशः क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संचालित किये जाते हैं।

2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार, में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूखण्डों के आबंटन तथा आबंटकों के विरुद्ध बकायों की वसूली एक सेक्टोरल समीक्षा में प्रस्तुत की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर अब तक (मार्च 1999) विचार नहीं किया गया है। वर्तमान समीक्षा में 1997–98 तक के पिछले पांच वर्षो के कम्पनी के सम्पूर्ण परिचालन को आच्छादित किया गया है।

2.4 वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1997–98 तक के पाँच वर्षो की कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणामों से जैसा कि परिशिष्ट–7 और 8 में संक्षिप्त किये गये हैं, निम्न तथ्य परिलक्षित हुएः

(i) 1995–96 की तुलना में 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान कर के पूर्व लाभ में वृद्धि, लेखा नीति में नकद आधार से मर्केन्टाइल आधार में परिवर्तन जिसके कारण 6.92 करोड़ रुपये ब्याज की आय में वृद्धि हुई, के कारण थे तथा

(ii) पूर्ववर्ती वर्षो में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित मरम्मत (10.74 करोड़ रुपये) की वापसी तथा अब परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत विकास व्यय को डेबिट करना।

2.5 भूमि का अधिग्रहण

2.5.1 अधिग्रहण प्रस्तावों की वापसी

बिना दृढ़ वचन प्राप्त किये तथा स्थल की उपयुक्तता का आंकलन किये भूमि अधिग्रहण कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई

औद्योगिक विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण, मुख्य क्रियाकलापों में से एक था जिस पर किया गया व्यय 1993–94 में 9.70 करोड़ रुपये से 1997–98 में 20 करोड़ रुपये के बीच था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अधिकांश प्रकरणों में कम्पनी ने सम्भावित उद्योगों हेतु स्थल की उपयुक्तता के उचित आंकलन तथा इकाइयों से निक्षेपों के रूप में दृढ़ वचन प्राप्त किये बिना, जिला प्राधिकारियों को अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इसके फलस्वरूप, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रस्तावों की वापसी से निरर्थक व्यय हुआ तथा निधियों की निरुद्धता हुई जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.5.2 वापस लिये गये प्रस्तावों पर निरर्थक व्यय

भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव की वापसी के कारण 23.50 लाख रुपये की हानि हुई

(i) कम्पनी ने, आगरा शहर के पास तीन गाँवों में 72 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये (अगस्त 1989) तथा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस एल ए ओ) को 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में अगस्त 1989 में जमा किये। फरवरी 1991 में प्रारम्भ अधिग्रहण की कार्यवाही मई 1992 में पूर्ण हुई, तथापि, कोई उद्योग किसी इकाई की स्थापना हेतु आगे नहीं आया क्योंकि भूमि ताज ट्रैपेजियम के अन्तर्गत आती थी। कम्पनी ने अप्रैल 1994 में प्रस्ताव को छोड़ देने के लिए एस एल ए ओ से निवेदन किया जिसे अधिग्रहण व्यय के 23.50 लाख रुपये की कटौती के उपरान्त मान लिया गया।

(ii) कम्पनी ने मोदी रबर वर्क्स हेतु मथुरा जिले के तीन गाँव में 46.20 लाख रुपये मूल्य की 261 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु एक प्रस्ताव भेजा (अक्टूबर 1987) मुख्य परियोजना अभियन्ता (सी पी ई)ने अक्टूबर 1988 में कहा कि प्रस्तावित भूमि जलमग्न है तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अनुपयुक्त है। कम्पनी ने अधिग्रहण कार्यवाहियों को नहीं रोका जो कि

नवम्बर 1990 में पूर्ण हुई। फर्म, जिसके लिए अधिग्रहण प्रारम्भ किया गया था, ने उद्योग लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली और इस प्रकार कम्पनी द्वारा प्रस्ताव छोड़ दिया गया जिसके हेतु एस एल ए ओ ने 4.62 लाख रुपये अधिग्रहण व्यय के रूप में वसूल किये जिसमें से कम्पनी द्वारा 1.75 लाख रुपये मोदी रबर द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर समायोजित किये गये।

इस प्रकार, यदि अधिग्रहण की कार्यवाही विस्तृत अध्ययन तथा सम्भावित क्रेताओं के दृढ़ वचन के पश्चात् प्रारम्भ की गई होती तो उपरोक्त दो मामलों में 26.37* लाख रुपये के निरर्थक व्यय को रोका जा सकता था।

2.5.3 अनुपयुक्त स्थल का चुनाव

राज्य के 'उद्योग विहीन जिलों' (एन आई डी) में अवसंरचना सुविधाओं सहित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता योजना (1983) के अन्तर्गत कम्पनी ने योजना के क्रियान्वन हेतु राज्य के आठ जिलों में से एक के रूप में चमोली जिले की पहचान की। स्थल चुनाव समिति जिसमें कम्पनी के पाँच अधिकारी तथा उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि था, ने पिन्डर नदी के पास सिमली गाँव में एक स्थान चुना (फरवरी 1985) जहाँ बाँध के निर्माण हेतु सिचाई विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण पहले ही 1982–83 में किया जा चुका था। कम्पनी ने जनवरी 1987 से तथा फरवरी 1990 के दौरान बिना सिंचाई विभाग से परामर्श के 47.63 लाख रुपये का भुगतान किया और फरवरी 1989 में 28.58 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किया। इसके बाद, सितम्बर 1989 में कम्पनी के संज्ञान में आया कि क्षेत्र, पास के बाँध के निर्माण के कारण जल प्लावित हो सकता है। इसलिए, कम्पनी ने अधिग्रहीत भूमि पर कोई विकास कार्य न करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1989)।

चमोली में मार्च 1992 तक विकसित 45 भूखण्डों में 22 भूखण्डों का आवंटन नहीं किया जा सका

सरकार ने मामले पर विचार करने के उपरान्त (मार्च 1992) कम्पनी को विकास कार्य करने के लिए निर्देशित किया। कम्पनी ने 45 भूखण्डों के अवसंरचना विकास पर 33.46 लाख रुपये व्यय किये तथा अब तक (जुलाई 1999) 23 भूखण्डों को आबंटित किया तथा अवशेष 22 भूखण्ड (10.56 एकड़ मूल्य 35.58 लाख रुपये) अनाबंटित पड़े थे (जुलाई 1999); इस प्रकार, उस सीमा तक क्षेत्र के औद्योगिक विकास के उददेश्य को पूरा नहीं किया गया।

2.5.4 अविकसित पड़ी अधिग्रहीत भूमि

नीचे दी गई तालिका लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किये मामलों के सम्बन्ध में भूमि का अधिग्रहण

* 23.50 लाख रुपये एस एल ए ओ द्वारा वसूल किया गया तथा 2.87 लाख रुपये अधिग्रहण व्यय का अवशेष कम्पनी द्वारा वहन किया गया।

तथा अविकसित भूमि की स्थिति दर्शाती है:

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अधिग्रहण का वर्ष	अधिग्रहीत भूमि	अविकसित भूमि	अविकसित भूमि के अधिग्रहण की लागत	अविकसित भूमि पर उपयोजित उपदान
		(एकड़ में)		(लाख रुपये में)	
त्रिशुनडी और उटेल्वा (सुल्तानपुर)	1985-86	845	835	145.87	145.87
सलेमपुर, अलीगढ़	1991-92	1124	1054	144.73	शून्य
फिरोजाबाद	1990-91	482	215	137.52	शून्य
भोगाँव (मैनपुरी)	1989-90	242	230	41.90	41.87
देवरिया	1989-90	148	59	35.66	29.48
फर्रुखाबाद	1991-92	266	266	28.50	25.24
एटा	1989.90	160	85	16.98	16.67
सन्डीला (हरदोई)	1972-73	1847	1040	14.34	शून्य
योग		**5114**	**3784**	**565.50**	**259.13**

2.59 करोड़ रुपये का उपदान अविकसित भूमि के विरुद्ध अनियमित समायोजित किया गया

इन क्षेत्रों में अधिग्रहीत भूमि का अधिकांश भाग अविकसित रहा, जो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यकता के आंकलन में उचित कार्यवाही की कमी को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की 565.50 लाख रुपये की निधि छः वर्ष या अधिक के लिए अवरुद्ध हो गयी। शासन के निर्देशों के अनुसार उपदान मात्र आबंटन तथा उद्यमियों को भूमि के कब्जे के स्थानान्तरण के विरुद्ध ही समायोजित की जा सकती थी। तथापि, कम्पनी ने अविकसित भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त 259.13 लाख रुपये के उपदान का समायोजन सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कर लिया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि अविकसित भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप किया गया था तथा अधिग्रहण लागत के विरुद्ध शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं कार्यप्रणाली के अन्तर्गत ही उपदान का समायोजन किया गया था। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

2.6 अवसंरचना का विकास

कम्पनी द्वारा अवसंरचना के विकास में सड़कें, नालियाँ, पुलिया, सामान्य सुविधा केन्द्रों का निर्माण तथा बिजली, पानी एवं दूरसंचार सुविधाओं आदि का विस्तार सम्मिलित था। आबंटियों से वसूली योग्य प्रीमियम की दर निर्धारित करते समय अवसंरचना सुविधाओं के विकास की लागत सम्मिलित की जाती है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्न मामलों में कम्पनी ने बिना इसकी आवश्यकता के आंकलन के तथा आबंटियों से पूर्ण लागत वसूली हेतु कार्य प्रणाली का निर्धारण किये बिना ही अवसरंचनाओं का विकास प्रारम्भ कर दिया।

2.6.1 विद्युत लाइन पर निरर्थक व्यय

70 लाख रुपये के निरर्थक व्यय से बचा जा सकता था यदि विद्युत की आवश्यकता का उचित आंकलन कर लिया गया होता

जून 1993 में, कम्पनी ने विद्यमान उपकेन्द्र जैनपुर (जिलाः कानपुर देहात) की संस्थापित क्षमता के समक्ष औद्योगिक इकाइयों की विद्युत की वर्तमान माँग को आंकलित किये बिना, उ प्र रा वि प के पास इसके सबसे समीप 132 के वी उपकेन्द्र घाटमपुर से जैनपुर उपकेन्द्र तक 30 कि मी की द्वितीय लाइन के निर्माण हेतु (जिसकी आवश्यकता तब थी जब विद्यमान भार 10 एम वी ए से अधिक होता) 70 लाख रुपये जमा किये। जबकि, 132 के वी घाटमपुर से द्वितीय सर्किट लाइन निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में थी, उ प्र रा वि प ने जैनपुर में 132 के वी उपकेन्द्र का स्वतः निर्माण करने के अपने प्रस्ताव के बारे में सूचित किया (फरवरी 1995)। कम्पनी ने अक्टूबर 1995 में तीन एम वी ए का भार आंकलित किया तथा माना कि अवशेष 7 एम वी ए क्षमता, जो विद्यमान प्रथम सर्किट लाइन (1991 में पूर्ण) के विरुद्ध उपकेन्द्र पर उपलब्ध है, आगामी तीन वर्षो की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पर्याप्त थी तथा 10 एम वी ए के ऊपर की कोई वृद्धि उ प्र रा वि प द्वारा पास मे ही प्रस्तावित 132 के वी उपकेन्द्र से पूरी की जा सकती थी। इसलिए, कम्पनी के अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) ने परिषद को निवेदन करने का प्रस्ताव किया (अक्टूबर 1995) कि द्वितीय सर्किट लाइन के कार्य को वर्तमान स्थिति में ही समाप्त कर दे जिससे अभी तक परिषद द्वारा प्रारम्भ न किये गये अवशेष कार्य को न कराये जाने के कारण 56.40 लाख रुपये की बचत हो जाये। तथापि, कम्पनी ने वर्तमान स्थिति में काम रोकने के लिए परिषद को विलम्ब से (जून 1996) सूचित किया। जिसके उत्तर, में परिषद ने सूचित किया (सितम्बर 1997) कि तब तक 52 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे तथा उनके द्वारा बनाई गई लाइन एक अतिरिक्त लाइन के रूप में सेवा करेगी जिसको कम्पनी ने महसूस किया (अक्टूबर 1997) कि किसी काम की नहीं होगी।

यदि, कम्पनी ने, द्वितीय पोषक लाइन हेतु लागत जमा करने से पूर्व विद्यमान इकाइयों के सम्बन्ध में विद्युत की मांग को आंकलन कर लिया होता, तो इस 70 लाख रुपये के व्यय को रोका जा सकता था।

2.6.2 त्रुटिपूर्ण समझौते के कारण ब्याज की परिहार्य हानि

नवम्बर 1991 से मार्च 1997 तक की अवधि के दौरान, कम्पनी ने उ प्र रा वि प को कुल 1521.41 लाख रुपये के 14 ऋण वितरित किए ताकि वह सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रों में उपकेन्द्रों के निर्माण में समर्थ बन जाय। अनुबन्ध के अनुसार ऋणों को उ प्र रा वि प द्वारा वितरण के पाँच वर्षो के अन्दर त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करना था। अनुबन्ध में नियत तिथि पर किश्तों के भुगतान में विलम्बित अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु किसी प्रावधान की कोई व्यवस्था नहीं थी।

त्रुटि की आकस्मिकता हेतु प्रावधान न होने से ब्याज की हानि

यह देखा गया कि उ प्र रा वि प. 768.46 लाख रुपये की धनराशि के विभिन्न ऋणों के 74 किश्तों का भुगतान नियत तिथियों पर करने में असमर्थ रही तथा धनराशि को एक से 438 दिवस के पश्चात् प्रेषित किया। अनुबन्ध में किसी उचित प्रावधान के अभाव में भुगतान की निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त बचे अवशेषों पर कम्पनी किसी ब्याज का दावा नही कर सकी। इस प्रकार, त्रुटियों की आकस्मिकता हेतु किसी प्रावधान के बिना अनुबन्ध के निष्पादन से, 14.74 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने उत्तर में बताया (अगस्त 1999) कि दण्ड ब्याज का प्रावधान आगामी अनुबन्धों में सम्मिलित किया जायगा।

2.6.3 लागत की वसूली के बिना दूरसंचार सुविधाओं का विकास

कम्पनी के अनुरोध पर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) 'उद्योग विहीन जिलों' (एन आई डी) में स्थित 8 औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रसार हेतु इस शर्त पर राजी हुआ (सितम्बर 1986) कि प्रति क्षेत्र 10.75 लाख रुपये (25 टेलीफोन संयोजन प्रत्येक 0.25 लाख रुपये की दर तथा 10 टेलेक्स संयोजन प्रत्येक 0.45 लाख रुपये की दर से) कम्पनी द्वारा जमा किये जायेंगे जिसे कॉल प्रभारों तथा किराये में छूट के द्वारा वापस किया जायेगा।

चूँकि, विकास के अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्यमी को कोई आबंटन नहीं हुआ था इसलिए कम्पनी ने धनराशि को अपने स्रोतों से जमा करने तथा उसे बाद में उद्यमियों से वसूल करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने सितम्बर 1988 और सितम्बर 1989 के मध्य डी ओ टी को बिना कोई अनुबन्ध या किराये में छूट के द्वारा उद्यमियों को धनराशि की वापसी हेतु विस्तृत कार्य प्रणाली के बिना 82.48 लाख रुपये का भुगतान किया। कम्पनी द्वारा लागत की पूर्ण वसूली के पश्चात् डी ओ टी द्वारा उद्यमियों को अपने स्वयं के प्रभार की दर पर सीधे संयोजनों को अवमुक्त करना था।

कम्पनी ने दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने में 77.83 लाख रुपये की अपनी निधियों को निरुद्ध कर दिया

इसी अनुबन्ध के अभाव में, डी ओ टी ने बिना कम्पनी के निर्देशों की प्रतीक्षा किये स्वयं की दर (1000 रुपये प्रति संयोजन) पर उद्यमियों को सीधे संयोजन अवमुक्त करना प्रारम्भ किया जो कि कम्पनी द्वारा प्रति संयोजन पर किये गये व्यय (25000 रुपये) से काफी कम था। दिसम्बर 1998 तक अपने द्वारा भुगतान किये गये 82.48 लाख रुपये के विरुद्ध, कम्पनी आबंटियों से मात्र 4.65 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। इस प्रकार, नौ वर्ष से वसूल नहीं हुए, 77.83 लाख रुपये के अवशेषों के कारण 83.16 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (सावधि जमा पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आंकलित)।

2.6.4 सड़क के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

सिविल खण्ड II, गाजियाबाद ने औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद में सड़क को मजबूत करने हेतु, के एस कन्सट्रक्शन एण्ड इन्जीनियर्स के साथ 37.13 लाख रुपये के एक अनुबन्ध का निष्पादन किया (जून 1997)। अनुबन्ध में अन्य बातों के अलावा प्रावधान था कि यदि ठेकेदार कार्य को अपूर्ण छोड़ देगा तो अपूर्ण कार्य को दूसरे ठेकेदार द्वारा ठीक कराने में हुआ अतिरिक्त व्यय मूल ठेकेदार की जमानत से अथवा अन्य किसी देय धनराशि से काट लिया जायेगा। जुलाई 1997 तक 1.43 लाख रुपये की कीमत के कार्यों के सम्पादन के उपरान्त ठेकेदार कार्य को छोड़ गया और इस लिए उसके अनुबन्ध को 0.53 लाख रुपये के उसके प्रतिभूति धन को जब्त करके जनवरी 1998 में निरस्त कर दिया गया। अप्रैल 1998 में, कम्पनी ने अवशेष कार्य 47.51 लाख रुपये पर क्वालिटी कन्सट्रक्शन, गाजियाबाद को उन मद–दरों पर जो कि निरस्त अनुबन्ध की दरों से उच्चतर थे, पर सौंप दिया। तथापि, 11.29 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को पहले ठेकेदार से वसूला नहीं गया।

2.6.5 सड़क और नालियों के रखरखाव पर परिहार्य व्यय

नगर परिषदों को विकसित क्षेत्रों के हस्तगत कराने के उपरांत भी सड़के क रखरखव पर 46.78 लाख रुपये का व्यय किया गया

कम्पनी द्वारा नगरीय सीमा के अन्दर विकसित औद्योगिक क्षेत्र, सम्बन्धित नगर परिषदों को सौंप दिये जाते हैं जो विकास कार्यो की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उपरान्त उसे हस्तगत कर लेते हैं। कम्पनी द्वारा क्षेत्र को सौंपने के उपरान्त, सड़कों एवं नालियों के रखरखाव का उत्तरदायित्व नगर निगमों में निहित हो जाता है। यह देखा गया कि काफी पहले अगस्त 1973 से फरवरी 1981 के दौरान गाजियाबाद में सात औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम को हस्तगत किये जाने के उपरान्त भी कम्पनी ने 1997–98 तक के पाँच वर्षो के दौरान सड़कों एवं नालियों के रखरखाव पर 46.78 लाख रुपये का व्यय किया जिसका दावा नगर निगम से नहीं किया जा सका क्योंकि व्यय उनकी सहमति के बिना किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि रखरखाव पर व्यय कम्पनी की साख की हानि को बचाने के लिए करना पड़ा। तथापि, यह तथ्य रहता ही है कि 46.78 लाख रुपये की भारी धनराशि को खर्च करने से पूर्व, कम्पनी को नगर निगम से पूर्व सहमति ले लेनी चाहिए थी ताकि दावा दायर किया जा सकता।

2.6.6 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी एफ सी) का निर्माण

16.13 लाख रुपये की मूल्य के सी एफ सी 8 वर्षों से अधिक से खाली पड़े थे

औद्योगिक क्षेत्र आगरा (412 वर्ग मी) तथा देहरादून (371 वर्ग मी) में 16.63 लाख रुपये की लागत पर 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान निर्मित दो सी एफ सी खाली पड़े थे, सिवाय देहरादून में मात्र 27 वर्ग मी के आबंटन के अतिरिक्त 16.13 लाख रुपये की निधियों की अवरुद्धता से बचा जा सकता था यदि बैंकों, डाकघर, दूरसंचार विभाग आदि से आवश्यकता का आंकलन निर्माण कार्य हाथ में लेने से पूर्व कर लिया जाता।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि सी एफ सी मांग पैदा करने के लिए उपलब्ध किये गये थे और यह देहरादून 'उद्योग विहीन जिला' (एन आई डी) के अनुसार आवश्यक था। उत्तर, इसकी दृष्टि से कि भारत सरकार के निर्देशों (जून 1984) के अनुसार सी एफ सी को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही उपलब्ध कराया जाना था और अनिवार्य नहीं था, स्वीकार्य नहीं हैं।

2.7 भूखण्डों का आबंटन तथा अग्रेतर कार्यवाही

कम्पनी, उद्यमियों के निवेदन पर, उनकी इकाइयों की स्थापना तथा औद्योगिक आवास हेतु विकसित एवं अविकसित भूखण्डों का आबंटन करती है। इसके अतिरिक्त, यह सम्पत्ति डीलर्स को उनके द्वारा विकास एवं विक्रय हेतु भूमि आबंटित करती है। जबकि, इकाइयों को भूमि का आबंटन कम्पनी द्वारा समय–समय पर नियत प्रीमियम दरों पर किया जाता है और यह निविदाओं में प्राप्त प्रस्तावों के विरुद्ध पट्टे पर बेची जाती है।

31 मार्च 1998 तक अधिग्रहीत भूमि, उपलब्ध और आबंटित भूखण्ड इत्यादि (अविकसित सहित) के विवरण नीचे दिये गये है:

क्रम सं0	विवरण	क्षेत्र (एकड़ में)
1-	अधिग्रहीत भूमि	*38174-783
2-	आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि (सड़कों, पार्कों इत्यादि के लिए क्षेत्र छोड़कर)	32262-367
3-	आबंटित भूमि	22445-726
4-	विधिक वादों के कारण आबंटन हेतु अनुपलब्ध भूमि	458-558
5-	आबंटन हेतु उपलब्ध अवशेष भूमि (7332.34 एकड़ की अविकसित भूमि सहित)	9358-083

लेखा परीक्षा द्वारा भूमि के आबंटन में देखी गई कुछ अनियमितताएं नीचे विवेचित हैं:

2.7.1 वाणिज्यिक भूखण्ड के आबंटन में अनुचित पक्षपात

भूखण्ड के आन्तरिक विकास के मूल्य की कटौती के पश्चात् विक्रय दर के निर्धारण के कारण 47.28 लाख रुपये की हानि हुई

(अ) कम्पनी ने वसूली योग्य मूल्य के अनुमान तथा न्यूनतम दर निर्धारण के बिना, अक्टूबर 1996 में सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में 15761 वर्ग मीटर वाणिज्यिक भूमि के विक्रय हेतु निविदा सूचना प्रसारित की। प्राप्त तीन प्रस्तावों के विरुद्ध कम्पनी ने प्रयुक्त होने वाली भूमि सहित 815 रुपये की विकास की लागत को 1900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वाणिज्यिक भूमि की प्रचलित विक्रय दर में से घटाने पर आयी 1085 रुपये प्रति वर्ग मीटर वसूली योग्य अनुमानित मूल्य के विरुद्ध, 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम बोली को स्वीकार करते हुए, 252.17 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तथापि, आन्तरिक विकास लागत हेतु कटौती उचित नहीं थी क्योंकि कम्पनी ने उसी औद्योगिक क्षेत्र में अपनी प्रचलित विक्रय दर पर 16000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों का आबंटन, इस मद पर बिना किसी कटौती के किया था। इसके फलस्वरूप, न्यूनतर दरों पर भूमि के निष्पादन में 47.28 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि भूखण्ड भवन निर्माणकर्ताओं को अग्रेतर विकास हेतु आबंटित किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप आबंटित किये जाने वाले क्षेत्र में सार्वजनिक गलियारा इत्यादि के कारण, कमी हुई और इसलिए कटौती की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र का आन्तरिक विकास आबंटी का दायित्व है।

पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि के विक्रय के कारण 11.41 लाख रुपये की हानि हुई

(ब) इसके अतिरिक्त, उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के साथ लगा हुआ अतिरिक्त 5540 वर्ग मीटर वाणिज्यिक भूखण्ड के आबंटन हेतु, फर्म के निवेदन पर (जनवरी 1997) कम्पनी ने भूमि का उसी दर पर बीच की अवधि के ब्याज सहित योग दर 1694 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर आबंटन कर दिया (मार्च 1997)। प्रचलित विक्रय दर से कम में निष्पादन ने परिणामी हानि 11.41 लाख रुपये की हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि आबंटन की अवधि में अन्तर अधिक नहीं था, इसलिए नई बोलियों को आमन्त्रित नहीं किया गया और भूखण्ड को पुराने दर पर बेच दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वहाँ छः माह का अन्तराल था जिससे बेहतर मूल्य की वसूली की जा सकती थी यदि नये सिरे से प्रयत्न किये गये होते।

2.7.2 लोहिया मशीन्स लिमिटेड (एल एम एल) को भूमि का आबंटन

15 अक्टूबर 1994 को एल एम एल ने सरकार से विस्तार योजना हेतु लगभग 13 एकड़ भूमि के

भूमि के मूल्य निर्धारण पर प्रतिवेदन का इन्तजार किये बिना ही एल एम एल को भूमि के विक्रय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया

आबंटन का निवेदन किया। मुख्य सचिव के अन्तर्गत प्राधिकृत कमेटी (ई सी) ने अपनी 18 अक्टूबर 1994 की बैठक में, प्रमुख सचिव, उद्योग (पी एस आई) को कम्पनी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त दर निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत किया। 21 अक्टूबर, 1994 को, पी एस आई ने फर्म के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित होने वाले सहमति पत्र (500 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकसित भूमि और 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर अविकसित का बताते हुये) के प्रारूप को अग्रसारित करते हुए कहा कि भूमि के मूल्य निर्धारण पर प्रतिवेदन उद्योग निदेशक (डी आई) द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। तथापि, बिना सम्बन्धित लागत के आँकड़े एकत्र किये, डी आई ने 22 अक्टूबर 1994 को प्रस्तावित दरों से सहमति जताते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। कम्पनी ने नवम्बर 1994 में विकसित भूमि हेतु 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर स्वीकार्यता को सूचित कर दिया तथा डी आई से अविकसित भूमि के मूल्य निर्धारण पर विस्तृत प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना, एल एम एल के पक्ष में 52000 वर्ग मीटर भूमि (मूल्य 149 लाख रुपये) आबंटित कर दी (दिसम्बर 1994)।

यह देखा गया कि दिसम्बर 1994 के दौरान, एल एम एल को 49300 वर्ग मीटर भूमि 143.60 लाख रुपये के कुल मूल्य पर बेची गई। पी एस आई द्वारा विक्रय को इस तथ्य के आधार पर न्यायोचित बताया गया कि कानपुर विकास प्राधिकरण (के डी ए) की सड़क के लिये चिन्हित की गई 15000 वर्ग मीटर भूमि तथा अविकसित भूखण्ड से सटी सड़क के लिये चिन्हित की गई 8500 वर्ग मीटर भूमि किसी दूसरी पार्टी को विक्रित नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार, मात्र 28500 वर्ग मीटर अविकसित भूखण्ड 340 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दूसरी पार्टियों को बेचे जा सकते थे जबकि एल एम एल, 15000 वर्ग मीटर सड़क के लिए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा 8500 वर्ग मीटर सड़क एवं 28500 वर्ग मीटर अविकसित भूखण्ड के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने को राजी हो गये थे।

पी एस आई का उपरोक्त कथन कि एल एम एल द्वारा प्रस्तावित दरें कम्पनी हित में थी, निम्न तथ्यों के दृष्टिगत उचित नहीं प्रतीत होता है:

(i) 75 लाख रुपये के मूल्य की 15000 वर्ग मीटर सड़क कम्पनी की नहीं थी क्योंकि इसका स्वामित्व के डी ए के पास था।

(ii) 34300 वर्ग मीटर के अविकसित क्षेत्र के विक्रय में 10000 वर्ग मीटर माप का सी एफ सी सम्मिलित था जिसका मूल्यांकन कम्पनी के नियमानुसार प्रीमियम की दर (500 रुपये प्रति वर्ग मीटर) के दो गुने पर, जोड़ेः 10 प्रतिशत स्थल प्रभारों अर्थात् 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर, पी एस आई की 340 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर के विरुद्ध किया जाना चाहिये था, तथा

(iii) कम्पनी ने एल एम एल को 68.60 लाख रुपये में 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 34300 वर्ग मीटर भूमि बेची। यदि यह किसी दूसरी पार्टी को बेची जाती तो कम्पनी से असंबन्धित 8100 वर्ग मीटर नाप की सड़क को छोड़कर भी 165.08 लाख रुपये अर्जित करती। (1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 10,000 वर्ग मीटर नाप के सी एफ सी के विक्रय द्वारा 110 लाख रुपये तथा 340 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 16200 वर्ग मीटर की नाप के अविकसित भूखण्ड के विक्रय से 55.08 लाख रुपये) इस प्रकार, कम्पनी ने एल एम एल को भूमि के आबंटन में 96.48 लाख रुपये की हानि वहन की।

2.7.3 लेवी की वसूली के बिना निरस्त भूखण्ड का पुनः आबंटन

कम्पनी के वर्किंग मैनुअल के अनुसार, किसी इकाई को आबंटित परन्तु लाइसेन्स अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुपालन में चूक के कारण निरस्त भू:खण्ड को उसी इकाई को उनके निवेदन पर पुनः आबंटित किया जा सकता है बशर्ते इकाई द्वारा भूखण्ड कम्पनी की प्रचलित दर तथा आबंटित दर के मध्य मूल्यांतर के 30 प्रतिशत पर स्थानान्तरण लेवी का भुगतान किया जाये।

स्थानान्तरण लेवी की वसूली के बिना भूखण्ड के पुनः आबंटन की अनुमति दी गई

जून 1988 में, कम्पनी ने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्थल 'ब' पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर सुखचैन आयल एण्ड फैट लिमिटेड को 8708 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की। फरवरी 1993 से फर्म ने प्रीमियम तथा ब्याज की किश्तों के पुनर्भुगतान में गलतियां कीं तथा बारम्बार अनुस्मारक एवं समय–समय पर चेतावनियों के निर्गत करने के बावजूद मई 1995 तक 4.58 लाख रुपये के बकाया इकट्ठे हो गये। इसलिये, कम्पनी ने मई 1995 में आबंटन निरस्त कर दिया। तथापि, इकाई के निवेदन के आधार पर, स्थानान्तरण लेवी की माफी हेतु बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कम्पनी भूखण्ड को, पुनः आबंटित करने को राजी हो गई।

इस प्रकार, स्थानान्तरण लेवी की वसूली के बिना निरस्त भूखण्ड का पुनर्आबंटन, विशेषतया इस तथ्य के दृष्टिगत कि पुनर्आबंटन की तिथि पर 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वर्तमान प्रीमियम दर में वृद्धि हो गई थी, न्यायोचित नहीं था और रुपया 5.88 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाये जाने का सूचक था।

2.8 औद्योगीकीकरण में प्रगति

औद्योगीकरण हेतु आबंटित 22446 एकड़ भूमि में से मात्र 13096 एकड़, इकाइयों द्वारा उत्पादन हेतु उपयोजित की गई

उद्यमियों को विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने का उद्देश्य, क्षेत्र एवं राज्य के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को आकर्षित करना था। औद्योगीकरण हेतु आबंटित 22446 एकड़ भूमि में से मात्र 13096 एकड़ (58.35 प्रतिशत प्रदर्शित करती) का उपयोजन इकाइयों द्वारा उत्पादन हेतु किया गया तथा 31 मार्च 1998 तक मात्र 24.44 प्रतिशत इकाइयाँ ही उत्पादन प्रारम्भ

कर सकीं। इकाइयों को लगाने और उत्पादन को प्रारम्भ करने में देरी का कारण, उन इकाइयों के विरुद्ध उचित कार्यवाहियों का अभाव था जिन्होंने भूमि पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की तथा आबंटियों को उनके भूखण्ड स्थानान्तरित करने की अनुमति देने अथवा कम्पनी की प्रचलित विक्रय दरों से न्यूनतर दर पर निरस्त भूखण्ड का उनके पक्ष में पुनर्आवंटन था। लेखा परीक्षा में किये गये विश्लेषण से निम्न बिन्दु प्रगट हुए:

4.99 करोड़ रुपये की लागत पर विकसित भूमि 7 वर्षों के पश्चात् भी अनाबंटित पड़ी थी

(i) मलवां औद्योगिक क्षेत्र, फतेहपुर में 834.98 लाख रुपये की लागत पर 1990–91 तक विकसित 306 एकड़ भूमि में से, 91.89 एकड़ भूमि पर मात्र 28 इकाइयाँ उत्पादन कर रही थीं। इस प्रकार, 214.11 एकड़ भूमि पर 584.24 लाख रुपये का व्यय (176 लाख रुपये के उपदान सहित) निष्फल रहा। इसमें विकास के 7 वर्षो के पश्चात् भी अनाबंटित पड़ी 182.92 एकड़ भूमि पर 499.13 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित था।

बांदा में 5.05 करोड़ रुपये की लागत पर विकसित भूमि आठ वर्षों के पश्चात् भी आवंटित नहीं की जा सकी

(ii) इसी प्रकार, कम्पनी ने बाँदा में अधिग्रहीत 668.25 एकड़ भूमि में से 499 एकड़ भूमि को एकमुश्त बेच दिया। इसने भूमि पर 4.27 लाख रुपये तथा 1990–91 तक 524.00 लाख रुपये विकास पर व्यय करके 56 एकड़ भूमि विकसित की जिसमें से मात्र 2.46 एकड़ भूमि आबंटित की गई और वह भी आबंटी द्वारा भुगतान में चूक के कारण निरस्तीकरण हेतु बकाया थी। इस प्रकार, 110.30 लाख रुपये के उपदान सहित 505.10 लाख रुपये का व्यय, उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा।

2.9 परियोजना सूत्रीकरण एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2.9.1 निर्यात प्रोन्नति औद्योगिक पार्क

निर्यात प्रोन्नति औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं सहित औद्योगिक पार्क के निर्माण एवं रखरखाव तथा इन पार्कों में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए सूत्रीकृत की गयी हैं। पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक के अपने उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयाँ ई पी आई पी में स्थापित होने के लिए अनुमन्य थीं। एक राज्य के अन्तर्गत मात्र एक ई पी आई पी की स्थापना की जानी थी तथा दूसरी ई पी आई पी की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा तब दी जानी थी जबकि प्रथम पार्क स्थापित हो चुका हो तथा सफलतापूर्वक संचालित हो रहा हो।

द्वितीय ई पी आई पी पर 42.91 लाख रुपये का व्यय कर दिया गया जबकि प्रथम पार्क प्रगति में था

(क) जबकि 1995–96 में कम्पनी द्वारा नोयडा में लिया प्रथम पार्क का निर्माण प्रगति में ही था, कम्पनी ने वाराणसी में दूसरे पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव दिया (अप्रैल 1997) तथा सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा के बिना 266 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु एस एल ए ओ के

पास 42.91 लाख रुपये (लागत का दस प्रतिशत) जमा कर दिया। द्वितीय पार्क का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित था (मार्च 1999)।

इस प्रकार, प्रथम पार्क की संचालन सफलता का आंकलन किए बिना द्वितीय पार्क हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में कम्पनी की जल्दबाजी से, 42.91 लाख रुपये की निधियां अवरुद्ध हो गई। सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन न करने की दशा में एस एल ए ओ द्वारा जमा धनराशि की जब्ती का भी खतरा है।

(ख) 1995–96 से एक ई पी आई पी विकास के अन्तर्गत होने के बावजूद, कम्पनी ने अक्टूबर 1996 से अगस्त 1997 के दौरान उत्तर प्रदेश औद्योगिक सलाहकार (यू पी आई सी ओ) को राज्य में चार अन्य ई पी आई पी हेतु सम्भावना अध्ययन करने का कार्य सौंपा और 5.05 लाख रुपये का व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार के निर्देशों पर तैयार किया गया था।

2.9.2 साफ्टवेयर तकनीकी पार्क (एस टी पी) की स्थापना

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत एक सोसाइटी, दि साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया (एस टी पी आई) ने नोयडा में एक ऐसे ही पार्क के अतिरिक्त, कानपुर में द्वितीय एस टी पी की स्थापना हेतु इस शर्त पर अनुमोदन दिया कि स्वीकृति के तीन वर्षो के अन्दर परियोजना का क्रियान्वयन हो जाए।

23.76 लाख रुपये का व्यय अवसंरचना सुविधाओं को प्रदान करने में हुआ

कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचना में अन्य बातों के साथ–साथ 25000 वर्ग फुट के निर्मित स्थान में हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन लिंक, मुख्यालय भवन में 28406 वर्ग फुट क्षेत्र में एल ए एन/डब्ल्यू ए एन सुविधा के साथ–साथ वातानुकूलन एवं स्टैण्ड बाई ऊर्जा व्यवस्था की संस्थापना सम्मिलित थी। कम्पनी ने विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) को देय 17 लाख रुपये के वार्षिक लाईन किराये हेतु लगातार होने वाली देयताओं के अतिरिक्त दिसम्बर, 1995 तक 23.76 लाख रुपये का व्यय विकसित दूरसंचार प्रणालियों की संस्थापना (16.78 लाख रुपये) तथा स्थायी परिसम्पत्तियों (6.98 लाख रुपये) पर किया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि योजना अपनी पूर्णता के तीन वर्षो के पश्चात् भी मात्र एक इकाई (आबंटित क्षेत्रः 1600 वर्ग मीटर) को आकर्षित कर सकी। मांग में कमी के कारण, कम्पनी ने 1997 में 2336 वर्ग फुट क्षेत्र 15 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर पर एक अयोग्य फर्म को, जो विद्यार्थियों को

कम्प्यूटर शिक्षा देने में संलग्न थी, आबंटित कर दिया तथा अवशेष स्थान रिक्त पड़ा रहा।

इस प्रकार, योजना जिसे विस्तृत अध्ययन तथा संभावित इकाइयों की पहचान किए बिना प्रारम्भ किया गया था, की असफलता न केवल 23.76 लाख रुपये की कम्पनी की निधियों को अवरुद्धकिया अपितु 134.64 लाख रुपये की परिहार्य हानि भी हुई (मुख्यालय भवन का किरायाः 83.64 लाख रुपये तथा द्रुत आंकड़े सुविधाएं हेतु प्रभारः 51 लाख रुपये)।

2.10 निवेशों का विश्लेषण

2.10.1 उत्तर प्रदेश वेंचर कैपिटल फंड में निवेश

निवेशों की कीमत सम मूल्य से 40 प्रतिशत नीचे गिर गई

उ प्र वेंचर कैपिटल फंड (यू पी वी सी एफ) की स्थापना के उद्देश्य से, नवम्बर 1994 में पी एस आई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें स्माल इण्ड्रस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया (एस आई डी बी आई) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। एस आई डी बी आई के अधिकारियों ने सूचित किया कि अपने स्वयं के वेंचर कैपिटल फण्ड के द्वारा वित्त पोषण के परिणाम खराब रहे क्योंकि 150 प्रस्तावों में मात्र 3 से 4 प्रस्ताव वित्त पोषण हेतु उपयुक्त पाये गये। जनवरी 1995 में, सरकार ने क्रेडिट कैपिटल वेंचर फण्ड (सी सी वी एफ) द्वारा प्रोन्नत यू पी वी सी एफ में एक करोड़ रुपये या प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत तक का निवेश अनुमत्य किया। कम्पनी ने अपने अंशदान के 150 लाख रुपये का प्रेषण मई 1996 में किया तथा प्रोन्नतकर्त्ता द्वारा परियोजित 20 प्रतिशत के निवेश पर अनुमानित प्रतिलाभ के विरुद्ध वर्ष 1996–97 हेतु 15 लाख रुपये का लाभांश प्राप्त किया। उसके पश्चात् फण्ड द्वारा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया। अप्रैल 1997 में निधि पर इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कब्जा कर लिया गया और अंशों का बाजार भाव (सम मूल्य 10 रुपये प्रत्येक) दिसम्बर 1998 तक सम मूल्य के 40 प्रतिशत नीचे पहुँच गया। यू पी वी सी एफ भी उद्योगों को कोई वित्त पोषण करने में अभी तक (जून 1998) असमर्थ रही क्योंकि प्रस्तावों में से अधिकतर परियोजना के आंकलन के दौरान ही निरस्त कर दिये गये तथा बहुत कम प्रस्ताव परीक्षांतर्गत थे।

इस प्रकार, योजना को, एस आई डी बी आई द्वारा इसकी सफलता के बारे में संदेह प्रगट करने के बावजूद तथा योजना की सफलता हेतु बिना कोई युक्ति निकाले ही, हाथ में ले लेने से कम्पनी की निधियाँ निजी कम्पनी के पास ही अवरुद्धरहीं जो राज्य के उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि उपरोक्त निवेश उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर किये गये थे। तथापि, सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

2.10.2 संयुक्त सहायता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन

कम्पनी ने चार सहायक कम्पनियों की प्रोन्नति/अधिग्रहण की जिसमें कम्पनी के पूँजीगत अंशदान की राशि 345.04 लाख रुपये की थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत 16 कम्पनियों को प्रोन्नत किया जिसमें कम्पनी द्वारा पूँजी निवेश मार्च 1998 के अन्त तक 792.61 लाख रुपये का था। संयुक्त क्षेत्र में, कम्पनी की पूँजी में हिस्सेदारी 26 प्रतिशत या अधिक थी और सहायता प्राप्त क्षेत्र में कम्पनी की हिस्सेदारी प्रोन्नत इकाई की कुल पूँजी के 15 प्रतिशत तक की थी।

एक सहायक कम्पनी ने प्रारम्भ से ही गतिविधियाँ प्रारम्भ नही कीं दूसरी बन्दी की स्थिति में थी तथा अन्य दो अपनी प्रदत्त पूँजी को समाप्त कर चुकी थीं

(अ) चार सहायक कम्पनियों में से एक उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड जनवरी 1982 में अपने निगमन के समय से ही अपने क्रिया–कलाप प्रारम्भ न कर सकी जबकि उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड में 130.85 लाख रुपये के अंशपूँजी में निवेश थे, जो कि फरवरी 1996 से समाप्ति के अन्तर्गत थी। शेष दो सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में, यानि उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (यू पी आई एल) तथा उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (यू पी डी एल) की 1996–97 के अन्त तक 3598 लाख रुपये की संचित हानियों ने उनकी 214.19 लाख रुपये की प्रदत्त पूँजी को क्षरण कर दिया था।

यू पी डी एल के सम्बन्ध में अक्टूबर, 1986 और जुलाई 1994 के मध्य निजीकरण हेतु प्रस्ताव के संबन्ध में पाँच बार प्राप्त किए गए प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए गये क्योंकि वे सम्भाव्य नहीं पाये गये। जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को मार्च 1998 तक 422.15 लाख रुपये की धनराशि के ऋण अग्रिम, कम्पनी को स्टाफ के वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु करना पड़ा।

यू पी आई एल के मामले में, मई 1995 में सरकार द्वारा निजीकरण हेतु निर्गत विज्ञप्ति अगस्त 1995 में वापस ले ली गई, जिनके कारण अभिलेख में नहीं थे। कम्पनी ने मार्च 1998 तक स्टाफ के वेतन एवं भत्ते हेतु, 1059.14 लाख रुपये के ऋण अवमुक्त किये थे।

केवल एक कम्पनी लाभ में थी एवं अन्य या तो घाटे में थी या समापन की कगार पर थी

(ब) सोलह सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थिति नीचे संक्षिप्ति की गई है:

विवरण	इकाईयों की संख्या	निवेशित पूँजी (लाख रुपये मे)
समाप्त/समाप्ति के अन्तर्गत इकाईयां	6	240.07
परिवर्तित प्रबन्धन के अन्तर्गत इकाईयां	2	99.11
लाभ देने वाली इकाई	1	17.53

विवरण	इकाईयों की संख्या	निवेशित पूँजी (लाख रुपये मे)
क्रियान्वयन के अन्तर्गत विनिवेश	1	33.14
विनिवेश अनुमोदित लेकिन इकाईयों द्वारा स्वीकार नहीं	2	315.00
क्रियान्वित विनिवेश	3	63.53
विधिक वादों के अन्तर्गत समाप्ति	1	24.23
योग		**792.61**

उपरोक्त तालिका से ये देखा जा सकता है कि केवल एक कम्पनी लाभ अर्जित कर रही थी जबकि अन्य या तो घाटे में चल रही थी या बन्दी की प्रक्रिया के अन्तर्गत थी। दो मामलों की एक समीक्षा ने जहाँ विनिवेश अनुमोदित था लेकिन इकाइयों द्वारा स्वीकार नहीं था, ने निम्न प्रकट किया:

अंशों का 'बाई बैक' लागू न की गई

(i) कम्पनी ने 1991–92 के दौरान वीनस शुगर कम्पनी लिमिटेड में 228 लाख रुपये का निवेश किया। कम्पनी के निदेशक मण्डल ने सितम्बर 1994 में 13.50 रुपये प्रति अंश की दर पर अंशों के शीघ्र विनिवेश को अनुमोदित किया। फर्म के साथ अनुबन्ध में अन्य बातों के साथ, उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् या शेयर के आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात् जो भी पहले हो, में अंशों के पुनः वापस खरीदने का प्रावधान था। चूक की स्थिति में अंशों का निस्तारण, सह– प्रोन्नतकर्ताओं के जोखिम एवं लागत पर सार्वजनिक नीलामी इत्यादि के द्वारा किया जा सकता था और इससे होने वाला घाटा भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य था। इकाई ने प्रारम्भ में 'बाई बैक', इस आधार पर कि अंशों का लॉक–इन पीरियड जुलाई 1995 में समाप्त होने वाला था स्वीकार नहीं किया और तत्पश्चात् तीन वर्ष तक स्टॉक बाजार की मन्दी की स्थिति के आधार पर उससे बचती रही।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि वीनस शुगर कम्पनी लिमिटेड के अंश की विद्यमान दर 1 से 2.50 रुपये प्रति अंश के मध्य थी इसलिये प्रोन्नतकर्ता अंशों की 'बाई बैक' में रुचि नहीं रखते थे। इस प्रकार, 13.50 रुपये प्रति अंश पर अंशों के विनिवेश करने की निदेशक मण्डल की राय पर अमल न करने पर, कम्पनी 79.80 लाख रुपये का लाभ न उठा सकी।

'बाई बैक' को देर से लागू किया गया तथा अवशेष भुगतान हेतु बकाया का कुल योग रुपया 1.53 करोड़ था

(ii) कम्पनी ने, संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित कान्हा वनस्पति लिमिटेड के समता अंशों में 87 लाख रुपये का निवेश किया (अक्टूबर 1989)। इकाई के प्रोन्नतकर्ता ने 13 रुपये प्रति अंश पर 50 लाख रुपये कीमत के अंशों की 'बाई बैक' हेतु निवेदन किया (जुलाई 1993)। प्रबन्धन ने

हालांकि ये महसूस किया कि व्यापार कर छूट की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी के खराब होते हुए परिणामों की दृष्टि में विनिवेश शीघ्र ही आवश्यक था तो भी यह जून 1994 तक दर का फैसला न कर सकी, जब प्रोन्नतकर्ताओं से 11 रुपये प्रति अंश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अन्त में, कम्पनी के नये सहयोगकर्ता के साथ सितम्बर 1994 में 12 रुपये प्रति अंश की दर पर विनिवेश का निर्णय लिया गया। 'बाई बैक' के अनुबन्ध के अनुसार, सहयोगकर्ता ने 45 लाख रुपये का भुगतान किया (जुलाई 1999) किन्तु 59.40 लाख रुपये के अवशेष प्रतिफल का भुगतान नहीं किया। जुलाई 1999 में सहयोगकर्ता के विरुद्ध ब्याज (68.70 लाख रुपये) सहित बकाया 153.28 लाख रुपये की धनराशि का था। उनके द्वारा भुगतान किये गये 45 लाख रुपये की राशि को जब्त करते हुए, वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया गया। आगे बकायों की वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1999)।

2.11 अन्य रोचक बिन्दु

2.11.1 नवीकरण एवं सजावट पर परिहार्य व्यय

पी एस आई जो कि पदेन अध्यक्ष भी हैं के सचिवालय स्थित कार्यालय का 11.17 लाख रुपये की लागत पर जीर्णोद्वार किया गया

पी एस आई, जो कि कम्पनी के पदेन अध्यक्ष हैं, का कार्यालय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले तथा राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा रखरखाव किये जाने वाले सचिवालय अनेक्सी भवन में स्थित है। जून 1998 में, क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ ने उपरोक्त भवन में पी एस आई कक्ष एवं एक सभागार के नवीकरण हेतु कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को एक प्रस्ताव सीधे, बिना वित्तीय नियंत्रक के माध्यम से भेजे, प्रस्तुत किया। तथापि, वे स्थितियां जो कम्पनी को अपनी लागत पर कार्य करने को जो कि सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग का दायित्व था, मजबूर करती थीं, स्पष्ट नहीं की गयीं। प्रबन्ध निदेशक ने कार्य का अनुमोदन जून 1998 में कर दिया। इसी प्रकार, सचिवालय भवन के सभागार की सजावट हेतु जून–जुलाई 1998 के मध्य प्रस्तुत दो अन्य प्रस्तावों का भी अनुमोदन कर दिया गया यद्यपि ऐसे कार्य अगर औचित्यपूर्ण और आवश्यक थे, तो राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किये जाने चाहिये थे। अगस्त–सितम्बर, 1999 के मध्य लखनऊ की तीन फर्मो को इस कारण किये गये कुल भुगतान की धनराशि 11.17 लाख रुपये की थी, जो कि राज्य सम्पत्ति विभाग से किसी निवेदन के अभाव में परिहार्य थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि पी एस आई निगम के अध्यक्ष थे अतः सजावट/नवीकरण किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन राज्य सरकार का था अतः सजावट कार्य का प्रबन्ध केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिये था।

ये मामले सरकार को अप्रैल 1999 में सूचित किये गये थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

निष्कर्ष

कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण, प्रस्ताव उपयुक्तता के उचित आंकलन तथा इकाईयों जिनके लिए अधिग्रहण किया गया, से दृढ़ वादों के प्राप्त किये बिना, प्रारम्भ कर दिए जिसका परिणाम यह हुआ कि पर्याप्त निधियाँ अवरुद्धहो गई क्योंकि वह कुल अधिग्रहीत भूमि/भूखण्डों का आबंटन नहीं कर सकीं। आगे अवस्थापना का विकास, बिना इसकी आवश्यकता के उचित आंकलन के तथा आबंटियों से लागत की वसूली हेतु नियमावली बनाये बिना किया गया। इसके अतिरिक्त, आबंटियों को भूखण्डों के स्थानान्तरण/पुनस्थापना की अनुमति की नीति और इकाईयाँ, जो भूमि पर कोई गतिविधियाँ प्रारम्भ न कर सकीं, के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ने राज्य में औद्योगिक विकास की दर को अवरुद्धकर दिया।

राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोन्नत करने के उद्देश्य में अपनी कार्य दक्षता में सुधार हेतु कम्पनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि लाभान्वितों से दृढ़ वचन प्राप्त करने के पश्चात् ही उपयुक्त स्थलों पर भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा अवसंरचना पर व्यय इसकी आवश्यकता के उचित आंकलन के पश्चात् ही किये जायें। इसे, उन इकाइयों जो कि भूमि पर उत्पादन क्रियाकलाप प्रारम्भ करने की इच्छुक हों, को आवंटित करके इसकी लागत की वसूली हेतु उचित कार्यपद्धति के विकास की आवश्यकता है। इसे संयुक्त क्षेत्र में विकास हेतु सम्भावित उद्योगों की पहचान हेतु भी सच्चे प्रयत्न करने चाहिये।

अध्याय 3

सांविधिक निगमों की समीक्षायें

अध्याय–3 अ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

दर सूची, देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	3अ.1	45
संगठनात्मक ढांचा	3अ.2	45
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3अ.3	46
दर सूची	3अ.4	46
उपभोक्ताओं का देयकीकरण	3अ.5	53
राजस्व का संग्रहण एवं लेखांकन	3अ.6	71

3अ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

दर सूची, देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण

मुख्य अंश

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 46 एवं 49 के अन्तर्गत परिषद दर सूची को निर्धारित एवं नियमित करने के लिए अधिकृत है। जनवरी 1992 में दर सूची का अनुमोदन करते समय परिषद ने दर सूची को प्रति वर्ष संशोधित करने का निर्णय लिया। तथापि, 1992–93, 1993–94, 1995–96 एवं 1997–98 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3अ.4.1.1)

1997–98 तक के पाँच वर्षों में परिषद ने 7913.45 करोड़ रुपये की हानि वहन की क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति की लागत, इस अवधि में 120 से 177 पैसे की औसत बिक्री वसूली के विरुद्ध, 167 से 245 पैसे प्रति यूनिट के बीच बदलती रही।

(प्रस्तर 3अ.4.1 व 3अ.4.1.2)

नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, नोएडा (एन पी सी एल) को विशेष दर सूची के अधीन विद्युत विक्रय के विरुद्ध 81.92 करोड़ रुपये के बकाया (मार्च 1999 तक), 22.73 करोड़ रुपये के विलम्ब भुगतान प्रभार के अतिरिक्त संचित हो गये। आगे, दिसम्बर 1993 की शर्तों के अधीन एन पी सी एल द्वारा उत्पादन इकाई की स्थापना में असफलता पर 15 जून 1998 के बाद उसे विशेष दर सूची की दो गुनी दर पर देयकीकृत नहीं किया गया जिसके कारण 37.49 करोड़ रुपये का अल्प प्रभारण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.4.3.2)

मार्च 1997 एवं मार्च 1998 में विलम्ब से मीटर रीडिंग के कारण अगले माह (अप्रैल) की 17 तारीख तक की खपत सम्मिलित हो गयी जिसके फलस्वरूप 0.47 करोड़ रुपये के ईधन प्रभार एवं स्थापना प्रभार का अल्प देयकीकरण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.5.3)

गलत दर सूची का प्रयोग करने के कारण 15.87 करोड़ रुपये के राजस्व का, निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों (12.68 करोड़ रुपये) एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं (3.19 करोड़ रुपये) पर अल्पप्रभारण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.5.5)

संविदागत भार में अनियमित कमी, रियायतों एवं छूट की स्वीकृति तथा गुणन कारकों के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप 5.02 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण/हानि हुई। आगे, त्रुटिपूर्ण मीटरों के कारण ऊर्जा के अनिर्धारण/अल्पनिर्धारण के फलस्वरूप 3.88 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.5.6 से 3अ.5.9)

10 उपभोक्ता अपने अनुबन्धित भार से कम पर देयकीकृत किए गये जबकि 9 उपभोक्ता या तो कम देयक योग्य मांग या मांग प्रभार की लागू दरों से कम दरों पर देयकीकृत किए गये जिसके फलस्वरूप 8.37 करोड़ रुपये का अवप्रभारण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.5.10 व 3अ.5.13)

ऊर्जा की चोरी के लिए निर्धारण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 24 उपभोक्ताओं के मामले में 34.80 करोड़ रुपये का अवप्रभारण हुआ। आगे, पीक आवर प्रतिबन्धों एवं साप्ताहिक बन्दी के उल्लंघन के लिए छः उपभोक्ताओं के मामलों में दण्ड नहीं लगाया गया, जिससे 0.63 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 3अ.5.12 व 3अ.5.14)

सिक्योर मीटरों को प्रारम्भिक रूप से जाँच मीटर के रूप में स्थापित न किए जाने से परिषद 29 उपभोक्ताओं के मामले में 8.65 करोड़ रुपये के निर्धारण करने के अपने अधिकार से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, सही उपभोग/भार/दर सूची के अनुसार समय पर बीजक निर्गत किए जाने में असफलता के कारण 28.32 करोड़ रुपये का अदेयकीकरण/अल्प देयकीकरण हुआ।

(प्रस्तर 3अ.5.15 से 3अ.5.17)

राजस्व का बकाया 1993–94 में 2038.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997–98 में 5171.52 करोड़ रुपये हो गया जो केवल दो माह के निर्धारण तक सीमित प्रतिभूति राशि के विरुद्ध 8.94 से 12.95 माह के निर्धारण को दर्शाता था।

(प्रस्तर 3अ.6)

1995–96 से 1997–98 के दौरान, जिलाधिकारियों द्वारा वसूली प्रमाण–पत्रों के विरुद्ध भूराजस्व के बकाया के रूप में देयों की वसूली केवल 3.02 से 3.12 प्रतिशत तक की जा सकी। वर्ष 1997–98 के अन्त में 319.66 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण–पत्र वसूली हेतु लम्बित थे।

(प्रस्तर 3अ.6.3)

3अ.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद), विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 46 एवं 49 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए दर सूची निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। पूँजी आधार[⊗] पर तीन प्रतिशत आवश्यक निम्नतम प्रतिलाभ दर (आर ओ आर) के विरुद्ध, परिषद की आर ओ आर 1993–94 से 1997–98 के मध्य, सिवाय 1994–95 के जब यह 3.62 प्रतिशत थी, 0.24 से 2.92 प्रतिशत रही।

दर सूची को युक्तिसंगत बनाना, त्वरित देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण, न्यूनतर प्रतिलाभ के सन्दर्भ में अधिक महत्व रखते हैं जिनकी परिणति परिषद की तरलता सम्बन्धी समस्याओं में भी हुई।

3अ.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार की सहमति से परिषद द्वारा दर सूची बनाई एवं संशोधित की जाती है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के सम्बन्ध में दर सूची को लागू करना, देयकीकरण, राजस्व का संग्रहण एवं लेखा, सदस्य (वितरण), जो क्षेत्रों में 14 मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं एवं मुख्यालय पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा सहायित हैं, के सम्पूर्ण प्रभार के अधीन 176 विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) में किया जाता है। खण्डों द्वारा संग्रह किया गया राजस्व प्रारम्भिक रूप से स्थानीय बैंकों में जमा किया जाता है और तत्पश्चात् निर्धारित अन्तरालों पर मुख्यालय के बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

⊗ पूँजी आधार वर्ष के प्रारम्भ में उपयोग में आने वाली स्थिर परिसम्पत्तियों (संचयी मूल्यह्रास एवं सर्विसलाइनों हेतु उपभोक्ताओं का अंशदान घटाने के बाद) के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

3अ.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

दिसम्बर 1998 से जून 1999 के मध्य की गई समीक्षा में 17 वि वि ख एवं मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के, 1993–94 से 1998–99 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच में दर सूची को लागू करना, देयकीकरण एवं राजस्व के संग्रहण को समाहित किया गया है।

3अ.4 दर सूची

3अ.4.1 दर सूची संरचना

दर सूची ढांचे के कारण 13.71 से 23.03 प्रतिशत की नकारात्मक प्रतिलाभ की दर रही

जैसा कि ऊपर वर्णित है, परिषद उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए दर सूची निर्धारित एवं नियमित करने के लिए अधिकृत है। तथापि, व्यवहार में, परिषद दर सूची के प्रत्येक संशोधन के पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करती है। मार्च 1999 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में, परिषद ने अपनी दर सूची, जून 1998 के आंशिक संशोधन के अतिरिक्त, तीन बार यथा जुलाई 1994, जनवरी 1997 एवं जनवरी 1999 में संशोधित की जैसा कि परिशिष्ट–9 में प्रदर्शित है। यह देखा जायेगा कि जहाँ उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों (घरेलू, वाणिज्य एवं औद्योगिक) पर लागू दरों में वृद्धि 1.62 से 66.67 प्रतिशत के बीच रही वहीं अन्य श्रेणियों में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कुछ श्रेणियों की दरें 24.24 प्रतिशत तक घटा दी गई। यह परिवर्तन न तो परिषद द्वारा इंगित दर सूची समिति (टी सी) के अनुमोदनों (नवम्बर 1994 एवं मार्च 1998) पर आधारित थे, न ही किसी मानक सिद्धान्त पर।

यद्यपि परिषद ने अपने लेखों में प्रति वर्ष कृषि क्षेत्रों को कम दरों पर ऊर्जा की बिक्री के लिए सरकारी उपदान, जो 1997–98 तक के विगत 5 वर्षों मं 7308.90 करोड़ रुपये था, का क्रेडिट लिया, परन्तु सरकार द्वारा कोई भी उपदान इस आधार पर नहीं दिया कि सरकार द्वारा अनुमोदित परिषद की दर सूची में उपदान का तत्व पहले से ही सम्मिलित था। परिषद को 1997–98 तक समाप्त हुए पाँच वर्षों में विद्युत की बिक्री से 7913.45 करोड़ रुपये (सरकारी उपदान के लिए प्रावधान को छोड़कर) की हानि उठानी पड़ी जो अधिनियम की धारा 59 के अधीन उल्लिखित 3 प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिलाभ दर (आर ओ आर) के विरुद्ध उक्त अवधि में 13.71 से 23.03 प्रतिशत के नकारात्मक प्रतिलाभ (आर ओ आर) के रूप में परिणामित हुई। 1993–94 से 1997–98 की अवधि में बिहार राज्य विद्युत परिषद के 147 से 179 पैसे एवं राजस्थान राज्य विद्युत परिषद के 115 से 183 पैसे के विरुद्ध परिषद की उसी अवधि में औसत बिक्री वसूली (बिक्री की गई प्रति यूनिट ऊर्जा) 120 से 177 पैसे के मध्य रही। इसका कारण दर सूची में विलम्बित एवं अपर्याप्त

वृद्धि, उच्च परिचालन लागत एवं अत्यधिक प्रणाली हानिगाँ आदि थीं जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

3अ.4.1.1 दर सूची का विलम्ब से संशोधित होना

जनवरी 1992 से प्रभावी संशोधित दर सूची को अनुमोदित करते समय परिषद ने दर सूची को प्रत्येक वर्ष संशोधित करने का भी निर्णय लिया। तदनुसार, 1993–94 में 480.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का आंकलन करते हुए दर सूची में संशोधन करने के लिए परिषद ने राज्य सरकार को मार्च 1993 में एक प्रस्ताव भेजा जिसे अनुमोदित नहीं किया गया। तथापि, दर सूची जैसा कि पिछले प्रस्तरों मे वर्णित है, केवल जुलाई 1994, जनवरी 1997 एवं जनवरी 1999 में संशोधित की गई और इस प्रकार, 1992–93, 1993–94, 1995–96 एवं 1997–98 में दर सूची में कोई संशोधन नहीं हुआ।

3अ.4.1.2 ऊर्जा की आपूर्ति की अत्यधिक लागत का दर सूची में समाहित न होना

प्रति यूनिट राजस्व, प्रति यूनिट व्यय से कम था

इस तथ्य के बावजूद कि वास्तविक राजस्व व्यय, टी सी के प्राक्कलन से कहीं अधिक था (सिवाय 1994–95 में), न तो उपचारात्मक उपाय करने के लिए आपूर्ति की वास्तविक लागत में भारी वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया गया, न ही दर सूची में तदनुसार संशोधन किया गया। उच्चतर वास्तविक लागत (ईधन, स्थापना, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा ह्रास पर) के कारण निम्नतर प्लान्ट लोड फैक्टर, ईधन की उच्चतर खपत आदि थे। सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दर सूची, परिषद के लिए 1993–94 से 1997–-98 की अवधि में 1.64 रुपये से 2.45 रुपये की प्रति यूनिट व्यय के विरुद्ध 1.20 रुपये से 1.77 रुपये प्रति यूनिट राजस्व ही दे सकी, जिसके कारण परिषद को प्रतिवर्ष निरन्तर हानि उठानी पड़ी। यहाँ तक कि परिषद द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तावित संशोधित दर सूची आपूर्ति की सम्पूर्ण लागत को समाहित न कर पायी, क्योंकि जुलाई 1994 का परिषद का प्रस्ताव 1994–95 में 1451.11 करोड़ रुपये के प्राक्कलित घाटे के विरुद्ध 490.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए ही प्राक्कलित था 1994–95 से 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश के 167 से 209 पैसे तथा पंजाब के 165 से 207 पैसे की तुलना में उसी अवधि में परिषद की प्रति यूनिट ऊर्जा की आपूर्ति की वास्तविक लागत अधिक (172 से 245 पैसा प्रति यूनिट) रही।

3अ.4.1.3 अत्याधिक प्रणाली हानियों का दर सूची में समाहित न होना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने पारेषण एवं वितरण हानियों के लिए 15.5 प्रतिशत का मानक निर्धारित (जुलाई 1991) किया है। इसके विरुद्ध टी सी ने 1994–95 में 22.7 प्रतिशत का

मानक और तत्पश्चात् 1997–98 में 21.2 प्रतिशत तक घटाकर निर्धारित किया। ये मानक भी, सिवाय 1994–95 के, प्राप्त नहीं किए जा सके जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
प्राक्कलित प्रणाली हानियों का प्रतिशत	22-7	22-2	21-7	21-2
वास्तविक प्रणाली हानियों का प्रतिशत	22-6	23-7	24-6	25-6

यह भी पाया गया कि 1994–95 से 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश के 18.5 से 19 प्रतिशत तथा पंजाब के 18.1 से 18.3 प्रतिशत की तुलना में परिषद की प्रणाली हानियाँ उच्चतर दिशा में 22.6 से 25.6 प्रतिशत थीं।

3अ.4.2 राजस्व में उपभोक्ताओं का गैर अनुपातिक अंशदान

सिंचाई तथा कृषि क्षेत्र के लिए निम्न दर सूची के कारण 167 से 245 पैसे प्रति यूनिट व्यय के विरुद्ध केवल औसतन 30 से 51 पैसे के प्रति यूनिट राजस्व की प्राप्ति हुई

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा विद्युत उपभोग, अर्जित राजस्व और अधिशेष/घाटा परिशिष्ट–10 में दिया गया है।

यह देखा गया कि:

(i) 1993–94 से 1997–98 में औद्योगिक उपभोक्ताओं ने कुल विद्युत बिक्री का 22.32 से 25.33 प्रतिशत विद्युत का उपभोग किया और कुल राजस्व का 44.34 से 50.20 प्रतिशत का योगदान किया। दूसरी तरफ, सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र द्वारा उसी अवधि में कुल खपत की गयी विद्युत का 34.72 से 37.48 प्रतिशत उपभोग किया गया, जबकि राजस्व में उनके योगदान का अंश कुल राजस्व का 9.87 से 12.14 प्रतिशत ही रहा। इसका कारण सिंचाई एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही निम्न दर सूची थी जिसके परिणामस्वरूप 1993–94 से 1997–98 में 167 पैसे से 245 पैसे के प्रति यूनिट की विद्युत की आपूर्ति की लागत की तुलना में 30 से 51 पैसे प्रति यूनिट के राजस्व की प्राप्ति हुयी।

औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा का उपभोग घट गया

(ii) औद्योगिक उपभोक्ताओं की कुल संख्या में 1993–94 में 1.88 लाख से 1997–98 में 1.89 लाख तक की बढ़ोतरी के बावजूद उनके ऊर्जा उपभोग का प्रतिशत कुल उपभोग का 1993–94 में 25.33 से घट कर 1997–98 में 22.32 प्रतिशत हो गया। इसका कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये उच्च दर सूची, हो सकती है जिसने उद्योगों को कैप्टिव ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित किया तथा लोड शेडिंग के कारण दैनिक आपूर्ति में कमी, जो 1993–94 में 3.00–10.25 घंटे से घटकर 1997–98 में 2.75–9.25 घंटे हो गई थी, भी हो सकती है। यह भी उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं को लागू

परिषद की औसत दर सूची 1993–94 से 1997–98 के दौरान 229 से 375 पैसे तक रही, जबकि बिहार में 205 से 247 पैसे, पंजाब में 153 से 226 पैसे तथा राजस्थान में 178 से 283 पैसे रही।

सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र द्वारा घाटे में अंशदायिता अन्य श्रेणियों के उत्पादित आधिक्य से अधिक रही

(iii) 1993–94 से 1997–98 के दौरान घरेलू, सिंचाई एवं कृषि तथा अन्तर्राज्यीय उपभोक्ताओं ने क्रमशः 3293.67 करोड़ रुपये, 7593.33 करोड़ रुपये तथा 395.82 करोड़ रुपये के घाटे का योगदान किया जिसका अन्य श्रेणीयों के उपभोक्ताओं के नाम–मात्र के उत्पादित आधिक्य से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी। इसका, कारण योग्य तथ्य यह था कि जहां 1993–94 से 1997–98 के दौरान प्रति यूनिट लागत 167 से 245 पैसे के विरुद्ध इन उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट औसत राजस्व वसूली 91 से 119 पैसा (घरेलू), 30 से 51 पैसे (सिंचाई एवं कृषि) तथा 15 से 40 पैसे (अर्न्तराज्यीय) के मध्य रही।

3अ.4.3 विशिष्ट दर सूची के मामले में राजस्व की हानि

परिषद ने विद्युत की वृहद आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं से विशिष्ट दर सूची में अनुबन्ध किए जहाँ दरें, आपूर्ति की शर्तें, सहमति प्राप्त नियमों एवं शर्तों से विनियमित होती हैं।

परिषद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों/उपभोक्ताओं को विशिष्ट दर सूचियों पर विद्युत की आपूर्ति की समेकित स्थिति मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में विशिष्ट दर सूचियों के सम्बन्ध में राजस्व की हानि के निम्न मामले प्रकाश में आएः

3अ.4.3.1 कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ को ऊर्जा की बिक्री

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी (सेस) लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका/कैन्टूनमेन्ट बोर्ड के क्षेत्रों को छोड़कर लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के कार्य हेतु प्रारम्भिक रूप से 10 वर्षों की अवधि के लिए अनुज्ञाप दिया गया (अप्रैल 1970) जो बाद में समय–समय पर बढ़ाकर 27 मार्च 1997 तक कर दिया गया। सेस को अनुज्ञाप प्रदान करने वाली अधिसूचना के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ परिषद द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की फ्लैट दर पर प्रभारित करने का प्रावधान था जिसे समय–समय पर परिषद की दर सूची में संशोधन होने पर उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना था।

परिषद की दर सूची में फरवरी 1986, जनवरी 1992, और जुलाई 1994 से प्रभावी संशोधन के परिणामस्वरूप जब सेस की बिक्री दरें क्रमशः 50.10 पैसे, 73.66 पैसे और 112 पैसे प्रति यूनिट,

वास्तविक वसूली आधार पर ईंधन एवं स्थापना प्रभार लगाने के प्रावधान के साथ संशोधित की गई, तब सेस ने 1 फरवरी 1986 और उसके बाद परिषद द्वारा अनुमोदित दरों की वृद्धि पर विवाद खड़ा कर दिया। सरकार द्वारा नियुक्त समिति (फरवरी 1995) ने 10 जुलाई 1994 से 60 पैसे प्रति यूनिट का अनुमोदन (मार्च 1995) किया था जिस पर परिषद ने इस आधार पर सहमति नहीं दी कि वे 118 पैसे प्रति यूनिट पर ऊर्जा का क्रय कर रहे थे। चूँकि, सेस द्वारा भुगतान की जा रहीं दरें लाभदायक नहीं थी इस लिये, सरकार ने परिषद की संस्तुति पर सेस क्षेत्र के तीन विकास खण्डों माल, मलिहाबाद एवं काकोरी के वितरण के अधिग्रहण के लिए मार्च 1995 में आदेश निर्गत कर दिये। लेकिन, इन आदेशों को लागू नहीं किया गया जिसका अभिलेख मे कोई कारण नहीं पाया गया। तथापि, सेस का वितरण कार्य परिषद को अप्रैल 1997 में हस्तांतरित कर दिया गया क्योंकि सेस, परिषद द्वारा जुलाई 1996 में अनुमोदित 1.37 पैसे प्रति यूनिट की बिक्री दर (ईंधन एवं स्थापना प्रभार को छोड़कर) पर सहमत नहीं हुई।

सेस से बकाया की वसूली न होने से 26.51 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई

इस प्रकार, फरवरी 1986 से सेस को ऊर्जा की बिक्री की दर से सम्बन्धित विवाद को सुलझाने में सरकार/परिषद की असफलता से सेस पर कुल 73.65 करोड़ रुपये का बकाया संचित हो गया जो आज तक (जून 1999) वसूल न किया जा सका जिस पर परिषद को अप्रैल 1997 से मार्च 1999 तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगणित 26.51 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। इस बकाये मे तीन विकास खण्डों माल, मलिहाबाद, काकोरी का अप्रैल 1995 से मार्च 1997 तक के दौरान संचित 6.65 करोड़ रुपये का बकाया भी सम्मिलित है जिसे बचाया जा सकता था, यदि तीन विकास खण्डों का वितरण कार्य, मार्च 1995 में सरकार के आदेशों के निर्गमन के पश्चात् ले लिया गया होता।

3अ.4.3.2 नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड को ऊर्जा की बिक्री

एन पी सी एल, 37.49 करोड़ रुपये से अल्प प्रभारित किया गया था

ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए सरकार ने (सितम्बर 1992) नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड (एन पी सी एल) को 90 मेगावाट क्षमता का उत्पादक संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। चूँकि उत्पादक संयंत्र स्थापित करने में समय लगना था, अतः सरकार ने (अगस्त 1993) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में एन पी सी एल को परिषद से ऊर्जा खरीद कर वितरण के लिये एक लाइसेंस प्रदान किया। तदनुसार, गाजियाबाद जिले के ग्रेटर नोएडा के एक भाग में विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण के साथ उपभोक्ताओं के स्थानान्तरण के लिए 15 दिसम्बर 1993 से प्रभावी एन पी सी एल के साथ 1.66 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 मिलियन विद्युत इकाई तक की बिक्री के लिए एक अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध के उपबन्ध 7 (द) के अनुसार, यदि कम्पनी चार वर्ष और छः माह में अर्थात अनुबन्ध की अधिकतम अवधि में, अपना स्वयं का उत्पादन शुरू नहीं करती और परिषद विद्युत की आपूर्ति के लिए तैयार हो तब वह कम्पनी को उस समय प्रभावी एवं लागू दरों के दो गुने दर से प्रभारित करेगी। इस तथ्य के बावजूद कि एन पी सी एल अपना उत्पादन निर्दिष्ट अवधि अर्थात 14 जून 1998 तक प्रारम्भ नहीं कर सकी और सरकार ने अनुबन्ध

को 15 जून 1998 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया (मई 1998), कम्पनी का देयकीकरण अनुबन्ध के उपबन्ध 7 (द) के अनुसार दो गुनी दर पर नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 15 जून 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि में 3748.57 लाख रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य भी संज्ञान में आये:

- एन पी सी एल ने लागू दर सूची एच वी–2 के उपबन्ध 8(ब) की शर्तों के अनुसार मार्च 1999 की अवधि तक 2273.10 लाख रुपये के विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान नहीं किया।

- परिषद द्वारा अनुबन्ध के उपबन्ध 7 (ब) (iv) के अन्तर्गत दिसम्बर 1993 से मार्च 1999 की अवधि में कम्पनी द्वारा देय 576.84 लाख रुपये के विद्युत कर की न तो माँग ही की गयी, न ही वसूली की गयी, इस तथ्य के बावजूद कि परिषद ने उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा पर सरकार को विद्युत कर का भुगतान कर दिया है।

देयों का बकाया 81.92 करोड़ रुपये तक बढ़ा

- एन पी सी एल के विरुद्ध मार्च 1999 तक देयों के बकाए 8192.18 लाख रुपये तक बढ़ गए जिनके समक्ष परिषद के पास मात्र 250 लाख रुपये की, अगस्त 1999 तक वैध, साख पत्र के रूप में प्रतिभूति थी। परिषद द्वारा न तो भूराजस्व के बकाए के रूप में देयों की वसूली हेतु उ.प्र. सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत कर के भूमि लगान के बतौर वसूली करने की कार्यवाही की गई, न ही कम्पनी के साथ हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपने देयों की वसूली के लिए परिषद द्वारा कम्पनी के प्रबन्धन का अधिग्रहण ही किया गया।

3अ.4.3.3 हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (एच आई एल) रेणुकूट को ऊर्जा की बिक्री

मासिक आधार के स्थान पर साप्ताहिक आधार पर मांग प्रभारों के देयकीकरण से 0.28 करोड़ रुपये प्रति माह का परिणामी अवप्रभारण हुआ

एच आई एल को 30 जून 1990 से 29 जून 1995 तक ऊर्जा की आपूर्ति (25 मेगावाट सामान्य और 60 मेगावाट अतिरिक्त आपात स्थिति में) के लिए एक अनुबन्ध 29 जून 1995 को निष्पादित किया गया। यद्यपि, एच आई एल को आज तक (मई 1999) ऊर्जा की आपूर्ति जारी है, 29 जून 1995 के बाद पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया।

अनुबन्ध के अनुसार मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की दरें जो दर सूची एच वी–2 के अधीन बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू होती है, इस विचलन के साथ लागू थी कि मांग प्रभार मासिक के स्थान पर साप्ताहिक आधार पर अभिलिखित अधिकतम मांग पर देय था, जैसा कि एच वी–2 दर सूची में बताया गया था।

इसके परिणामस्वरूप, जून, जुलाई एवं अगस्त 1998 के लिए किये गये नमूना जांच के आधार पर उपभोक्ता से 27.93 लाख रुपये प्रति माह की कम मांग प्रभार की वसूली की गई थी।

3अ.4.4 दर सूची रियायतों के लिए सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति न किया जाना

परिषद को शासन द्वारा दर सूची में रियायत, छूट तथा देयों की माफी के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी

(i) दर सूची एल एम वी–6 (लघु एवं मध्यम शक्ति), एच वी–1 (आर्क/इन्डक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल आदि) और एच वी–2 (बड़े व भारी शक्ति) पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड एवं राज्य के पूर्वी जिलों में स्थित उद्योगों के लिए ऊर्जा/मांग/न्यूनतम प्रभार में 10 से 50 प्रतिशत की रियायत/विकास छूट का प्रावधान करता है। तथापि, परिषद द्वारा इन आधारों पर क्षतिपूर्ति का दावा नही किया गया।

(ii) परिषद (मुख्य लेखाधिकारी) के अक्टूबर 1993 के निर्देशों के अनुसार, निजी नलकूपों के विरुद्ध 1987–88 से आगे के माफ किये गये राजस्व एवं विलम्ब भुगतान अधिभार के बकाए को मासिक लेखों में 'देयों की माफी के कारण राज्य सरकार से वसूली योग्य दावों' के रुप में अभिलिखित किया जाना था। विलम्ब भुगतान अधिभार 31 मार्च 1997 तक देयों के भुगतान पर 100 प्रतिशत तथा 31 मार्च 1999 तक देयों के भुगतान पर 50 प्रतिशत तक माफ कर दिया गया था। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में 17 वि वि ख में से किसी ने अपने लेखों में ऐसी माफियों को अभिलिखित नहीं किया। तथापि, केवल चार वि वि ख ही बकायों एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी की राशि प्रस्तुत कर सके जो मार्च 1994 से मार्च 1999 की अवधि के लिए 682.08 लाख रुपये थी; और

(iii) जुलाई 1994 से निजी नलकूपों पर लागू 50 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह की ऊर्जा दर राज्य सरकार के अगस्त 1996 के आदेशों के अधीन 1 अगस्त 1996 से 40 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह तक घटा दी गई। परिषद ने अगस्त 1996 में स्वयं राज्य सरकार से इसके लिए 45 करोड़ रुपये की मांग की पर सरकार से अब तक (मई 1999) कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी थी। निजी नलकूपों के कुल संयोजित भार के आधार पर दिसम्बर 1998 तक (जनवरी 1999 से दर सूची के पुनः संशोधन तक) रियायत की कुल राशि 108.14 करोड़ रुपये थी, तथापि, शेष राशि (63.14 करोड़ रुपये) के लिए सरकार को अबतक (मई 1999) दावा नहीं प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार, परिषद की बढ़ती हुई हानियाँ न केवल उच्च परिचालन लागत, अतिशय प्रणाली हानियाँ तथा दर सूची में बिलम्बित और निम्न वृद्धियों के कारण थीं बल्कि शासनादेशों के अधीन उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायतें, छूटों एवं माफी, जो बिना किसी तत्संबंधी क्षतिपूर्ति के थी, के कारण भी थी।

3अ.5 उपभोक्ताओं का देयकीकरण

राजस्व का देयकीकरण उपभोक्ताओं के परिसरों पर संस्थापित मीटरों के पाठन पर आधारित है, सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखों, सार्वजनिक लैम्पों, निजी नलकूपों एवं राजकीय नलकूपों/पम्प कैनालों के जो फ्लैट दर पर देयकीकृत किए जाते हैं। घरेलू उपभोक्ता द्वैमासिक देयकीकृत किए जाते है जब कि अन्य उपभोक्ता मासिक देयकीकृत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े, भारी एवं वृहद आपूर्ति उपभोक्ता, राजकीय नलकूप/पम्प कैनाल, एवं सार्वजनिक लैम्प का देयकीकरण हाथ से किया जाता है जबकि अन्य उपभोक्ताओं का देयकीकरण कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

लेखा परीक्षा के नमूना जांच में निम्न कमियाँ प्रगट हुई जिससे अल्पप्रभारण और राजस्व की भारी हानि हुई है।

3अ.5.1 मीटरीकृत उपभोग का अविश्वसनीय निम्न स्तर

38.65 प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं की तदर्थ आधार पर देयकीकरण अभिलिखित उपभोग के निम्न स्तर में परिणामित हुई

मीटरों की शुद्धता निश्चित करने की दृष्टि से परिषद को कामर्शियल एवं रेवन्यू मैनुअल के पैरा 5 के अनुसार सभी मीटरों एवं अधिकतम मांग सूचकों (एम डी आई) की उनकी प्रथम स्थापना के पूर्व तथा 6 के वी ए तक, 6 के वी ए से ऊपर एवं 100 के वी ए तक तथा 100 के वी ए से ऊपर के अनुबन्धित भार वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में क्रमशः पाँच वर्षों, दो वर्षों तथा एक वर्ष में एक बार परीक्षा, जाँच एवं नियमन करना था। ऐसी आवधिक जाँचों की सीमा दर्शाने वाला कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। यह देखा गया कि बहुत से मीटरीकृत उपभोक्ता तदर्थ रूप से या तों न्यूनतम प्रभारों पर या नियत यूनिटो पर, नो एसेस (एन ए), नो रीडिंग (एन आर)/रीडिंग डिफेक्टिव (आर डी एफ), इनफार्मड डिफेक्टिव (आइ डी एफ), अपीयर्ड डिफेक्टिव (ए डी एफ) आदि के आधार पर देयकीकृत किए जा रहे थे, जैसा कि कम्प्यूटर देयकीकरण रिपोर्ट के आधार पर मार्च 1998 के अन्त तक की ऐसे उपभोक्ताओं की स्थिति दर्शाने वाली निम्न सारणी से प्रगट होता है:

उपभोक्ताओं की श्रेणियॉ	संस्थापित मीटरों की संख्या	एन ए/एन आर		आर डी एफ/आई डी एफ/ए डी एफ		कुल उपभोक्ताओं पर तदर्थ देयकीकरण का प्रतिशत
		संख्या	कुल मीटरों का प्रतिशत	संख्या	कुल मीटरों का प्रतिशत	
लघु एवं मध्यम शक्ति	224289	29649	13.22	20193	9.00	22.22
वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा	670268	137936	20.58	104314	15.56	36.14
घरेलू बत्ती एवं पंखा	3155321	639895	20.30	633305	20.07	40.37
योग	**4049878**	**807480**	**19.94**	**757812**	**18.71**	**38.65**

नये उपभोक्ताओं को प्रथम देयक निर्गत न करने से 4.64 करोड़ रुपये की देयकीकरण नही हुई इसके अतिरिक्त 0093 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई

3अ.5.2 प्रथम बिल के निर्गमन में विलम्ब

परिषद के कामर्शियल एवं रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 19.1 के अनुसार प्रथम बीजक जितना शीघ्र संभव हो अर्थात नए संयोजन के मुक्त होने के बाद दो माह के अन्दर निर्गत हो जाना है। जनवरी 1994 से मई 1999 के दौरान 10 वि वि ख के नमूना जाँच में 34516 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में प्रथम बीजक के निर्गमन में 2 से 160 महीनों की देरी पायी गई जिससे 90.81 लाख रुपये की देयकीकरण देरी से हुई। आगे नवम्बर 1998, फरवरी 1999 एवं मई 1999 में 36376 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में प्रथम देयक नहीं निर्गत किए गये थे, जिसके कारण 463.79 लाख रुपये की देयकीकरण उनके संयोजन (नवम्बर 1996 और मार्च–जून 1998) की तिथि से आज तक (मई 1999) न हो पायी, इसके अतिरिक्त, 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 39.36 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

3अ.5.3 विलम्ब से मीटर पाठन के कारण राजस्व की हानि

विलम्ब से मीटर पाठन के कारण 0.47 करोड़ रुपये की हानि

परिषद के कामर्शियल एवं रेवन्यू मैनुअल के पैरा 6.8 के अनुसार बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में मीटर पाठन कैलेन्डर माह के अंतिम तीन दिनों में लिया जाना अपेक्षित आवश्यक है। नमूना जाँच में प्रगट हुआ कि छः वि वि ख में 113 ऐसे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में मार्च 1997 एवं मार्च 1998 के मीटर पाठन क्रमशः 1997 एवं 1998 में 17 अप्रैल तक लिए गये और 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के ऊर्जा उपभोग को क्रमशः मार्च 1997 एवं मार्च 1998 के उपभोग के साथ देयकीकृत किया गया। अप्रैल 1997 तथा अप्रैल 1998 में ऐसे उपभोक्ताओं पर लागू ईंधन प्रभार एवं स्थापना प्रभार की प्रति यूनिट दरें क्रमशः मार्च 1997 एवं मार्च 1998 में प्रचलित दरों से उच्चतर थी। इस प्रकार, विलम्ब से मीटर पाठन एवं 1 से 17 अप्रैल 1997 के लिए, 41.21 लाख यूनिट एवं 1 से 17 अप्रैल 1998 के लिए 42.54 लाख यूनिट की आनुपातिक उपभोग की मार्च 1997 एवं मार्च 1998 में लागू दरों पर देयकीकरण करने से 47.30 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

3अ.5.4 बिना मीटर के ऊर्जा की आपूर्ति से राजस्व का अवप्रभारण

बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के 0.34 करोड़ रुपये का अल्प प्रभारण हुआ

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अक्टूबर 1989 के परिपत्र के अनुसार विभागीय मीटर के न होने पर, घरेलू बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं को बिना मीटर के ऊर्जा आपूर्ति मुक्त की जा सकती है, यदि उपभोक्ता अपने निजी मीटर स्थापित करने में असफल रहते है और 120 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह के आधार पर ऊर्जा प्रभारों के भुगतान हेतु सहमत हैं।

वि वि ख (II) बलिया के अभिलेखों की जाँच ने प्रगट किया कि घरेलू बत्ती एवं पंखा के 937 से 1104 उपभोक्ताओं को अप्रैल 1995 से अगस्त 1998 तक ऊर्जा की बिना मीटर की आपूर्ति के लिए 120 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से देय योग्य 44.75 लाख यूनिट के विरुद्ध 51 से 75

यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से 25.16 लाख यूनिट के लिए ही देयकीकृत किए गये।

इसी प्रकार, वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा के 254 से 266 उपभोक्ताओं को बिना मीटर के आपूर्ति के लिए उसी अवधि में 120 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से देय योग्य 10.23 लाख यूनिट के विरुद्ध 58 से 100 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से 7.83 लाख यूनिट ही देयकीकृत किए गये।

जिसके कारण 34.18 लाख रुपये का अवप्रभारण हुआ, जिसमें 1.32 लाख रुपये का विद्युत कर भी सम्मिलित है।

3अ.5.5 अनुपयुक्त दर सूची के प्रयोग के कारण राजस्व का अवप्रभारण

लेखा परीक्षा के नमूना जांच में अनुपयुक्त दर सूची के प्रयोग के कारण 1587.08 लाख रुपये का अवप्रभारण प्रगट हुआ जो नीचे चर्चित है:

(i) दर सूची एल एम वी–5 सिंचाई उददेश्यों के लिए 25 बी एच पी तक के अनुबन्धित भार रखने वाले निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के उपभोक्ताओं जो ग्रामीण अनुसूची से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हो, पर लागू है। नमूना जांच में प्रगट हुआ कि 25 बी एच पी तक अनुबन्धित भार के शहरी पोषक से आपूर्ति प्राप्त करने वाले 886 उपभोक्ता तथा 31 बी एच पी अनुबन्धित वाला एक उपभोक्ता, जिन पर लागू दर सूची एल एम वी–6 के स्थान पर एल एम वी–5 में देयकीकृत किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, दो वि वि ख में 47 ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित भार 357 बी एच पी था एल एम वी–6 के अर्न्तगत न्यूनतम प्रभार पर बिल किये गये थे जब कि अप्रैल 1995 एवं अक्टूबर 1996 के परिषदादेश के अधीन एल एम वी–6 के अर्न्तगत बिना मीटर के उपभोक्ताओं को क्रमशः 190 एवं 145 यूनिट प्रति बी एच पी प्रति माह पर देयकीकृत करना था। इस प्रकार, 887 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अनुपयुक्त दर सूची के प्रयोग एवं 47 उपभोक्ताओं के मामले में न्यूनतम प्रभार के लिए देयकीकरण के कारण जुलाई 1994 से जून 1999 तक 1268.10 लाख रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

भट्ठी के लिए दर सूची के गलत प्रयोग से 0.85 करोड़ रुपये के अल्प प्रभारण हुआ

(ii) वि वि ख–II, झांसी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रगट हुआ कि झाँसी के एक उपभोक्ता (बाल्स एण्ड सिलपेब्स लि0 इकाई–2) को परिषद द्वारा प्रारम्भिक रूप से दर सूची एच वी 1 (आर्क/इंडक्शन फर्नेस आदि) के अन्तर्गत 1800 के वी ए का भार 23 जुलाई 1996 को स्वीकृत किया गया जो 26 जुलाई 1996 को दर सूची एच वी–2 (बड़े एवं भारी शक्ति) के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया। तदनुसार, उपभोक्ता को 2500 के वी ए के संशोधित

भार के लिए (संशोधन सितम्बर 1996 में स्वीकृत किया गया) संयोजन की तिथि से 31 मार्च 1997 को दर सूची एच वी–2 में देयकीकृत किया गया। तथापि, मार्च 1997 के परिषदादेश के अनुपालन में, उपभोक्ता से इस आशय का वचन पत्र नहीं प्राप्त किया गया कि यदि भट्ठी का भार अनुबन्धित भार के 60 प्रतिशत से अधिक होता है तो, दर सूची एच वी–1 लागू होगी। यह देखा गया कि अनुबन्ध के साथ संलग्न बी एवं एल फार्म के अनुसार भट्ठी का भार 1765 के वी ए था जो 2500 के वी ए के अनुबन्धित भार का 70.06 प्रतिशत था।

इस प्रकार, उपभोक्ता दर सूची एच वी–1 की उच्चतर दर पर देयकीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी था जिसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वांछित वचन पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। इस कारण अप्रैल 1997 से मार्च 1999 की अवधि में उपभोक्ता को 85.36 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

(iii) दर सूची के गलत प्रयोग के कारण 233.62 लाख रुपये की धनराशि के राजस्व के अवप्रभारण के अन्य मामले परिशिष्ट–11 में दिए गये हैं।

3अ.5.6 भार को अनियमित रुप से घटाने के कारण राजस्व की हानि

अनुबन्धित भार में अनियमित कमी से 1.73 करोड़ रुपये की हानि हुई

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम 1984 के प्रस्तर 10 (ब) के अधीन अनुबन्धित भार में कमी, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही अनुमत की जा सकेंगी। भार में कमी की अनुमति दिए जाने के पूर्व सभी देय बकाये का सम्पूर्ण रूप से भुगतान आवश्यक था।

नमूना जांच से प्रगट हुआ कि कई उपभोक्ताओं के अनुबन्धित भार, न केवल उपरोक्त प्रावधानों के विरुद्ध बल्कि वास्तविक भार जो या तो अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) पर अभिलिखित हुआ अथवा अन्य रूप से उनके परिसरों में विद्यमान पाया गया से भी, नीचे घटा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 17.36 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई जैसा परिशिष्ट–12 में दिया गया है।

3अ.5.7 रियायत/विकास छूट की अनियमित स्वीकृति से राजस्व की हानि

दर सूची के प्रावधानों के विपरीत उपभोक्ताओं को रियायतें एवं छूट दी गई जो 197.37 लाख रुपये की राजस्व हानि में परिणामित हुई, जैसा नीचे चर्चित है:

(i) दर सूची एच वी–2,75 किलो वाट से अधिक अनुबन्धित भार वाले बड़े एवं भारी शक्ति वाले उपभोक्ताओं पर लागू, के अनुसार मांग प्रभार का देयकीकरण, वास्तविक अधिकतम

मांग या अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो पर होना है। तथापि, दर सूची में जो 18 जनवरी 1992 से संशोधित की गई, नई औद्योगिक इकाइयों जिनका संयोजन 1 अप्रैल 1990 को या उसके बाद परन्तु मार्च 1995 तक हुआ, को विद्युत आपूर्ति की शुरुआत से पाँच वर्षो की अवधि के लिए वास्तविक मांग के लिए मांग प्रभारों के भुगतान करने की अनुमति दी। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ने अप्रैल 1994 में पुनरुक्त किया कि उपर्युक्त शिथिलता संशेाधित दर सूची के लागू होने की तिथि अर्थात 18 जनवरी 1992 से अनुमन्य होगी।

अस्वीकार्य छूट की स्वीकृति से 0.28 करोड़ रुपये का उवप्रभारण

वि वि ख हमीरपुर ने हिन्दुस्तान फेरो एलायज (प्रा0) लिमिटेड सुमेरपुर (हमीरपुर) जिनको संयोजन 31 मार्च 1990 को दिया गया था, को 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995 की अवधि के लिए उपरोक्त शिथिलता अनुमत की। जिसके कारण 22.92 लाख रुपये की यह शिथिलता अनियमित रूप से स्वीकृति हुई (उपभोक्ता के मार्च 1997 के बिल में क्रेडिट दिया गया था)। इसी प्रकार, वि वि ख चन्दौली द्वारा भी घराना फूड लिमिटेड, मुगलसराय को यह रियायत दी गई, जिसे 5 सितम्बर 1996 को 1800 के वी ए भार का संयोजन मुक्त किया गया जो सितम्बर 1996 से दिसम्बर 1998 की अवधि में उपभोक्ता को 5.04 लाख रुपये के अनुचित लाभ में परिणामित हुआ।

(ii) बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एच वी–2 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 31 मार्च 1997 तक संयोजित उपभोक्ताओं के लिए मांग प्रभारों एवं ऊर्जा प्रभारों की राशि पर 50 प्रतिशत एवं न्यूनतम प्रभारों पर 25 प्रतिशत की विकास छूट अनुमन्य है।

विकास छूट की अनियमित स्वीकृति से 0.33 करोड़ रुपये की हानि

वि वि ख–I झांसी ने 3000 के वी ए के अनुबन्धित भार वाले वैद्यनाथ इन्टर प्राइजेज, झांसी को उपरोक्त छूट इस आधार पर स्वीकृत किया कि उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत परीक्षण खण्ड झांसी द्वारा 31 मार्च 1997 को वि वि ख–I, झांसी के उसी तिथि (31 मार्च 1997) के इन्डेन्ट पर मीटर संस्थापित किया था। तथापि, यह देखा गया कि 31 मार्च 1997 को संयोजन इस दृष्टि से संभव नहीं था कि इस संयोजन के अवमुक्त होने के लिए वांछित 33 के वी लाइन के निर्माण के लिए सामग्री (3.29 लाख रुपये) अप्रैल 1997 में निर्गत की हुई थी। आगे यह भी देखा गया कि फरवरी 1998 तक ऊर्जा का उपभोग नहीं हुआ था। प्रत्यक्षतः, यह उपभोक्ता को अनियमित विकास छूट की स्वीकृति का मामला है जो अप्रैल 1997 से जुलाई 1998 की अवधि में 25 प्रतिशत न्यूनतम प्रभारों के रूप में 33.00 लाख रुपये की राजस्व हानि में परिणामित हुई जो पाँच वर्षो तक की शेष अवधि जारी रहेगी।

(iii) आर्क/इन्डक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल आदि पर लागू दर सूची एच वी–I, के अनुसार

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 31 मार्च 1997 तक संयोजित उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभारों की धनराशि पर 50 प्रतिशत एवं न्यूनतम प्रभारों में 25 प्रतिशत की विकास छूट 3 जनवरी 1997 से अनुमत्य थी। 18 जून 1998 से संशोधित दर सूची एच वी–I, ने इस रियायत को केवल मांग प्रभारों में 25 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित कर दिया।

एक उपभोक्ता का अनुचित पक्षपात लेने से 1.36 करोड़ रुपये की परिणामी हानि हुई

वि वि ख बांदा द्वारा, उपभोक्ता के विद्यमान संयोजन को ऊर्जा की आपूर्ति पोषित करने वाली विद्यमान 33 के वी लाइन द्वारा 5000 के वी ए का अनुबन्धित भार परेरहाट स्टील लि0 को, 31 मार्च 1997 के सीलिंग प्रमाण–पत्र के आधार पर जो मीटर की स्थापना दर्शाता है, एक संयोजन दिया जाना माना गया। इस मामले में यह देखा गया कि उपभोक्ता को संयोजन देने के लिए 1.10 लाख रुपये की सामग्री 25 अप्रैल 1997 को निर्गत की गई। आगे, जून 1997 तक ऊर्जा का कोई उपभोग नहीं किया गया। इस प्रकार, यह अप्रैल 1997 से दिसम्बर 1998 तक 136.41 लाख रुपये की अनाधिकृत विकास छूट का उपभोक्ता को अनुचित लाभ देने के लिए 31 मार्च 1997 को जाली संयोजन देने का एक मामला है।

आगे, उपभोक्ता से मार्च 1997 में 33 लाख रुपये प्रतिभूति के विरुद्ध 17.09 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं साथ में 32.50 लाख रुपये के सिस्टम लोडिंग प्रभार जमा करने को कहा गया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा मार्च 1997 में केवल 1.71 और 3.25 लाख रुपये अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किस्तों के अनुसार जमा किए गये।

3अ.5.8 गुणन कारक के गलत प्रयोग के कारण राजस्व की हानि

गलत गुणन कारक के प्रयोग से 1.32 करोड रुपये का अल्प देयकीकरण हुआ

तीन फेस मीटर पर अभिलिखित ऊर्जा की यूनिट मीटर के डायल फैक्टर तथा मीटर से गुजरने के पूर्व लाइन पर स्थापित करेन्ट परिवर्तकों (सी टी) एवं पोटेन्शियल परिवर्तकों (पी टी) की क्षमता पर आधारित गुणन कारक (एम एफ) द्वारा गुणा की जानी होती है। अतः सी टी एवं पी टी की क्षमता की शुद्धता की न केवल प्रथम स्थापना के समय बल्कि बाद में भी आवधिक जाँच द्वारा सुनिश्चित करनी चाहिए। नमूना जांच में सी टी की क्षमता में अशुद्धताओं के कारण गुणन कारक में त्रुटियाँ पायी गयी जिसके परिणामस्वरूप 132.26 लाख रुपये राजस्व का अवप्रभारण हुआ जो नीचे सारणी में दिया गया है:

खण्ड का नाम	अनुबन्धित भार सहित उपभोक्ता का नाम	अशुद्धता की प्रकृति एवं अवधि	देयक योग्य एम एफ	देयक किया गया एम एफ	राजस्व का अवप्रभारण	
					अवधि	राशि (लाख रुपये में)
वि.वि.ख–I, बुलन्दशहर	जिन्दल पोलीस्टर ऐण्ड स्टील्स लि0 (5000 के वी ए)	परिषद की विजिलेन्स टीम द्वारा मार्च 1994 मे, जनवरी 1985 में स्थापित आनुसांगिक सीटी की क्षमता अभिलिखित 1/5 एम्पीयर के स्थान पर 1/4 एम्पियर पाई गयी।	71.022	56.818	अप्रैल 1993 से मार्च 1994 (अप्रैल 1993 के पूर्व के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए)	90.08
वि वि ख काशीपुर	सूर्या रोशनी लि0 (400 के वी ए)	9 सितम्बर 1998 के सीलिंग प्रमाण–पत्र के अनुसार अप्रैल 1996 में स्थापित सीटी की क्षमता बिल के लिए विचारित 10/5 एम्पीयर के स्थान पर 15/5 एम्पीयर पाई गयी।	अप्रैल 1996 से अगस्त 1998 तक 18 तथा अगस्त 1998 से अप्रैल 1999 तक 9	12 व 6	अप्रैल 1996 से अप्रैल 1999	24.18
वि वि ख चन्दौली	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि0 (200 के वी ए)	गणना दोष	22 अक्टूबर 1997 के सीलिंग प्रमाण–पत्र के अनुसार 0.375	0.250	जुलाई 1994 से अक्टूबर 1997 (जुलाई 1994 के पूर्व से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नही कराए गए)	18.00
योग						132.26

इस सम्बन्ध में यह समीचीन है कि वि वि ख–I बुलन्दशहर द्वारा 71.022 के संशोधित एम एफ पर देयकीकरण के लिए इस आधार पर विचारित नहीं किया गया कि विद्यमान मीटर मई 1995 में विद्यमान आनुसांगिक सी टी के साथ स्थापित चेक मीटर के निष्कर्षो के अनुसार 14.13 प्रतिशत तीव्र पाया गया था। एम एफ, सी टी की क्षमता से प्रभावित होता है न कि चेक मीटर के निष्कर्षो द्वारा। इसके अलावा, सदस्य (वितरण) के आदेशों (जून 1994) के अनुसार चेक मीटर दूसरी आनुसांगिक सी टी के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ने भी मंतव्य दिया कि (फरवरी 1996) कि एम एफ में त्रुटि एवं मीटर का तेज चलना दो अलग–अलग मामले हैं जो अलग से व्यवहृत होने चाहिये।

3अ.5.9 दोषपूर्ण मीटरों के कारण अनिर्धारण/अवनिर्धारण के कारण राजस्व का अवप्रभारण

परिषद के कामर्शियल एवं रेवन्यू मैनुअल के पैरा 7.1 के अनुसार यदि मीटर धीमा/दोषपूर्ण हो जाता है या ऊर्जा का उपभोग अंकित करना बन्द कर देता है तो ऐसे मामलो में देयकों का निर्धारण, चेक मीटर के जाँच निष्कर्षो के आधार पर विगत छः माहों के लिए, पिछले तीन लगातार महीनों के औसत उपभोग जब मीटर सही अभिलेखन कर रहा था अथवा मौसमी परिचालन के मामले में पिछले वर्ष के उन्ही माहों में अभिलिखित उपभोग, के आधार पर जैसा भी मामला हो, किया जाना है। मन्द/दोषपूर्ण मीटरों के कारण अनिर्धारण/अल्पनिर्धारण के निम्न मामले नमूना जाँच में प्रगट हुए जिसके कारण 387.51 लाख रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

वि वि ख बांदा के अभिलेखों की जाँच ने प्रगट किया कि एच वी–1 (इन्डक्शन फर्नेन्स) के अधीन 5000 के वी ए के अनुबन्धित भार वाले परेरहाट स्टील लिमिटेड मुर्का (बांदा) पर 31 मार्च 1997 को स्थापित सिमको (यांत्रिक) मीटर ने 9 जुलाई 1997 तक उपभोग का कोई अभिलेखन नहीं किया, जब यह संगमो (इलेक्ट्रानिक) मीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस संयोजन पर जनवरी 1998 में खण्ड में उपलब्ध अधिक शुद्धता वाले सिक्योर मीटर (नं0 यू पी ई 01863) को स्थापित करने के स्थान पर इसे 29 जनवरी 1998 को केवल 400 के वी अनुबन्धित भार वाले परेरहाट इन्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0, मुर्का के परिसर में स्थापित किया गया।

सिक्योर मीटर की स्थापना न करने एवं दोषपूर्ण मीटरों के लिए अनिर्धारण से 2.61 करोड़ रुपये का अल्पप्रभारण हुआ

संगमों मीटर की सी टी दोषपूर्ण पाये जाने पर 17 जून 1998 को उसे एक सिक्योर मीटर (नं. यू पी ई 03464) द्वारा बदला गया जिसकी सी टी भी दोषपूर्ण पायी गयी (26 जुलाई 1998)। इसलिए, दूसरा सिक्योर मीटर (नं0 यू पी वी 00147) 18 अगस्त 1998 को चेक मीटर के रूप में स्थापित किया गया। प्रथम सिक्योर मीटर (नं0 यू पी ई 03464) द्वारा 17 जून 1998 से 25 जुलाई 1998 (यह 26 जुलाई 1998 से दोषपूर्ण हो गया) में अभिलिखित प्रतिमाह 18.85 लाख यूनिटों के उपभोग, तथा 18 अगस्त 1998 से 8 दिसम्बर 1998 में द्वितीय सिक्योर मीटर (सं0 यू पी वी 00147) पर

अभिलिखित प्रतिमाह 17.29 लाख यूनिटों के उपभोग की तुलना पर अनिर्धारण के कारण 223.24 लाख रुपये के अवप्रभारण (दिसम्बर 1997 से मई 1998 तक 217.61 लाख रुपये तथा जुलाई 1998 से अगस्त 1998 तक 5.63 लाख रुपये) हुआ जिसे बचाया जा सकता था, यदि सिक्योर मीटर (न0 यू पी ई 01863) 400 के वी ए के भार के स्थान पर 5000 के वी ए के उच्चतर भार वाले संयोजन पर स्थापित किया जाता।

आगे उपभोक्ता 29 जून से 25 जुलाई 1998 में अभिलिखित 7960 के वी ए की वास्तविक अधिकतम मांग के विरुद्ध 5000 के वी ए की अनुबन्धित मांग के लिए इस आधार पर देयकीकृत किया गया कि मीटर का के वी ए सेक्शन दोषपूर्ण था। तथापि, एम आर आई (मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट) रिर्पोट में सूचित किया कि के वी ए हिस्सा 26 जुलाई 1998 से दोषपूर्ण था, इसके परिणामस्वरूप, केवल 5000 के वी ए की मांग के लिए देयकीकरण करने से कुल 37.44 लाख रुपये के माँग प्रभारों का अल्पप्रभारण परिणामित हुआ।

126.80 लाख रुपये के अल्प निर्धारण के अन्य मामले परिशिष्ट—13 में दिए गए हैं।

3अ.5.10 न्यूनतर अनुबन्धित भारों के कारण राजस्व की हानि

अनुबन्धित भारों से निम्नतर भारों के लिए देयकीकरण से 7.23 करोड़ रुपये की हानि में परिणामित हुआ

जून 1998 के परिषदादेश के अनुसार दर सूची एच वी—1 के अर्न्तगत इन्डक्शन/आर्क फर्नेस के लिए अनुबन्धित भार के सभी मौजूद एवं नए उपभोक्ताओं के बिल योग्य अनुबन्धित भारों को 600 के वी ए प्रति टन फर्नेस की क्षमता निर्धारित/संशोधित किया जाना था। उपभोक्ताओं की भट्ठीयों की क्षमता क्षेत्रीय समिति द्वारा परीक्षित और निर्धारित की जानी थी। नमूना जाँच ने प्रगट किया कि इस आदेश का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया गया जिससे 635.31 लाख रुपये के राजस्व की हानि परिणमित हुई जैसा परिशिष्ट—14 में विवरण दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि 44535 के वी ए के देयक योग्य अनुबन्धित भार के विरुद्ध उपभोक्ता वास्तव में 32860 के वी ए के लिए देयकीकृत किए गए। 11675 के वी ए का निम्नतर अनुबन्धित भार न केवल 635.31 लाख रुपये के राजस्व के अल्प प्रभारण में बल्कि 750 रुपये प्रति के वी ए की दर से 87.56 लाख रुपये सिस्टम लोडिंग प्रभारों के कम वसूली में परिणामित हुआ।

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विशेष रूप से उल्लिखित किए जाने योग्य है:

(i) परेरहाट स्टील लि0 के मामले में मार्च 1997 के भार विमुक्ति आदेश में उल्लिखित दो भट्ठीयों की क्षमता क्षेत्रीय समिति द्वारा सत्यापित नहीं की गई।

(ii) मुरादाबाद क्षेत्रीय समिति ने अप्रित स्टील लि0 के मामले में मौजूद 1500 के वी ए के

अनुबन्धित भार के संशोधन की इस आधार संस्तुति नहीं की कि जुलाई 1998 में समिति द्वारा यह पाया गया कि एक समय में प्रत्येक 1.81 टन की दो भट्ठीयों में से केवल एक ही भट्ठी एक ही कन्ट्रोल पैनल द्वारा संयोजित होने के कारण, परिचालित थी। तथापि, उपभोक्ता के परिसर पर विद्यमान एक भट्ठी के भार का ऐसा निष्कासन न तो परिषद के जून 1998 के आदेश में अनुमन्य था न ही दिसम्बर 1996 से जनवरी 1999 में अभिलिखित 1584 से 2000 के वी ए के वास्तविक मांगों की दृष्टि से उचित था।

इसी प्रकार समिति ने काशी विश्वनाथ स्टील लि० के मामले में विद्यमान 4000 के वी ए के अनुबन्धित भार के स्थान पर 2 भट्ठीयों तथा एक रोलिंग मिल के लिए 4800 के वी ए के भार की संस्तुति इस आधार पर की कि समिति द्वारा जुलाई 1998 में पायी गयी 3 भट्ठीयों में से 2 भट्ठीयों जो केवल कन्ट्रोल पैनल से संयोजित थी, जो एक समय में परिचालित थीं।

3अ.5.11 गैर आनुपातिक करेन्ट परिवर्तकों (सी टी) की स्थापना के कारण राजस्व की हानि

उपभोक्ताओं के अनुबन्धित भारों एवं आपूर्ति की वोल्टेज के साथ सम्बद्ध उपयुक्त क्षमता की सी टी तीन फेस ऊर्जा मीटरों के साथ स्थापित की जाती है जिस में असफल रहने पर ऊर्जा खपत सही रूप से अभिलिखित नही होगी। अनुपयुक्त सी टी के साथ अभिलिखित उपभोग में अशुद्धता की मात्रा, उपयुक्त सी टी के साथ चेक मीटरों की स्थापना करने से निश्चित की जा सकती है। लेखा परीक्षा में नमूना जांच ने प्रगट किया कि वि वि ख–1 बुलन्दशहर ने बिना चेकमीटर स्थापित किए सी टी बदल दिया जो 22.53 लाख रुपये की राजस्व की हानि में परिणामित हुआ जैसा नीचे वर्णित है:

(i) कजारिया सिरैमिक्स लि० का अनुबन्धित भार 28 फरवरी 1995 को 2400 के वी ए से बढ़ाकर 3000 के वी ए कर दिया गया। तथापि, 19 जुलाई 1995 को विद्यमान लाइन सी टी को वांछित उच्चतर क्षमता से प्रतिस्थापित किया गया। नई सी टी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा का उपभोग एवं वास्तविक मांग में क्रमशः 10.2 एवं 8.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रगट हुई। इस प्रकार, वांछित क्षमता की उपयुक्त लाइन सी टी की स्थापना में विलम्ब से 28 फरवरी 1995 से 19 जुलाई 1995 के दौरान 13.01 लाख रुपये के राजस्व की हानि में परिणामित हुआ।

(ii) 1500 के वी ए के अनुबन्धित भार वाले ओरिएन्ट सिरेमिक्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़, सिकन्दराबाद को 33 के वी ए संयोजन अवमुक्त करते समय 100/1 एम्पियर की लाइन सी टी 17 मार्च 1997 को स्थापित की गई। यह लाइन सी टी, 35/1 एम्पियर की सी टी द्वारा, 26 फरवरी

1998 को बदली गई जिसके पश्चात् प्रतिदिन उपभोग 13.98 प्रतिशत बढ़ गया। इस प्रकार, प्रारम्भ में उच्चतर क्षमता की सी टी की स्थापना ने परिषद को मार्च 1997 से फरवरी 1998 के दौरान 9.52 लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रखा।

3अ.5.12 ऊर्जा की चोरी के लिए गलत निर्धारण/अनिर्धारण के कारण राजस्व की हानि

उपकेन्द्रों से भेजी गई ऊर्जा एवं उपभोक्ताओं के छोर पर अभिलिखित ऊर्जा में अन्तर ने 27.78 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा की चोरी को प्रगट किया

मीटरिंग संयत्रों की नियमित जांच, उपभोक्ताओं के संयोजित भार का आवधिक पुष्टिकरण तथा उपकेन्द्र से भेजी गई ऊर्जा तथा उपभोक्ता के छोर पर अभिलिखित की गई ऊर्जा में अन्तर दर्शाने वाला पोषक वार ऊर्जा लेखा तैयार करने आदि से, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी का पता लगाने के सामान्य साधन है। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच ने प्रगट किया कि परिषद के अधिकारी इन कार्यवाहियों को नियमित रूप से करने में न केवल असफल रहे बल्कि ऊर्जा की चोरी के लिए उचित निर्धारण करने में भी चूक गए जो 3479.72 लाख रुपये के अल्प प्रभारण/राजस्व की हानि में परिणामित हुई जैसा नीचे चर्चित है:

(i) उपकेन्द्र से भेजी गई ऊर्जा की मात्र एवं उपभोक्ताओं के छोर पर अभिलिखित की गई ऊर्जा के बीच विस्तृत अन्तर ने औद्योगिक पोषकों (सी ई ए मानक के अनुसार, भेजी गई ऊर्जा का 4.5 प्रतिशत वितरण हानियाँ मानते हुए) से ऊर्जा की चोरी प्रगट की जो 2778.30 लाख रु0 के राजस्व की हानि में परिणामित हुई (उपभोक्ताओं को प्रभारित दरों पर) जैसा नीचे उल्लिखित है:

खण्ड का नाम	ऊर्जा की आपूर्ति का स्रोत	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	उपकेन्द्र से भेजी गई ऊर्जा	देयककृत की गई ऊर्जा	ऊर्जा की चोरी (4.5 प्रतिशत लाइन हानियों को निकालते हुए)	राजस्व की हानि (लाख रुपये)
				(यूनिट लाख में)	(यूनिट लाख में)		
वि वि ख हमीरपुर	132 के वी उपकेन्द्र सुमेरपुर (हमीरपुर) से 33 के वी पो क प्रथम एवं द्वितीय	फरवरी 1995 से दिसम्बर 1996	7⊗	2310.75	1048.02	1032.47	2064.94

⊗ जूही एलायस, हमीरपुर एलायस, वंदना स्टील, रिमझिम इस्पात, वैभव कास्टिंग, हंस कास्टिंग और वीनस कास्टिंगस

खण्ड का नाम	ऊर्जा की आपूर्ति का स्रोत	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	उपकेन्द्र से भेजी गई ऊर्जा	देयककृत की गई ऊर्जा	ऊर्जा की चोरी (4.5 प्रतिशत लाइन हानियों को निकालते हुए)	राजस्व की हानि (लाख रुपये)
				(यूनिट लाख में)	(यूनिट लाख में)		
वि वि ख उरई	132 के वी उपकेन्द्र उरई से 33 के वी फरनेस पो क	जुलाई 1997 से अक्टूबर 1997	4⊗⊗	208.10	39.57	142.32	584.48
वि वि ख उरई	132 के वी उरई से स्वतंत्र 33 के वी पो क	अगस्त 1997 से अक्टूबर 1997	(ओम स्टील एवं इस्पात उद्योग लि0, उरई)	87.58	46.00 (त्रुटिपूर्ण मीटर के कारण प्राक्कलि–त आधार पर देयकीकृत किया गया)	33.48	128.88
येाग			**12**	**2606.43**	**1133.59**	**1208.27**	**2778.30**

ऊर्जा की चोरी के लिए निर्धारण में कमी द्वारा 0.51 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया

(ii) नगरीय परीक्षण खण्ड मुजफर नगर की 30 मार्च 1998 की रिपोर्ट के अनुसार दोआबा स्टील (रोलिंग मिल) मुजफरनगर पीक आवर्स प्रतिबन्धों के उल्लंघन के साथ 15 जनवरी से 13 फरवरी 1998 में मीटरिंग के पहले 11 के वी प्रणाली को सीधे टेप करके ऊर्जा की चोरी में लिप्त थी। परीक्षण खण्ड ने पुनः अपने पत्रों दिनांक 20 अप्रैल 1998 तथा 6 जुलाई 1998 द्वारा वि वि ख (नगरीय) को मीटर के कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट के आधार पर उपभोक्ता द्वारा 20 फरवरी से 16 मार्च 1998 एवं 22 मई से 25 जून 1998 मे की गई ऊर्जा की चोरी के विषय में सूचित किया और परिषद के नियमानुसार निर्धारण का सुझाव दिया। तथापि, वि वि ख (नगरीय) ने 5 माह की देरी के बाद अगस्त 1998 में 9.82 लाख रुपये 31.70 लाख रुपये एवं 55.48 लाख रुपये के तीन देयक निर्गत किए और ऊर्जा की चोरी के लिए उपभोक्ता के विरुद्ध एफ आई आर भी लिखवाई।

⊗ प्रीतम स्टील, बुन्देलखण्ड एलायस, रामश्री स्टीलस और शताब्दी स्टीलस

परिषद के अपीलीय प्राधिकारी (एरिया लेवल कमेटी) ने अपने निर्णय (दिसम्बर 1998) में यद्यपि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की चोरी को स्वीकार किया फिर भी उपकेन्द्र से प्रेषित ऊर्जा तथा उपभोक्ता छोर पर अभिलिखित ऊर्जा के अन्तर के आधार पर 87.18 लाख रुपये के दो बिलों (31.70 लाख रुपये तथा 55.48 लाख रुपये) के विरुद्ध निर्धारण 35.82 लाख रुपये तक घटा दिया। अपीलीय प्राधिकारी का उपभोक्ता को 51.36 लाख रुपये का अनुचित लाभ प्रदान करने वाला निर्णय परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं था।

(iii) ऊर्जा की चोरी जिससे 650.06 लाख रुपये के राजस्व हानियों के अन्य मामले परिशिष्ट–15 में दिए गए हैं।

3अ.5.13 मांग प्रभारों की कम देयकीकरण के कारण राजस्व की हानि

माँग प्रभार, उपभोक्ताओं को अनुबन्धित माँग एवं एम डी आई पर अभिलिखित वास्तविक अधिकतम माँग के सन्दर्भ में देय योग्य है। तथापि निम्न मामलों में उपभोक्ताओं से न्यूनतर भारों के लिए माँग प्रभारों की देयकीकृत की गयी जो 134.26 लाख रुपये की माँग प्रभारों की कम देयकीकरण में परिणामित हुई जैसा नीचे वर्णित है:

देयकीकृत योग्य मांग में से आवासीय भार का निष्कासन, 0.77 करोड़ रुपये के अल्पप्रभारा में परिणामित हुआ

(i) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के मार्च 1978 के परिपत्र के अनुसार, यदि बड़े एवं भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं के औद्योगिक/प्रासेसिंग उद्देश्यों के लिए उच्च विभव (एच टी) वोल्टेज पर आपूर्ति किया गया ऊर्जा का एक हिस्सा आवासीय भार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उपभोक्ता के परिवर्तक की निम्न विभव (एल टी) साइड पर अलग ऊर्जा मीटर की स्थापना द्वारा अभिलिखित किया जाता है तो, यह आवासीय आपूर्ति के लिए लागू दर सूची के अधीन देयकीकृत योग्य है, पर सम्पूर्ण आपूर्ति के लिए एच टी पर अभिलिखित अधिकतम मांग में आवासीय भार द्वारा उत्पन्न अधिकतम मांग के आधार पर कोई कमी नहीं की जाएगी।

नमूना जांच में यह देखा गया कि 3000 के वी ए (आवासीय भार के लिए 750 के वी ए सम्मिलित करते हुए) के अनुबन्धित भार वाले डिवीज़नल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूर्वी रेलवे, मुगलसराय (चन्दौली) को मार्च 1997 तक तथा अप्रैल 1997 से 4500 के वी ए (आवासीय भार के लिए 1500 के वी ए को सम्मिलित करते हुए) के 33 के वी वोल्टेज पर ऊर्जा की आपूर्ति की गई। 33 के वी ए साइड पर ऊर्जा की कुल आपूर्ति अभिलिखित करने के लिए स्थापित ट्राइवेक्टर मीटर के अतिरिक्त उपभोक्ता के परिवर्तक की 11 के वी साइड पर आवासीय भार में ऊर्जा का उपभोग अभिलिखित करने के लिए एक अलग ऊर्जा मीटर स्थापित किया गया। यह देखा गया कि ट्राइवेक्टर मीटर पर अभिलिखित 33 के वी ऊर्जा में से आवासीय ऊर्जा खपत को घटाते समय, उपयुक्त दर सूची (एल

एम वी–I) के अर्न्तगत बिल किए जाने के लिए 33 के वी के ट्राइवेक्टर मीटर पर अभिलिखित अधिकतम मॉग को भी आवासीय भार के मॉंग से क्रमशः मई 1994 से अक्टूबर 1996 तथा अप्रैल 1997 से नवम्बर 1998 में घटा दिया गया। नवम्बर 1996 से मार्च 1997 में उक्त प्रकार से नहीं घटाया गया। इस प्रकार, उपरोक्त अवधि में अभिलिखित अधिकतम मॉंगों में अनियमित कमी 76.84 लाख रुपये के मॉंग प्रभारों की कम देयकीकरण में परिणामित हुई।

(ii) 57.42 लाख रुपये की धनराशि के मॉंग प्रभारों की कम देयकीकरण के अन्य मामले परिशिष्ट–16 मे दिए गए हैं।

3अ.5.14 पीक आवर्स प्रतिबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड वसूल न करना

अप्रैल 1984 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार, विरल प्रक्रिया के उपभोक्ताओं, आर्क/इन्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग/री–रोलिंग मिल्स द्वारा पीक आवर्स प्रतिबन्धों/साप्ताहिक बन्दी का उल्लंघन आपूर्ति के विच्छेदन के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के अनुबन्धित भार पर आधारित प्रत्येक उल्लंघन के लिए अनुबन्धित भार का 20 रुपये से 50 रुपये प्रति के वी ए के दण्ड से दण्डनीय है। अक्टूबर 1998 में, परिषद ने स्पष्ट किया कि 1997–98 एवं 1998–99 में स्थापित सिक्योर मेक इल्लेक्ट्रानिक मीटरों के मामले में प्राप्त एम आर आई (मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट) प्रिन्ट (एम आर आई प्रिन्ट की तिथि तक पिछले 35 दिनों को आच्छादित करते हुए) में अभिलिखित पीक आवर्स प्रतिबन्धों के उल्लंघन की प्रत्येक प्रविष्टि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अलग से किया गया उल्लंघन माना जाएगा। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जांच किए गये 17 वि वि ख के अभिलेखों की समीक्षा में 63.01 लाख रुपये की निम्न कमियाँ/राजस्व की हानियाँ प्रगट हुई:

ऊर्जा मंत्री द्वारा पीक आवर्स प्रतिबन्धों से छूट देना, 15.00 लाख रुपये के अनुचित लाभ में परिणामित हुआ

(i) 5000 के वी ए अनुबन्धित भार वाले परेरहाट स्टील लि0 मुर्का (बान्दा) के मामले में पीक आवर्स प्रतिबन्धों एवं साप्ताहिक बन्दी के उल्लंघन की गणना इस आधार पर की गई कि उपभोक्ता को ऊर्जा मंत्री द्वारा मार्च 1998 तक तथा उसके पश्चात् आगे छः माह के लिए ऐसे प्रतिबन्धों से छूट दी गई थी, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई औपचारिक आदेश निर्गत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, 29 जून 1998 की एम आर आई रिपोर्ट के अनुसार पीक आवर्स प्रतिबन्धों एवं साप्ताहिक बन्दी के उल्लंघन के लिए 15 लाख रुपये का दण्ड लागू नहीं किया जा सका।

(ii) जून 1998 से मई 1999 में बुलन्दशहर, काशीपुर एवं गोरखपुर के तीन वि वि ख में चार[⊗] बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं से पीक आवर्स प्रतिबन्धों एवं साप्ताहिक बन्दी के उल्लंघन के लिए दण्ड के रुप में देय 21.02 लाख रुपये की राशि देयकीकृत/वसूली न जा सकी।

⊗ रमा इन्डस्ट्रीज़ लि0, बुलन्दशहर, रायबरेली रोलर फ्लोर मिल्स, बुलन्दशहर, गोविन्द रोलिंग मिल्स, गोरखपुर और काशी विश्वनाथ स्टील्स, काशीपुर।

(iii) जुलाई 1995 के परिषद के परिपत्र ने 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों को अविरल प्रक्रिया का विकल्प चुनने की अनुमति दी। दर सूची एच वी–2 (विरल) के अधीन 800 के वी ए अनुबन्धित भार वाली एम बी राइस मिल्स रुद्रपुर, को वि वि ख रुद्रपुर द्वारा 13 अक्टूबर 1998 को 1 मई 1998 की परवर्ती तिथि से अविरल प्रक्रिया की (पीक आवर छूट) श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। इस श्रेणी को, नव भारत एक्सपोर्ट, दिल्ली जो 100 प्रतिशत निर्यात इकाई के रुप में पंजीकृत थी द्वारा प्रेषित दिनांक 22 मई 1998 के आवेदन पत्र (खण्ड द्वारा 18 सितम्बर 1998 को प्राप्त किया गया) के आधार पर बदला गया था। विरल से अविरल प्रक्रिया की श्रेणी में परिवर्तन, जिसने उपभोक्ता को, 1 मई 1998 से 17 सितम्बर 1998 की अवधि में पीक आवर प्रतिबन्धों के उल्लंघन के लिए 26.99 लाख रुपये के दण्ड से बचाया, उचित नही था, क्योंकि एम बी राइस मिल्स रुद्रपुर 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई नहीं थी। आगे यह भी देखा गया कि नव भारत एक्सपोर्टस दिल्ली के कोई भी साझीदार चावल मिल में साझीदार नहीं थे, जो उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध से स्पष्ट था।

3अ.5.15 मीटरों की शुद्धता का परीक्षण न किए जाने से राजस्व की हानि

परिषद के कामर्शियल एवं रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 7.1 (स) के अनुसार, उन मामलों में जहां एक उपभोक्ता के परिसर पर मीटर की शुद्धता सन्देहास्पद है, या मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है, चेक मीटर स्थापित किया जाना वांछित है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त के पैरा 5.1 के अनुसार मीटर आवधिक रूप से परीक्षित किए जाने हैं ताकि अशुद्धता का स्तर यदि कोई हो, निर्धारित किया जा सके और आवश्यक निर्धारण किया जा सके।

सिक्योर मीटर्स लि0 उदयपुर द्वारा निर्मित उच्च शुद्धता इलेक्ट्रानिक मीटर 1997–98 एवं 1998–99 में कई उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाए गए जो दर्शाते थे कि पूर्व में विद्यमान मीटर निम्न शुद्धता के थे। इस लिए, विद्यमान मीटरों की शुद्धता की उनके हटाए जाने के पहले, विशेषकर जब उनका परीक्षण निर्धारित अन्तराल पर न किया गया हो, चेक मीटर स्थापित करके, जांच करना आवश्यक था। नमूना जांच में देखे गए 864.77 लाख रुपये की हानि समाहित करने वाले मामले नीचे चर्चित हैं:

सिक्योरमीटरों को प्रारम्भ में ही चेक मीटर के रूप में स्थापना न किए जाने से 6.54 करोड़ रुपये की हानि परिणामित हुई

(i) 11 वि वि ख में 28 बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के परिसर में सिक्योर मीटर की स्थापना के बाद अभिलिखित उपभोग ने दर्शाया कि सिक्योर मीटर में उनकी संस्थापना के बाद अभिलिखित उपभोग की तुलना में अप्रैल 1997 से अक्टूबर 1998 के दौरान पूर्व में विद्यमान मीटरों का उपभोग उनके बदले जाने के ठीक पूर्व तक 8.9 से 64.51 प्रतिशत कम था। तथापि, कोई निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि सिक्योर मीटर प्रारम्भिक रूप

से चेक मीटर के रूप में स्थापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप परिषद, परिशिष्ट–17 में दिए गए विवरणों के अनुसार, 653.58 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रहा।

ऊर्जा के देयकीकरण के लिए अभिलिखित उपभोग को न मानने से 0.19 लाख रुपये का अल्पप्रभारण परिणामित हुआ

(ii) वि वि ख (नगरीय) II, गोरखपुर के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि दर सूची एच वी–1 (इन्डक्सन फर्नेश) के अधीन 3600 के वी ए (जनवरी 1998 के पूर्व 6000 के वी ए) के अनुबन्धित भार वाले जालान कान कास्ट (प्रा0) लि0 गोरखपुर के परिसर पर मई 1998 में संगमों मीटर के स्थान पर लगाए गए सिक्योर मीटर ने कोई उपयोग नहीं दर्शाया। इस कारण इसे डाटाप्रो मीटर से बदल दिया गया। उपभोक्ता डाटाप्रो मीटर में अभिलिखित उपभोग के आधार पर 25 मई से 1 जून 1998 में 0.38 लाख यूनिटों और अगस्त 1998 में 7.81 लाख यूनिटों के लिए देयकीकृत किया गया। तथापि, सितम्बर 1998 में (आपूर्ति जून एवं जुलाई 1998 में विच्छेदित की जा चुकी थी) डाटाप्रों मीटर पर अभिलिखित 27.10 लाख यूनिटों का उपभोग असामान्य माना गया और उपभोक्ता को सितम्बर 1998 में अगस्त 1998 के अभिलिखित उपभोग के आधार पर अर्थात 7.81 लाख यूनिटों के लिए देयकीकृत किया गया। यह सही नहीं था क्योंकि डाटाप्रो मीटर के स्थान पर अक्टूबर 1998 में स्थापित सिक्योर मीटर ने अक्टूबर से दिसम्बर 1998 में 14.18 लाख से 16.70 लाख यूनिटों का मासिक उपभोग अभिलिखित किया जो अगस्त और सितम्बर 1998 के 17.45 लाख यूनिटों के औसत मासिक उपभोग से अच्छी तरह मेल खाता है।

इस प्रकार, सितम्बर 1998 में 27.10 लाख यूनिटों के पाठन को न मानने का खण्डीय अधिकारी का निर्णय उपभोक्ता को 19.29 लाख रुपये के अनुचित लाभ में परिणामित हुआ।

मई 1998 में सिक्योर मीटर की स्थापना के पूर्व अभिलिखित मासिक उपभोग 6000 के वी ए के अनुबन्धित भार के लिए जनवरी से दिसम्बर 1997 में 8.05 लाख से 9.07 लाख यूनिटों, 3600 के वी ए (जनवरी 1998 से घटा भार) के भार के विरुद्ध जनवरी से मई 1998 में 4.74 लाख से 5.69 लाख यूनिटों के बीच बदलता रहा। इस प्रकार, मई 1998 में सिक्योर मीटर की स्थापना के पूर्व उपभोग सिक्योर मीटर में अभिलिखित उपभोग की तुलना में विशेष रुप से निम्न रहा, परन्तु कोई निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि सिक्योर मीटर को प्रारम्भिक रुप से चेक मीटर के रुप में स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, परिषद, अक्टूबर से दिसम्बर 1998 में अभिलिखित 14.99 लाख यूनिट प्रति माह के औसत उपभोग के आधार पर जनवरी से मई 1998 की अवधि के लिए 191.90 लाख के संभावित राजस्व से वंचित रहा।

3अ.5.16 ऊर्जा प्रभारों आदि का अदेयकीकरण/कम देयकीकरण

3.42 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभार एवं अधिभार अदेयकीकृत/कम देयकीकृत थे

लेखापरीक्षा की नमूना जांच में प्रगट हुआ कि निम्न मामलों में सम्बन्धित दर सूची में निर्दिष्ट ऊर्जा प्रभारों एवं अधिभारों आदि की दरों पर सही उपभोग/भार के लिए नियमित रुप से ऊर्जा देयक निर्गत करने में उचित ध्यान नहीं दिया गया जो 2515.44 लाख रुपये के अदेयकीकरण/अल्प देयकीकरण में परिणामित हुआ जैसा नीचे चर्चित है:

विद्युतीकृत गांव एवं हरिजन बस्ती 20.44 करोड़ रुपये के लिए देयकीकपृत नहीं किए गए

(i) परिशिष्ट–18 के विवरणों के अनुसार अप्रैल 1993 से मई 1999 की अवधि से सम्बन्धित कुल 342.05 लाख रुपये के ऊर्जा प्रभार एवं अधिभार नही/कम देयकीकृत किए गये जो 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर 5.13 लाख रुपये की प्रतिमाह के ब्याज की हानि में भी परिणामित हुई।

(ii) सभी विद्युतीकृत गांवों एवं हरिजन बस्तियों में मार्ग प्रकाश के सम्बन्ध में राजस्व का देयकीकरण एवं वसूली मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा केन्द्रीय रूप से प्रत्येक गांव के लिए 40 वाट के 10 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं एवं प्रत्येक बस्ती के लिए 40 वाट के 2 मार्ग प्रकाश बिन्दुओ के आधार पर की जा रही थी। मार्च 1990 में प्रणाली विकेन्द्रीकृत कर दी गयी और यह निर्णीत किया गया कि विद्युतीकृत गांवों एवं हरिजन बस्ती के सम्बन्ध में सभी देय सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से खण्डीय स्तर पर वसूल किए जा सकते है और दोषी इकाइयों को विद्युत सुविधाए नही दी जानी थी।

नमूना जाँच ने दर्शाया कि 13 वि वि ख ने मार्च 1990 के निर्णय को लागू नहीं किया जिसके फलस्वरूप परिशिष्ट–19 में दिए गए खण्डवार विवरण के अनुसार अप्रैल 1990 से मई 1999 की अवधि के लिए 243 लाख रुपये के विद्युत शुल्क को सम्मिलित करते हुए 2044.24 लाख रुपये का देयकीकरण केन्द्रीय अथवा खण्डीय स्तर पर नही किया गया।

आगे, न तो नवम्बर 1985 से मार्च 1990 की अवधि से सम्बन्धित विद्युतीकृत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों की मार्ग प्रकाशों के 1666.82 लाख रुपये के बकाए वसूले गए और न ही अगस्त 1990 से दिसम्बर 1998 तक, अगस्त 1990 से संशोधित दर सूची एल एम वी–3 की शर्तों के अनुसार 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लगाए जाने वाले 2525.23 लाख रुपये के विलम्ब भुगतान अधिभार परिषद द्वारा केन्द्रीय रूप से उपरोक्त बकायों के सम्बन्ध में मांगे गए।

लेखा परीक्षा की प्रेरणा पर 2.01 करोड़ रुपये के बिलों का विलम्बतः निर्गमन हुआ परिणामस्वरूप 0.55 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई

(iii) लेखा परीक्षा की प्रेरणा पर 9 वि वि ख ने 200.89 लाख रुपये के देयक विलम्ब से निर्गत किए जिसमें से अब तक (मई 1999) केवल 71.74 लाख रुपये ही वसूल किए जा सके। ये विलम्बित निर्धारण परिशिष्ट–20 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारण की अवधि से

उस माह जब देयक निर्गत किए गए, की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 54.67 लाख रुपये की ब्याज की हानि में परिणामित हुए।

3अ.5.17 न्यूनतम उपभोग गारन्टी (एम सी जी) की कम देयकीकरण

3 उपभोक्ता 3.17 करोड़ रुपये से कम देयकीकृत किए गए

परिषद का कामर्शियल एवं रेवेन्यू मैनुअल का पैरा 3.22 (iii) प्राविधानित करता है कि यदि सम्भावित उपभोक्ता स्वीकृत भार से कम भार लेना चाहता है, पर अवशेष भार को समर्पित नहीं करना चाहता जिसको वह पश्चातवर्ती तिथि में प्रयोग करना चाहता है, तो ऐसे उपभोक्ता से संयोजन मुक्त करने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र लिया जाना है कि वह ठीक संयोजन की तिथि से सम्पूर्ण स्वीकृत भार के लिए एम सी जी के भुगतान के लिए सहमत है। नमूना जांच में उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन प्रगट हुआ जो 317.16 लाख रुपये के एम सी जी के कम देयकीकरण में परिणामित हुआ जैसा नीचे दी गई तालिका में वर्णित है:

खण्ड का नाम	संविदागत भार सहित उपभोक्ता का नाम	कुल स्वीकृत भार एवं स्वीकृति की तिथि	प्रथम बार अवमुक्त भार एवं अवमुक्ति की तिथि	द्वितीय किश्त में अवमुक्त भार और इसकी अवमुक्ति की तिथि	एम सी जी का देयकीकरण	
					अवधि	राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख–II, झांसी	जय जगदम्बा मैलिएबल्स लि0 (4000 के वी ए)	4000 के वी ए (सितम्बर 1996)	2000 के वी ए (मार्च 1997)	जनवरी 1998 में अवमुक्त करने के लिए तैयार 2000 के वी ए का भार उपभोक्ता द्वारा न तो लिया गया न ही समर्पित किया गया।	फरवरी 1998 से अप्रैल 1999	168.80
वि वि ख–II, झांसी	विकास मेट्राल लि0 (4000 के वी ए)	4000 के वी ए (नवम्बर 1996)	2500 के वी ए (सितम्बर 1997)	दिसम्बर 1997 में अवमुक्ति के लिए तैयार 1500 के वी ए का भार उपभोक्ता द्वारा न लिया गया न समर्पित किया गया।	जनवरी 1998 से अप्रैल 1999	105.60
वि वि ख कसया	जालान एलायज लि0 (5350 के वी ए)	3000 के वी ए का अतिरिक्त भार (मई 1993)	1400 के वी ए (फरवरी 1995)	1600 के वी ए (सितम्बर 1995)	फरवरी से अगस्त 1995	42.76
योग						**317.06**

33 के वी ट्रंक लाइन को टेप करके भार की अनियमित अवमुक्ति उपभोक्ता को 0.63 करोड़ रुपये के अनुचित लाभ में परिणामित हुई

इस सम्बन्ध में यह और देखा गया कि जालान एलायज लि0 को जुलाई 1992 के परिषदादेश जिसमें 33 के वी ट्रंक लाइन की टेपिंग अनुमत नहीं थी, के उल्लंघन में, 33 के वी उपकेन्द्र (छाता) पर 33 के वी ट्रंक लाइन को टेप करके भार अवमुक्त किया गया। यह उपभोक्ता को 63.28 लाख रुपये के अनुचित लाभ में परिणामित हुआ जो कसया से पगरा 14.31 किमी का 33 के वी स्वतन्त्र पोषक (45.78 लाख रुपये) और 33 के वी 'बे' (17.50 लाख रुपये) के निर्माण के लिए उसे भार अवमुक्त करने के लिए, उनके द्वारा भुगतान किया जाता।

3अ.5.18 उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर अप्रभावकारी जांच

परिषद की विजिलेन्स शाखा और अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर की जांच किया जाना वांछित था, परन्तु परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य नहीं निश्चित किए गए थे। परिषद की विजिलेन्स शाखा और विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसरों पर की गई जाँच, इसके साथ प्रस्तावित निर्धारणों एवं उसके विरुद्ध वसूलियों की, 1997–98 तक के पांच वर्षों तक की, स्थिति परिशिष्ट–21 में दी गई है

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि कुल उपभोक्ताओं का केवल 1.04 से 1.27 प्रतिशत के परिसरों की जाँच की गई एवं विजिलेन्स शाखा द्वारा 5903.66 लाख रुपये के निर्धारण के प्रस्ताव खण्डीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। इसके आगे विजिलेन्स/विभागीय मामलों द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध राजस्व का संचित बकाया 1997–98 को समाप्त 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल 3126.24 लाख रुपये हो गया जिसके लिए देयों की वसूली के लिए कोई प्रभावकारी कार्यवाही नही की गई।

3अ.6 राजस्व का संग्रहण एवं लेखांकन

1997–98 तक के विगत पांच वर्षों के राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं बकायों की स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98
1.	वर्ष के प्रारम्भ में ऊर्जा की विक्री के विरुद्ध राजस्व के बकाए	1632.37	2038.23	2488.51	3373.02	4016.29
2.	वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व	2736.86	3301.67	3828.85	3992.17	4793.16

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98
3.	संग्रहण के लिए बाकी कुल राशि	4369.23	5339.90	6316.76	7365.19	8009.45
4.	वर्ष के दौरान संग्रहीत राजस्व	2331.00	2851.39	2944.34	3348.90	3637.93
5.	वर्ष की समाप्ति पर ऊर्जा की विक्री के विरुद्ध राजस्व के बकाए	2038.23	2488.51	3373.02	4016.29	5171.52
6.	संग्रहण के लिए बाकी राजस्व का कुल राजस्व से प्रतिशत	53.35	53.40	46.61	45.47	45.42
7.	माहों के निर्धारण के रुप में बकाया	8.94	9.04	10.57	12.07	12.95

राजस्व के बकाए 1993–94 में 2038.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997–98 में 5171.52 करोड़ रुपये हो गए

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि राजस्व के संग्रहण का प्रतिशत 1993–94 के 53.35 प्रतिशत से 1997–98 में 45.42 प्रतिशत तक गिर गया और राजस्व के बकाए 1993–94 में 2038.23 करोड़ रुपये से, बढ़कर 1997–98 में 5171.52 करोड़ रुपये हो गए जो केवल दो महीनों के निर्धारण तक सीमित उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा के विरुद्ध 8.94 से 12.95 माहों के निर्धारण को दर्शाता है। इस प्रकार परिषद, बकायों के विरुद्ध पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। चालू देयों और पुराने देयों के विरुद्ध संग्रहण के विश्लेषण की अनुपस्थिति में पुराने देयों के संग्रहण के सम्पादन को लेखा परीक्षा में आंका नहीं जा सका।

राजस्व संग्रहण को मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा वि वि ख से प्राप्त मासिक कामर्शियल स्टेटमेन्टस (सी एस–4) के आधार पर केन्दीय रूप से नियंत्रित किया जाता है जो निर्धारण एवं वसूलियों के उच्चतर राशियों एवं अवशेषों के निम्नतर राशियों को प्रदर्शित करता है। ये विवरण, अन्य बातों के साथ, परिषद के 1997–98 के वार्षिक लेखों में दर्शाये गए 1997–98 के अन्त तक के 5171.52 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3737.92 करोड़ रुपये के बकाए दर्शाते थे। 1433.60 करोड़ रुपये के अन्तर के कारण, न तो अभिलेखों में उपलब्ध थे न ही इनका समायोजन/वसूली का नियंत्रण केन्द्रीय स्तर पर किया गया।

3अ.6.1 श्रेणीवार बकाये

चार वर्षों से अधिक के 1436.96 करोड़ रुपये के राजस्व बकाए बाकी थे

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा केन्द्रीय रूप से संकलित आंकड़ों पर आधारित, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणीयों से वसूली योग्य मार्च 1998 के अन्त में 3737.92 करोड़ रुपये के बकायों का आयुवार विश्लेषण परिशिष्ट–22 में दिया गया है।

यह देखा जाएगा कि 1436.96 करोड़ रुपये के बकाए (38.45 प्रतिशत) चार से अधिक वर्षो के लिए बाकी थे परन्तु केवल 77.69 करोड़ रुपये के ऋणों को ही सन्देहास्पद विचार कर परिषद ने मार्च 1998 तक के अपने लेखों में प्राविधानित किया। भारी बकायों का कारण 1994–95 से 1997–98 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध निर्धारण की अपेक्षा निम्नतर वसूली है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी	1994–95 के प्रारम्भ में बकाए	1994–95 से 1997–98 तक का निर्धारण	1994–95 से 1997–98 तक की वसूली	1997–98 के अन्त में बकाया	1994–95 के ऊपर प्रतिशत वृद्धि
सरकारी उपभोक्ता					
जल	404.09	595.36	198.84	800.61	98.13
राजकीय नलकूप /पम्प कैनाल	117.81	1132.24	918.12	331.93	181.75
सार्वजनिक लैम्पस्	77.30	178.87	25.61	230.56	198.27
सरकारी उपभोक्ताओं का योग	**599.20**	**1906.47**	**1142.57**	**1363.10**	**127.49**
गैर सरकारी उपभोक्ता					
बत्ती एवं पंखा (घरेलू एवं वाणिज्यिक)	415.68	4400.47	3478.76	1337.39	221.74
औद्योगिक	288.30	8257.25	7790.68	754.87	161.83
निजी नलकूप	105.11	747.13	675.26	176.98	68.38
अन्य	28.67	1384.90	1307.99	105.68	268.61
गैर सरकारी उपभोक्ता का योग	**837.76**	**14789.75**	**13252.69**	**2374.82**	**183.47**
कुल योग	**1436.96**	**16696.22**	**14395.26**	**3737.92**	**160.13**

बकायों का भारी संचयन इस तथ्य का सूचक है कि परिषद द्वारा बकायों की वसूली के लिए प्रभावकारी प्रयत्न नहीं किए गए, विशेषकर बत्ती एवं पंखा श्रेणी के सम्बन्ध में जहां वृद्धि 222 प्रतिशत थी।

3अ.6.2 उपभोक्ताओं को अनुचित शिथिलता के परिणास्वरूप बकायों का संचयन

लेखा परीक्षा के नमूना जांच में देयों के भुगतान में अनियमित एवं अनुचित शिथिलता, अपर्याप्त प्रतिभूति जमा, विलम्बित और अपूर्ण जारी वसूली प्रमाण–पत्रों, विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने में देरी, अभिलेखों का रख रखाव न होने आदि के मामले प्रगट हुए परिणामतः भारी बकायों का संचयन हुआ जैसा आगे के प्रस्तरों में चर्चित है।

3अ.6.2.1 किश्तों में भुगतान की सुविधा की अनियमित स्वीकृति

68.95 करोड़ रुपये के अवशेष देयों के मामले में किश्तों में भुगतान की सुविधा अनियमित रूप से दी गई

परिषद द्वारा अगस्त 1987 में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किश्तों में भुगतान की सुविधा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार अनुमत की जा सकती है, एक किश्त का भुगतान न करने पर सुविधा स्वतः समाप्त मानी जाएगी और पिछले वर्ष में अनुमत किसी भी किश्त यदि भुगतान न हुआ हो या उपभोक्ता ने कोई भी किश्त भुगतान करने में चूक की हो तो, ऐसी सुविधा नहीं अनुमत की जाएगी। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रगट किया कि बिना यह जांच किए कि उपरोक्त शर्ते पूरी की गई है, 180 मामलों में दिसम्बर 1997 से जुलाई 1998 तक 6894.66 लाख रुपये के अवशेष देयों के 3 से 22 किश्तों में भुगतान की सुविधा अनुमत की गई। उदाहरणात्मक मामले, जहाँ किश्तों की सुविधा परिषद द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार अनुमत की गई और यह भी जहां पहले निर्धारित किश्ते अभी भी देय हैं, परिशिष्ट–23 में दिए गए हैं।

यह देखा जाएगा कि मार्च 1996 से जनवरी 1999 तक किश्तों में भुगतान की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप बकाए में वृद्धि 378.13 लाख रुपये से 1170.06 लाख की हुआ। प्रथम किश्त के भुगतान पर उपभोक्ताओं की अस्थायी रूप से विच्छेदित आपूर्ति, पुनः चालू कर दी गई परन्तु बाद की किश्तों के भुगतान में चूक पर विच्छेदन नहीं किया गया।

3अ6.2.2 आउटस्टेशन चेकों की अनियमित स्वीकृति

आउटस्टेशन चेकों की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को रुपये 8.50 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम 1984 के प्रस्तर 19 (ix) के अनुसार उपभोक्ताओं से खण्ड कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित बैंक पर काटे गए चेकों, जिनका बैंक में प्रस्तुत करने के 7 दिनों में नकदीकरण अपेक्षित है, द्वारा भुगतान स्वीकार किया जा सकता था। नमूना जांच ने प्रगट किया कि वि वि ख चन्दौली ने 627.47 लाख रुपये के उनके वाराणसी आउट स्टेशन बैंक पर काटे गए चेक अप्रैल से दिसम्बर 1998 में 46 उपभोक्ताओं से स्वीकार किए जो चन्दौली स्थित बैंक को प्रस्तुत करने के 9 से 100 दिनों पश्चात् खण्ड के लेखों में क्रेडिट किए गए। आउट स्टेशन चेकों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप बैंक को प्रस्तुत करने की तिथि से नकदीकरण की तिथि तक

(7 दिनों को छोड़ कर) की अवधि का 4.80 लाख रुपये के विलम्ब भुगतान अधिभार को बचाए जाने द्वारा उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ हुआ। इसी प्रकार, वि वि ख, बाराबंकी ने कुल 247.77 लाख रुपये के 17 आउट स्टेशन चेक इंडियन पोलीफाइबर्स लि0 बाराबंकी से मार्च से दिसम्बर 1998 के दौरान स्वीकार किए जिसके लिए विलम्ब भुगतान अधिभार (3.25 लाख रुपये) तथा संग्रहण प्रभार (0.45 लाख रुपये) के रूप में खण्ड द्वारा दिसम्बर 1998 में मांगी गई 3.70 लाख रुपये की राशि का उपभोक्ता द्वारा भुगतान इस आधार पर नहीं किया गया कि खण्ड ने कभी भी आउटस्टेशन चेकों के द्वारा भुगतान स्वीकार करने से मना नहीं किया।

3अ.6.2.3 चेक सुविधा का अनियमित जारी रहना

चेक सुविधा के अनयिमित रूप से जारी रखने के कारण 8.99 करोड़ रुपये के बकाये का संचयन हुआ

प्रस्तर 19(ix) के अनुसार खण्डीय अधिकारी, चेक द्वारा भुगतान की सुविधा उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में वापस लेने का अधिकार रखता है जिनके चेक पहले अनादृत हुये हों। नमूना जांच ने प्रगट किया कि बारम्बार चेकों के अनादृत होने पर भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा वापस नहीं ली गई जो बकायों की वृद्धि मे परिणामित हुआ जैसा कि निम्न उदाहरणात्मक मामलों में उल्लिखित है:

खण्ड का नाम	अनुबंधित भार सहित उपभोक्ताओं का नाम	प्रथम अनादृत चेक की तिथि एवं राशि	बाद के अनादृत चेकों की तिथि एंव राशि	बकाया	
				के अन्त	राशि मे (लाख रुपये में)
वि वि ख काशीपुर	श्याम पल्प ऐन्ड पेपर मिल्स लिमिटेड काशीपुर (2500 के वी ए)	अगस्त 1997 18.07 लाख रुपये	कुल 29.39 लाख रुपये के दिसम्बर 1997 एवं जून 1998 के दो चेक	फरवरी 1999	130.80
वि वि ख–II मेरठ	संगल पेपर लिमिटेड, मवाना मेरठ (2126 के वी ए)	नवम्बर 1997 4.89 लाख रुपये	कुल 32.64 लाख रुपये हेतु नवम्बर एवं दिसम्बर 1997 के दो चेक	दिसम्बर 1997 (विच्छेदित)	93.78
वि वि ख बांदा	परेरहाट स्टील लि0 मूर्का, बांदा (5000 के वी ए एंव 3500/2000 के वी ए)	जुलाई 1998 रु0 5.06 लाख	कुल 249.58 लाख रुपये के जूलाई 1998 से अक्टूबर 1998 के 13 चेक	जनवरी 1999	633.49
वि वि ख महाराजगंज	गीतांजली पेपर मिल्स पुरन्दरपुर महराजगंज(800 के वी ए)	जून 1991 रु0 0.60 लाख	16.12 लाख रुपये के जून 1991 से मार्च 1992 के 37 चेक	अगस्त 1994 (विच्छेदित)	41.32
योग			**327.73**		**899.39**

3अ.6.2.4 देयों के भुगतान के लिए अतिशय अवधि

देयों के भुगतान के लिए अनुमत अतिशय अवधि 0.81 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि में परिणामित हुई

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम 1984 के प्रस्तर 19(vii) के अनुसार विद्युत देयकों के भुगतान हेतु उनके निर्गत होने की तिथि से सात दिन अनुमत किए जाते है। नमूना जांच ने प्रगट किया कि कानपुर का एक उपभोक्ता (डंकन इन्डस्ट्रीज़ लि0) को अप्रैल 1997 से सितम्बर 1997 के दौरान 1160.27 लाख रुपये से 1868.06 लाख रुपये के मासिक देयकों के भुगतान के लिए निर्गम की तिथि से 24 से 29 दिन अनुमत किए गए जिससे 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 75.29 लाख रुपये के ब्याज की हानि (7 दिनों के पश्चात्) हुई।

इसी प्रकार वि वि ख बांदा तथा वि वि ख चन्दौली ने मीटर पाठन की तिथि से देयकों के बनाने में 17 एवं 30 दिन तक लगाए और अप्रैल 1997 से नवम्बर 1998 तक तीन तथा 10 उपभोक्ताओं के क्रमशः 921.03 लाख रुपये एवं 143.29 लाख के कुल देयकों के संदर्भ में 33 और 22 दिन का भुगतान का समय देयकों के जारी करने की तिथि से दिया। देयकों को तैयार करने में 3 दिन एवं उनके भुगतान हेतु 7 दिन की सामान्य अवधि मानते हुए ऊर्जा बीजकों का देरी से निर्गत तथा उनके भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को अनुमत अतिशय अवधि के परिणामस्वरूप, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 6.18 लाख रुपये के ब्याज की हानि में परिणामित हुई।

उपरकथित अतिशय अवधि के परिणामतः उपभोक्ता को विलम्ब भुगतान अधिभार से बचाकर या उनके धन को अतिरिक्त अवधि के लिए उपभोग करने की अनुमति प्रदान कर अनुचित लाभ दिया गया।

3अ.6.2.5 उपभोक्ताओं से अपर्याप्त प्रतिभूति जमा

परिषद के मार्च 1994 के आदेशानुसार उपभोक्ता को संयोजन विमुक्त किए जाने के पूर्व सुसंगत दर सूचियों में प्राविधानित कम से कम दो माह के न्यूनतम प्रभार के बराबर प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा करना वांछित था। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष में दो माहों के औसत ऊर्जा देयकों के स्तर तक अतिरिक्त प्रतिभूति उनके द्वारा जमा की जानी थी। नमूना जांच ने सरकारी तथा गैर सरकारी उपभोक्ताओं से 921.48 लाख रुपये की प्रतिभूति की कम वसूली को प्रगट किया जैसा नीचे चर्चित है:

सरकारी उपभोक्ता

मार्च 1994 का परिषदीय परिपत्र ऐसे सरकारी तथा अर्धसरकारी उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा वसूलने का प्रावधान करता है जो पहले ऐसी प्रतिभूति जमा देने से मुक्त किए गए थे। प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की दर मार्ग प्रकाश, पब्लिक वाटर वर्क्स एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के लिए 1000 रुपये प्रति किलो वाट तथा अन्य सरकारी (विश्व बैंक नलकूप सहित) तथा अर्धसरकारी उपभोक्ताओं के लिए रुपये 300 प्रति बी एच पी थी।

सरकारी उपभोक्ताओं से प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूल न होने के कारण 275.46 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई

10 वि वि ख के अभिलेखों की जाँच में प्रगट किया कि 367.27 लाख रुपये की वांछित प्रारम्भिक प्रतिभूति के विरुद्ध केवल 224.85 लाख रुपये के लिए मांग जारी की गई, लेकिन अब तक (मई 1999), कोई वसूली नही हुई। इस प्रकार, मांग के अपूर्ण निर्गम, साथ ही उपभोक्ता से प्रारम्भिक प्रतिभूति की वसूली नहीं होने के कारण परिषद के देय न केवल असुरक्षित रहे बल्कि अप्रैल 1994 से मार्च 1999 की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से (परिषद द्वारा नकद साख पर देय 18 प्रतिशत में उपभोक्ता को प्रतिभूति जमा पर देय 3 प्रतिशत ब्याज घटाकर) आगणित रु0 275.46 के ब्याज की हानि भी वहन करनी पड़ी जैसा परिशिष्ट–24 के विवरण में दिया गया है।

गैर–सरकारी उपभोक्ता

5.54 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक प्रतिभूति की कम वसूली से 0.83 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज की हानि हुई

नमूना जांच ने प्रगट किया कि 12 वि वि ख में 56 बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ता तथा 14 वि वि ख में 22357 कुटीर ज्योति एवं जनता सर्विस उपभोक्ताओं से रु0 745.74 लाख की वांछित प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा के विरुद्ध 191.53 लाख रुपये की प्रतिभूति दी। 554.21 लाख रुपये की प्रतिभूति की कम वसूली के कारण न केवल 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अन्तरित दर पर 83.13 लाख रुपये प्रतिवर्ष ब्याज की हानि में परिणामित हुई बल्कि उनके विरुद्ध देयों को असुरक्षित बना दिया। नमूना परीक्षित 6 उपभोक्ताओं की अपर्याप्त प्रतिभूति के विरुद्ध बकाया देयों की स्थिति निम्न तालिका में इंगित की गई है।

(लाख रुपये में)

वि वि ख का नाम	अनुबन्धित भार सहित उपभोक्ता का नाम	वांछित प्रारम्भिक प्रतिभूति	जमा की गई प्रतिभूति	बकाया देय
वि वि ख उरई	ओमस्टील ऐण्ड इस्पात उद्योग लि0 उरई (24000 के वी ए)	211.20	20.00	147.81
तदैव	गरिमा फेरों एलायज (6000 के वी ए)	33.00	29.59	131.29
तदैव	बुन्देलखण्ड एलायज (2500 के वी ए)	22.00	10.97	29.57
वि वि ख, बांदा	परेरहाट स्टील लि0 मुर्का, बांदा (5000 के वी ए)	33.00	1.71	410.46
वि वि ख–I झांसी	वैद्यनाथ इन्टर प्राइजेज, झांसी (3000 के वी ए)	13.20	6.60	95.37
वि वि ख, (नगरीय) रामबाग, इलाहाबाद	देवराज इन्डस्ट्रीज़ लि0 नैनी इलाहाबाद (875 के वी ए)	4.38	0.17	68.24
योग		**316.78**	**69.04**	**882.74**

3अ.6.2.6 दोषियों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित न करना

4 माहों एवं उससे अधिक के 188.38 करोड़ रुपये के बकाए वाले 1.75 लाख उपभोक्ता विच्छेदित नहीं किए गए

दो माहों के औसत विद्युत देयकों तक सीमित रहने वाली उपभोक्ता की प्रतिभूति की दृष्टि में, दो माहों के विद्युत देयों के न भुगतान किए जाने के मामले में विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किए जाने योग्य है। लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षित 17 वि वि ख के कम्प्यूटरीकृत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अगस्त/सितम्बर 1998 की कम्प्यूटर रिपोर्ट के आधार पर विच्छेदन/विच्छेदन न किए जाने की समेकित स्थिति परिशिष्ट–25 में दी गई है।

यह देखा जायेगा कि 4 माह एवं अधिक से 18837.63 लाख रुपये बकाया वाले, परन्तु विच्छेदन न किए गए 175435 उपभोक्ता कुल दोषी उपभोक्ताओं (227277) का 77 प्रतिशत थे। समय से आपूर्ति का विच्छेदित न किया जाना भारी बकाए के संचयन में परिणामित हुआ।

दोषी उपभोक्ता का विच्छेदन न करने के परिणामस्वरूप 16.66 करोड़ रुपये की वसूली न कर पाने योग्य बकाया संचित हुआ

इस सम्बन्ध में यह आगे, देखा गया कि हलद्वानी (नैनीताल) का एक उपभोक्ता (नोवा उद्योग), जिसे जनवरी 1993 में रोलिंग मिल के लिए 38000 के वी ए भार का संयोजन विमुक्त किया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम उपभोग गारन्टी के आधार पर जारी मार्च 1993 के 109.83 लाख रुपये तथा मई 1993 के 130.17 लाख रुपये के देयकों मे प्रत्येक के लिए केवल 40 लाख रुपये की भुगतान की अन्तरिम राहत दी गई। तब भी, उपभोक्ता ने न तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान किया और न ही जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1993 के कुल 311.90 लाख रुपये के देयों का भुगतान किया। तथापि, ऊर्जा की आपूर्ति, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के जून 1993 के निर्देशों तथा जून 1994 के उसके अनुस्मारक के बावजूद, विच्छेदित नहीं की गई। आपूर्ति देरी से नवम्बर 1994 में विच्छेदित की गई जब परिषद के देय 1501.92 लाख संचित हो गए, जिसके सम्बन्ध में जनवरी से नवम्बर 1995 के दौरान जारी वसूली प्रमाण–पत्र भी जिला अधिकारी द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिए गये कि उपभोक्ता की सभी चल और अचल सम्पत्तियाँ वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के विरुद्ध हाइपोथिकेटेड/बन्धक थी। इस बीच, देय जनवरी 1995 तक विलम्ब भुगतान अधिभार सम्मिलित करते हुए 1666.02 लाख रुपये तक बढ़ गए जिसकी वसूली की, परिषद के पक्ष में उच्च न्यायालय के दिसम्बर 1997 के निर्णय के बावजूद, दूरस्थ संभावना है। परिषद द्वारा विलम्बित विच्छेदन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

3अ.6.3 वसूली प्रमाण–पत्रों के विरुद्ध कम वसूली

जिला प्राधिकारियों द्वारा 319.66 करोड़ रुपये बकायों की वसूली 1997–98 के अन्त तक लाम्बित थी

वसूली प्रमाण–पत्रों (आर सी) का निर्गमन तथा उनके विरुद्ध वसूलियों की 1997–98 तक के तीन वर्षो की स्थिति अगले पृष्ठ पर सारणी में वर्णित है:

(करोड़ रुपये में)

	1995–96		1996–97		1997–98 धनराशि	
	आर सी की सं0	धनराशि	आर सी की सं0	धनराशि	आर सी की सं0	धनराशि
वर्ष के प्रारम्भ में आदि शेष	141902	282.03	147940	311.80	148009	280.90
जोड़ें निगर्मित आर सी	49097	169.42	34810	105.89	36311	118.67
घटाएं जिला प्राधिकारियों द्वारा वापस की गई आर सी	32686	129.88	24991	127.76	24193	69.96
कुल वसूली योग्य	158313	321.57	157759	289.93	160127	329.61
वसूलियां	10373	9.77	9750	9.03	14156	9.95
अवशेष	147940	311.80	148009	280.90	145971	319.66
वसूली का प्रतिशत		**3.04**		**3.12**		**3.02**

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जाएगा कि:

(i) वसूली प्रमाण–पत्रों, जो अन्तिम उपाय के रूप में जारी किए गए थे, के विरुद्ध वसूली का प्रतिशत 3.02 से 3.12 के बीच काफी कम था। यह इस कारण से है कि बहुत से वसूली प्रमाण पत्र जिला प्राधिकारियों द्वारा इन आधारों, जैसे उपभोक्तओं के नाम व पता गलत/अर्पूण होने, मृतक उपभोक्ता के उत्तराधिकारी अज्ञात और उपभोक्ता की चल/अचल सम्पत्ति न पाये जाने, पर लौटा दिए गए। ये आधार इंगित करते है कि संयोजन विमुक्त करते समय एवं वसूली प्रमाण–पत्र तैयार करते समय उचित ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) 17 वि वि ख के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रगट किया कि उपभोक्तावार आर सी का निर्गमन, आर सी की वापसी, नकद प्राप्ति रसीद के सन्दर्भ में की गई वसूली आदि, को दर्शाने वाले उचित अभिलेख नही रखे गए।

3अ.6.4 राजस्व के संग्रहण/लेखांकन से सम्बन्धित अभिलेखों का अपूर्ण/अनुपयुक्त रख रखाव

17 वि वि ख के अभिलेखों की नमूना जांच ने राजस्व के संग्रहण एवं लेखांकन से सम्बन्धित अभिलेखों का अर्पूण/अनुपयुक्त रख रखाव को प्रगट किया जैसा कि नीचे चर्चित है:

3अ.6.4.1 बैंको में अस्वीकृत धनप्रेषण

बैंक मिलान से कुल रुपये 9.32 करोड़ का अन्तर, बैंको में धन प्रेषण अनादृत चेक, अतिशय डेबिट आदि प्रगट हुआ इसके अतिरिक्त 0.09 करोड़ रुपये का गबन हुआ

बैंक समाधान (बी आर) विवरण को सभी धन प्रेषणों का लेखांकान एवं खण्ड के अभिलेखों तथा बैंक द्वारा दिखाए गए अन्तिम शेषों के बीच अन्तर, यदि कोई है, का मिलान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिमाह तैयार किया जाना वांछित है। यह देखा गया कि 13 वि वि ख में बी आर विवरण न केवल अगस्त 1996 से मार्च 1999 तक बकाया था, बल्कि तैयार किए गए विवरणों ने बैको में अस्वीकृत धन प्रेषण का अनादृत चेको, अतिशय डेविट आदि को प्रतिबिम्बित करने वाले कुल 932.21 लाख रुपये के विशाल अन्तर को प्रगट किया जैसा परिशिष्ट–26 में उल्लिखित है। ये अन्तंर न केवल बिलम्बित लेखांकन के मामले में ब्याज की हानि के कारण बनते है वरन, गबन, राजस्व की हानि की संभावना भी बनी रहती है। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि वि वि ख अमरोहा के सम्बन्ध में नवम्बर 1985 से मार्च 1994 के बी आर विवरण अक्टूबर 1994 में तैयार किए गये जिसने राजस्व खजांची (श्री राकेश कुमार शुक्ला) द्वारा 9.05 लाख रुपये के गबन को प्रगट किया। उन्हें निलम्बित किया गया (अक्टूबर 1994) और आरोप–पत्र दिया गया (अक्टूबर 1995) किन्तु आगे की प्रगति से खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (मई 1999)।

यह और देखा गया कि वि वि ख काशीपुर द्वारा बी आर के न तैयार किए जाने/देर से तैयार किए जाने के कारण खजांची द्वारा एक उपभोक्ता से 2.98 लाख रुपये का प्राप्त जून 1992 का चेक बैंक नहीं भेजा गया और जनवरी 1992 से नवम्बर 1992 के 5 उपभोक्ताओं से कुल 14.99 लाख रुपये के प्राप्त 6 चेक बैंक द्वारा अनादृत किए गये परन्तु खजांची द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को, उपभोक्ताओं के खाते में क्रेडिट की प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए नहीं दिया गया जो कि फरवरी 1998 में जाना जा सका, जब सभी छः उपभोक्ताओं की आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी गई। इस प्रकार, आर सी द्वारा उनकी वसूली की संभावनायें दूरस्थ थी।

3अ.6.4.2 कम्प्यूटर कैश बुक (रिपोर्ट 16) का समाधान न किया जाना

0.68 करोड़ रुपये के अधिक क्रेडिट का मिलान नहीं किया गया

खण्डीय अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर केन्द्रों को भेजे गए वसूल की गई धनराशि को दिखाने वाले उपभोक्तावार स्टब्स के आधार पर कम्प्यूटर खातों में उपभोक्ताओं के लेखे क्रेडिट किए जाते हैं। खण्ड द्वारा एडवाइस की गई और उपभोक्ताओं के खातों में वास्तव में क्रेडिट की गई धनराशि के

उपभोक्ता वार विवरण दर्शाने वाली एक कम्प्यूटर रोकड़ बही (रिपोर्ट 16) प्रतिमाह कम्प्यूटरीकृत खातों के साथ प्राप्त की जाती है। इस लिए खण्डीय रोकड़बही में दिखाई गई वसूली की राशि का मिलान, अधिक/कम क्रेडिट के मामले पता लगाने की दृष्टि से एवं आवश्यक समायोजन करने के लिए आवश्यक है। नमूना जाँच ने कम्प्यूटरीकृत उपभोक्ताओं के खातों में अधिक क्रेडिट के मामले, जिनको सम्बन्धित खण्ड द्वारा समाधान नहीं किया गया, नीचे दिखाया गया है:

(लाख रुपये में)

खण्ड का नाम	अवधि		एडवाइस की गई राशि	क्रेडिट की गई राशि	अधिक क्रेडिट
	से	तक			
वि वि ख धामपुर	जनवरी 1998	मार्च 1999	45.44	65.35	19.91
वि वि ख महराजगंज	जनवरी 1998	अप्रैल 1999	10.97	24.48	13.51
वि वि ख देहरादून (नगरीय/दक्षिण)	अगस्त 1998	जनवरी 1999	56.98	67.16	10.18
वि वि ख कसया (कुशीनगर)	दिसम्बर 1997	——	25.06	25.58	0.52
वि न वि ख–II मुरादाबाद	सितम्बर 1998	——	4.06	7.20	3.14
वि न वि ख– II, गोरखपुर	सितम्बर 1998	नवम्बर 1998	21.21	22.73	1.52
वि वि ख बाराबंकी	जून 1998	अगस्त 1998	6.62	6.82	0.20
वि वि ख रुद्रपुर	नवम्बर 1998 फरवरी 1999	दिसम्बर 1998	21.08	39.84	18.76
योग			**191.42**	**259.16**	**67.74**

67.74 लाख रुपये के अधिक क्रेडिट का मिलान एवं समायोजन न किए जाने के कारण अभिलेख में नहीं थे।

3अ.6.4.3 प्रयुक्त रसीद बुकों का वापस न किया जाना

प्रयोग की गयी 25549 रसीद बुक खण्ड कार्यालय को वापस नहीं की गयी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रसीदों द्वारा वसूली गई सम्पूर्ण धनराशि खण्डीय अभिलेखों में लेखांकित कर ली गई है, सहायक अभियन्ता (राजस्व) तथा खण्डीय लेखापाल (राजस्व) द्वारा उचित जांच किए जाने हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त रसीद बुकों को खण्डीय कार्यालय में वापस किया जाना आवश्यक है। नमूना जांच ने प्रगट किया कि 10 वि वि ख के 138 कर्मचारियों द्वारा मार्च 1993 से दिसम्बर 1998 में प्रयुक्त की गई 25,549 रसीद बुकें मार्च 1999 तक सम्बन्धित

खण्डीय कार्यालयों को वापस नहीं की गई। दो वि वि ख चन्दौली तथा बांदा ने खाली रसीद बुकों के जारी करने के उचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया। उचित अभिलेखों तथा उचित जांच के अभाव में राजस्व के लेखांकन न किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3अ.6.4.4 उपभोक्ता खातों का रख रखाव न होना

वि वि ख चन्दौली में बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 1998–99 के लिए उपभोक्ता लेजर में प्रविष्टियां नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप ऐसे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में निर्धारण के आधार पर अवशेषों एवं वसूलियों को प्रतिमाह अभिलिखित नहीं किया गया फलतः ऐसे उपभोक्ताओं के खातों में गड़बडी किए जाने की सम्भावना थी क्योंकि मासिक विद्युत देयक वसूली एवं अवशेषों की स्थिति कभी नहीं इंगित करते थे।

इन प्रकरणों को परिषद और सरकार को सूचित किया गया था (जुलाई 1999); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में राजस्व की दर सूची, देयकीकरण तथा संग्रहण की नमूना जांच ने निम्न कमियों को प्रगट किया:

(i) दर सूची में रियायतें/छूट, राजस्व के बकायों और विलम्ब भुगतान प्रभार की माफी, निजी नलकूपों को लागू दर सूची में कमी की अनुमति सरकार द्वारा, इन सब के पहल पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के की गई;

(ii) देरी से और/अथवा गलत मीटर रीडिंग, न्यूनतर खपत/भार के लिए देयकों का निर्गमन, दर सूची का गलत प्रयोग, अग्राहय रियायतों/छूटों की अनुमति और मीटर में दोषों के कारण निर्धारण न किए जाने/अल्पनिर्धारण तथा ऊर्जा की चोरी के परिणामस्वरूप राजस्व की भारी हानियां हुई;

(iii) मीटरिंग संयन्त्र तथा संयोजित भार आदि नियमित अन्तरालों पर जाँचे नहीं गए। पोषकवार ऊर्जा लेखे तैयार नहीं किए गए;

(iv) किश्तों में भुगतान की सुविधा की अनियमित स्वीकृति, पूर्व के चेकों के अनादरण के बावजूद चेक सुविधा का अनियमित रूप से जारी रहना, अपर्याप्त प्रतिभूति जमा, भुगतान न करने वालों की ऊर्जा आपूर्ति विच्छेदित न किया जाना तथा गलत/अपूर्ण वसूली

प्रमाण–पत्रों का बनाना जो राजस्व के भारी बकायों के संचयन के लिए उत्तरदायी, प्रमुख कारक थे; और

(अ) प्रतिमाह बैंक लेखें का मिलान न करने से न केवल बैंकों में पर्याप्त धनराशि अवरुद्ध रही बल्कि गबन तथा हानियां भी हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वित्तीय प्रभाव था कि परिषद को 358.84 करोड़ रुपये (ब्याज की हानि को सम्मिलित करते हुए) के सम्भावित राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा दर सूची के संशोधन को अनुमोदित न करने के कारण 1993–94 में 480.48 करोड़ रुपये के राजस्व से परिषद वंचित रहा।

परिषद, जो भारी हानियां वहन कर रही है, की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उत्पादन लागत के अनुरूप दर सूची का संशोधन समय से होना चाहिए। आगे राजस्व के असाधारण नुकसान को देखते हुए, चोरी/सेंधमारी को रोकने की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही के साथ ही साथ परिषद के निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार शीघ्र और सही निर्धारण एवं संग्रहण की आवश्यकता है।

अध्याय–3 ब

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	3ब.1	86
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3ब.2	86
राज्य की सातवीं ऊर्जा विकास योजना	3ब.3	87
भौतिक परिलब्धि	3ब.4	88
वित्तीय परिलब्धि	3ब.5	91
उत्पादन योजना का निष्पादन एवं परिलब्धि	3ब.6	93
लघु/अति लघु जल विद्युत योजना	3ब.7	99
नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनायें	3ब.8	100
पारेषण एवं वितरण प्रणाली	3ब.9	100
द्वितीयक पारेषण एवं वितरण प्रणाली	3ब.10	102
पारेषण एवं विद्युत हानियाँ	3ब.11	103
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	3ब.12	104

3ब

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि

मुख्य अंश

कम लागत पर पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ऊर्जा के विकास के लिए 3440 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया।

(प्रस्तर 3ब.1 एवं 3ब.3)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि के 1638 मेगा वाट के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 1365.5 मेगा वाट रही जो 83 प्रतिशत की उपलब्धि दिखाती थी।

(प्रस्तर 3ब.4.2)

तापीय संयंत्रों में निर्धारित प्लांट लोड फैक्टर के न प्राप्त करने से 18806 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 1203.58 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3.ब.4.3)

परिषद, योजना अवधि के दौरान 2674.79 करोड़ रुपये के लागत की वसूली नही कर पाई क्योंकि प्रति इकाई ऊर्जा आपूर्ति की दर सदैव उच्चतर रही जिसका मुख्य कारण कोयले की मानक से अधिक खपत, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा स्थापना व्यय पर अधिक व्यय था।

(प्रस्तर 3ब.5.1 एवं 3ब.5.2)

सातवीं योजना के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के चालू करने में अत्याधिक विलम्ब के कारण कुल 44036.25 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 2791.89 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3ब.6.1)

आनपारा 'स' के लिए सृजित सामान्य सुविधाओं/कोल हैंडलिंग प्लॉट, वाटर ट्रींटमेट प्लांट आदि अवस्थापनों पर, परिषद द्वारा किया गया कुल व्यय 222.18 करोड़ रुपये अवरुद्धरहा क्योंकि शासन ने परियोजना की रूपात्मकता तय नहीं की।

(प्रस्तर 3ब.6.1 2(स))

पाँच लघु/अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने में 21 से 94 महीने तक अधिक समय लगने के कारण 615.7 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 39.41 करोड़ रुपये था तथा तीन लघु/अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर 21.93 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि वे मई 1999 तक पूर्ण नहीं की जा सकी थीं।

(प्रस्तर 3ब.7)

3ब.1 प्रस्तावना

भारत सरकार की ऊर्जा नीति और ऊर्जा विकास योजनाओं का उद्‌देश्य, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और न्यूनतम लागत पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हैं। इस को प्राप्त करने के लिए, केन्द्र सरकार नीतिगत निर्णय सूत्रबद्ध एवं प्रशासित करती है, ऊर्जा आपूर्ति हेतु अधिनियम/नियम बनाती है, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के लिए योजनाएँ अनुमोदित करती है और उनके विरुद्ध निवेश का स्तर अनुमोदित करती है और राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा परियोजना के कियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करती है।

3ब.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

इस समीक्षा में, जो फरवरी से मई 1999 तक की अवधि में की गयी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) और राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उ प्र वि उ नि) और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (उ प्र ज वि नि) की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भौतिक/वित्तीय परिलब्धियाँ तथा उन परियोजनाओं की प्रगति जो पूर्व की योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित की गई थीं परन्तु वे सातवीं योजना के दौरान कियान्वयित की जा सकीं, को समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कार्यकलाप, जो सातवीं योजना में परियोजित थे परन्तु आठवीं या नवीं योजना तक चलते रहे, को भी समीक्षित किया गया है।

3ब.3 राज्य की सातवीं ऊर्जा विकास योजना

योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्रों के विकास के लिए 3440 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया

राज्य की सातवीं योजना में ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति पर प्रस्तावित 5008.15 करोड़ रुपये के व्यय में से 3440 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति, भारत सरकार के योजना आयोग ने दी जो राज्य के 11000 करोड़ रुपये के कुल योजना व्यय का 31.3 प्रतिशत था। सातवीं योजना विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में लक्ष्य एवं उपलब्धियों का सार निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	भौतिक		वित्तीय (करोड़ रुपये में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	**उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी**				
	(i) ताप विद्युत (मेगा वाट)	1490	1365.50⊗⊗	2167.75	1744.3
	(ii) जल विद्युत (मेगा वाट)	148	शून्य		
2.	**पारेषण प्रणाली**				
	(i) पारेषण लाइन (स कि मी)*	5146	2196		
	(ii) परिवर्तन क्षमता में वृद्धि(एम वी ए)	4756	3705	987.72	747.35
3.	**वितरण प्रणाली**				
	(i) वितरण लाइन (स कि मी)	8000	25383		
	(ii) क्षमता में वृद्धि (एम वी ए)	3300	2436		
4.	**ग्रामीण विद्युतीकरण**				
	(i) ग्रामों का विद्युतीकरण (संख्या)	25170	17283		
	(ii) पी टी डब्लू/पी एस का उर्जीकरण (संख्या)	247950	121853	284.53	405.40
	(iii) हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण (संख्या)	24300	18612		
5.	**प्लांट लोड फैक्टर**				
	तापीय				
	(i) पुराने संयत्र (%)	57.07	6.9 से 67.2	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) नये संयत्र (%)	61.07	49.1 से 71.7	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**आनुशंगिक उपभोग (%)**	10	11 से 13.61	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	**पारेषण एवं वितरण हानियाँ (%)**	18	20.57 से 26.82	लागू नहीं	लागू नहीं
				3440.00	**2897.08**

⊗⊗ छोटे ताप विद्युत केन्द्रों की डीरेटेड क्षमता को समायोजित करने के बाद

* स कि मी=सर्किट किलोमीटर

योजना में निम्न क्षेंत्रों पर विशेष बल था:

(i) औद्योगिक क्षेत्र में 12 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर, 2.48 लाख निजी ट्यूबवेलों (पी टी डब्ल्यू), पम्पिग सेट (पी एस) के ऊर्जीकरण और 25170 ग्रामों के विद्युतीकरण के आधार पर 5251 मेगा वाट की शीर्ष माँग एवं 25053 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता सातवीं योजना के अन्त तक अनुमानित की गयी थी।

(ii) वर्तमान जलीय/तापीय ऊर्जा केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के उपरान्त उनका अधिक से अधिक उपयोग कर, अधिकतम उत्पादन करना,

(iii) पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं नवीकरण करके विद्युत हानि को कम करना तथा उत्पादन कार्यक्रम के साथ रहना तथा उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाना, और

(iv) सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के अधिक लाभ के लिए अति लघु जल विद्युत क्षमता का सृजन करना।

परिषद, उ प्र रा वि उ नि एवं उ प्र ज वि नि द्वारा प्राप्त की गयी भौतिक एवं वित्तीय परिलब्धि की, ऊर्जा क्षेत्र के विस्तृत मानकों के आधार पर नीचे चर्चा की गई है:

3ब.4 भौतिक परिलब्धि

3ब.4.1 ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति

वर्ष 1989–90 के अन्त तक, राज्य की अनुमानित 25053 मि यू ऊर्जा की माँग के विरुद्ध 111 मि यू के आधिक्य सहित 25164 मि यू, की आवश्यकता का अनुमान परिषद द्वारा किया गया था। फिर भी, ऊर्जा की वास्तविक उपलब्धता 1989–90 के अन्त तक, 18111 मि यू रही जो अनुमानित 111 मि यू के आधिक्य के स्थान पर 6942 मि यू कम रही।

3ब.4.2 क्षमता मिश्रण एवं क्षमता वृद्धि

राज्य की कुल संस्थापित क्षमता, जो छठी योजना के अन्त में 4120.85 मेगा वाट से बढ़कर सातवीं योजना के अन्त में 5486.35 मेगा वाट हो गयी। कुल क्षमता में से 92.36 तथा 7.64 प्रतिशत का स्वामित्व क्रमशः उ प्र रा वि प और उ रा वि उ नि का था।

(अ) जल विद्युत क्षमता एवं पर जल विद्युत उत्पादन की कम लागत की दृष्टि से, इसके अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल होने से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ताप एवम् जल विद्युत उत्पादन में 60.40 का आदर्श मिश्रण निश्चित किया। तथापि, परिषद ने योजना अवधि में 73.27 का मिश्रण निर्धारित किया, जिसको भी प्राप्त नही किया गया जो सातवीं योजना में निर्धारित 148 मेगा वाट नये जल विद्युत क्षमता की प्राप्ति न होने के कारण था।

लक्षित ऊर्जा क्षमता वृद्वि की प्राप्ति 83 प्रतिशत थी।

(ब) 1638 मेगा वाट (148 मेगा वाट जल विद्युत और 1490 मेगा वाट ताप विद्युत) के लक्षित वृद्धि के विरुद्ध, सातवीं योजना के अन्त में वास्तविक वृद्धि केवल ताप विद्युत क्षेत्र में 1365.5 मेगा वाट रही जो 83 प्रतिशत (उ प्र रा वि उ नि की 420 मेगा वाट की वृद्धि को सम्मिलित करते हुए) की उपलब्धि को प्रदर्शित करती है।

3ब.4.3 संयत्र की उपलब्धता और क्षमता उपयोग

निर्धारित पी एल एफ नहीं प्राप्त किया जा सका।

योजना में जल विद्युत संयंत्रों के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पी एल एफ) का निर्धारण नहीं किया गया था क्योंकि ये जल विज्ञान और शीर्ष (जल का ऊँचाई से गिरना) पर परिवतर्नीय होता है। तथापि, ताप विद्युत संयंत्रों के मामले में यह 200 मेगा वाट से कम के विद्यमान संयंत्रों के लिए 57.07 प्रतिशत और 200 मेगा वाट या उससे अधिक के संयंत्रों के लिए 61.07 प्रतिशत लक्षित थी। नये ताप गृहों के लिए पी एल एफ, प्रथम वर्ष से चौथे वर्ष के कार्य के दौरान क्रमशः 28.53, 45.66, 57.07 और 61.07 प्रतिशत लक्षित था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पुराने और नये ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित पी एल एफ 57.07 से 61.07 प्रतिशत के विरुद्ध वास्तविक पी एल एफ 6.9 से 71.7 प्रतिशत के बीच रहा, परिणामतः 1203.58 करोड़ रुपये मूल्य की 18806 मि यू उत्पादन की हानि, योजना अवधि में हुई जैसा कि परिशिष्ट–27 में दर्शाया गया है।

3ब.4.4. आनुशंगिक उपभोग, ऊर्जा क्रय, पारेषण एवं वितरण हानियाँ

सातवीं योजना के दौरान, सकल उत्पादन, आनुशंगिक उपभोग, ऊर्जा क्रय,पारेषण एवं वितरण (टी ऐन्ड डी) हानियाँ, विक्रय की गई ऊर्जा एवं ऊर्जा विक्रय की औसत दर, जो कि साररूप में परिशिष्ट–28 में दिखाये गये हैं, निम्न तथ्यों को उजागर करते है:

आनुशंगिक खपत, परिषद द्वारा निर्धारित स्तर पार कर गया

(i) ताप विद्युत केन्द्रों (टी पी एस) में आनुशंगिक उपभोग के लिए 9.5 प्रतिशत के सी ई ए के मानक के विरुद्ध, परिषद ने इसे सातवीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत निर्धारित किया। तथापि, वास्तविक आनुशंगिक उपभोग का प्रतिशत 11.00 से 13.61 प्रतिशत के मध्य रहा

जिससे 64 पैसे प्रति इकाई की औसत दर पर 55.80 करोड़ रुपये मूल्य की 871.90 मि यू विक्रय के लिए कम उपलब्ध रही।

(ii) योजना अवधि के दौरान वास्तविक ऊर्जा क्रय, निर्धारित मात्र से 1833 मि यू अधिक रही जिससे 9.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

टी ऐण्ड डी हानियाँ लक्ष्य से अधिक रहीं

(iii) 15 प्रतिशत टी ऐन्ड डी हानियों के सी ई ए मानक के विरुद्ध, सातवीं येाजना में टी ऐण्ड डी हानियाँ प्रथम वर्ष (1985–86) में 18.5 प्रतिशत और आगे के वर्षो में 18 प्रतिशत निर्धारित की गई। तथापि, योजना अवधि के दौरान वास्तविक हानियाँ 20.57 से 26.82 प्रतिशत के मध्य रहीं। इसके कारण निर्धारित हानियों के अतिरिक्त 407.29 करोड़ रुपये के मूल्य की 6364 मि यू विक्रय के लिए ऊर्जा कम उपलब्ध हुई। अत्यधिक टी ऐण्ड डी हानियों के कारणों की चर्चा प्रस्तर 3ब.11 में आगे की गई है।

(iv) 92007 मि यू के निर्धारित के विक्रय के विरुद्ध योजना अवधि के दौरान 74226 मि यू विद्युत का विक्रय हुआ जो 17781 मि यू की कमी को दर्शाता था।

3ब.4.5 उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग–वार विक्रय का विस्तृत विवरण

ऊर्जा विक्रय में वार्षिक उन्नति 12.46 प्रतिशत रहीं

सातवीं योजना के दौरान, विद्युत विक्रय वर्ष 1984–85 में 11159 मि यू से बढ़कर 1989–90 में 18111 मि यू हो गया जो कि 12.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर प्रदर्शित करता है। परिषद द्वारा 1985–86 से 1989–90 तक के कुल विक्रय में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विक्रय की गई ऊर्जा के प्रतिशत, का विवरण परिशिष्ट–29 में दिया गया है।

यह पाया गया किः

(i) कृषि/सिंचाई क्षेत्र को 32 प्रतिशत अनुमानित विक्रय के विरुद्ध, योजना अवधि में वास्तविक विक्रय प्रतिशत 31.32 से 40.53 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रहा; और

(ii) औद्योगिक उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय का प्रतिशत 1985–86 में 37.64 प्रतिशत से घटकर 1989–90 में 31.95 प्रतिशत हो गया। यह इंगित करता था कि औद्योगिक माँग में निर्धारित 12 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त नही की जा सकी।

3ब.4.6 प्रति व्यक्ति खपत

प्रति व्यक्ति खपत उत्तरी एवं राष्ट्रीय औसत खपत से कम थी

1985–86 से 1989–90 के दौरान, राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 118 से 159 यूनिट तक रही।

यह उत्तरी क्षेत्र और राष्ट्रीय औसत, जो सातवीं योजना अवधि के दौरान क्रमशः 173 से 241 और 178 से 236 यूनिट, से अत्याधिक कम थी।

3ब.4.7 ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामों, हरिजन बस्तियों और पीटीडब्ल्यू/पीएस के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका

1981 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 112566 ग्रामों में से 1984–85 तक (छठी योजना के समाप्ति तक) केवल 63075 ग्रामों (56 प्रतिशत) को विद्युतीकृत किया गया था। सातवीं योजना के दौरान निर्धारित 25170 ग्रामों 24300 हरिजन बस्तियों और 247950 पी टी डब्ल्यू/पी एस के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 17283 ग्रामों, 18612 हरिजन बस्तियों और 121853 पी टी डब्ल्यू/पी एस का विद्युतीकरण/ऊर्जाकरण किया गया जो क्रमशः 68.3, 76.6 और 49.1 प्रतिशत की उपलब्धि को पंजीकृत करते थे। आर ई योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों, कमियों और त्रुटियों की चर्चा आगे प्रस्तर 3ब.12 में की गई है।

3ब.5 वित्तीय परिलब्धि

सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान राज्य विद्युत परिषद एवं अन्य ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत उपक्रमों की परिलब्धियाँ आगे के अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चित हैं:

3ब.5.1 आपूर्ति की उच्चतर इकाई लागत

सातवीं योजना के अवधि के दौरान विक्रय की औसत लागत 89.43 यूनिट से 119.37 पैसे प्रति यूनिट के बीच थी जो औसत राजस्व प्रति यूनिट (54.70 से 71.47 पैसे प्रति यूनिट) से सदैव अधिक रही। इस प्रकार, लागत के न वसूल होने से मार्च 1990 तक के पाँच वर्षो की अवधि के दौरान 74226 मि यू के विक्रय पर 2674.79 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।

3ब.5.2 लागत के संघटकों का विश्लेषण

कोयले की खपत अनुमान से अधिक हुई

(i) प्रति यूनिट उत्पादित ऊर्जा के लिए कोयले की खपत 0.78 से 0.84 कि ग्रा के मध्य थी जो 0.77 से 079 किग्रा. प्रति यूनिट की अनुमानित खपत से काफी अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप योजना अवधि में 56461 मि यू के उत्पादन पर 179.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) सातवीं योजना अवधि के दौरान, परिचालन एवं अनुरक्षण और स्थापना एवं प्रशासन पर व्यय, उन पर अनुमानित व्यय से 477.57 करोड़ रुपये अधिक (86.94 प्रतिशत) रहा। परिषद द्वारा योजना अवधि के दौरान खर्चो को न तो अनुमानित व्ययों की सीमा में रखा जा सका और न ही गैर अनुपातिक वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया गया।

3ब.5.3 औसत दर सूची एवं राजस्व वसूली

ऊर्जा विक्रय की औसत दर सूची, प्रक्षेपित लागत से अधिक थी

1985–86 से 1989–90 तक की सातवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रति यूनिट प्रक्षेपित मूल्य 52.31 पैसे के विरुद्ध विद्युत विक्रय की कुल औसत शुल्क दर 54.07, 62.10 65.53, 67.55 और 71.47 पैसे प्रति इकाई थी जैसा परिशिष्ट–30 में दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

(क) कृषि एवं घरेलू ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत दर, वाणिज्यिक, औद्योगिक और रेलवे कर्षण उपभोक्ताओं की तुलना में, इन श्रेणियों के दिये गये उपदान के कारण कम थी।

(ख) जबकि कुल औसत विक्रय प्राप्तियाँ, 1985–86 में 54.07 पैसे से बढ़कर 1989–90 में 71..47 पैसे प्रति यूनिट हो गयी, कृषि एवं अन्य प्रदेशों को आपूर्ति की प्रति यूनिट विक्रय की औसत प्राप्तियाँ अत्याधिक घट गई (कृषि में 28.04 से 22.42 पैसे प्रति यूनिट और अन्य प्रदेशों की आपूर्ति 1987–88 में 61.89 पैसे से 1988–89 में 13.60 पैसे प्रति यूनिट)।

3ब.5.4 वाणिज्यिक लाभ/हानि

31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो की अवधि के लिये परिषद के लाभ/हानि, उपदान एवं ऋणों पर देय ब्याज का सार निम्न तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
लाभ (+)/हानि (-)उपदान तथा संस्थागत लेनदारों के ब्याज को लेखाँकित किये बिना	(-) 98.82	(-) 80.72	(-) 123.88	(-) 233.67	(-) 377.12
सरकारी ऋण पर ब्याज की देयता	226.46	262.50	275.75	295.64	326.21
सरकारी ऋण पर ब्याज के बाद लाभ/हानि	(-) 325.28	(-) 343.22	(-) 399.63	(-) 529.31	(-) 703.33
प्राप्य उपदान	254.90	283.90	424.70	439.30	549.05
उपदान के लेखाँकन के बाद लाभ/हानि	(-) 70.38	(-) 59.32	25.07	(-) 90.01	(-) 154.28

उपरोक्त से दृष्टिगत होगा कि सातवीं योजना की अविध में, ह्रास/ब्याज एवं उपदान को लेखाँकित करने के उपरान्त परिषद द्वारा उठायी गयी निवल हानि 1985–86 में 70.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989–90 में 154.28 करोड़ रुपये की हो गयी और कुल हानि 348.92 करोड़ रुपये की थी।

3ब.5.5 प्रतिलाभ की दर

अधिनियम में आर ओ आर प्राविधानित 3 प्रतिशत के विरुद्ध, 1987–88 (1.17 प्रतिशत) को छोड़कर, नकारात्मक रही

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रावधानित पूँजीगत आधार* पर निर्धारित 3 प्रतिशत प्रतिलाभ की न्यूनतम दर के विरुद्ध, वास्तविक उपदान को लेखाँकित करने के पश्चात् प्रतिलाभ की दर, वर्ष 1987–88 के 1.17 प्रतिशत को छोड़कर, नकारात्मक थी। परिषद ने 3 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए दर सूची को समायोजित करने की कार्यवाही करने के बजाय, नकारात्मक प्रतिलाभ को योजना अवधि में बनाये रखा (1987–88 को छोड़कर) जिससे 348.92 करोड़ रुपये की कुल निवल हानि हुई।

3ब.5.6 अतिरिक्त संसाधनों का सृजन (ए आर एम)

दर सूची के पुनरीक्षण द्वारा, अनुमानित 1910.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों के सृजन के विरुद्ध, सातवीं योजना अवधि में वास्तविक सृजन 877.44 करोड़ रुपये ही हुआ जो 54.10 प्रतिशत कम था, जो कि योजना अवधि में दर सूची का पुनरीक्षण न करना था।

3ब.5.7 बकाया राजस्व और बकाया देय

सातवीं योजना की समाप्ति तक, विभिन्न उपभोक्ताओं के विरुद्ध परिषद का कुल 651.13 करोड़ रुपये राजस्व बकाया था। यह बकाया वार्षिक टर्नओवर का 49.70 प्रतिशत आगणित किया गया और निरूद्ध राशि परिषद के 6 महीने के राजस्व के बराबर थी।

योजना अवधि के अन्त तक राजस्व बकाया वार्षिक टर्नओवर का कुल 49.70 प्रतिशत था

3ब.6 उत्पादन योजना का निष्पादन एवं परिलब्धि

नीचे दी गई तालिका में, चल रही उत्पादन योजनाओं के संबंध में संस्थापित क्षमता, मूल/ पुनरीक्षित लागत, अनुसूचित/वास्तविक चालू होने की तिथि और प्रस्तावित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन जिनका लाभ सातवीं योजना के दौरान अथवा सातवीं योजना के बाद मिलना था, दर्शाया गया है:

परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगा वाट)	लागत (करोड़ रुपये में)			चालू होने की अनुसूचित तिथि	चालू होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)	निर्दिष्ठ उत्पादन (मि यू)
ताप विद्युत		मूल	पुनरीक्षित	वास्तविक				
आनपारा 'अ'	210	227.19	721.02	721.02	जून 1982	जून 1987	55	
	210				दिसम्बर 1982	अगस्त 1987	56	3150
	210				जून 1983	अप्रैल 1989	70	

* पूँजीगत आधार, वर्ष के प्रारम्भ में सेवायोग्य स्थायी सम्पत्तियों के मूल्य संचित ह्रास और सेवा लाइनों के लिए उपभोक्ताओं के अंशदान को घटाने के बाद) का प्रतिनिधित्व करता है।

परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगा वाट)	लागत (करोड़ रुपये में)			चालू होने की अनुसूचित तिथि	चालू होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)	निर्दिष्ठ उत्पादन (मि यू)
ताप विद्युत		**मूल**	**पुनरीक्षित**	**वास्तविक**				
टाण्डा	110 110 110 110	159.25	475.91	490.77	मार्च 1985 मार्च 1985 मार्च 1985 मार्च 1985	मार्च 1988 मार्च 1989 मार्च 1990 फरवरी1998	36 48 60 160	2350
ऊँचाहार	210 210	193.05	522.67	656.99	सितम्बर 1986 मार्च 1987	अगस्त 1989 जून 1990	35 39	2100
आनपारा 'ब'	500 500	416.10	4100.00	3601.85	मार्च 1993 दिसम्बर 1993	मार्च 1994 सितम्बर 1994	12 09	5000
उप–योग		**995.59**	**5819.60**	**5470.63**				
जल विद्युत								
लख्वार व्यासी	3X100 2X60	140.97	1446.00	233.13 (मार्च 1999)	1991.92	...	..	852
टेहरी बाँध	4X250	अनुपलब्ध	1065.86	अनुपलब्ध	1992.93	...	..	3091
विष्णु प्रयाग	4X120	17.04	345.95	60.19 (मार्च 1996)	1993.94	..	..	2349 अक्टूबर 1992 में निजीकृत
मनेरी भाली (चरण II)	76 76 76 76	43.32	825.67	157.00 (मार्च 1999)	मार्च 1989 जून 1989 सितम्बर, 1989 दिसम्बर, 1989	..	..	1327 अक्टूबर 1994 में निजीकरण के लिए प्रस्तावित
खारा	3 X 42	अनुपलब्ध	110.70	अनुपलब्ध	1988.89	1991.92	24	385
उप–योग		**201.33**	**3794.18**	**450.32**				
नवीकरण एवं आधुनिकी करण								
हरदुआगंज (एच टी पी एस)	..	63.95	82.95	अनुपलब्ध	मई 1988	मई 1991	36	..
पनकी (पी टी पी एस)	..	37.03	44.66	अनुपलब्ध	मई 1988	मई 1991	36	..
ओबरा (ओ टी पी एस)	..	45.95	67.70	अनुपलब्ध	मई 1988	मई 1991	36	..
उप–योग		**146.93**	**195.31**	अनुपलब्ध				

उपरोक्त योजनाओं में से, आनपारा 'अ', टाँडा (110मेगा वाट की तीन ईकाईयाँ) ऊँचाहार और खारा जल विद्युत परियोजना के लाभ सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त होने थे जबकि आनपारा 'ब', लखवार व्यासी, टेहरी, विष्णु प्रयाग, मनेरी भाली चरण II सातवीं योजना अवधि के बाद पूर्ण होने के लिए अनुसूचित थे। इसके अतिरिक्त, दो नई परियोजनायें, यथा श्रीनगर संयुक्त (6 X 55 मेगा वाट) और ऊँचाहार विस्तार टी पी पी (2 X 210 मेगा वाट उ प्र रा वि उ नि द्वारा निष्पादित हो रही) को सातवीं योजना में शुरू किया गया था जो अनुसूचित रूप से आठवीं योजना के दौरान पूर्ण होनी थी। लखवार व्यासी, विष्णु प्रयाग, मनेरी भाली चरण II और श्रीनगर संयुक्त योजना पर सातवीं योजना में या उसके बाद पूर्ण होने वाली जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यो पर सितम्बर 1997 तक 578.09 करोड़ रुपये का व्यय करने के बाद बन्द कर दी गयी। इन परियोजनाओं (मनेरी भाली चरण II तथा लखवार व्यासी को छोड़कर) का निजीकरण अक्टूबर 1992 से अक्टूबर 1994 के बीच कर दिया गया जैसा कि मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के 3 अ और 3 ब में उल्लिखित किया गया है। ऊँचाहार टी पी पी विस्तार (2 X 210 मेगा वाट) का कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि ऊचाँहार टी पी पी को फरवरी 1992 में एन टी पी सी को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

3ब.6.1 समय एवं लागत में वृद्धि

परियोजनाओं को पूर्ण होने में अधिक समय लगने से 4475.04 करोड़ रुपये लागत वृद्वि हुई

पिछले प्रस्तर में दी गयी तालिका से यह स्पष्ट होगा कि योजना के निष्पादन में 9 माह से 160 माह तक का अधिक समय लगा जिससे परिषद/अन्य अभिकरणों द्वारा निष्पादित/आरम्भ की गयी ताप विद्युत उत्पादन योजनाओं में 4475.04 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई। जबकि आनपारा एवं टाँडा ताप विद्युत परियोजना में लगे अधिक समय एवं लागत वृद्धि के विस्तृत कारणों की चर्चा 31 मार्च 1995 और 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्षो के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के अध्याय 3 अ में सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षाओं में की गई थी, अन्य परियोजनाओं में समय वृद्धि के मुख्य कारण थे (i) संरचनाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब (ऊँचाहार), (ii) संविदा प्रदान करने में विलम्ब, (iii) कार्य निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय में कमी और (iv) निधियों की कमी (आनपारा 'ब')।

विलम्ब से चालू होने के कारण कुल 2791.89 करोड़ रुपये की उत्पादन की हानि हुई

सातवीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के आरम्भ होने में असामान्य विलम्ब के कारण 2791.89 करोड़ रुपये के मूल्य की 44036.25 मि यू उत्पादन की कुल हानि हुई।

योजनाओं के कियान्वयन में अधिक लागत के कारण थे: (i) समय वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि (ii) कार्य की मात्रा में वृद्धि और नये/अतिरिक्त मदों आदि को शामिल कर लेना आदि। योजनाओं के कार्यो के निष्पादन मे विलम्ब, अतिशय और परिहार्य व्यय के मामले जो लेखा परीक्षा में संज्ञान में आए, की चर्चा नीचे की गयी है:

3स.6.1.1 ऊँचाहार परियोजना

सी ई ए की संस्तुतियों पर योजना आयोग ने ऊँचाहार, रायबरेली में ताप विद्युत परियोजना (चरण I के अन्तर्गत प्रत्येक 210 मेगा वाट की दो इकाइयाँ तथा चरण II के अन्तर्गत 2 इकाइयाँ) की स्थापना का अनुमोदन किया (दिसम्बर 1980)। इसमें से, दो इकाइयों को परिषद द्वारा 656.99 करोड़ रुपये की लागत पर शुरू किया गया था जो बाद में जनवरी 1981 में उ प्र रा वि उ नि को हस्तान्तरित कर दी गयीं।

(अ) परामर्श शुल्क पर परिहार्य व्यय

ऊँचाहार परियोजना (चरण–I) का परामर्श कार्य स्थल पर्यवेक्षण प्रभारो के 24 लाख रुपये सहित 91 लाख रुपये मूल (लागत का 0.47 प्रतिशत) परियेाजना के शुल्क पर मई 1991 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए) को दिया गया। परामर्शदाता के कार्य में ठेकेदार को टास्क डाटा और आरेख देना था जिससे विस्तृत निर्माण संरचनाओं को तैयार किया जा सके और परियोजना के विभिन्न कार्य कलापों की संरचना एवं आरेखों को अन्तिम रूप देना शामिल था।

अनुबन्ध में बिना किसी प्रावधान के परामर्श शुल्क में वृद्धि के कारण 2.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

परामर्श शुल्क इस मान्यता पर आधारित था कि परियोजना कार्य में 1000 रुपये प्रति मानव माह (100 प्रतिशत उपरिव्यय के साथ) की दर से 3125 मानव माह लगाये जायेंगे। यद्यपि, इस प्रकार का प्रावधान अनुबन्ध में नहीं था, तथापि सी ई ए ने 2500 प्रति मानव माह की दर से वृद्धि करके परामर्श शुल्क की राशि 258.50 लाख रुपये तक करने के लिए प्रस्तावित (मार्च 1989) कर दी। तथापि, परामर्शदाता ने संरचना एवं आरेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया जिससे विभिन्न ठेकेदारों को मूल्य वृद्धि के कारण कुल 2.17 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा जो नीचे चर्चित हैं। प्रबन्धन ने बढ़े दर का अनुमोदन करते समय, मानव माह की मात्रा में 3125 से 4650 तक की वृद्धि का भी अनुमोदन कर दिया जिससे परामर्शदाता को बिना किसी औचित्य के 349.50 लाख रुपये का भुगतान हुआ। इस प्रकार, कम्पनी ने बढ़ी हुई दर एवं मानव माह की मात्रा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 258.50 लाख रुपये (349.50 रुपये –91 लाख रुपये) का परिहार्य व्यय किया।

(ब) मूल्य वृद्धि का भुगतान

परामर्शदाता द्वारा विलम्ब करने से 2.02 करोड़ रुपये मूल्य वृद्धि का भुगतान करना पड़ा

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि निगम को तीन फर्मो यथा सिंप्लेक्स कान्क्रीट फाइल्स (पी) इंडिया, अजन्ता बिल्डर्स और गैमन इंडिया लिमिटेड को कुल 2.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मूल्य वृद्धि के कारण करना पड़ा क्योंकि अनुमोदित संरचना एवं आरेखों को अवमुक्त करने में विलम्ब तथा परामर्शदाता द्वारा निर्माण संरचनाओं में बार–बार परिवर्तन करने के कारण अपनी संविदाओं के निष्पादन में 15 से 30 माह का विलम्ब हुआ, तथापि, विलम्ब के लिए परामर्शदाता

के विरुद्ध कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(स) अतिरिक्त व्यय

कार्य की गलत मात्रा के आंकलन से अतिरिक्त व्यय हुआ

मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त, निगम को, कार्य की कुछ मात्रा के मदों के अशुद्ध आंकलन से, कार्य की मात्रा में अन्तर के कारण भारत इंडस्ट्रियल वर्क्स, नई दिल्ली को 89.15 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भुगतान करना पड़ा। इससे 25 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा से अधिक मात्रा का उच्चतर दर पर भुगतान (45 लाख रुपये), वृद्धि की गई अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि (15.30 लाख रुपये), कटौती की गई अधिक प्रतिभूति जमा पर ब्याज (14.45 लाख रुपये), 48 मीटर लम्बे 2 अदद 'बे' कालम का अवांछित स्थल परिवर्तन/हैडलिंग (2.70 लाख रुपये) और ठेकेदार के संयत्र की सुरक्षा के लिए बिजली एवं जल निकासी की व्यवस्था में असफल रहने के कारण उत्पादन हानि की क्षतिपूर्ति (11.70 लाख रुपये) थी।

3ब.6.1.2 आनपारा 'ब' परियोजना

परिषद द्वारा आनपारा 'ब' ताप विद्युत केन्द्र जिसमें 500 मेगा वाट प्रत्येक की दो इकाइयाँ थी, के निर्माण का कार्य मेसर्स मितसुई ऐन्ड कम्पनी, जापान को (मार्च 1989) टर्नकी आधार पर और ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ इ सी एफ) की ऋण योजना के अन्तर्गत 292.82 करोड़ रुपये एवं 8463.46 करोड़ येन की कुल लागत पर दे दिया गया। परिहार्य/अतिरिक्त व्यय के मामले जैसा कि नमूना परीक्षण में पाये गये, नीचे दिये गये है:

(अ) मितसुई ऐण्ड कम्पनी, जापान से विलम्बित/कम वसूली

वसूल न हुए राशि 95.83 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया

आनपारा 'ब' परियोजना की 2X500 मेगा वाट इकाइयों की आपूर्ति, संस्थापना एवं चालू करने के लिए, मितुसुई, जापान के साथ की गई, विदेशी एवं भारतीय आपूर्ति संविदा के अन्तर्गत, संविदा विनिर्देश की धारा 10.2 और 19.2 में उल्लिखित 27.07 करोड़ येन और 5.18 करोड़ रुपये की मदो को निरस्त करने का निर्णय लिया गया (मार्च 1989), जिसकी लागत को ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित कार्यो के सम्बन्धित बीजकों से काट लिया जाना था। तथापि, अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि परिषद प्राधिकारियों द्वारा आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार का 290.43 करोड़ रुपये और 8436.39 करोड़ येन का भुगतान (जुलाई 1994 तक) निरस्त कार्यो/आपूर्ति/कार्यकलापों की लागत को घटाये बिना कर दिया गया। आगे यह भी पाया गया कि बाद में, परियोजना की द्वितीय इकाई को चालू करने के समय (नवम्बर 1997) 25.27 करोड़ येन और 1.97 करोड़ रुपये का समायोजन ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बीजकों से कर दिया गया, 2.79 करोड़ रुपये की वापसी ठेकेदार द्वारा नवम्बर 1997 में कर दी गयी; इस प्रकार, 1.80 करोड़

येन और 0.42 करोड़ रुपये की राशि अभी तक वसूल न हो सकी। वसूल न किये गये 1.80 करोड़ येन जो 53.83 लाख रुपये के बराबर था और 42 लाख रुपये (कुल 95.83 लाख रुपये) का दावा, निरस्त मदों के लिये ठेकेदार से नही किया गया (मई 1999), जिसके कारण अभिलेखों में उद्धत नहीं थे।

इस प्रकार, परिषद पर निरस्त कार्यो/आपूर्ति/कार्यकलापों को विलम्ब से घटाने पर 2.75 प्रतिशत दर से (ओ इ सी एफ ऋण) 0.38 करोड़ रुपये के ब्याज के भुगतान दायित्व पड़ गया।

विविध सेवाओं के लिए बिना सेवाओं की प्रकृति जाने भुगतान किया गया

(ब) संविदा विनिर्देश संख्या 105: टी डी ओ 2/1 के उपबन्ध 3.4 में जापान में सामान्य विविध सेवाओं के लिए 52.70 करोड़ येन (15.81 करोड़ रुपये के बराबर) के भुगतान का प्रावधान था। यह पाया गया कि परिषद द्वारा 52.70 करोड़ येन (15.81 करोड़ रुपये) का भुगतान जापान में ठेकेदार द्वारा विविध सेवाओं के नाम पर किये गये कार्य/सेवाओं की प्रकृति और मात्रा को जाँचे/सत्यापित किये बिना कर दिया गया।

(स) आनपारा 'सी' टी पी एस के लिए सामान्य सुविधाओं के सृजन में निधियों की निरुद्धता

सामान्य सेवाओं की स्थापना से कोष अवरुद्व रहा क्योंकि परियोजना शुरू नहीं की जा सकी

परिषद ने, आनपारा 'ब' ताप विद्युत केन्द्र के परियोजना आंकलन के अनुसार आनपारा 'स' विद्युत केन्द्र जिसको सरकार द्वारा आज तक परियोजना की रूपात्मकता तय न किए जाने के कारण हाथ में नहीं लिया गया, के द्वारा पूर्णतया प्रयोग में आने वाली सामान्य सुविधाओं/अवसंरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि के सृजन पर 222.18 करोड़ रुपये का व्यय किया। इस प्रकार, परिषद को 222.18 करोड़ रुपये के अवरुद्ध व्यय पर जुलाई 1994 से मई 1999 तक 30.04 करोड़ रुपये की ब्याज देयता का निर्वहन करना पड़ा क्योंकि निधियाँ ओ ई सी एफ से 2.75 प्रतिशत वार्षिक दर से ऋण के रूप में ली गई थी।

(द) निरर्थक व्यय

वे ब्रिज कार्य नहीं कर सका, क्योंकि प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक प्रकार के वैगन उपलब्ध नही हो सके

आनपारा 'ब' विद्युत गृह के कोल हैंडलिंग प्लांट में उपयोग के लिए, मेसर्स मितसुई, जापान ने टर्न की परियोजना के अन्तर्गत 13.50 लाख रुपये के बराबर 45 लाख येन की लागत पर एक इन–मोशन वे ब्रिज की आपूर्ति, संस्थापना और प्रचालन किया (दिसम्बर 1995)। वे ब्रिज की डिजाइनिंग 35 वैगनों से अनाधिक बाटम ओपेनिंग और बाटम डिस्चार्ज (बी ओ बी आर) वैगन रेक की तौल के लिए की गयी थी। तथापि, मेरी गो राउण्ड (एम जी आर) प्रणाली जो तब तक पूर्ण न हो सकी थी (मई 1999) और अपेक्षित श्रेणी के वैगनो की कमी के कारण वे ब्रिज अब भी निष्क्रिय पड़ा हुआ था जिसके कारण निवेश निरर्थक हो गया।

(इ) प्रशिक्षण सुविधा न लेने से अतिरिक्त व्यय

विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाने वाली मुफ्त प्रशिक्षण सेवा का उपयोग नहीं किया गया

विदेश आपूर्ति संविदा (मार्च 1989) के उपबन्ध संख्या 3.5 के अनुसार ठेकेदार, परिषद के अभियंताओं/कर्मचारियों को संयत्रों के सुरक्षात्मक रखरखाव, पूँजीगत रखरखाव और पुनरुद्धार, सूक्ष्मता और तत्परता के साथ स्वतन्त्र रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए भारत के बाहर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 66 अभियंताओं/कर्मचारियों को 1000 मानव सप्ताह के लिए भारत के बाहर प्रशिक्षित करने का प्रावधान था जिसके लिए परिषद को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना था। तथापि, परिषद उपरोक्त सुविधा न ले सकी और प्रशिक्षित अभियंताओं के अपने संवर्ग को विकसित करने में विफल रही। तथापि, परिषद ने नियन्त्रण उपकरणों के अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए ठेके पर सेवायें लेकर मार्च 1994 से फरवरी 1999 के दौरान 1.69 करोड़ रुपये का व्यय कर दिया गया।

3ब.7 लघु/अति लघु जल विद्युत योजना

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वकालीन उ प्र अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम, राज्य सरकार का एक उपक्रम) को 3128.66 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 17150 के डब्ल्यू की कुल क्षमता की 8 लघु/अति लघु जल विद्युत उत्पादन इकाइयों के अन्वेषण/निष्पादन एवं संचालन के लिए सौप दिया गया जैसा कि परिशिष्ट–31 में दर्शाया गया है।

पाँच परियोजनायें 21 से 94 माह के विलम्ब से प्रारम्भ हुई

यह दृष्टिगत होगा कि सातवीं एवं आठवीं योजना अवधि में आरम्भ होने वाली छिरकिला, कनचौटी, सोबला, कोटाबाग और कुलागढ़ की परियोजनायें 21 से 94 माह के विलम्ब से आरम्भ हुई जिससे 12.59 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि और 39.41 करोड़ रुपये के मूल्य की 615.7 मि यू के उत्पादन की हानि हुई। आगे, जून 1990 में आरम्भ होने वाली बेल्का, बबेल और बहादुराबाद की तीन परियोजनायें अभी भी निर्माणाधीन थी और 1601.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध 2192.57 लाख रुपये की राशि का व्यय कर दिया गया था (फरवरी 1999)।

3ब.7.1 व्यय की वसूली न होना

एन ई डी ए को हस्तान्तरित 4 परियोजनाओं के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया

निगम ने चार परियोजनाओं यथा चर्मा, धूमकाली, जिमीगड और अदेली के निर्माण पर 41.28 लाख रुपये का व्यय किया। तथापि, राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार (मार्च 1993), यह परियोजनायें जुलाई 1993 (चर्मा एवं धूमकाली) और फरवरी 1996 में (जिमीगड एवं अदेली), गैरपारम्परिक ऊर्जा विकास संस्था (एन ई डी ए) को हस्तान्तरित कर दी गयी। निगम ने 41.28 लाख रुपये के व्यय की वापसी के लिए एन ई डी ए से कोई दावा नहीं किया है (अप्रैल 1999)।

3ब.8 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनायें

1984–85 के दौरान, उ प्र रा वि प के प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों यथा ओबरा, हरदुआगंज एवं पनकी के क्षमता उपयोजन को उन्नत करने के दृष्टिकोण से इन विद्युत केन्द्रों से सम्बन्ध कोयला/राख हैडलिंग तन्त्रें सहित सभी उत्पादन इकाईयों को समाहित करते हुए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाओं को हाथ में लिया गया।

योजनायें पी एल एफ में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि, तेल खपत में कमी एवं 2375 मि यू के परिणामी अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के उद्देश्य से थीं। योजनाओं के निष्पादन के दोषों/कमियों पर टीका के विषय से सम्बधित समीक्षाओं में 31 मार्च 1991 एवं 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में, पहले ही प्रदर्शित की गयी है। इन प्रतिवेदनों पर सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति ने अब तक चर्चा नहीं की है

टी पी एस ने नवीकरण के उपरान्त भी पी एल एफ में बढ़ोतरी एवं तेल खपत में कमी नहीं हुई

इन विद्युत केन्द्रों की नवीकृत इकाइयों की 1990–91 से 1994–95 के दौरान उत्पादन परिलब्धि की समीक्षा ने, आगे, यह प्रगट किया कि मार्च 1991 तक इन विद्युत केन्द्रों के नवीकरण पर 91.04 करोड़ रुपये के व्यय के बाद भी पी एल एफ में कोई बढ़ात्तरी तथा तेल खपत में कोई कमी नहीं हुई, जो यह इंगित करता था कि नवीकरण/आधुनिकीकरण के बाद पाँच वर्षो में कोई अतिरिक्त विद्युत उत्पादन नही हुआ और न ही तेल खपत में कमी हुई, जैसा कि परिशिष्ट–32 में दिखाया गया है।

3ब.9 पारेषण एवं वितरण प्रणाली

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पारेषण एवं वितरण लाइनों और उप केन्द्रों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का सार नीचे दी गयी सारणी में दिखाया गया है:

	भौतिक		वित्तीय (करोड़ रुपये में)	
लाइनध्उप केन्द्र	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रविधानित व्यय	व्यय
400 के वी				
लाइन (सी कि मी)	2139	252 (11.78)		
उपकेन्द्र (एम वी ए)	1575	880 (55.87)		
220 के वी				
लाइन (सी कि मी)	1589	1159 (72.94)		
उप केन्द्र (एम वी ए)	1630	1185 (72.70)	528.00	332.45
132 के वी				
लाइन (सी कि मी)	1418	785 (55.36)		
उप केन्द्र (एम वी ए)	1560	1640 (105.13)		

टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाए गये आंकड़े उपलब्धि प्रतिशत को दर्शाता है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि टी एण्ड डी कार्यो में भौतिक उपलब्धि लाइनों के संदर्भ में 11.78 से 72.94 प्रतिशत के बीच और उप केन्द्रों के संदर्भ में 55.87 से 105.13 प्रतिशत के बीच रही।उपलब्धि में कमी के मुख्य कारण थे:

(i) भूमि अधिग्रहण/स्थल को समतल करने में विलम्ब आदि,

(ii) सामग्री आपूर्ति की संविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब,

(iii) कार्य पूर्ण करने में विलम्ब, और

(iv) निधियों की कमी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टी एण्ड डी योजनाओं के निष्पादन में पायी गई कमियाँ/दोष नीचे दिये गये हैं:

3ब.9.1 400 के वी लाइनों/उपकेन्द्रों के पूरा होने में विलम्ब

नीचे दी गयी सारणीं सातवीं योजना अवधि में पूर्ण होने के लिये प्रस्तावित 400 के वी लाइनों/उपकेन्द्रों पर हुए व्यय को इंगित करती है। तथापि, ये सब स्टेशन 1998–99 में आठ वर्षो के व्यतीत होने के बाद पूर्ण हुए।

(करोड़ रुपये में)

लाइन/उप केन्द्रों के नाम	लम्बाई/ क्षमता (सी किमी/ एम वी ए)	आरम्भ होने की तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त व्यय	अनुमानित लागत से अतिरिक्त व्यय का प्रतिशत
दोहरा सर्किट आनपारा, वाराणसी (स किमी)	2 x 158.32	2/8/98	43.15	83.75	40.60	94.09
एकल सर्किट उन्नाव– लखनऊ (स किमी)	48.77	18/8/98	8.07	24.82	16.75	207.6
एकल सर्किट उन्नाव आगरा (सी कि मी)	275.00	1/11/98	36.66	62.62	25.96	70.08
एकल सर्किट आनपारा उन्नाव(800 के वी) (सी की मी)	409.00	डब्लू आई पी (95.2 %)	137.32	400.43	263.11	191.6

(करोड़ रुपये में)

लाइन/उप केन्द्रों के नाम	लम्बाई/ क्षमता (सी किमी/ एम वी ए)	आरम्भ होने की तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त व्यय	अनुमानित लागत से अतिरिक्त व्यय का प्रतिशत
दोहरा सर्किट आगरा मुराद नगर(सी किमी.)	194.00	डब्लू आई पी (95.2 %)	28.34	46.83	18.49	65.2
उप–केन्द्र आगरा (एम वी ए)	2 x 315	3/11/98	18.37	47.18	28.81	156.8
उप–केन्द्र उन्नाव (एम वी ए)	2 x 315	13/11/98	39.28	89.71	50.43	128.4
योग			**311.19**	**755.34**	**444.15**	

समय वृद्धि मुख्यतः निधियों की कमी, वन विभाग से अनापत्ति, भूमि विवाद के कारण हुई, के परिणामस्वरूप लागत में 444.15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

3ब.9.2 अधिक व्यय

लाइन के निर्माण में 5 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आनपारा 'ब' टी पी एस से ऊर्जा निष्क्रमण योजना के अन्तर्गत एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए आनपारा से वाराणसी के बीच 160 किलोमीटर लाइन डी सी 400 के वी का निर्माण 43.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत किया जाना था। लाइन के निर्माण की संविदा रंजीत सिंह ऐण्ड कम्पनी, चंडीगढ़ को प्रदान की गई थी (मई 1987)। कार्य, नवम्बर 1987 में प्रारम्भ होकर पुनरीक्षित कार्य समाप्ति की तिथि (मार्च 1993) से 5 वर्षो से अधिक के पश्चात् अगस्त 1998 में 40.61 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि के साथ 83.75 करोड़ रुपये के व्यय पर समाप्त हुआ।

3ब.10 द्वितीयक पारेषण एवं वितरण प्रणाली

सातवीं योजना अवधि के दौरान द्वितीयक पारेषण एवं वितरण प्रणाली के टी ऐण्ड डी कार्यो के भौतिक/वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि का सार निम्न तालिका में दिया गया है।

लाइन/उप–केन्द्र	भौतिक		वित्तीय (करोड़ रूपए में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रावधानित व्यय	व्यय
66/33 केवी लाईन (सी किमी)	5000	1389 (27.8)	459.72	414.90
11 के वी लाइन (सी किमी)	3000	23994 (800)		
33/11 के वी नवीन उप–केन्द्र (संख्या)	350	301 (86)		
33/11 के वी उप–केन्द्रों की बढ़ी हुई क्षमता नये उप–केन्द्रों(एम वी ए)	3300	2436 (73.8)		

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये आंकड़ें उपलब्धि के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

11 के वी लाइन के अतिरिक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण द्वितीयक पारेषण प्रणाली में निधियों का अपवर्तन था

11 के वी लाइनों को छोड़कर लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण मुख्यतः वित्तीय संकट था, जो 11 के वी लाइन पर निधियों का अपवर्तन, जहाँ उपलब्धि अत्याधिक 800 प्रतिशत तक उच्च थी के कारण था। इसके परिणामस्वरूप परिषद, भार में वृद्धि के साथ तालमेल रखने में असफल रहा, फलस्वरूप 33 के वी उप केन्द्रों एवं लाईन अतिभार के कारण अल्प वोल्टेज नियमन और बारम्बार रुकावट रहीं। 11 के वी लाईनों के निमार्ण में अत्याधिक उपलब्धि के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

3ब.11 पारेषण एवं विद्युत हानियाँ

पारेषण एवं विद्युत हानियों में प्रणाली में नष्ट हुई ऊर्जा (तकनीकी हानियाँ) और अन्तर्भिलेखित विद्युत चोरी, खराब मीटरों, अशुद्ध मीटरिंग (गैर तकनीकी हानियाँ) की हानियाँ शामिल है। परिषद ने, सातवीं योजना अवधि में लाईन हानियों (तकनीकी एवं गैर तकनीकी) को कम करने के लिए, प्रस्तावित किया:

(i) 1047.91 लाख की रुपये मूल्य की 190.53 मि यू तक की हानियों को कम करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये की प्रक्षेपित लागत पर 1519 एम वी ए आर क्षमता (600, 33 के वी और 919 एम वी ए आर, 11 के वी) के कैपेसिटर बैंकों की स्थापना; और

(ii) प्रणाली से संयोजित भार एवं परावर्तन क्षमता के अन्तर (जो 1989–90 तक 1300 एम वी ए पूर्वानुमानित थी) को कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कुल आबंटन पर प्रणाली सुधार (एस आई) योजनाओं का क्रियान्वयन।

हानियाँ कम करने के उपाय पूर्णतः लागू नहीं किये जा सके

तथापि, योजना अवधि के दौरान, परिषद 69.21 करोड़ रुपये के व्यय के बाद केवल 830.3 एम वी ए आर कैपेसीटर बैंकों (355 एम वी ए आर, 33 के वी और 475.3 एम वी ए आर, 11 के वी) को संस्थापित कर पायी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित एवं वित्तीय सहायता प्राप्त 133 सी इ एन (एस आई) योजनाओं में से 44 को 43.47 करोड़ रुपये व्यय के बाद क्रियान्वयित कर पायी।

संस्थापित कैपेसिटरों में से, 355 एम वी ए आर क्षमता के कैपेसिटर 1989–90 से क्षतिग्रस्त पड़े थे।

लाईन हानियों को कम करने में विफलता के कारण, परिषद को कुल 31.21 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसके मुख्य कारण थे, कैपेसीटर बैंकों की संस्थापना न करना/अपूर्ण संस्थापना (17.21 करोड़ रुपये) और खराब कैपेसीटर बैंकों का प्रतिस्थापन न करना (14.00 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त, 81 प्रणाली सुधार योजनाओं के न पूर्ण किए जाने के कारण 36.96 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

3ब.12 ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट–33 में दिया गया है।

यह देखा गया कि:

(i) राज्य योजना (योजना निधियों) के अन्तर्गत पी टी डब्लू/पी एस और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजनाओं की परिलब्धि 27.25 और 76.59 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि, आबंटित निधियों का 91.19 प्रतिशत इन योजनाओं पर व्यय किया गया।

(ii) एस पी ए (राज्य निधियॉं) के अन्तर्गत विद्युतीकरण की उपलब्धि 34.22 और 93.62 प्रतिशत रही जबकि उसके विरुद्ध व्यय अत्याधिक कम (150 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ रुपये) रहा। कमी के कारण, जो व्ययों का गलत वर्ग में लेखॉंकन करना हो सकता है, अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(iii) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), जो ऊर्जा योजना से अलग निधियों से वित्त पोषित था, के अन्तर्गत पी टी डब्ल्यू का ऊर्जीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की परिलब्धि अत्यन्त निम्न थी और वे केवल 0.04 और 0.46 प्रतिशत क्रमशः को इंगित करते थे।

(iv) आर ई सी/राज्य सरकार से उधार लिये गये 461.53 करोड़ रुपये की योजना निधियों में से 405.40 करोड़ रुपये का व्यय सातवीं योजना के समाप्ति तक किया गया और शेष 56.13 करोड़ रुपये की राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए अपवर्तन किया और व्यय किया गया जिस पर परिषद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 8.98 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज की देयता उठा रहा था ।

आर ई कार्यों के निवेश पर प्रतिफल की दर परिकल्पित मानक से कम थी

(v) परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, आर ई योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण, पर्याप्त भार/संयोजन को सुनिश्चित करने के बाद किया जाना था जिससे वार्षिक प्रतिलाभ, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों, बुँदेलखण्ड और सूखा प्रभावित क्षेत्रों (मिर्जापुर और वाराणसी जिला के चकिया तहसील और इलाहाबाद के मेजा, करछना तहसील), जहाँ प्रतिलाभ की दर 8 प्रतिशत पर निश्चित की गयी थी, को छोड़कर, कुल निवेश पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो सकें। तथापि यह देखा गया कि योजना अवधि के अन्तर्गत पी टी डब्लू के ऊर्जीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में निवेश पर सातवीं योजना में लागू दर सूची के आधार पर मार्च 1990 तक पाँच वर्षो के दौरान प्रतिलाभ क्रमशः 6 से 9.5 प्रतिशत और 2.76 से 9.62 प्रतिशत रही। इससे योजना अवधि में 30.70 करोड़ रुपये राजस्व की कमी आयी।

प्रकरण को परिषद एवं सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)

निष्कर्ष

सातवीं योजना के दौरान, ऊर्जा विकास के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हुए तथा जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि एवं प्लांट लोड फैक्टर, पारेषण एवं वितरण हानियाँ तथा आनुशंगिक उपभोग को कम करने के सन्दर्भ में भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में भी निराशाजनक/अल्प रही। वित्तीय उपलब्धि से भौतिक विकास की समान्यतः अनुरूपता नहीं थी। योजना अवधि में आपूर्ति की इकाई दर, ईधन की लागत और उपरिव्यय की वसूली करने में विफल रही। परिषद, उ प्र रा वि उ नि और उ प्र ज वि नि द्वारा चलाई गयी विभिन्न उत्पादन एवं पारेषण योजनाओं को आरम्भ करने में अत्याधिक विलम्ब हुए जिससे लागत में वृद्धि तथा परिणामतः उत्पादन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सृजित करने में विशाल निधियाँ निरुद्ध रही।

अध्याय–3 स

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विरुद्ध बकाया देय

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	3स.1	108
संगठनात्मक ढांचा	3स.2	108
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3स.3	108
बजट प्रावधान, निधि के स्रोत एवं उपयोजन	3स.4	108
बकाया देय	3स.5	109
देयों के परिसमापन न किये जाने के कारण	3स.6	113
देयों के विलम्बित भुगतान/भुगतान न करने के परिणाम	3स.7	115

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विरुद्ध बकाया देय

मुख्य अंश

31 मार्च 1999 को परिषद के कुल दायित्व 29954.53 करोड़ रुपये के थे जिसमें 6427.12 करोड़ रुपये के चालू दायित्व शामिल थे।

(प्रस्तर 3स.1)

31 मार्च 1999 को, सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं के उपार्जित और देय ब्याज सहित दीर्घ अवधि ऋण क्रमशः 19205.68 करोड़ रुपये एवं 3720.19 करोड़ रुपये के थे।

(प्रस्तर 3स.5.3)

परिषद की 497.16 करोड़ रुपये तक की निधियाँ, विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण, अवरुद्ध रहीं।

(प्रस्तर 3स.6.1 एवं परिशिष्ट–35)

ऊर्जा विक्रय के लिए विविध देनदार वर्ष 1994–95 में 3301.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998–99 में 5304.48 करोड़ रुपये के हो गये।

(प्रस्तर 3स.8.6.2)

मार्च 1999 के अन्त पर, सरकार से प्राप्य 11266.38 करोड़ रुपये के उपदान के विरुद्ध, मात्र 136.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

(प्रस्तर 3स.6.3)

3स.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) का गठन, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5(i) के अन्तर्गत अप्रैल में 1959 में हुआ। अत्याधिक वित्तीय कमी के कारण परिषद ऊर्जा के क्रय, कच्चे माल/अन्य निविष्ट, पूँजीगत माल आदि की अधिप्राप्तियों के लिए देयताओं को उत्पन्न करती रही है। इन देयताओं के प्रभावी एवं समयबद्ध परिसमापन के लिए, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों जिसमें मुख्यतः विद्युत के विक्रय से आय, सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से उपदान एवं ऋण शामिल थे, के अनुकूलतम उपयोग के लिए कार्यशील पूँजी का उत्कृष्ट प्रबन्धन पूर्वापेक्षित था। 31 मार्च 1999 को, परिषद की कुल देयतायें 29954.53 करोड़ रुपये की थी जिसमें चालू देयतायें (6427.12 करोड़ रुपये), सरकार से दीर्घ अवधि ऋण, ब्याज सहित (19205.68 करोड़ रुपये), अन्य वित्तीय निगमों/बैंकों से ऋण, ब्याज सहित (3720.19 करोड़ रुपये), उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा (586.54 करोड़ रुपये) और बैंक अधिविकर्ष (15 करोड़ रुपये) शामिल थे।

3स.2 संगठनात्मक ढाँचा

परिषद का गठन अध्यक्ष एवं चार पूर्णकालिक तथा दो अल्पकालिक सदस्यों से मिल कर हुआ था। सदस्य (वित्त एवं लेखा) परिषद की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियन्त्रण रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

3स.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

फरवरी 1999 से मई 1999 के दौरान की गई समीक्षा में, अप्रैल 1994 से मार्च 1999 की अवधि के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग, ऊर्जा आपूर्ति, कोयला एवं तेल, रेलवे भाड़ा, भण्डार एवं पुर्जे और टर्न–की परियोजना आपूर्ति, ऋणों आदि के विरुद्ध बकाया देय का विश्लेषण किया गया है। लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3स.4 बजट प्रावधान, निधि के स्रोत एवं उपयोजन

1998–99 तक के पाँच वर्षों के दौरान, बजट आकलनों के संदर्भ में निधियों को उत्पन्न करने एवं उनके उपभोग की स्थिति को परिशिष्ट–34 में दर्शाया गया है। परिशिष्ट के विश्लेषण से निम्न बिन्दु प्रकाश में आयेः

सरकार से प्राप्त होने वाले उपदान के सम्बन्ध में 6781.11 करोड़ रुपये के बजट आकलन के विरुद्ध, 1998–99 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में मात्र 778.76 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

आगे, 1998–99 तक के पाँच वर्षों के दौरान, बजट प्रावधान की तुलना में सरकारी ऋण एवं

वित्तीय संस्थानों से अन्य ऋणों की प्राप्ति क्रमशः 17 प्रतिशत और 22 प्रतिशत कम थी। इस प्रकार, बजट आकलन तथ्यपरक नहीं थे। परिणामस्वरूप, कई परियोजनायें विलम्बित/अपूर्ण पड़ी रहीं जैसा कि प्रस्तर 3स.6.1 में चर्चा की गई है।

3स.5 बकाया देय

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 1999 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्ष के लिए परिषद की कुल देयतायें संक्षिप्त की गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	चालू देयतायें	3580.74	4216.67	4766.99	5840.55	6427.12
2.	सरकारी ऋण (ब्याज)	9046.94 (2333.27)	9566.39 (3295.74)	10514.18 (4329.77)	11335.10 (5499.50)	12464.03 (6741.65)*
3.	अन्य निगम/बैंक ऋण (ब्याज)	2947.96 (181.84)	2824.83 (473.41)	2907.15 (595.27)	2785.86 (904.62)	2916.53 (803.66)
4.	उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा	338.34	397.06	455.68	519.86	586.54
5.	बैंक अधिविकर्ष	--	--	--	--	15.00
	योग	**15913.98** **(2515.11)**	**17004.95** **(3769.15)**	**18644.00** **(4925.04)**	**20481.37** **(6404.12)**	**22409.22** **(7545.31)**

परिषद के देयों में वृद्धि का मुख्य कारण, स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए निधियों का अपवर्तन था।

वर्ष दर वर्ष देयताओं के संचय के मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए, उपलब्ध निधियों के अविवेकपूर्ण अपवर्तन थे, जिन्हें कई वर्षो तक प्रयोग में नहीं लाया जा सका जैसा कि प्रस्तर 3स.6.1 में विवेचित किया है। फलतः, निधियों जिनका देयताओं के परिसमापन में उपयोजन किया जा सकता था, को एक ओर अनुत्पादक निवेशों में निरुद्ध कर दिया गया और दूसरी ओर, इन दायित्वों के परिसमापन में परिषद की असफलता के कारण परिषद पर अर्थदण्ड एवं क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी जैसा कि प्रस्तर 3स.5.3.2 एवं 3स.7.3 में विवेचित किया गया है।

* कोष्ठक में दिये गये आंकड़े उपार्जित और देय ब्याज दर्शाते हैं।

एन टी पी सी एवं एन ए पी एस के बकाया देयों का मिलान नही किया।

चालू देयताओं में, मार्च 1995 में 3580.74 करोड़ रुपये से मार्च 1999 में 6427.12 करोड़ रुपये की वृद्धि (79 प्रतिशत) हुई। इसमें ऊर्जा क्रय के दायित्व (3416.92 करोड़ रुपये), कोयले की देयता (1125.02 करोड़ रुपये), रेलवे भाड़ा (359.39 करोड़ रुपये), टर्नकी परियोजना के विरुद्ध देय (448.41 करोड़ रुपये) पूँजीगत आपूर्तियाँ (490.92 करोड़ रुपये), ईधन एवं तेल (7.31 करोड़ रुपये) एवं विविध (579.15 करोड़ रुपये) शामिल थे।

चूकों/कमियों और अनियमितताओं, जिनके कारण देयताओं के प्रत्येक घटक का संचय हुआ, की विवेचना नीचे की गई है:

3स.5.1 ऊर्जा क्रय के शेषों का अपुष्टिकरण

प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया शेषों की किसी भी उपक्रम ने पुष्टि नहीं की जिसके परिणामस्वरूप, परिषद और इन उपक्रमों के लेखों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया के रूप में भिन्न–भिन्न राशि दिखायी पड़ती थीं। जबकि, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन टी पी सी) और नरोरा एटौमिक पावर स्टेशन (एन ए पी एस) के साथ लेखों का मिलान काफी समय से नहीं किया गया, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन एच पी सी) के साथ मिलान क्रमशः नवम्बर 1998 और मार्च 1999 में किया गया था।

3स.5.2 कोयला एवं रेलवे भाड़े की देयता

ताप विद्युत परियोजनाओं के संचालन के लिये, मुख्य निविष्ट कोयला एवं तेल हैं जिसके लिए तीन संस्थायें समन्वय में कार्य करती हैं, यथा वैगन की व्यवस्था के लिए रेलवे, कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) और उसकी सहायक कम्पनियाँ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल), नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड (एन सी एल) एवं सेन्ट्रल कोल फील्ड (सी सी एल) और तेल एवं चिकनाई की आपूर्ति के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन। भारत सरकार की लिंकेज कमेटी एक तिमाही के लिए निर्धारित किये गये उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर कोयले की आवश्यकता निर्धारित करती है। कोयला मंत्रालय लिंकेज की पुष्टि करता है और रेलवे, विद्युत केन्द्रों पर भेजे जाने वाले कोयला रेकों का आबंटन करता है।

3स.5.2.1 कोयला क्रय की देयता

सी आई एल द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले की श्रेणी के अन्तर सम्बन्धी पुराने दावों का समाधान नहीं किया गया

परिषद ने सी आई एल से 3850 किलो कैलोरी/किग्रा ऊष्मीय क्षमता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए एक अनुबन्ध किया (फरवरी 1985)। कोयला देयकों की मद में, मार्च 1999 की समाप्ति तक

की देयतायें 1125.02 करोड़ रुपये की थीं जिसमें अप्रैल 1993 से पूर्व के 50.30 करोड़ रुपये के उच्चतर श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के दावे सम्मिलित थे जिनका परिषद द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया (मई 1999)। इसके विपरीत, अप्रैल 1995 के पूर्व के आपूर्ति किये गये कोयले के श्रेणी–अन्तर के लिए परिषद द्वारा किये गये 0.46 करोड़ रुपये के दावे का सी आई एल द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

बी सी सी एल को छोड़कर सी आई एल की सहायक कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले के देयों का मिलान नहीं किया गया

सी आई एल की सहायक कम्पनियों के बकाया शेषों का मिलान, बी सी सी एल को छोड़कर (जिसे फरवरी 1999 में कर लिया गया था) नहीं किया गया। बी सी सी एल से मिलान के परिणामस्वरूप, 28.47 करोड़ रुपये के बकाया देयों का समाधान 20.29 करोड़ रुपये में कर लिया गया और बचे हुये अवशेषों को परिषद द्वारा, निम्न श्रेणी के कोयले की आपूर्ति जिसमें पत्थर और अन्य बाहरी पदार्थ शमिल थे, के लिए दायर किये गये दावे के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया। इस प्रकार, सी आई एल की अन्य सहायक कम्पनियों के साथ लेखों के मिलान न किये जाने से इस तथ्य की सम्भावना थी कि पत्थर एवं अन्य बाहरी पदार्थों के मिश्रण सहित आपूर्ति किये गये कोयले के मूल्य के असमायोजन के कारण, कोयले के देयकों की कुल देयता अधिक हो। यह भी देखा गया कि नार्दन कोल फील्डस (एन सी एल), सिंगरौली द्वारा रिहन्द जलाशय के जल के प्रयोग के लिए मार्च 1999 तक के परिषद के कुल 12.17 करोड़ रुपये के दावे पर, एन सी एल द्वारा बकाया अवशेषों का आगणन करते समय विचार नहीं किया गया।

3स.5.2.2 रेलवे के दावे

रेलवे के देयों में निरन्तर वृद्धि होती रही

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में प्रत्येक के अन्त पर परिषद द्वारा रेलवे को भुगतान किये जाने वाले देय क्रमशः 140.60 करोड़ रुपये, 191.44 करोड़ रुपये, 234.71 करोड़ रुपये, 334.86 करोड़ रुपये और 359.39 करोड़ रुपये के थे। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि देयों को वर्षों की अवधि में संचित होने दिया गया जिससे पिछले चार वर्षों के दौरान 156 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

3स.5.2.3 खोये हुये वैगन

10169 खोये हुए/अप्राप्त वैगनों का समायोजन 1994 से लम्बित था

परिषद और रेलवे के मध्य हुई एक बैठक में (दिसम्बर 1993) यह निर्णय लिया गया कि खोये हुये एवं अप्राप्त वैगनों की लागत का भुगतान नकद में नहीं किया जा सकता। इन वैगनो का समायोजन, रेलवे द्वारा तीन महीनों की अवधि में व्यवस्थित किये जाने वाले अनुरूप सुपुर्दगी द्वारा किया जाना था। रेलवे को, परिषद के साथ खोये/अप्राप्त वैगनों का मिलान करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करनी थी और सम्बन्धित खदानों को अपवर्तित किये गये वैगनों को जोड़ते हुये एक रेक प्रति दिन की दर से अनुरूप सुपुर्दगी की व्यवस्था करनी थी जिससे तापगृहों के नाम मूल रूप से दर्ज किये

गये कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुरूप सुपुर्दगी में ध्यान रखा जा सके। मार्च 1999 की समाप्ति तक, दिसम्बर 1994 से असमायोजित पड़े, खोये हुए एवं अप्राप्त कोयला वैगन 10169 थे।

3स.5.3 ऋण की देयता

31 मार्च 1999 को, परिषद के पास सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के दीर्घ–कालीन ऋण 19205.68 करोड़ रुपये तथा 3720.19 करोड़ रुपये की राशि के थे जिसमे उपार्जित एवं देय ब्याज क्रमशः 6741.65 करोड़ रुपये एवं 803.66 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी जैसा कि प्रस्तर 3स.5 में इंगित है। सरकारी ऋणों एवं अन्य ऋणों में से उठे रोचक बिन्दुओं की विवेचना नीचे दी गई है:

3स.5.3.1 सरकारी ऋण

3स.5.3.1.1 भारत सरकार के ऋण

1986–87 एवं 1987–88 में अवमुक्त ऋण के मूल एवं ब्याज का पुनर्भुगतान गत पाँच वर्षों में नही किया गया

भारत सरकार ने केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में हरदुआगंज और पनकी ताप विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण के लिए 40.46 करोड़ रुपये एवं 8.48 करोड़ रुपये क्रमशः 8.75 प्रतिशत और 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से, वर्ष 1986–87 और 1987–88 के दौरान अवमुक्त किये। मार्च 1999 तक के गत पाँच वर्षों के दौरान, परिषद ने न तो किश्त और न ही ब्याज का भुगतान किया। संचित एवं देय ब्याज सहित ऋण की कुल देयता 83.96 करोड़ रुपये की थी।

3स.5.3.1.2 राज्य सरकार के ऋण

विशेष ऋण को छोड़ कर किसी किश्त एवं देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया

राज्य सरकार ने परिषद को प्रत्येक वर्ष ऋण दिया किन्तु इसने 1998–99 तक के गत पाँच वर्षो में, विभिन्न विकास एवं कल्याण निधियों से प्राप्त विशेष ऋण पर देय ब्याज (10.65 करोड़ रुपये) को छोड़कर, न तो किश्त का और न ही देय ब्याज का भुगतान किया। मार्च 1999 की समाप्ति तक ऋण की कुल देयता 19205.68 करोड़ रुपये की थी।

3स.5.3.2 निगम के ऋण

3स.5.3.2.1 रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन आफ इण्डिया (आर ई सी)

किश्त एवं ब्याज के भुगतान में देरी के कारण अर्थदण्ड की देयता उत्पन्न हुई

आर ई सी ने परिषद को, ग्रामों, हरिजन बस्तियों आदि के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न ब्याज दरों पर मूल एवं ब्याज के समयबद्ध पुनर्भुगतान की दशा में सभी चरणों में, 0.5 प्रतिशत की छूट और समयबद्ध पुनर्भुगतान में चूक की दशा में, 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अर्थदण्ड की वसूली के

प्रावधानों के साथ ऋण दिया। देय तिथियों पर मूल एवं ब्याज के भुगतान में असफलता के कारण, परिषद ने 1998–99 तक के पाँच वर्षो की अवधि में 78.26 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड की देयता को उत्पन्न किया।

3स.5.3.2.2 भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी)

किश्त एवं ब्याज के विलम्बित भुगतान के कारण दण्ड ब्याज की देयता उत्पन्न हुई

1998–99 तक के पाँच वर्षो के दौरान, परिषद ने एल आई सी से 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 740.54 करोड़ रुपये (320.54 करोड़ रुपये 1994–95 में और 420.00 करोड़ रुपये 1998–99 में) का ऋण प्राप्त किया। ऋण के नियम एवं शर्तो के अनुसार, किश्त एवं ब्याज का देय तिथि पर भुगतान न करने पर, प्रचलित ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। मार्च 1999 की समाप्ति पर, ब्याज सहित ऋण की कुल देयता 1446.96 करोड़ रुपये आगणित हुई। यदि परिषद ने अनुसूचित समय पर पुनर्भुगतान कर दिया होता तो 139.34 करोड़ रुपये का दण्ड ब्याज बचाया जा सकता था।

3स.6 देयों के परिसमापन न किये जाने के कारण

पूर्ववर्ती प्रस्तरों से यह देखा गया कि परिषद ने एक ओर देयताओं के परिसमापन में देरी के कारण, अपने देयों को संचित होने दिया और दूसरी ओर अपनी दुर्लभ निधियों को विभिन्न परियोजनाओं/कार्यो में जोकि अपूर्ण रह गए और प्रयोग में न लाए जा सके, निवेशित किया। इसके अतिरिक्त, सरकार से पूरा उपदान प्राप्त न होने और विविध देनदारों से धीमी वसूली और पूँजीगत कार्यो पर राजस्व आय से व्यय करने के कारण से भी देयों का संचय हुआ जैसा कि नीचे विवेचित है:

3स.6.1. अपूर्ण परियोजना/कार्यो में अवरुद्ध निवेश

497.16 करोड़ रुपये के कुल अवरुद्ध निवेश/अनुत्पादक व्यय के प्रकरण वर्ष 1994–95, 1995–96 एवं 1996–97 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में प्रदर्शित किये जा चुके हैं जैसा कि परिशिष्ट–35 में उल्लिखित है। नमूना परीक्षण में देखे गये अन्य मामलों की विवेचना नीचे प्रस्तुत की गई है।

(अ) 400 के वी उपकेन्द्र, गोरखपुर

400 के वी उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना प्रारम्भ करना दुर्नियोजन दिखलाता था

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन (पी एफ सी) की 133.09 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से एक पारेषण परियोजना स्वीकृत की (मार्च 1989)। इस परियोजना के अन्तर्गत 400 के वी उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना था। इसे पूर्ण करने की मूल तिथि अक्टूबर 1993 थी

लेकिन पी एफ सी द्वारा ऋण अवमुक्त न किये जाने के कारण, दिसम्बर 2000 के लिए पुनरीक्षित कर दी गई। परिषद द्वारा अपने संसाधनों से सितम्बर 1998 तक किया गया कुल व्यय (315 एम वी ए का एक ट्रांसफार्मर, एल टी पावर केबिल, 400 के वी एबीसीबी, 31.5 एम वी ए आर रिएक्टर आदि की अधिप्राप्ति) 14.53 करोड़ रुपये का था। परिषद के अपने संसाधनों से निधियों की उपलब्धता के अनुसार, परियोजना का कार्य धीरे–धीरे चल रहा था। इस प्रकार, परिषद द्वारा पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना कार्य आरम्भ करना परिषद का दुर्नियोजन प्रदर्शित करता था।

(ब) 400 के वी उपकेन्द्र, बरेली

भूमि अधिग्रहण के पूर्व भंडारों की अधिप्राप्ति करने से निधि अवरुद्ध हो गयी

ओवरसीज़ इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ), जापान से ऋण सहायता के अन्तर्गत बरेली में एक नये उपकेन्द्र (2x315 एम वी ए) का जून 1996 तक निर्माण करना था और भूमि अधिग्रहण एवं कमजोर मृदा दशा के कारण नींव की संरचना करने में प्रारम्भिक अवरोधों के कारण, इसे पूर्ण करने की तिथि को पुनरीक्षित करके अक्टूबर 1999 कर दिया गया। भूमि का कब्जा जून 1996 में प्राप्त किया गया और कार्य जनवरी 1998 में प्रारम्भ किया जा सका। भूमि के अधिग्रहण को ध्यान में न रखते हुये परिषद ने, नवम्बर 1997 तक 14.34 करोड़ रुपये की आपूर्तियाँ एवं भण्डारों की अधिप्राप्ति कर ली। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 1996 से मार्च 1999 के दौरान, परिषद की निधि अवरुद्ध रही और साथ ही 2.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 0.77 करोड़ रुपये के ब्याज की देयता भी उत्पन्न हो गई।

3स.6.2 देयों की क्षीण वसूली

ऊर्जा विक्रय के बकाया की क्षीण वसूली से बकायों का संचय हुआ

ऐसा देखा गया कि ऊर्जा विक्रय के विभिन्न देनदारों में वर्ष 1994–95 में 3301.67 करोड़ रुपये से 1998–99 में 5304.48 करोड़ रुपये तक की वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती गई, जबकि ऊर्जा विक्रय के कुल बकायों की वसूली का प्रतिशत 1994–95 में 53 प्रतिशत से घटकर 1998–99 में 38 प्रतिशत रह गया। ऐसा, परिषद द्वारा ग्राहकों के विद्युत संयोजन के त्वरित विच्छेदन एवं वसूली प्रमाण–पत्रों के निर्गमन में विफलता, सरकारी विभागों द्वारा भुगतान न करना, स्थायी विच्छेदन के मामले न निपटाना आदि के कारण था। बकायों का संचय मुख्यतः, मार्ग प्रकाश (251.99 करोड़ रुपये), सार्वजनिक जल वितरण (976.38 करोड़ रुपये), सरकारी ट्यूबवेल एवं पम्प कैनाल (445.75 करोड़ रुपये) और निजी ट्यूबवेल (239.15 करोड़ रुपये), घरेलू उपभोक्ता (1706.52 करोड़ रुपये) और अन्य (1123.09 करोड़ रुपये) के कारण था। राजस्व वसूली से सम्बन्धित मामलों की इसी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में 'यू पी एस ई बी में दरसूची, देयकीकरण और राजस्व का संग्रहण' की समीक्षा में विस्तार से चर्चा की गई है।

3स.6.3 उपदान की अप्राप्ति

सरकार से उपदान की प्राप्ति बहुत कम थी

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में परिषद द्वारा उठायी गई हानियों की भरपाई करने के लिए वह, उपदान प्राप्त करने की हकदार है। मार्च 1999 तक के पाँच वर्षों के दौरान, सरकार से प्राप्य उपदान 8307.82 करोड़ रुपये के विरुद्ध मात्र 136.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। मार्च 1999 की समाप्ति तक सरकार से प्राप्य कुल राशि 11266.38 करोड़ रुपये की थी।

3स.6.4 निधियों का निरुद्धन

नमूना परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 1992 एवं 1984 से विद्युत वितरण खण्ड–I, मऊ एवं हरदुआगंज विद्युत केन्द्र, अलीगढ़ के बैंक खातों में क्रमशः 1.07 करोड़ रुपये और 0.34 करोड़ रुपये निरुद्ध पड़े थे। लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद, इस राशि की बैंक द्वारा पुष्टि नहीं की गई और इसका मिलान नहीं किया गया।

3स.6.5 राजस्व से पूँजीगत व्यय

राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग पूँजीगत कार्यों में किया गया

पूँजीगत व्यय सामान्यतः, राजस्व प्राप्ति से भिन्न पूँजीगत प्राप्ति से किया जाना चाहिए। 1998–99 तक के पाँच वर्षों के दौरान, परिषद ने 4321.25 करोड़ रुपये के कुल निवल ऋण के विरुद्ध, पूँजीगत कार्यों पर 5936.84 करोड़ रुपये खर्च किये। इस प्रकार, पूँजीगत व्यय पर 1615.59 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की कमी राजस्व आय से पूरी की गई। इसके परिणामस्वरूप, इस सीमा तक के देयों के भुगतान के लिए निधियों की उपलब्धि नहीं हुई एवं परिषद की उपाय एवं साधन की स्थिति कठिन हो गई।

3स.7 देयों के विलम्बित भुगतान/भुगतान न करने के परिणाम

परिषद ने निर्धारित तिथियों पर अपने देयों का भुगतान नही किया और उनका संचय होने दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के राज्यांश में कमी आई, छूट की हानि हुई और अर्थदण्ड आरोपित हुआ जैसा नीचे बताया गया है:

3स.7.1 विद्युत के राज्यांश में कमी

एन आर ई बी द्वारा ऊर्जा के राज्यांश में कमी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई

नार्दन रीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एन आर ई बी), केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों से विद्युत के राज्यांश का निर्धारण करता है। एन टी पी सी द्वारा उ प्र रा वि प के विरुद्ध बकाया देयों के अत्याधिक शेषों को अपने लेखों में लेखांकित कर देने के कारण, फरवरी 1997 से जनवरी 1998 के दौरान विद्युत केंन्द्रों जैसे ऊँचाहार, दादरी, औरैया एवं सिंगरौली से उ प्र रा वि प के अनाबंटित अंश को समाप्त

कर दिया गया तथा आबंटित अंश में कमी कर दी गई। आगे, एन टी पी सी ने ऊर्जा की मात्रा में कमी के कारण, विद्युत का उच्च दर पर देयकीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप, 136 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

3स.7.2 छूट एवं साख पत्र (एल सी) प्रभारों के संबन्ध में विवाद

एल सी द्वारा ऊर्जा क्रय के समयबद्ध भुगतान करने पर छूट विलम्ब के कारण नहीं मिली

भारत सरकार (जी ओ आई) की अप्रैल 1994 की अधिसूचना प्राविधानित करती है कि एल सी प्रभार, एन टी पी सी और एन एच पी सी द्वारा वहन किये जायेगें और ऊर्जा देयकों का भुगतान, एल सी द्वारा समान साप्ताहिक किश्तों में किया जायेगा जिस पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी। यदि क्रय का मूल्य एल सी की राशि से अधिक हुआ तो एल सी की राशि से अधिक के क्रय का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा जिस पर 1.5 प्रतिशत एवं 1.0 प्रतिशत की छूट अनुमत्य थी बशर्ते भुगतान, देयको के निर्गमन से क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिन में किया जाये। तथापि, परिषद ऊर्जा क्रय की पूर्ण राशि के लिए एल सी खोलने में विफल रही और देयकों का भुगतान केवल 1 से 1.5 प्रतिशत छूट लेते हुए 20 से 30 दिनो के पश्चात् किया। परिणामस्वरूप, मार्च 1999 तक के पाँच वर्षों के दौरान, परिषद ने एन टी पी सी, एन एच पी सी एवं एन ए पी एस से 6768.44 करोड़ रुपये, 776.56 करोड़ रुपये तथा 177.35 करोड़ रुपये के मूल्य के ऊर्जा क्रय पर क्रमशः 14.52 करोड़ रुपये, 7.57 करोड़ रुपये और 0.62 करोड़ रुपये की छूट की हानि (एक प्रतिशत की दर से गणना करने पर) उठाई। छूट की हानि का श्रेय त्रुटिपूर्ण निधि प्रबन्ध को जाता था।

एन टी पी सी से एल सी प्रभारों की वसूली लम्बित थी

भारत सरकार की अप्रैल 1994 की अधिसूचना के अनुपालन में, परिषद द्वारा दावा किये गये (अगस्त 1998) जून 1998 तक के एन टी पी सी से प्राप्य 27.26 करोड़ रुपये की राशि के एल सी प्रभारों को उनके बकायों से समायोजित नहीं किया गया जिसका कोई कारण अभिलेखों पर उल्लिखित नहीं था। परिषद द्वारा एन एच पी सी और एन ए पी एस से प्राप्य एल सी प्रभारों की आज तक (सितम्बर 1999) गणना नहीं की गई।

3स.7.3 विलम्बित भुगतान पर अधिभार

ऊर्जा क्रय के विलम्बित भुगतान के परिणामस्वरूप अधिभार का दायित्व उत्पन्न हुआ

समयबद्ध भुगतान करने में विफलता के कारण परिषद ने एन टी पी सी, एन एच पी सी एवं एन ए पी एस के देयकों को भारत सरकार की अप्रैल 1994 की अधिसूचना के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया राशि पर, जो मार्च 1999 तक कुल 1676.74 करोड़ रुपये की थी, 2 प्रतिशत आरोपित अधिभार की देयता सहित स्वीकार कर लिया।

इन प्रकरण को, परिषद एवं सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था: उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

निष्कर्ष

परिषद, सरकार से समस्त उपदान प्राप्त न होने, उपभोक्ताओं से बकायों की अल्प वसूली आदि के कारण अपने देयों का समय से परिसमापन नहीं कर सकी। जबकि, उपलब्ध निधियों को सम्पत्तियों के अर्जन में, जिनको कई वर्षो तक प्रयोग में नही लाया गया, प्रयोग किया गया, अधिभार का भुगतान देयों के विलम्बित परिसमापन के कई अवसरों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों में से पूँजीगत कार्यों में भारी निवेश करने से, वर्षो की अवधि तक देयताओं का और भी संचय हुआ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अर्थदण्ड, अधिभार एवं भारी ब्याज–कारक को ध्यान में रख कर देयों के वरीयता क्रम निर्धारित करने और समय से परिसमापन किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

अध्याय–3 द

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की परिलब्धि

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	3द.1	120
लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3द.2	120
ई एस पी का कार्यचालन	3द.3	120
ई एस पी की स्थिति	3द.4	120
ई एस पी का संवर्धन	3द.5	124
ई एस पी की परिलब्धि	3द.6	125
पनकी टी पी एस की दो इकाईयों के बन्द होने के कारण उत्पादन की हानि	3द.7	125

3द

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स की परिलब्धि

मुख्य अंश

छः ताप विद्युत केन्द्रों (टी पी एस) की 38 इकाइयों में से मात्र 24 इकाइयों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई एस पी) की स्थापना की गई। ओबरा ताप विद्युत गृह का वास्तविक उत्सर्जन स्तर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू पी पी सी बी) द्वारा निर्धारित 350 मि ग्रा/एन एम3 के मानक के विरुद्ध असमान्य रूप से उच्च 8930 मि ग्रा/एन एम3 तक अभिलेखित किया गया।

(प्रस्तर 3द.4)

पनकी ताप विद्युत केन्द्र की इकाई III एवं IV पर संवर्धन कार्य किये जाने में क्रमशः10 महीने एवं 4 महीने का विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 45.55 करोड़ रुपये मूल्य की 348.87 मि यू के उत्पादन की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.5)

संवर्धन कार्य हेतु सामग्री को क्रमवार क्रय करने के परिषद के निर्णय के बावजूद, पनकी टी पी एस की इकाई IV के लिये समस्त संरचनात्मक सामग्री का क्रय इकाई III के साथ–साथ करने के कारण 492.43 लाख रुपये की निधि का अवरोध और 227.76 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.5)

हरदुआगंज टी पी एस पर ई एस पी के कार्य न करने/संस्थापना न करने से आई डी फैन इम्पेलर एवं ब्लेडों को 1994–95 से 1998–99 के दौरान बारम्बार प्रतिस्थापित करने पर 110.89 लाख रुपये के व्यय की आवश्यकता हुई।

(प्रस्तर 3द.6)

परिषद द्वारा ई एस पी की संस्थापना में असफलता के कारण, पनकी टी पी एस की इकाई I एवं II, क्रमशः नवम्बर 1995 और अप्रैल 1997 से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

(प्रदूषण नियन्त्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार बन्द पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 1999 तक 80.22 करोड़ रुपये मूल्य की 489.14 मि यू उत्पादन की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.7)

3द.1 प्रस्तावना

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई एस पी एस) ताप विद्युत केन्द्रों (टी पी एस) में कोल फायर ब्वायलर के राख तत्व से निकलने वाली फ्लू गैसों के सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एस पी एम) को कम करता है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू पी पी सी बी), ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत 210 मेगा वाट या अधिक की इकाईयों के लिये 150 मिग्रा/एन एम3 (मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर) उत्सर्जन स्तर तथा 210 मेगा वाट से कम की इकाईयों के लिए 350 मिग्रा/एन एम3 का मानक निर्धारित किया (1986)।

3द.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

मार्च से मई 1999 के दौरान की गयी समीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सभी छः ताप विद्युत केन्द्रों (आनपारा, हरदुआगंज, ओबरा, पनकी, पारीछा और टांडा) पर ई एस पी की संस्थापना, नवीकरण एवं परिलब्धि को सम्मिलित करती है।

3द.3 ई एस पी का कार्य चालन

ई एस पी को प्रदूषण नियन्त्रण औजार की तरह प्रयोग किया जाता है। यह फ्लू गैसों से एस पी एम को एकत्रित करने के लिए उच्च विभव की डी सी विद्युत फील्ड की विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है। ई एस पी एक बड़ा बक्सा है जिसमें इलैक्ट्रोड की दो श्रेणियाँ होती हैं। इन इलेक्ट्रोड का एक समूह जिसको 'उन्मुक्त इलेक्ट्रोड' कहते हैं, निकलने वाली गैस धारा में विद्युत आवेश पैदा करता है, परिणामस्वरूप निलम्बित कण आवेशित हो जाते हैं जो कि 'संचयन इलेक्ट्रोड' की तरफ नीचे खिच जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित धूल हौपर में आगे के निस्तारण के लिए नीचे सरक जाती है।

3द.4 ई एस पी की स्थिति

6 टी पी एस की 38 इकाईयों में से 24 इकाईयों पर ई एस पी संस्थापित किए गए

परिषद के पास अपने छः ताप विद्युत केन्द्रों की 38 इकाईयों में, 4654 मेगावाट की संस्थापित क्षमता थीं (मार्च 1999) जिसमें से मार्च 1999 तक 4040 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 24 इकाईयों पर ई एस पी संस्थापित किए गए।

यद्यपि, टी पी एस की सभी इकाईयों में, ई एस पी की संस्थापना यू पी पी सी बी के द्वारा अनिवार्य कर दी गई थी (1986), तथापि, 1962–63 से 1972–73 के मध्य आरम्भ हुई हरदुआगंज (1991 से बन्द पड़ी 7 इकाईयाँ 30 मेगा वाट प्रत्येक की 3 इकाईयों सहित), पनकी (2 इकाईयां) और ओबरा (5 इकाईयां) में 614 मेगावाट क्षमता की 14 इकाईयों पर ई एस पी संस्थापित नहीं किये गये। संस्थापित किये गये ई एस पी, 17 से 43 प्रतिशत राख के घटक वाले कोयले जिसकी केलोरिफिक वैल्यू 3400 से 5960 किलो कैलोरी/किग्रा थी, के लिए संरचित किये गये थे। इसके विरुद्ध विद्युत केन्द्रों में प्रयोग किये गये कोयले की वास्तविक कैलोरीफिक वैल्यू 28 से 46 प्रतिशत राख के घटक सहित 1300 से 4850 किलो कैलोरी/किग्रा तक श्रेणीबद्ध थी। फलस्वरूप, ई एस पी से निकलने वाली लू गैसों में धूल का घनत्व, 100 मिग्रा/एन एम3 से 427.5 मिग्रा/एन एम3, जिस पर ई एस पी संरचित थे, के विरुद्ध 71 मिग्रा/एन एम3 से 8930 मिग्रा/एन एम3 था।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के लागू होने से पूर्व 16 इकाईयों में संस्थापित ई एस पी के सम्बन्ध में यू पी पी सी बी मानक एवं परिकल्पित मानकों के विरुद्ध 1998–99 तक के तीन वर्षो में वास्तविक उत्सर्जन स्तर नीचे दिये गये हैं:

क्रम सं0	इकाई संख्या सहित टी पी एस का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगा वाट)	ई एस पी के साथ इकाई के आरम्भ होने का वर्ष	उर्त्सजन स्तर (मिग्रा/एन एम^3)				
				यू पी पी सी बी मानक	परिकल्पित मानक	वस्तविक 1996.97	1997.98	1998.99
	आनपारा							
1.	I	210	1985-86	150	अनुपलब्ध	135-150	130-150	140-150
	हरदुआगंज							
2.	V	60	1976-77	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
3.	VI	60	1977-78	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
4.	VII	110	1977-78	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
	ओबरा							
5.	VI	100	1973-74	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
6.	VII	100	1974-75	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
7.	VIII	100	1975-76	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		

क्रम सं0	इकाई संख्या सहित टी पी एस का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगा वाट)	ई एस पी के साथ इकाई के आरम्भ होने का वर्ष	उत्सर्जन स्तर (मिग्रा/एन एम^3)				
				यू पी पी सी बी मानक	परिकल्पित मानक	वस्तविक 1996.97	1997.98	1998.99
	आनपारा							
8.	IX	200	1977-78	350	427.5	325-3494	418-2340	385-615
9.	X	200	1978-79	350	427.5	467-1812	1110-1380	872-902
10.	XI	200	1979-80	350	427.5	अनुपलब्ध	1860-8930	880-1710
11.	XII	200	1980-81	350	427.5	1466-4822	780-4664	अनुपलब्ध
12.	XIII	200	1981-82	350	427.5	1021-5464	780-5059	675-1630
	पनकी*							
13.	III	110	1976-77	350	अनुपलब्ध	71-341	86-134	91-140
14	IV	110	1976-77	350	अनुपलब्ध	78-81	82-144	88-135
	पारीछा							
15.	I	110	1983-84	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		
16.	II	110	1984-85	350	अनुपलब्ध	अभिलेखित नहीं हो रहा है		

उपरोक्त सारणी से निम्न तथ्य प्रकाश में आए:

(i) हरदुआगंज, पारीछा की सभी इकाइयों और ओबरा की तीन इकाईयों (इकाई सं. VI, VII और VIII) में अभिलेखित करने वाले उपकरणों की संस्थापना न किए जाने के कारण वास्तविक उत्सर्जन स्तर अभिलेखित नहीं किए जा रहे थे;

(ii) ओबरा टी पी एस पर (इकाई सं. IX से XIII) वास्तविक उत्सर्जन स्तर, 325 से 8930 मिग्रा/एन एम3 के मध्य अत्यन्त उच्चस्तर पर दर्शित था। परियोजना प्राधिकारियों ने बताया कि अतिशय उत्सर्जन स्तर का कारण 28 प्रतिशत राख घटक के संरचित मानक के विरुद्ध 40 प्रतिशत राख घटक के कोयले की आपूर्ति थी।

* पनकी टी पी एस की इकाई III एण्ड IV पर ई एस पी अप्रैल 1990 से जुलाई 1996 तक संवर्धित किए गए।

वर्ष 1986 के बाद संस्थापित ई एस पी का विवरण नीचे इंगित है:

क्रम संख्या	इकाई संख्या सहित टी पी एस का नाम	संस्थापित क्षमता (एम डब्ल्यू)	ई एस पी के साथ ईकाइ के आरम्भ होने का वर्ष	उत्सर्जन स्तर (मि ग्रा/एन एम³)				
				यू पी पी सी वी मानक	संरचित मानक	वास्तविक		
						1996.97	1997.98	1998.99
	आनपारा							
1.	II	210	1986-87	150	अनुपलब्ध	135-150	130-150	140-150
2.	III	210	1987-88	150	अनुपलब्ध	135-150	130-150	140-150
3.	IV	500	1993-94	150	100	130-150	130-150	108-150
4.	V	500	1994-95	150	100	130-150	130-150	130-160
	टांडा							
5.	I	110	1987-88	350	263	342	अभिलेखित नहीं	367
6.	II	110	1988-89	350	263	347	अभिलेखित नहीं	371
7.	III	110	1989-90	350	263	345	अभिलेखित नहीं	374
8.	IV	110	1997-98	350	263	संचालित नही	अभिलेखित नहीं	अभिलेखित नहीं

टांडा में उत्सर्जन स्तर अधिक था और नियमित रूप से नापा भी नहीं गया

उपरोक्त सारणी से यह दृष्टिगत होगा कि टांडा टी पी एस का उत्सर्जन स्तर 1997–98 में अभिलेखित नहीं किया गया। आगे, 16.10.98 से 01.12.98 के मध्य नापा गया उत्सर्जन स्तर 367 से 347 मिग्रा/एन एम3 के मध्य था। तथापि, एक पखवारे बाद जब यू पी पी सी बी द्वारा स्तर नापे गये तो यह 559 से 584 मिग्रा/एन एम3 के मध्य श्रेणीवद्ध था। 1996–97 से 1998–99 के दौरान टांडा टी पी एस की सभी इकाईयों में उत्सर्जन स्तर परिषद एवं यू पी पी सी बी द्वारा एक–एक बार के सिवाय नियमित रूप से नही नापे गये। यहाँ उल्लिखित करना समीचीन है कि म प्र रा वि प के कोरबा पश्चिम फेज II (2x210मेगावाट) इकाई IV का उत्सर्जन स्तर 1998–99 के दौरान 105 और 122 के बीच श्रेणीवद्ध रहा। कोरबा स्थित ई एस पी की परिलब्धि की तुलना में, पनकी यूनिट III एवं IV की ई एस पी को छोड़कर सभी इकाईयों के उत्सर्जन स्तर उच्चतर थे।

35 इकाईयों में से ई एस पी का संवर्धन मात्र दो इकाईयों में किया गया

अतिशय धूल घनत्व, न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण ही बढ़ाता है बल्कि इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट (आई डी) फैन इम्पेलर के क्षरण का कारण भी बनता है जिससे टी पी एस को निम्न भार पर संचालित किये जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके परिणास्वरुप, उत्पादन की हानि होती है। इस प्रकार, धूल के घनत्व के स्तर को कम करने के लिये ई एस पी के संवर्धन/प्रतिस्थापन की तत्काल आवश्यकता थी। तथापि, परिचालित 35 इकाईयों में से, अप्रैल 1990 से जुलाई 1996 के दौरान परिषद द्वारा पनकी टी पी एस की इकाई III एवं IV का ही संवर्धन किया गया। परिषद ने 1997–98 एवं 1998–99 के मध्य 302.80 करोड़ रुपये की लागत पर 26 इकाईयों पर ई एस पी के संवर्धन का निर्णय लिया और पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन से ऋण के लिये आवेदन किया। तथापि, परिषद द्वारा ई एस पी का संवर्धन/रेट्रोफिटिंग का कार्य निधि के अभाव में नहीं कराया जा सका।

3द.5 ई एस पी का संवर्धन

पनकी टी पी एस की 2 इकाईयों में ई एस पी का संवर्धन कार्य बी एच ई एल को दिया गया

1690 मिग्रा/एन एम3 तक के उत्सर्जन स्तर वाली पनकी टी पी एस की इकाई III एवं IV में विद्यमान ई एस पी (1976–79 में संस्थापित) को प्रतिस्थापित करने के लिये डेसीईन, नयी दिल्ली को (10.50 लाख रुपये के शुल्क पर) परामर्शदाता नियुक्त किया गया (जून 1987) जिन्होंने अपना तकनीकी अध्ययन प्रतिवेदन जून 1988 में प्रस्तुत किया। तद्नुसार, इन इकाईयों के ई एस पी के नवीकरण एवं परिष्करण का कार्य दिसम्बर 1988 में बी एच ई एल को 1197.57 लाख रुपये (कर एवं शुल्क सहित) की लागत पर दिया। संवर्धन, जुलाई 1996 में 1474.40 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण किया गया।

संवर्धन में अधिक समय लगने के फलस्वरूप 45.55 करोड़ रुपये के मूल्य की उत्पादन की हानि हुई

उत्पादन करने वाली इकाई III एवं IV के बन्द होने की तिथि से क्रमशः 23 और 20 माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था। इकाई III नवीकरण हेतु 01.04.1990 को बन्द कर दी गई और कार्य 14.01.1993 को 33 माह के बाद पूर्ण हुआ। इसी प्रकार, इकाई IV नवीकरण हेतु 01.07.1994 को बन्द की गयी थी और 13.07.1996 को 24 माह बाद कार्य पूर्ण हुआ। इकाई III और IV में कार्य समाप्ति में लिये गये अधिक समय के कारण 1992–93 और 1996–97 में 24 और 41 प्रतिशत के प्लांट लोड फैक्टर पर 1.18 रुपये और 1.48 रुपये प्रति इकाई की औसत बिक्री वसूली पर आगणित 45.55 करोड़ रुपये के 348.87 मि यू के उत्पादन की परिणामी हानि हुई। देरी का कारण परिषद द्वारा संविदाकार को समय से स्थान उपलब्ध कराने में असफलता, सर्किट ब्रेकर को बनाने के कार्य में स्थगन और परिषद द्वारा निर्मित बाई पास डक्ट की फाउलिंग थी।

दोनों इकाईयों के लिए सामग्री की साथ–साथ अधिप्राप्ति करने से 4.92 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध रही

अधीक्षण अभियन्ता ओ ऐण्ड एम II ने सामग्री की क्रमवार प्राप्ति की योजना का निर्देश दिया (नवम्बर 1989)। तथापि, दोनों यूनिटो के लिए 959.74 लाख रुपये मूल्य की कुल 3307 टन की समस्त संरचनात्मक सामग्री 1990–91 से 1993–94 के दौरान (1990–91 में 2811 टन, 1991–92 में 342 टन, 1992–93 में 123 टन और 1993–94 में 31 टन) प्राप्त की गई। इकाई III का कार्य

अप्रैल 1990 में आरम्भ किया गया और उसके बाद इकाई IV का कार्य जुलाई 1994 में लिया गया। इस प्रकार, इकाई III के साथ–साथ इकाई IV की संरचनात्मक सामग्री की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप 492.43 लाख रुपये की सीमा तक की निधियां अवरुद्ध हुई तथा 18 प्रतिशत पर (जिस पर परिषद नगद साख पर निधियाँ उधार ले रही थी) 227.76 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

3द.6 ई एस पी का परिलब्धि

हरदुआगंज टी पी एस में ई एस पी की संस्थापना न करने /कार्य न करने के कारण आई डी फैन इम्पेलर की बारम्बार प्रतिस्थापना की आवश्यकता हुई

परिषद ने ई एस पी की संतोषजनक परिलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसकी नियमित जाँच/निरीक्षण हेतु कोई प्रणाली नहीं निर्धारित की। यह देखा गया कि हरदुआगंज टी पी एस की इकाई III एवं IV में ई एस पी की संस्थापना न किए जाने तथा इकाई संख्या V और VII के ई एस पी की कम क्षमता एवं संरचनात्मक दोष की वजह से कार्य न करने के कारण आई डी फैन के इम्पेलर और उसके ब्लेडों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे 1994–95 से 1998–99 के दौरान कुल 110.89 लाख रुपये मूल्य के क्रमशः 273 और 1801 आई डी फैन इम्पैलर और ब्लेडों को बार–बार बदलना पड़ा।

ई एस पी के संवर्धन के पश्चात्, पनकी टी पी एस की इकाई III एवं IV के परिलब्धि जैसा पूर्ववर्ती प्रस्तर 3द.4 के अन्तर्गत सारणी में दिया है, ने इंगित किया की उनकी परिलब्धि संतोषजनक थी।

3द.7 पनकी टी पी एस की दो इकाईयों के बन्द होने के कारण उत्पादन की हानि

ई एस पी की संस्थापना न किए जाने के कारण पनकी टी पी एस की दो इकाईयाँ बन्द पड़ी थी

यू पी पी सी बी ने, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 22 के अन्तर्गत पनकी ताप विद्युत केन्द्र, की प्रत्येक 32 मेगावाट की इकाई I एवं II को बन्द करने के लिए, के विरुद्ध, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण नियन्त्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के न्यायालय में वाद दायर किया (31मार्च 1989) क्योंकि यह इकाईयाँ अनुमत्य सीमा से अधिक धूल उत्सर्जित कर रहीं थीं। न्यायालय ने परिषद को, इन इकाईयों पर छः माह के अन्दर ई एस पी संस्थापित करने का निर्देश दिया (सितम्बर 1993)। चूँकि, परिषद द्वारा अब तक (मार्च 1999) ई एस पी संस्थापित न किए जा सके, यह इकाईयाँ क्रमशः नवम्बर 1995 एवं अप्रैल 1997 से बन्द पड़ी थीं। इन इकाइयों की बन्दी के कारण, मार्च 1999 तक 1.64 रुपये प्रति यूनिट की औसत बिक्री वसूली के आधार पर 80.22 करोड़ रुपये मूल्य के 489.14 मि यू (1994–95 के दौरान अर्थात इकाईयों की बन्दी से पूर्व, 33 प्रतिशत के पी एल एफ पर अधारित) के उत्पादन की हानि हुई।

प्रकरणों को परिषद तथा सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

निष्कर्ष

धूल के घनत्व को कम करने हेतु टी पी एस की सभी इकाइयों में ई एस पी की संस्थापना, यू पी पी सी बी के निर्देशानुसार बाध्यकारी हैं। तथापि, परिषद के 6 टी पी एस की 38 इकाइयों में से 24 इकाइयों में ही ई एस पी की संस्थापना की गई थी। अत्यधिक उत्सर्जन स्तरों के कारण, इकाईयों के संवर्धनों की यूनिटों की आवश्यकता के बावजूद अप्रैल 1990 से जुलाई 1996 के मध्य केवल पनकी टी पी एस की इकाई III एवं IV का संवर्धन ही किया गया। अतैव, परिषद को उत्सर्जन स्तरों को कम करते हुये वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिये, ई एस पी की संस्थापना एवं संवर्धन की योजना बनानी चाहिए जिससे यू पी पी सी बी की अपेक्षायें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जा सकें।

अध्याय 4

विविध रोचक विषय

अध्याय–4

विविध रोचक विषय

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड		
दुर्नियोजन के कारण लागत में वृद्धि	4अ.1	127
अपसर्जित परियोजना में निधियों का निरुद्ध होना	4अ.2	128
फ्लाई ऐश अरेस्टर की संस्थापना पर अलाभकारी व्यय	4अ.3	129
दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड		
अपर्याप्त स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन एवं देयों के अल्प अनुसरण के कारण हानि	4अ.4	130
संसाधन जुटाने की व्यवस्था में ब्याज का परिहार्य भुगतान और दलालों को अनुचित लाभ	4अ.5	132
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड		
बेलका लघु जल विद्युत गृह का निर्माण	4अ.6	134
उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड		
केन्द्र सरकार द्वारा उपदान की प्रतिपूर्ति न करना	4अ.7	135
दि इण्डियन टर्पेनटाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड		
सेकेन्ड्री एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस ई टी पी) की संस्थापना पर निष्फल व्यय	4अ.8	136
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड		
कार्यालय स्थल के किराये पर अविवेकपूर्ण व्यय	4अ.9	137
कौशल सुधार योजना के पांच ट्रेडों पर अनाधिकृत व्यय।	4अ.10	138
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
प्रतिनियुक्ति भत्ता का अमान्य भुगतान	4अ.11	139

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड		
कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (ई पी एफ) पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	4अ.12	140
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड		
मार्ग में प्रेषण पर ब्याज की परिहार्य हानि	4अ.13	141
अन्य सांविधिक निगम	4ब	143
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान जमा करने में विलम्ब	4ब.1	143
पर्वतीय विकास भत्ते का अमान्य भुगतान	4ब.2	144
व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने पर ब्याज की परिहार्य देयता	4ब.3	144
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		
ऋण का अनुपयोजन	4ब.4	145
उत्तर प्रदेश जल निगम		
अनुचित व्यय	4ब.5	146
परित्यक्त जलापूर्ति योजना पर निष्फल व्यय:	4ब.6	147
उत्तर प्रदेश वन निगम		
जलौनी लकड़ी की कमी	4ब.7	148
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	4स	149
एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया जाना	4स.1	149
परिवर्तकों के निरीक्षण एवं परीक्षण पर अतिरिक्त व्यय	4स.2	150
निष्फल व्यय	4स.3	151
ट्रंक लाइन टैप करके एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4स.4	152
सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न होना	4स.5	153
अम्बेदकर ग्रामों का विद्युतीकरण	4स.6	154

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

4अ.1 दुर्नियोजन के कारण लागत में वृद्धि

परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 2909.81 लाख रुपये की लागत में वृद्धि हुई।

सार्वजनिक निवेश परिषद (पी आई बी) ने, 2500 लाख रुपये की लागत पर कम्पनी की बुलन्दशहर चीनी मिल की क्षमता 1524 टी सी डी से 2500 टी सी डी तक बढ़ाने के लिए, सरकारी अंशदान तथा चीनी विकास कोष (एस डी एफ) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) के ऋणों द्वारा वित्त पोषित होने वाली एक आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना का अनुमोदन किया।

परियोजना लागत को 1995 में 31.34 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित किया गया और 1997 में 54.10 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण किया गया

कम्पनी ने 1470.50 लाख रुपये की लागत पर जुलाई 1991 तक पूर्ण किये जाने के लिये संयंत्रों की आपूर्ति, संस्थापना एवं प्रारम्भ करने के आदेश निर्गत किये (नवम्बर/दिसम्बर 1989)। तथापि, कम्पनी, एस डी एफ एवं आई एफ सी आई से निधि की व्यवस्था न कर पाने के कारण परियोजना को नियत तिथि (जुलाई 1991) तक पूर्ण करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, परियोजना 1992–93 से 1994–95 के दौरान स्थगित रही। परियोजना की लागत 3133.80 लाख रुपये तक, जैसा कि पी आई बी द्वारा अनुमोदित किया गया, पुनरीक्षित कर दी गई (मई 1995) और परियोजना विलम्बतः जनवरी 1997 में 5409.81 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण हुई, इस प्रकार लागत में 2909.81 लाख रुपये की परिणामी वृद्धि हुई।

जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया (मई 1999) लागत में वृद्धि के मुख्य कारण, (i) मूल्य में वृद्धि (824.90 लाख रुपये) (ii) अतिरिक्त बीमा प्रीमियम एवं क्षतिपूर्ति आदि की प्रतिपूर्ति (80 लाख रुपये) (iii) निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि (89.08 लाख रुपये) (iv) भूमि अधिग्रहण और उसके विकास की लागत में वृद्धि (211.52 लाख रुपये) (v) ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज भार (1622. 40 लाख रुपये) और (vi) विविध स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत, पूर्व–परिचालन व्यय एवं आनुषंगिक कार्यों में वृद्धि (79.13 लाख रुपये)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि परियोजना, आई एफ सी आई एवं एस डी एफ द्वारा ऋणों के संवितरण में विलम्ब, जो उनके नियंत्रण से परे था, के फलस्वरूप निधियों की कमी के कारण,

1992–93 से 1994–95 के दौरान स्थगित की गई। इस तथ्य की दृष्टि से उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई एफ सी आई एवं एस डी एफ से निधियों की व्यवस्था किये बिना ही, परियोजना का निष्पादन प्रारम्भ करना एवं साथ ही साथ आपूर्ति एवं संस्थापना आदेश प्रेषित करना, वित्तीय दुर्नियोजन को इंगित करता है जिससे परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब एवं लागत में वृद्धि हुई।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

4अ.2 अपसर्जित परियोजना में निधियों का निरूद्ध होना

सरकार के अनुमोदन एवं वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना, आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के लिए सामग्री की अधिप्राप्ति किये जाने के कारण 397.16 लाख रुपये निरुद्ध हो गये।

जून 1989 में, पी आई बी ने महोली चीनी फैक्टरी के 1524 टी सी डी से 2500 टी सी डी तक के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिये, 2430 लाख रुपये की लागत की परियोजना, जिसे सरकारी अंशदान (364.50 लाख रुपये) तथा एस डी एफ (850.50 लाख रुपये) एवं आई एफ सी आई (1215 लाख रुपये) के ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाना था, का अनुमोदन किया। तथापि, कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की संभावना को सुनिश्चित किये बिना, संयंत्रों की आपूर्ति, संस्थापना और प्रचालन के आदेश निर्गत किए (नवम्बर/दिसम्बर 1989)। सितम्बर 1992 तक, परियोजना, के भूमि एवं उसके विकास (23.52 लाख रुपये), स्टील आदि सहित संयंत्र एवं मशीनरी (601.44 लाख रुपये) और अन्य व्ययों (12.25 लाख रुपये), पर 637.21 लाख रुपये का व्यय कर दिया गया।

कियान्वयन में अतिविलम्ब एवं निवेश में वृद्धि से परियोजना अपसर्जित हुई

लेखा परीक्षा में पाया गया (मई 1999) कि आई एफ सी आई ने 1,000 लाख रुपये (500 लाख रुपये आई एफ सी आई और एस डी एफ प्रत्येक से) के वित्त पोषण की सहमति 1480 लाख रुपये के सरकारी अंशदान के अंश सहित के साथ ही, परियोजना की लागत को 2480 लाख रुपये तक पुनरीक्षण किये जाने का प्रस्ताव किया। कम्पनी ने परियोजना की लागत के पुनरीक्षण हेतु सरकार से सम्पर्क स्थापित किया (जनवरी 1992)। आगे, परियोजना के क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब के कारण, मार्च 1994 में पी आई बी के अनुमोदन हेतु 2825 लाख रुपये का पुनरीक्षित आंकलन प्रस्तुत किया गया जिसमें परियोजना का वित्त पोषण, एस डी एफ और आई एफ सी आई प्रत्येक से 500 लाख रुपये के ऋण और राज्य सरकार से अंशदान के रूप में 1825 लाख रुपये द्वारा होना संकलित था। प्रस्ताव पी आई बी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जिसने सरकारी निवेश में वृद्धि के दृष्टिगत इसके निजीकरण करने की संस्तुति दी। अन्ततः, सरकार ने परियोजना लागत में

अत्यधिक वृद्धि, जिसके लिए कम्पनी वित्तीय व्यवस्था नहीं कर सकी, के कारण परियोजना को अपसर्जित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1994)। सरकार के निर्णय की दृष्टि में, कम्पनी ने नवम्बर 1997 तक 240.05 लाख रुपये के संयन्त्र एवं मशीनरी को अन्य इकाइयों में स्थानान्तरित कर दिया। इस प्रकार, परियोजना के क्रियान्वयन में दुर्नियोजन के कारण संयंत्र और मशीनरी और स्टील आदि की अधिप्राप्ति पर 361.39 लाख रुपये (अन्य इकाईयों को स्थानान्तरित संयंत्रों एवं मशीन का मूल्य घटाने के बाद) की निधियाँ निरुद्ध हो गयी जिससे मार्च 1999 तक की अवधि में 18 प्रतिशत के नकद जमा की दर से 422.83 लाख रुपये के ब्याज का भार पड़ा जिससे बचा जा सकता था यदि परियोजना प्रचालित करने से पूर्व वित्तीय अभिकरणों से बचनबद्धता प्राप्त कर ली गई होती।

प्रकरण, कम्पनी को मई 1999 में और सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4अ.3 फ्लाई ऐश अरेस्टर की संस्थापना पर अलाभकारी व्यय

फ्लाई ऐश अरेस्टर की संतोषजनक आपूर्ति/प्रचालन में टर्न की ठेकेदार के असफल होने के कारण 19.40 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

ए आर के इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को अपनी बरेली चीनी फैक्टरी के लिए बहुचक्रवात फ्लाई ऐश अरेस्टर (एफ ए ए) की डिजाइन आपूर्ति, संस्थापना तथा प्रचालन करने के लिये 22.94 लाख रुपये के निश्चित मूल्य पर एक संविदा टर्न–की आधार पर दी गयी। संविदा में अन्य बातों के साथ–साथ, एफ ए ए के लिए उपयुक्त आरेख एवं डिजाइन, विद्यमान ब्वायलरों के वर्तमान परिलब्धि स्तर को प्रभावित किये बिना ही, बनाना अपेक्षित था। संतोषजनक परिलब्धि और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (यू पी पी सी बी) द्वारा अनापत्ति के पश्चात् ही आदेश के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत अवमुक्त किया जाना था। संयन्त्र के प्रचालन के पश्चात् उत्सर्जन, यू पी पी सी बी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही होना था तथा फर्म को उनसे अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक था। एफ ए ए दिसम्बर 1995 में प्रचालित किया गया।

लेखा परीक्षा में पाया गया (अप्रैल 1999) कि एफ ए ए संतोषजनक परिणाम नहीं दे रहा था क्योंकि कम क्षमता के आई डी पंखों की संस्थापना के कारण चिमनी के आधार में अपेक्षित खिंचाव 25 से 30 एम एम के विरुद्ध मात्र 16 एम एम वाटर कालम ही उपलब्ध था। परिणामस्वरूप, मात्र 60 प्रतिशत उत्सर्जन ही एफ ए ए के द्वारा निकलता था तथा शेष, ब्वायलर के संचालन पर दुष्प्रभाव को बचाने के लिये, चिमनी के ही द्वारा निकाला जाता था।

संशोधन के पश्चात भी संयन्त्र सफल परीक्षण देने में विफल रहा

फर्म, यू पी पी सी बी एवं कम्पनी द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण (अप्रैल 1996) के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार फर्म द्वारा आई डी पंखे के इम्पेलर की क्षमता निश्चित रूप से 22 अप्रैल 1996 तक बढ़ा दी जानी थी लेकिन उसे 13 मई 1996 को प्रतिस्थापित किया गया तब तक पेराई का मौसम समाप्त हो गया था (9 मई 1996)। अतएव, 1995–96 के पेराई मौसम के दौरान इसका परीक्षण नहीं किया जा सका। कम्पनी द्वारा संयन्त्र के परीक्षण के लिए बार–बार बुलाये जाने के बावजूद फर्म, अगले 1996–97 एवं 1997–98 के पेराई मौसम में वापस नहीं आयी।

परीक्षण हेतु फर्म के वापस न आने के कारण, कम्पनी ने परिलब्धि प्रत्याभूति का 3.54 लाख रुपया रोक लिया। तथापि, कम्पनी ने संयन्त्र को अगले दोनों मौसम में संचालित किया लेकिन फर्म द्वारा आई डी पंखे की क्षमता बढ़ाने के बावजूद भी, एफ ए ए सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा था और इसने अपेक्षित परिणाम नहीं दिये।

कम्पनी ने न तो फर्म की रिस्क एवं लागत पर संयन्त्र को ठीक कराने के कदम उठाए, न ही फर्म को काली सूची में डाला और एफ ए ए संयन्त्र पर किया गया 19.40 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी हो गया।

प्रकरण, कम्पनी को अप्रैल 1999 और सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

4अ.4 अपर्याप्त स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन एवं देयों के अल्प अनुसरण के कारण हानि

कम्पनी को, साझेदारों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति के सत्यापन में विफलता और सघन देखरेख के अभाव के परिणामस्वरूप निम्न दो मामलों में 560.35 लाख रुपये की हानि हुई।

(क) उपकरण वित्तीय पुनर्पोषण योजना के अन्तर्गत, कम्पनी ने बेलसन रबर इन्डस्ट्रीज, सहारनपुर को 54.50 लाख रुपये का एक सावधि ऋण संवितरित किया (मार्च/जुलाई 1990)।

अपर्याप्त मूल्यांकन एवं अनुसरणात्मक कार्यवाही के कारण 2.32 करोड़ रुपये की हानि हुई

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 1999) कि त्रुटि (फरवरी 1991) के बाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने इकाई को अधिग्रहीत करने की संस्तुति की (मार्च 1991), लेकिन दिसम्बर 1991 तक कोई अनुवर्ती कार्यवाई नहीं की गई। क्षेत्रीय कार्यालय (नोयडा) के सहायक परियोजना अभियन्ता ने आशंका व्यक्त की (8 जनवरी 1992) कि कार्य स्थल से इकाई की स्थायी सम्पत्तियाँ गायब हो सकती हैं। 24 जनवरी 1992 को, जब इकाई को संबद्ध कब्जे में लिया गया तब तक 0.50 लाख रुपये मूल्य की

सम्पत्तियों को छोड़कर जिन्हें 0.29 लाख रुपये में बेच दिया गया (जनवरी 1998) कम्पनी द्वारा वित्त पोषित सभी उपकरण कार्य स्थल से गायब पाये गये। इकाई के अधिग्रहण के तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात साझीदारों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति का आवाहन (जून 1995) किया गया लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि शपथ–पत्र में उल्लेखित परिसम्पत्तियां/सम्पत्तियां उनकी नहीं थीं और स्वीकृति–पूर्व मूल्यांकन के समय क्षेत्रीय कार्यालय ने इसके स्वामित्व की जांच नहीं की थी। इस प्रकार, अपर्याप्त स्वीकृति–पूर्व मूल्यांकन, दोषपूर्ण निरीक्षण तथा अपर्याप्त अनुसरणात्मक कार्रवाई के कारण, कम्पनी को 231.25 लाख रुपये, (177.04 लाख रुपये के ब्याज सहित) की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा शपथ–पत्र में की गई घोषणा का सत्यापन प्रचलन में नहीं था। तथापि, कम्पनी को ऋण के संवितरण के पूर्व अपने हितों की रक्षा के लिए, प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा की गई घोषणा का सत्यापन कर लेना चाहिए था।

(ख) कम्पनी ने हिम इलेक्ट्रोड्स (प्राइवेट) लिमिटेड को देहरादून में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के निर्माण की परियोजना को स्थापित करने के लिए, मार्च 1989 से मई 1990 के दौरान 75.35 लाख रुपये संवितरित किये। प्रवर्तक विद्युत संयोजन एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था 1992 तक नहीं कर पाये। इस प्रकार, वे परियोजना के कियान्वयन में असफल रहे।

प्रवर्तकों द्वारा अथवा सुरक्षा एजेन्सी के कब्जे से मशीनरी हटाये जाने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी।

कम्पनी ने इकाई का निरीक्षण (सितम्बर 1993) किया और 23.10 लाख रुपये के संयंत्र एवं मशीनरी कार्य स्थल से गायब पाये। प्रवर्तको ने सूचित किया कि कुछ मशीनरी उनके देहरादून स्थित निवास स्थान पर स्थान्तरित कर दी गयी थी। यद्यपि, प्रवर्तकों द्वारा कार्य स्थल से मशीनरी का हटाया जाना अवांछनीय था एवं अनुबन्ध के उल्लंघन को प्रदर्शित करता था, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलम्ब से अप्रैल 1994 में, इकाई के अधिग्रहण (मार्च 1994) के पश्चात् दर्ज कराई गयी। तथापि, संपत्तियों को हटाये जाने के संबंध में अभी तक (अगस्त 1999) कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। कम्पनी ने व्यक्तिगत प्रत्याभूति का आवाहन किया (जुलाई 1995) और वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया (जनवरी 1996) जिसे माननीय न्यायालय देहरादून ने स्थगितकर दिया।

अधिग्रहण के समय प्राप्त हुये 52.34 लाख रुपये मूल्य की संयंत्र एवं मशीनरी को इकाई में एक सुरक्षा एजेंसी के कब्जे में रख दिया गया। निरीक्षण के दौरान (दिसम्बर 1997) 12 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के संयंत्र एवं मशीनरी गायब मिली। अतः, इकाई को एक अन्य सुरक्षा एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अभी तक (अगस्त 1999) नहीं की गई। इकाई को 12 लाख रुपये में बेच दिया गया (फरवरी 1998)।

इस प्रकार, 341.10 लाख रुपये के संचित देयों में से, जिसमें 265.75 लाख रुपये के ब्याज के शामिल है (मई 1999 तक का), कम्पनी मात्र 12.00 लाख रुपये ही वसूल कर सकी और 329.10 लाख रुपये की हानि उठाई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1999) कि पक्षकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें 155 के वी ए का विद्युत भार स्वीकृत किया गया था। तथापि, तथ्य यह था कि 1992 तक कोई विद्युत संयोजन उपलब्ध ही नहीं था।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

4अ.5 संसाधन जुटाने की व्यवस्था में ब्याज का परिहार्य भुगतान और दलालों को अनुचित लाभ

सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बाण्ड के निर्गमन द्वारा 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि एकत्रित करने के लिए, 97.07 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, मर्चेन्ट बैंकर को 25 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(अ) 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, कम्पनी ने बाण्ड (14 प्रतिशत की ब्याज दर पर) निर्गत किये। ये बाण्ड अनुसूचित समापन तिथि (27 अगस्त 1997) तक 9 करोड़ रुपये द्वारा अतिशय क्रय हुये। तथापि, कम्पनी ने 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि (9 करोड़ रुपये की अतिशय क्रय राशि सहित) एकत्रित करने का निर्णय लिया (30 अगस्त 1997) और सरकार को उन्हीं नियम एवं शर्तों पर प्रत्याभूति देने के लिये सम्पर्क किया (सितम्बर 1997)।

सरकार से प्रत्याभूति प्राप्त न होने के कारण, अंशदान की वापसी से 97.07 लाख रुपये की हानि हुई

चूंकि, 8 नवम्बर 1997 तक राज्य सरकार से वचनबद्धता/आवश्यक प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई, कम्पनी ने निवेशकों का धन जो कि 50 करोड़ रुपये के बाण्डों के निर्गमन के विरुद्ध प्राप्त हुआ था, 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने निवेशकों को 127.61 लाख रुपये के ब्याज के भुगतान के विरुद्ध निधियों को अल्पावधि जमा में निवेश करके 30.54 लाख रुपये का अर्जन किया। इस प्रकार, कम्पनी को इस कार्य में 97.07 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि इसमें, 263.95 लाख रुपये की बचत हुई (i) एफ डी आर पर ब्याज (30.54 लाख रुपये) अर्जित किया (ii) बाण्डों की तुलना में नोयडा एवं यू पी एस आई डी सी के उच्चतर ब्याज दर वाले के ऋणों (28 करोड़ रुपये) के भुगतान पर ब्याज (83.41 लाख रुपये)

की बचत हुई (iii) इसके बाद में (दिसम्बर 1997) कम ब्याज दर पर निधियां एकत्रित करने पर ब्याज (150 लाख रुपये) की बचत हुई। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है कि कम्पनी के पास ऋणों के भुगतान का निर्णय लेते समय (24 सितम्बर 1997), बाद में प्राप्त होने वाले 50 करोड़ रुपये की राशि का विचार न करते हुए भी, ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये पर्याप्त अवशेष थे। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 1997 में कम ब्याज दर पर एकत्र की गई निधियों के कारण बचत प्रासांगिक नहीं थी क्योंकि ब्याज की दर मुख्यतः आर्थिक बाजार में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करती थी।

सेवा में वृद्धि के बिना ही मर्चेन्ट बैंकरों के शुल्क में वृद्धि करके उन्हें अनुचित लाभ दिया गया

(ब) मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति के लिए 24 जुलाई 1997 तक प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों में से, ओनिडा फाइनेन्स लिमिटेड और अल्पिक फाइनेंस लिमिटेड के प्रस्ताव उनके द्वारा जुटाई गई राशि का 0.25 प्रतिशत के संयोजक शुल्क पर निम्नतम पाये गये। मर्चेन्ट बैंकरों द्वारा निवेशकों को सीधे देय 0.25 से 0.75 प्रतिशत तक प्रोत्साहन/अपफ्रन्ट डिस्काउन्ट देने का भी प्रस्ताव किया। बैंकरों का 25/26 जुलाई 1997 का अन्तिम आफर, जिसमें ब्याज दर 14.50 से 14 प्रतिशत घटाने, प्रोत्साहन/अपफ्रन्ट डिस्काउन्ट को समाप्त करने और अपने शुल्क में 0.50 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने को, प्रबन्धन द्वारा अनुमोदित किया गया। बैंकरों का प्रोत्साहन/अपफ्रन्ट डिस्काउन्ट समाप्त करने का प्रस्ताव, बैंक ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी तथा बाण्डों की संरचना के कारण आर्थिक बाजार में हुए लाभकारी परिवर्तन द्वारा उत्प्रेरित था। अतः प्रोत्साहन/अपफ्रन्ट डिस्काउन्ट के कारण होने वाली 25 लाख रुपये की बचत, बैंकरों को देने के बजाय कम्पनी द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, कम्पनी ने मर्चेन्ट बैंकरों को अनुचित लाभ अनुमत किया क्योंकि उनकी सेवा में बिना किसी अनुरूप वृद्धि के उनके शुल्क में वृद्धि कर दी गई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि संयोजकों के शुल्क में वृद्धिगत पुनरीक्षण किया गया क्योंकि व्यावसायिक प्रचलन के अनुसार निवेशकों के अंशदान पर प्रोत्साहन के रूप में उन्हें एक निश्चित प्रतिशत देना पड़ता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाण्ड पर ब्याज की दर, निवेशकों के लिए उन्हें प्रोत्साहन किये बिना ही अधिक आकर्षक थी।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

4अ.6 बेलका लघु जल विद्युत गृह का निर्माण

विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों (ई एण्ड एम) की आपूर्ति और भूमि एवं आरेख की उपलब्धता से पूर्व ही सिविल कार्य निष्पादित करने के कारण अनुबन्ध करने 9.83 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त निरूद्ध निधियों पर 275.30 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

बिना आरेख तैयार किये एवं स्थल की सहमति के बिना सिविल कार्यों एवं मशीनरी के आपूर्ति आदेश दे देने के कारण अनुबन्ध समाप्त करना पड़ा

सार्वजनिक निवेश परिषद (पी आई बी) द्वारा 734.05 लाख रुपये की लागत पर सहारनपुर जिले में पूर्वी यमुना नहर (ई वाई सी) पर बेलका लघु जल विद्युत गृह के निर्माण की एक परियोजना जिसे तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना, की सवीकृति प्रदान की। कम्पनी ने पंजाब पावर जनरेशन मशीन्स (प्राइवेट) लिमिटेड से 424.97 लाख रुपये का वैद्युत एवं यांत्रिक उपकरण (ई एण्ड एम) की आपूर्ति और फ्रन्टियर कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड (एफ सी सी एल) से 155 लाख रुपये का सिविल कार्य के निष्पादन के दो अनुबन्ध किये (जुलाई 1988)। विद्युत गृह हेतु चयनित भूमि के लिये वन विभाग की सहमति अप्रैल 1990 में प्राप्त की जा सकी। अप्रैल 1990 से फरवरी 1995 के दौरान, सिंचाई डिजाइन संगठन, रूड़की (आई डी ओ) द्वारा आरेख तैयार किये गये। तथापि, प्रमुख ई एण्ड एम उपकरणों (मूल्य 474.66 लाख रुपये कर एवं शुल्क सहित) की आपूर्ति अगस्त 1992 तक प्राप्त कर ली गई। सिविल कार्य अप्रैल 1990 से प्रारम्भ किया जा सका क्योंकि कम्पनी फर्म की, आरेख एवं निर्माण स्थल को समय से उपलब्ध कराने में असफल रही। तथापि, कम्पनी ने अनुबन्ध को इस आधार पर समाप्त कर दिया (नवम्बर 1991) कि फर्म कार्य के निष्पादन में रूचि नहीं ले रही थी और कार्य स्थल एवं नक्शे देर से उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार को 9.83 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया। आई डी ओ द्वारा आरेख तैयार करने के पश्चात, सिविल कार्य का ठेका एक अन्य फर्म को 360.41 लाख रुपये में प्रदान कर दिया गया (दिसम्बर 1996)। पी आई बी द्वारा परियोजना को 1332.22 लाख रुपये की लागत पर अनुमोदित कर दिया गया (जून 1998)।

इस प्रकार, बिना भूमि पर कब्जा प्राप्त किये एवं आरेख तैयार हुए ई एण्ड एम उपकरण की अधिप्राप्ति एवं सिविल कार्य के निष्पादन का, प्रबन्धन के निर्णय के परिणामस्वरूप, ठेकेदार को 9.83 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के परिहार्य भुगतान के साथ–साथ ई एण्ड एम उपकरणों के क्रय करने के बाद से चार वर्षो तक अवरुद्ध रहने से कम्पनी की निधियों पर 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (उसकी ऋण–दर पर) 275.30 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (मई एवं सितम्बर 1999) कि वन विभाग द्वारा भूमि के लिये सहमति प्रदान करने एवं आई डी ओ द्वारा आरेख/डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी, जो कि इनके नियंत्रण में नहीं था, के कारण परियोजना समय से पूर्ण नहीं हो सकी। जुलाई 1988 में जब भूमि उपलब्ध नहीं थी, ई एण्ड एम उपकरण तथा सिविल कार्य का ठेका प्रदान करने में दुर्नियोजन के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 1999)।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड

4अ.7 केन्द्र सरकार द्वारा उपदान की प्रतिपूर्ति न करना

कम्पनी ने उपदान के दावे में पायी गयी विसंगतियों को स्पष्ट नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वह केन्द्र सरकार से 2.28 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकी।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू (1976–77) जनता कपड़ा योजना के अर्न्तगत कम्पनी, राज्ससतरीय कार्यान्वयन समिति (एस एल आई सी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कपड़ों की अधिप्राप्ति करती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त 1990 में घोषित संशोधित दिशा निर्देशों सपठित रियायत की नीति (जून 1991) में प्रावधान था कि एक वर्ष में 65 प्रतिशत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) द्वारा केवल राज्य के ही अन्दर और 15 प्रतिशत तक का वितरण विक्रय केन्द्रों से अपने राज्य के बाहर और अन्दर किया जायेगा।

2.68 करोड़ रुपये का उपदान केन्द्र सरकार द्वारा रोक लिया गया

कम्पनी ने केन्द्र सरकार को, 1992–93 की अंतिम तिमाही के दौरान 320.23 लाख वर्ग मीटर सूती एवं 22660 वर्ग मीटर ऊनी कपड़े के वास्तविक वितरण पर 1089.57 लाख रुपये की राशि के उपदान का दावा उसी अवधि के दौरान प्रस्तुत किया (मई 1993) केन्द्र सरकार ने दावे में राज्य के बाहर कपड़े का वितरण (पी डी एस और स्वयं के विक्रय केन्द्रों द्वारा), विक्रय वापसी आदि में कुछ विसंगतियां पाई (जून 1993) और एस एल आई सी की संस्तुतियों सहित स्पष्टीकरण मांगा। लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया (नवम्बर 1998) कि कम्पनी ने केन्द्र सरकार की संतुष्टि तक विसंगतियों को स्पष्ट नहीं किया। इसलिये, 1089.57 लाख रुपये के दावे में से सरकार ने योजना के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये कम्पनी के अपने विक्रय केन्द्रों द्वारा राज्य के बाहर किये गये वितरण के कारण 68.63 लाख वर्ग मीटर कपड़ों के वितरण की 233.34 लाख रुपये की धनराशि को रोक लिया। समान आधार पर, दावे में से 1992–93 की तीसरी तिमाही के 10.09 लाख वर्ग मीटर कपड़े

के वितरण का 34.32 लाख रुपये का उपदान भी रोक लिया गया। इस प्रकार, कम्पनी, केन्द्र सरकार से 267.66 लाख रुपये का उपदान प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह अपने दावों को अब तक (अगस्त 1999) सिद्ध नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (मई 1999) कि विसंगतियां जून 1993 में ही स्पष्ट कर दी गई थीं और दावे का अनुसरण अक्टूबर 1995 एवं अगस्त 1996 में किया गया। केन्द्र सरकार ने भी उपदान रोकने के स्पष्ट कारण नहीं बताये। उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि विकास आयुक्त (हथकरघा) ने अपेक्षा की थी (अक्टूबर 1995) कि सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुये केन्द्र सरकार से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाय जिससे कि अति विलम्बित उपदान की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सके।

प्रकरण, जून 1999 में सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

दि इण्डियन टर्पेनटाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड

4अ.8 सेकेन्ड्री एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस ई टी पी) की संस्थापना पर निष्फल व्यय

इकाई को पट्टे पर देने की संस्तुति के बावजूद कम्पनी का एस ई टी पी स्थापित करने का निर्णय 70 लाख रुपये के निष्फल व्यय में परिणामित हुआ।

इकाई को पट्टे पर देने की संस्तुति के बावजूद कम्पनी ने दूसरे एस ई टी पी पर 70 लाख रुपये खर्च किये

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के संदर्भ में, मद्य निर्माण शाला से उत्सर्जित बहिस्राव के शुद्धीकरण हेतु एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की संस्थापना अनिवार्य थी। इसीलिए, कम्पनी की औद्योगिक अलकोहल इकाई में 41.40 लाख रुपये प्रति वर्ष के पट्टा किराये पर एक प्राईमरी एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (पी ई टी पी) की संस्थापना (जून 1992) की गई। तत्पश्चात्, समिति, जिसका गठन (जुलाई 1993) इकाई के समग्र कार्य सम्पादन की समीक्षा हेतु किया गया था ने पाया कि इकाई प्रारम्भ से ही कम उपयोग में रही, अलकोहल के विक्रय में समस्याओं का सामना किया और विशाल हानियाँ उठाती रही थी। तद्नुसार, समिति ने इसे किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को पट्टे पर देने की संस्तुति की (जुलाई 1993) क्योंकि प्रबन्धन, इकाई को अपने उपलब्ध संसाधनों से चलाने में सक्षम नहीं था। तथापि, कम्पनी ने एस ई टी पी की संस्थापना का निर्णय लिया (जनवरी 1994) और उसकी संस्थापना पर (जनवरी 1995) 70 लाख रुपये का व्यय किया। इस अभिप्रायः से, राज्य सरकार से 45 लाख रुपये की सीमा निधियों की ऋण के रूप में व्यवस्था की गई। प्लाण्ट का प्रचालन, निधियों की कमी के कारण अब तक (मार्च 1999) नहीं किया जा सका।

अतः, इकाई को पट्टे पर देने की समिति की संस्तुति के बावजूद, एस ई टी पी की संस्थापना का कम्पनी का निर्णय, एस ई टी पी की अपूर्ण संस्थापना पर 70 लाख रुपये के निष्फल व्यय में परिणामित हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज (मार्च 1999 तक का) के रूप में 46.08 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता भी वहन करनी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1999) कि एस ई टी पी की संस्थापना का निर्णय 1993–94 में लिया गया था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण परिषद की अधिसूचना (मार्च 1994) के संदर्भ में तथा सरकार द्वारा परिसंस्करण हेतु पर्याप्त शीरे के आबंटन के प्रत्याशा में आवश्यक हो गया था; जिसके कारण, स्थायी व्ययों की वसूली की जा सकती थी। उत्तर तथ्यपरक नहीं है क्योंकि इकाई को पट्टे पर देने का निर्णय जुलाई 1993 में लिया गया जबकि प्लाण्ट की संस्थापना जनवरी 1995 में की गई।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था: उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड

4अ.9 कार्यालय स्थल के किराये पर अविवेकपूर्ण व्यय

बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के बड़े कार्यालय स्थल के किराये पर लेने के कारण 18.44 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुये।

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 50.61 करोड़ रुपये की कुल लागत पर विश्व बैंक द्वारा पोषित 'ग्रामीण महिला विकास एवं उत्थान परियोजना' की प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 1998) प्रदान की। परियोजना का कियान्वयन 1998–99 से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि में होना था। कम्पनी को नोडल संस्था के रूप में नियुक्त किया गया था और परियोजना पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जानी थी।

सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बड़े कार्यालय स्थल को किराये पर लेने से 18.44 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ

कम्पनी का अपना कार्पोरेट कार्यालय स्थल 9080 रुपये प्रति माह के किराये पर था। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा कर्मचारियों में वृद्धि एवं स्थान की आवश्यकता को देखते हुये कम्पनी ने केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लिए बिना ही 80544 रुपये प्रति माह के मासिक किराये वाले बड़े स्थल पर दिसम्बर 1996 से कार्यालय स्थानान्तरित कर लिया। तथापि, सरकार ने अधिकतम वृद्धि 33000 रुपये मात्र के किराये स्थल, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल थे, की स्वीकृति दी (अक्टूबर 1998) और इसीलिए कम्पनी ने अपना कार्यालय 15500

रुपये प्रति माह किराये के अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर लिया। इस प्रकार, कम्पनी ने 18.44 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 1999) कि किराये पर व्यय, विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित मानक एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि बड़े किराये के स्थल को लेने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया होता तो अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4अ.10 कौशल सुधार योजना के पांच ट्रेडों पर अनाधिकृत व्यय।

कम्पनी ने पांच ट्रेडों, जो कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे, के 400 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 14.84 लाख रुपये का व्यय किया।

कौशल सुधार योजना इस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी (1989–90) कि उन कार्यकारी महिलाओं जो आर्थिक दृष्टि से गरीब और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थीं, की विद्यमान कुशलता का विकास, प्रशिक्षण दे करके किया जाये जिससे उनकी उत्पादकता एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस योजना के लाभार्थी मात्र ऐसी स्त्रियों तक सीमित थे, जो पहले से ही कुछ कौशलपरक कार्य कर रही थीं, उनको, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कारीगरी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से चयनित, प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना था।

पांच अनाधिकृत ट्रेडों के प्रशिक्षण पर 14.84 लाख रुपये का व्यय किया गया

कम्पनी को 1989–90 से 1997–98 तक की अवधि के दौरान 7105 लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 131.27 लाख रुपये प्राप्त हुये जिसके विरुद्ध मार्च 1998 तक 125.67 लाख खर्च करके, 7285 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1996–97 के लिए 11 विशिष्ट ट्रेडों में 1148 लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 70 लाख रुपये की निधियाँ वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में प्राप्त हुईं और इसका उपयोग 1997–98 में किया गया। इस योजना से संबंधित वर्ष 1997–98 के अभिलेखों के नमूना जांच (मई 1998) में प्रगट हुआ कि चयनित किये गये लाभार्थियों में से कोई भी कौशलपरक कार्य, जैसा कि योजना में बताया गया था, नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्राप्त निधियों में से, वास्तव में से 14 ट्रेडों में 1815 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 64.40 लाख रुपये की धनराशि का व्यय किया गया। इसमें से, 5 ट्रेड प्राधिकृत नहीं थे जिन पर 400 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 14.84 लाख रुपये का व्यय किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने इन ट्रेडों के 400 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 14.84 लाख रुपये का अनाधिकृत व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 1999) कि आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के कारण, अपरम्परागत ट्रेडों पर बल दिया गया और नये लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि योजना के उद्देश्यों से विचलन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4अ.11 प्रतिनियुक्ति भत्ता का अमान्य भुगतान

कम्पनी ने शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये 15.43 लाख रुपये के अमान्य प्रतिनियुक्ति भत्ते की वसूली नहीं की

अन्य बातों के साथ–साथ शासनादेश (संख्या–3033 दिनांक 14 दिसम्बर 1982) प्रावधानित था कि (i) कोई भी सरकारी सेवक पांच वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, (ii) यदि कोई सरकारी सेवक पांच वर्ष से अधिक, शासन की स्वीकृति के बिना प्रतिनियुक्ति पर रहता है तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, (iii) किसी भी सरकारी सेवक के एक बार प्रतिनियुक्ति पर भेजने के पश्चात् पुनः प्रतिनियुक्ति पर, अपने मूल विभाग में कम–से–कम दो वर्ष की सेवा करने के पश्चात् ही भेजा जा सकता है।

182 अधिकारी एवं श्रमिक पांच वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रहे

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1999) कि मार्च 1973 से अगस्त 1981 तक की अवधि के दौरान 182 अधिकारी एवं श्रमिक कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर आये और पांच वर्ष से अधिक तक रहे। उपरोक्त में से 35 अधिकारी जून 1987 से कम्पनी में समाहित हो गये और शेष मार्च 1991 की अवधि तक या तो प्रतिनियुक्ति पर ही रहे या प्रोन्नति पर अपने मूल विभाग में लौट गये और दो वर्ष की सेवा पूर्ण किये बिना ही पुनः कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर लौट आये।

सरकार के आदेशों के बावजूद कम्पनी ने पांच वर्ष से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रहने वालों से प्रतिनियुक्ति भत्ता वसूल नहीं किया

तथापि, अधिकारियों एवं श्रमिकों जिन्होंने पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूर्ण कर ली थी, के प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान अक्टूबर 1989 से रोक दिया गया और प्रबंधन ने शासन से प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान का नियमितीकरण करने का अनुरोध किया था (दिसम्बर 1989)। मूल नियम 110 के अन्तर्गत और शासनादेश संख्या–4375 दिनांक 16 अक्टूबर 1984 के तारतम्य में राज्यपाल ने 31

मार्च 1991 या उससे पूर्व किसी तिथि तक का उपरोक्त 182 अधिकारियों/श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार, यदि शासन ऐसा निर्णय करता है, इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया (मार्च 1990) कि 31 मार्च 1985 के पश्चात् कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा और यदि ऐसा भुगतान पहले ही हो गया है तो उसे उनसे तुरन्त वसूल लिया जायेगा। तदनुसार, शासन ने कम्पनी को तुरन्त वसूली करने के निर्देश (सितम्बर 1993) दे दिये। तथापि, कम्पनी ने अप्रैल 1985 से सितम्बर 1989 के दौरान भुगतान किये गये 15.43 लाख रुपये के प्रतिनियुक्ति भत्ते की पांच वर्ष से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अधिकारियों/श्रमिकों से वसूली नहीं की।

प्रकरण, कम्पनी तथा सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

4अ.12 कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (ई पी एफ) पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान

ई पी एफ अंशदान के विलम्ब से जमा करने के कारण 7.36 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान हुआ

ई पी एफ अंशदान के जमा करने में विलम्ब के कारण 15.63 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक को कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान, कर्मचारियों के अंश के साथ, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर पी एफ सी) को अगले माह के 15 दिनों के अन्दर प्रेषित कर देना चाहिए। इस वैधानिक उपबन्ध के पालन में विफलता 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से, चूक की अधिकतम राशि तक, की क्षतिपूर्ति को आकृष्ट करता है (धारा 14 बी तत्रैव)

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 1999) से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1982 से अक्टूबर 1993 की अवधि के लिए कृषि कार्यशाला, तालकटोरा, लखनऊ के सम्बन्ध में अंशदान 4 से 545 दिन तक विलम्ब से जमा किया गया। आर पी एफ सी ने अंशदान विलम्ब से जमा करने के लिए 15.63 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जिसका कम्पनी ने सितम्बर 1997 से जून 1999 के दौरान भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1999) कि निधि की कमी के कारण, ई पी एफ को समय पर जमा नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नकद साख का उपयोग करके अंशदान समय से जमा किया जा सकता था जिससे 7.36 लाख रुपये की सीमा तक की क्षतिपूर्ति का भुगतान बचाया जा सकता था जो कि नकद साख पर ब्याज एवं आर पी एफ सी को दिया गया क्षतिपूर्ति का अन्तर था।

प्रकरण, सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4अ.13 मार्ग में प्रेषण पर ब्याज की परिहार्य हानि

बैंक की शाखा खाता से मुख्य खाता में निधियों के अन्तरण का मिलान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 6.21 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी, अपने मुख्यालय नैनीताल पर, राज्य सरकार एवं बैंक से ऋण लेकर व्यापार चला रही थी और नैनीताल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता परिचालित कर रही थी। कुमाऊँ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थिति कम्पनी की इकाईयां अपनी प्राप्तियां/आय इन बैंकों की शाखाओं में जमा करती थीं। शाखाओं को, उनमें जमा राशियों का प्रेषण इन बैंकों की मुख्य शाखा, नैनीताल पर कम्पनी के चालू खातों में प्रेषित करने थे। कम्पनी को खातों का आवधिक मिलान करके निश्चित करना था कि बैंक की शाखाओं से प्रेषित सभी राशियाँ मुख्य शाखा के चालू खाते में समय से जमा हो गई जिससे चालू खाते पर अधिविकर्ष से बचा जा सके।

प्रेषणों के त्वरित लेखांकन में विफलता के परिणामस्वरूप केडिट अतिविलम्ब से मिला

लेखा परीक्षा में देखा गया (मई 1999) कि अप्रैल 1983 से मार्च 1996 के दौरान, बैंक की शाखाओं ने अपने मुख्यालय को 16.74 लाख रुपये कम्पनी के नैनीताल के चालू खाते में जमा करने के लिए प्रेषित किये जिसमें से 14.50 लाख रुपये 24 से 119 माह के अतिविलम्ब से कम्पनी के चालू खाते में जमा किये गये। इस प्रकार, कम्पनी ने बैंक की नैनीताल स्थित मुख्य शाखा पर सभी प्रेषणों का त्वरित अन्तरण/लेखांकन सुनिश्चित नहीं कर सकीं। इसके परिणामस्वरूप, चालू खाते के अधिविकर्ष पर 8 से 11 प्रतिशत के मध्य लागू ब्याज दर पर 6.21 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1999) कि बैंक से निधियों के अन्तरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया था जो कि बैंक द्वारा उनके खाते में समाधान के बाद जमा की जायेगी। उत्तर, प्रबन्धन द्वारा बैंकों की शाखाओं से उनकी सम्बन्धित मुख्य शाखा में प्रेषित प्रेषणों के त्वरित जमा किये जाने को सुनिश्चित करने में विफलता की पुष्टि करता है।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

4ब

अन्य सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.1 कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान जमा करने में विलम्ब

कम्पनी को क्षेत्रीय भविष्य निधि (ई पी एफ) आयुक्त (आर पी एफ सी) के पास कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के जमा करने में विलम्ब के कारण 18.92 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा

जैसा कि पूर्व प्रस्तर 4अ.12 में उल्लेख किया गया है, भविष्य निधि के लिए मासिक अंशदान अगले माह में 15 दिन के अन्दर आर पी एफ सी के पास जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल होने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति आरोपित होती है।

लेखा परीक्षा में यह अवलोकन किया गया (फरवरी 1999) कि निगम का गाजियाबाद क्षेत्र, मार्च 1973 से सितम्बर 1996 की अवधि में, अपने पांच डिपो (खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़, साहिबाबाद व सिकन्दराबाद) से सम्बन्धित अंशदान नियत समय पर जमा करने में असफल रहा। आर पी एफ सी ने, प्रबन्धन के इस तर्क को कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण विलम्ब हुआ था, अस्वीकार करते हुए अप्रैल/जुलाई 1997 में क्षेत्रीय प्रबन्धक को कारण बताओ नोटिस निर्गत की। आर पी एफ सी ने अक्टूबर 1997 से जनवरी 1998 के मध्य, 18.92 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की। निगम ने ई पी एफ अपीलीय न्यायाधिकरण (ए टी) में अपील दायर की जिसे कालातीत प्रकरण होने के कारण जुलाई 1998 में निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, निगम से 18.92 लाख रुपये की राशि की क्षतिपूर्ति की वसूली (नवम्बर 1998) कर ली गयी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1999) कि ए टी ने माना था (8 अक्टूबर 1998) कि क्षतिपूर्ति का आरोपण विधि–संगत नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 14ब तत्रैव के अन्तर्गत तथा ए टी के निर्णय के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया ही जाना था, पूर्व तिथि से ब्याज दिये जाने के कारण हुई हानि की वसूली नियोक्ता से की जा सकती थी।

प्रकरण, सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

4ब.2 पर्वतीय विकास भत्ते का अमान्य भुगतान

निगम ने ऋषिकेश तथा कोटद्वार में अपने कर्मचारियों को 21.25 लाख रुपये के, पर्वतीय विकास भत्ते (एच डी ए) का अमान्य भुगतान किया

1 जनवरी 1991 से प्रभावी शासनादेश में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के राज्य के पर्वतीय जनवदों के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 75 से 200 रुपये प्रति माह तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए 40 से 120 रुपये प्रति माह की दर से एच डी ए के भुगतान का प्रावधान था। कोटद्वार के लिए पर्वतीय जनपद के मैदानी क्षेत्र के लिए निर्धारित दर मान्य थी। आगे, जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश (फरवरी 1978) के संदर्भ में ऋषिकेश के लिए एच डी ए मान्य नहीं था।

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, यह संज्ञान में आया (फरवरी 1999) कि ऋषिकेश में कार्यरत कर्मचारियों को एच डी ए का भुगतान किया जा रहा था जहां कि यह मान्य नहीं था। आगे, कोटद्वार में एच डी ए का भुगतान, मैदानी क्षेत्र में लागू दर के बजाय पर्वतीय क्षेत्र में लागू दर से किया गया। अप्रैल 1996 से अगस्त 1999 की अवधि में इन कार्यालयों में किये गये अमान्य एच डी ए के भुगतान की समग्र धनराशि 13.35 लाख रुपये थी।

प्रकरण, प्रबन्धन व सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4ब.3 व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने पर ब्याज की परिहार्य देयता

कबाड़ के विक्रय पर वसूल किये गये व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने के कारण 22.16 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण हुआ

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत, डीलर द्वारा वसूल किये गये व्यापार कर की राशि को, जिस माह में वसूली की गयी हो उसके आगामी माह के अन्त तक, सरकारी कोषागार में जमा कर देना चाहिये, जिसमें असफल होने पर विलम्बित अवधि के लिए व्यापार कर की धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

लेखा परीक्षा में यह अवलोकित किया गया (मार्च 1999) कि निगम का लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, जनवरी 1991 से दिसम्बर 1992 की अवधि में 327.01 लाख रुपये मूल्य के लोहे/अल्यूमिनियम के कबाड़ तथा अप्रयोज्य सामग्री की बिक्री पर वसूल किये गये 27.22 लाख रुपये के व्यापार कर को निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहा। यह विलम्बतः जुलाई 1995 में से जमा किया गया। इसीलिए, व्यापार कर प्राधिकारियों ने व्यापार कर जमा करने में 37 से 61 माह तक की देरी के कारण 22.16 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण किया (फरवरी 1999)। ब्याज की धनराशि का भुगतान अब तक (जून 1999) नहीं किया गया था। प्रबन्धन द्वारा व्यापार कर के विलम्ब से जमा

करने की चूक के लिए दायित्व का निर्धारण भी नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1999) कि व्यापार कर समय से जमा नहीं किया जा सका, क्योंकि निगम व्यापार कर विभाग में पंजीकृत नहीं था और भविष्य में व्यापार कर समय से जमा करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

प्रकरण, सरकार को जून 1999 में सूचित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

4ब.4 ऋण का अनुपयोजन

दो मामलों में प्रतिपूर्ति की दरों के निर्धारण न करने के पहले ऋण के आहरण के फलस्वरूप 3.20 करोड़ रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अ) उत्तर प्रदेश सरकार ने तेलीबाग भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या–1, लखनऊ को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) को सौंप दिया (जुलाई 1991) और परिषद को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (एस एल ए ओ) लखनऊ के माध्यम से 432.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण करने का निर्देश दिया (जून 1993)। एस एल ए ओ ने 8 रुपये प्रति वर्ग फुट व 15 प्रतिशत प्रतिपूरक की दर से भूमि प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग की (फरवरी 1993) जो परिषद द्वारा आपत्ति करने पर घटाकर 2.37 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दी गयी (अगस्त 1994)। इसी बीच, परिषद ने हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंन्ट कार्पोरेशन (हुडको) से भूमि अधिग्रहण हेतु 14.29 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक समझौता कर लिया (अक्टूबर 1993) और 2.37 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से आगणित मात्र 5.29 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विरुद्ध, 11.43 करोड़ रुपये आहरित कर लिया। इस आहरित धनराशि में से 3.77 करोड़ रुपये जिलाधिकारी के व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा कर दिया गया (फरवरी 1995)। एस एल ए ओ ने 1.40 करोड़ रुपये उस भूमि की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया (मार्च–अगस्त 1995), जिसका स्वामित्व परिषद को जुलाई 1995 में दिया गया था। 2.37 करोड़ रुपये की शेष धनराशि का उपयोग, एस एल ए ओ द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया (जुलाई 1995 से जनवरी 1996)। भूस्वामियों ने प्रतिपूर्ति की दर से संतुष्ट न होने के कारण परिषद को कार्य आरम्भ नहीं करने दिया (जुलाई 1998)।

परिषद ने ऋण पर 1.57 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया

परिषद ने हुडको को दिसम्बर 1994 से दिसम्बर 1996 के दौरान 11.43 करोड़ रुपये ऋण तथा 1.57 करोड़ रुपये के ब्याज का पुनर्भुगतान कर दिया। 1.57 करोड़ रुपये के भुगतान किये गये ब्याज में से 69.46 लाख रुपये, 6.14 करोड़ रुपये के अधिक आहरण से सम्बन्धित था।

इस प्रकार, प्रतिपूर्ति की दर के निर्धारण एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के पूर्व ऋण के आहरण से न केवल 1.40 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का निष्फल भुगतान रहा बल्कि 1.57 करोड़ रुपये के ब्याज के कारण परिहार्य व्यय भी हुआ।

परिषद ने बताया (अगस्त 1999) कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत, भूमि अर्जन के प्रयास किये जा रहे थे। तथापि, परिषद आवश्यकता से अधिक ऋण के आहरण का औचित्य नहीं बता सकी।

भूस्वामियों के साथ दरों का समाधान किये बिना हुडको से आहरित ऋण, 1.63 करोड़ रूपये के ब्याज सहित लौटाया गया

(ब) इसी प्रकार, परिषद ने मझोला भूमि विकास एवं आवास योजना संख्या–4 (भाग–II), मुरादाबाद के सम्बन्ध, में भूस्वामियों से दरों पर वार्ता करके भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 11.10 करोड़ रुपये (अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत) के ऋण हेतु हुडको से एक अनुबन्ध किया (मार्च 1994)। अनुबन्ध में यह भी वर्णित था कि ऋण के छः माह के अन्दर उपयोग न करने पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। परिषद ने भूमि क्रय की दर निर्धारण के पूर्व सितम्बर 1994 में 8.38 करोड़ रुपये तथा जनवरी 1995 में 50 लाख रुपये के ऋण आहरित कर लिए जबकि परिषद द्वारा प्रस्तावित और मण्डलायुक्त, मुरादाबाद द्वारा अनुमोदित (जून 1995) दरें, भूस्वामियों को स्वीकार नहीं थीं। परिषद ऋण का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वह एस एल ए ओ के माध्यम से या सीधे भूस्वामियों से बातचीत करके भूमि अधिग्रहण करने में असफल रहा। परिणामतः, परिषद ने 1.63 करोड़ रुपये ब्याज सहित ऋण की धनराशि बिना प्रयोग किए वापस कर दी (दिसम्बर 1994 से सितम्बर 1995)।

परिषद ने बताया (जनवरी 1999) कि ऋण का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि आयुक्त द्वारा अनुमोदित दरें भूस्वामियों को मान्य नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पूर्व ऋण का आहरण उचित नहीं था।

प्रकरण सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

4ब.5 अनुचित व्यय

पहले से संतृप्त 103 ग्रामों में 26.10 लाख रुपये की लागत पर 145 हैण्ड पम्पों को संस्थापना करने से त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ

सीतापुर जनपद के अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, केन्द्रीय

सरकार द्वारा वित्त पोषित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्लू एस पी) के अन्तर्गत, अधिशाषी अभियन्ता (ई ई) निर्माण खण्ड, सीतापुर ने 1997–98 में 1175 इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्पों (0.18 लाख रुपये प्रति पम्प की अनुमानित लागत पर) की स्थापना के लिए एक आंकलन तैयार किया। हैण्ड पम्प 611 समस्याग्रस्त ग्रामों/बस्तियों में स्थापित किये जाने थे।

लेखा परीक्षा की नमूना जांच (सितम्बर 1998) मे प्रगट हुआ कि 145 हैण्ड पम्प (26.10 लाख रुपये की लागत पर) ऐसे 103 पूर्ण संतृप्त ग्रामों/बस्तियों में स्थापित किए गये थे जहां पहले से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध था। इस प्रकार, 26.10 लाख रुपये का किया गया व्यय अनुचित एवं कार्यक्रम के उद्देश्य के विपरीत था।

पूर्ण संतृप्त ग्रामों में हैण्ड पम्पों की स्थापना को स्वीकार करते हुए ई ई ने बताया (सितम्बर 1998) कि हैण्ड पम्प स्थानीय संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, ग्राम प्रधान आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए गये थे और व्यय निष्फल नहीं था क्योंकि जनता इन हैण्ड पम्पों से जल प्राप्त कर रही थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य, अभावग्रस्त तथा अल्प जल उपलब्ध बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराना था जो कि उस सीमा तक पूरा नहीं किया गया।

प्रकरण, सरकार को मार्च 1999 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 999)।

4ब.6. परित्यक्त जलापूर्ति योजना पर निष्फल व्यय

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 10.92 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात् कार्य के परित्याग करने का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि कस्बा क्षेत्र, योजना के लिए योग्य था।

बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से निर्माण खण्ड, बाराबंकी ने में 59.59 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सिरौली गौसपुर जलापूर्ति योजना तैयार की (अक्टूबर 1994)। खण्ड को इस कार्य के लिए 19 लाख रुपये का आबंटन किया गया (जनवरी 1995)। जबकि आंकलन की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 1995 में दी गयी थी, प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर 1996 में दी गयी।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1999) में प्रगट हुआ कि प्राप्त 19 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये की धनराशि विद्युत/यांत्रिक खण्ड, फैजाबाद को एक नलकूप निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दी गयी थी। पम्प हाउस, चहारदीवारी के निर्माण व स्थल विकास कार्य, निर्माण खण्ड द्वारा किया गया और कुल 10.92 लाख रुपये (5.61 लाख रुपये सिविल कार्य पर तथा 5.31 लाख रुपये यांत्रिक कार्य पर) का व्यय किया गया। तथापि, विद्युत/यांत्रिक खण्ड ने विद्युत संयोजन अभी तक नहीं लिया।

निदेशक मण्डल ने इस अवस्था में योजना का परित्याग करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 1996) क्योंकि योजना 20000 से कम आबादी वाले कस्बा क्षेत्रों के लिए थी। तथापि, जल निगम द्वारा कार्य के परित्याग का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि अक्टूबर 1994 में तैयार किये गये आंकलनों के अनुसार, कस्बा क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या केवल 10500 ही थी।

प्रकरण सरकार को जुलाई 1999 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

उत्तर प्रदेश वन निगम

4ब.7 जलौनी लकड़ी की कमी

माप के लिए निर्धारित प्रकिया अपनाने में निगम की असफलता के कारण 13.04 लाख रुपये मूल्य की जलौनी लकड़ी की कमी हुई

दिल्ली नगर निगम (डी एन एन) के निगम बोध घाट पर 1993–94 में 6 इंच से अधिक व्यास वाली 20000 क्विंटल जलौनी लकड़ी (फायर वुड) की आपूर्ति आदेश के विरुद्ध, इलाहाबाद क्षेत्र के जौनपुर डिपो, ने उपलब्ध भण्डार 24415.500 घन मीटर में से शेष 14297.315 घन मीटर छोड़कर 10118.185 घन मीटर जलौनी लकड़ी की आपूर्ति की। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित हुआ (अक्टूबर 1998) कि डिपो में लकड़ी भण्डार के भौतिक सत्यापन के दौरान (18 मार्च 1994), अभिलेखित शेष 14297.315 घन मीटर के विरुद्ध भण्डार में मात्र 8435.130 घन मीटर जलौनी लकड़ी पायी गयी, परिणामतः 13.04 लाख रुपये के मूल्य की 5862.185 घन मीटर लकड़ी की कमी हुई। डिपो के सहायक लौगिंग प्रबन्धक (ए एल एम) द्वारा बतायी गयी कमी के कारण थे: (i) डी एन एन को वांछित आकार की जलौनी की आपूर्ति के पश्चात् 6 इंच से कम व्यास की लकड़ी (झलासी) का पुनः चट्टा लगाना तथा (ii) डी एन एन को आपूर्ति की गयी लकड़ी की माप ट्रक में लदान करने के बाद लिया जाना। लकड़ी में कमी के बताये गये कारण इस तथ्यात्मक दृष्टि से संतोषजनक नहीं थे कि 6 इंच से कम व्यास वाली झलासी नाम की लकड़ी डिपो में प्राप्त ही नहीं हुई थी और ट्रक पर माप लिया जाना जमीन पर चट्टा लगाकर माप लिये जाने की निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध था।

ए एल एम को अक्टूबर 1994 में निलम्बित कर दिया गया था। क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद क्षेत्र ने जो जाँच अधिकारी नियुक्त (सितम्बर 1996) किये गये थे, मई 1998 में मुख्यालय को प्रतिवेदन दे दिया था। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मई 1999)।

प्रकरण, प्रबन्धन को मई 1999 में तथा सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4स

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

4.स.1 एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया जाना

एक उपभोक्ता को 'बे' प्रभारों (10.87 लाख रुपये) एवं प्रतिभूति जमा (79.50 लाख रुपये) की कम वसूली करके तथा मीटर के धीमी गति से चलने पर निर्धारण (411.71 लाख रुपये) न करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया

लखनऊ एलायज़ प्राइवेट लिमिटेड अमौसी, लखनऊ की उनकी अमौसी इकाई की उत्प्रेरण भट्टी के लिये अवमुक्त 3600 के वी ए विद्युत भार को, परिषद के जून 1998 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार उनकी भट्टी की 9 एम टी क्षमता के सत्यापन के अनुसरण में 18 जून 1998 से 5400 के वी ए तक बढ़ा दिया गया। विद्युत वितरण खण्ड, खुर्रम नगर, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच (जून 1999) में देखा गया कि उपभोक्ता को 502.08 लाख रुपये का अनुचित लाभ निम्न कारणों से दिया गया:

33 के वी 'बे' का सम्पूर्ण मूल्य प्रभारित नहीं किया गया

(i) मुख्य अभियन्ता (पारेषण) के निर्देशों (जून 1993) के अनुसार, 33 के वी 'बे' के निर्माण का मूल्य उपभोक्ता से वसूल किया जाना था चाहे 'बे' पहले से ही विद्यमान हो। तथापि, 'बे' उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक सामग्री के मूल्य के समायोजन के बाद 'बे' का अवशेष मूल्य 10.82 लाख रुपये वसूल नहीं किया गया।

प्रतिभूति कम भारित की गई

(ii) उपभोक्ता को, प्रतिभूति जमा की राशि 79.50 लाख रुपये कम भारित की गई क्योंकि मार्च 1994 के परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एम सी जी की दर के दो गुने के आधार पर आगणित 97.20 लाख रुपये की वसूली योग्य धनराशि के समक्ष 17.70 लाख रुपये ही वसूल किये गये; और

नये मीटर की तुलना में पुराना मीटर 68.22 प्रतिशत धीमा चल रहा था जिससे 4.12 करोड़ रुपये का कम प्रभारण हुआ

(iii) परिषद की इक्वेटर टीम ने मार्च 1998 में उपभोक्ता के परिसर की जांच की और देखा कि करेन्ट ट्रांसफार्मर/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर (सी टी/पी टी) के सामने और पार्श्व दरवाजे की पेपर सील टूटी हुई दशा मे थी, 33 के वी पी टी का बी फेज दगा हुआ व क्षतिग्रस्त था। इकाई द्वारा इक्वेटर टीम की आख्या सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि, यह देखा गया कि जनवरी 1997 से अप्रैल 1998 तक पुराने मीटर (मई 1998 में प्रतिस्थापित) द्वारा प्रति एम टी उत्पादन पर अभिलेखित औसत उपभोग, नये मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग से, 68.22 प्रतिशत कम था। परिणामस्वरूप, जनवरी 1997 से अप्रैल 1998 की अवधि के

लिए अन्य प्रभारों को छोड़कर 411.71 लाख रुपये का राजस्व कम भारित हुआ तथा उपभोक्ता को देयकीकृत नहीं किया गया।

खण्ड अधिकारी ने बताया (अगस्त 1999) कि उपभोक्ता को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि 'बे' प्रभारों के वास्तविक मूल्य की वसूली की गई थी और मार्च 1994 के परिषद विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिभूति को सही प्रभारित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 'बे' प्रभारों की वसूली में वास्तविक लागत की बाध्यता नहीं थी, और मुख्य अभियन्ता (पारेषण) के निर्देशों (अप्रैल 1993) के अनुसार 'बे' के विद्यमान होने की स्थिति में भी 'बे' प्रभार वसूली योग्य थे। आगे, परिषद की विज्ञप्ति (मार्च 1994), 300.00 रुपये प्रति बी एच पी या एम सी जी की दर के दो गुने जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिभूति के प्रभारण के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। परिषद की अक्टूबर 1996 की विज्ञप्ति में इसे पुनः स्पष्ट किया गया था, तदनुसार प्रतिभूति उपरोक्त आगणन के अनुसार प्रभारणीय थी।

प्रकरण, परिषद व सरकार को जुलाई 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4स.2 परिवर्तकों के निरीक्षण एवं परीक्षण पर अतिरिक्त व्यय

निजी फर्मों से कराये गये परिवर्तकों के रूटीन एवं टाइप टेस्ट पर परिषद ने 59.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया

खरीदे गये परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये, इसका रूटीन टेस्ट एवं निरीक्षण, परिषद के अधिकारियों द्वारा उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के कार्य स्थल पर प्रारम्भ से ही किया जाता रहा है। ऐसे कार्य का परिषद द्वारा आगणित परिवर्तनीय लागत परिवर्तकों की लागत का 0.31 प्रतिशत था।

परिवर्तकों के निरीक्षण एवं टेस्टिंग को बाहरी संस्था को 59.36 लाख रुपये दिया गया

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल–I लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1999) कि माननीय ऊर्जा मंत्री की पहल पर परिषद ने बाह्य अभिकरणों द्वारा निरीक्षण, परिवर्तक की लागत के 0.84 प्रतिशत मूल्य पर कराने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1997)। तदनुसार, लायड्स रजिस्टर इण्डस्ट्रियल सर्विसेज (इण्डिया) प्रा0 लि0 एवं राइट्स, नई दिल्ली को 2000 रुपये प्रति परिवर्तक की दर से प्रत्येक फर्म को 1650 परिवर्तकों (क्षमता, 25 के वी ए से 100 के वी ए तक) के रूटीन एवं टाइप टेस्ट के प्रमाणित करने के आदेश दिये गये (अप्रैल 1998)। फर्म, जिसने उत्पादक के कार्य स्थल पर अप्रैल 1998 से जनवरी 1999 के मध्य किये गये

रूटीन एवं टाइप टेस्ट को प्रमाणित किया, को जनवरी 1999 तक 11.17 लाख रुपये की देयता को छोड़कर 54.83 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, परिषद ने 59.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय परिवर्तकों के टाइप एवं रूटीन टेस्ट के प्रमाणन पर किया जिसको परिषद के अधिकारियों द्वारा किये जाने की दशा में बचाया जा सकता था।

परिषद ने बताया (अक्टूबर 1999) कि अन्य पक्ष द्वारा टाइप व रूटीन टेस्ट परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कराया गया था तथा अन्य पार्टी के निरीक्षण का मूल्य, परिवर्तक के 0.81 प्रतिशत के विभागीय मूल्य के समक्ष 0.84 प्रतिशत था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अन्य पक्ष के निरीक्षण का वास्तविक मूल्य 8.4 प्रतिशत आगणित होता है न कि 0.84 प्रतिशत। आगे, परिषद के पास प्रारम्भ से ही सामग्री के निरीक्षण के लिये विशिष्टीकृत शाखा थी एवं विभागीय निरीक्षण की परिवर्तनीय लागत मात्र 0.31 प्रतिशत थी।

प्रकरण, सरकार को अप्रैल 1999 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1999)।

4स.3 निष्फल व्यय

33/11 के वी उपकेन्द्र/लाइनों के निर्माण पर किया गया 38.44 लाख रुपये का व्यय, सितम्बर 95 में चोरी गये कन्डक्टर को न बदलने के कारण निष्फल रहा

अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य मण्डल, आगरा द्वारा 52.72 लाख रुपये का प्राक्कलन 33/11 के वी उपकेन्द्र, निधौली कलां, एटा के निर्माण के लिये स्वीकृत किया गया (अक्टूबर 1994)। उपकेन्द्र को आपूर्ति देने के लिये पिलुआ एवं जलेसर उपकेन्द्रों से 33 के वी की लाइनों के निर्माण के लिये अगस्त एवं अक्टूबर 1994 में दो प्राक्कलन क्रमशः 20.69 लाख रुपये एवं 52.18 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये।

लेखा परीक्षा की नमूना जांच के दौरान देखा गया (अप्रैल 1999) कि यद्यपि 33/11 के वी निधैाली कलां उपकेन्द्र 24.26 लाख रुपये की लागत से 1996 में पूर्ण हो गया था, इसको, सितम्बर 1995 में पिलुआ से निधौली कलां उपकेन्द्र तक की 33 के वी की लाइन, जो कि 12.86 लाख रुपये की लागत से पूर्ण की गई थी, से चोरी गये 10 कि मी रैकून कन्डक्टर (मूल्य लगभग 2.00 लाख रुपये) के न बदले जाने के कारण, ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका। चोरी गया कन्डक्टर अब तक (अप्रैल

1999) नहीं बदला जा सका था। इसके अतिरिक्त, जलेसर उपकेन्द्र से 33 के वी लाइन का निर्माण कार्य 60 खम्भों को लगाने पर 1.32 लाख रुपये का व्यय करने के बाद, बिना कोई कारण बताये बन्द कर दिया गया था (फरवरी 1997)।

इस प्रकार, चोरी गये रैकून कन्डक्टर के न बदले जाने के कारण, लाइन व उपकेन्द्र अब तक (अप्रैल 1999) ऊर्जीकृत नहीं था और 38.44 लाख रुपये का व्यय 1996 से निष्फल रहा।

प्रकरण, परिषद एवं सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4स.4 ट्रंक लाइन टैप करके एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ

परिषद की ट्रंक लाइन से टैपिंग करके संयोजन देने के कारण एक उपभोक्ता को 35.01 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

पोषक की पूर्ण लागत जमा कराये बगैर परिषद की ट्रंक लाइन टैप करके संयोजन अवमुक्त किया गया

परिषद के जून 1992 के आदेश सपठित मई 1994 के आदेश के अनुसार परिषद की 33 के वी ट्रंक लाइन से टैपिंग की किसी भी दशा में अनुमति नहीं है।

मोंगा मेटल मलवां, फतेहपुर को एलाय स्टील के उत्पादन के लिये 2350 के वी ए के भार की स्वीकृति (दिसम्बर 1991) इस शर्त के साथ दी गई कि आपूर्ति 33 के वी विभव पर 132 के वी उपकेन्द्र मलवां से स्वतन्त्रपोषक द्वारा की जायगी। तदनुसार, 35.01 लाख रुपये का एक प्राक्कलन, स्वतन्त्र पोषक की लागत को शामिल करते हुए स्वीकृत किया गया (नवम्बर 1992) जिसे उपभोक्ता ने जमा नहीं किया। तथापि, उपरोक्त परिषद आदेश के अवहेलना में और उपभोक्ता द्वारा स्वतन्त्र पोषक की लागत 16.00 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 4.00 लाख रुपये जमा करने (जनवरी 1993) के बावजूद, संयोजन विद्यमान 33 के वी मलवां–फतेहपुर ट्रंक लाइन को टैप करके 33/11 के वी औद्योगिक क्षेत्र मलवां उपकेन्द्र जो निर्माणाधीन था, के पूर्ण होने तक की अवधि के लिये अस्थायी रूप से अवमुक्त कर दिया गया (जनवरी 1993)। आगे, उपभोक्ता की प्रार्थना पर (दिसम्बर 1997) 4.00 लाख रुपये जिसे उसने जनवरी 1993 में जमा किया था, विद्युत बकायों में समायोजित कर दिया गया।

लेखा परीक्षा में यह अवलोकित किया गया (अगस्त 1998) कि परिषद ने उपभोक्ता से उपकेन्द्र की लागत (7.88 लाख रुपये) नहीं वसूल की। इस प्रकार, उपरोक्त परिषद आदेशों के उल्लंघन में, 33

के वी ट्रंक लाइन से टैप करके ऊर्जा की आपूर्ति करने के कारण उपभोक्ता को 35.01 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रकरण, परिषद को जनवरी 1999 व सरकार को जून 1999 में सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4स.5 सिस्टम लोडिंग चार्जेज की वसूली न होना

परिषद ने एक उपभोक्ता को 13 लाख रुपये के सिस्टम लोडिंग प्रभारों का अनियमित समायोजन अनुमत किया।

राठी उद्योग, गाजियाबाद जिनका अनुबन्धित भार 3288 के वी ए था, को 2000 के वी ए का अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया (अगस्त 1989), जिसके लिए लाइन प्रभारों (0.89 लाख रुपये) को जमा करने एवं उसके लिए अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु नियम एवं शर्तें (टी सी) प्रस्तावित की गई (सितम्बर 1991)। उपभोक्ता द्वारा लाइन प्रभार अक्टूबर 1991 में जमा किया गया किन्तु उपभोक्ता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया। इस प्रकार स्वीकृत आदेश के शर्तों के उपबन्ध 3 के अनुसार, अतिरिक्त भार को दिसम्बर 1992 में निरस्त कर दिया गया क्योंकि संयोजन दो वर्ष व्यतीत होने पर भी अवमुक्त नहीं किया गया था। उपभोक्ता की प्रार्थना (जनवरी 1994) पर परिषद ने अवमुक्त भार को मार्च 1995 तक बढ़ा दिया (मई 1994) तथा तदनुसार, 30.85 लाख रुपये के लिए (लाइन प्रभारः 4.28 लाख रुपये, सिस्टम लोडिंग प्रभारः 13.00 लाख रुपये एवं अतिरिक्त प्रतिभूतिः 13.57 लाख रुपये) संशोधित नियम एवं शर्तें फरवरी 1995 में प्रस्तावित की गईं। टी सी की धनराशि जमा की गई एवं 5288 के वी ए के संशोधित भार के लिये अनुबन्ध भी फरवरी 1995 में निष्पादित किया गया। सम्प्रेक्षा में यह अवलोकित किया गया (मार्च 1999) कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की पहल पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया सिस्टम लोडिंग प्रभार दिसम्बर 1995 में इस आधार पर समायोजित कर दिया गया कि सिस्टम लोडिंग प्रभार अक्टूबर 1991 में टी सी के भुगतान के समय लागू नहीं था। तथापि, सिस्टम लोडिंग प्रभारों का समायोजन उचित नहीं था क्योंकि लाइन प्रभारों का भुगतान 13.02.95 को माना गया, जैसा कि मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने फरवरी 1997 में स्पष्ट किया व अतिरिक्त भार जुलाई 1995 में अवमुक्त किया गया। मुख्य अभियंता (वाणिज्य) के निर्णय (फरवरी 1997) के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता के विरुद्ध 13 लाख रुपये के सिस्टम लोडिंग प्रभारों की कोई अनुपूरक मांग नहीं उठाई गई।

परिषद ने बताया कि (अक्टूबर 1999) उपभोक्ता द्वारा लाइन प्रभारों का भुगतान अक्टूबर 1991 में किया गया था एवं मार्च 1995 के आदेशानुसार यदि लाइन प्रभार 3 दिसम्बर 1993 के पूर्व वसूल

कर लिया गया हो तो सिस्टम लोडिंग प्रभार वसूली योग्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइन प्रभार के भुगतान की तिथि फरवरी 1995 मानी जानी चाहिए जब लाइन प्रभारों सहित संशोधित टी सी का विद्यमान दर पर भुगतान किया गया था।

प्रकरण, सरकार को मई 1999 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

4स.6 अम्बेदकर ग्रामों का विद्युतीकरण

राज्य सरकार ने 'अम्बेदकर ग्राम विकास योजना', अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के बाहुल्य जनसंख्या वाले चयनित ग्रामों के सीधे लाभ एवं तीव्र विकास के उद्देश्य से लागू की (जनवरी 1991)। विकास कार्य में अन्य बातों के साथ–साथ जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत चुने गये ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित था। इन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को सौंपा गया।

अम्बेदकर ग्राम विकास योजना में चिन्हित ग्रामों का विद्युतीकरण सम्मिलित था

योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये चिन्हित (सितम्बर 1995) 11218 ग्रामों में से, मार्च 1995 तक 1431 ग्राम पूर्व में ही विद्युतीकृत थे। राज्य सरकार ने विद्युतीकरण हेतु 1995–96 में 5000 ग्रामों तथा 1996–97 में शेष 4787 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया। राज्य सरकार ने शेष 9787 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये, 325.03 करोड़ रुपये की निधियाँ (1995–96 में 92.55 करोड़ रुपये, 1996–97 में 52.48 करोड़ रुपये एवं 1997–98 में 180.00 करोड़ रुपये) ऋण के रूप में दी जिस पर 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारित था। इसके विरुद्ध वर्ष 1998–99 तक 173.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 6738 ग्राम ही विद्युतीकृत किये जा सके। 151.85 करोड़ रुपये का अवशेष धन चालू खाते में पड़ा रहा। फलस्वरूप, 22.02 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के आवर्ती ब्याज का दायित्व हुआ।

परिषद ने ब्याज के आवर्ती दायित्वों से बचने के लिए ऋण को अनुदान में बदलने का अनुरोध (सितम्बर 1995) राज्य सरकार से किया। तथापि, सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित था (जुलाई 1999)।

परिषद एवं क्रियान्वयन करने वाले 14 खण्डों के 1995–96 से 1998–99 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में, योजना के क्रियान्वयन में निम्न कमियाँ/अनियमितताएँ देखी गई:

योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत 735 ग्रामों में कोई भी संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया था

- 14 खण्डों के 735 विद्युतीकृत ग्रामों में, विद्युतीकरण कार्य के पूर्ण होने के एक से तीन वर्ष बाद भी एक भी संयोजन अवमुक्त नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि योजना में प्रत्येक ग्राम में 10 संयोजन अवमुक्त करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, बिना किसी विद्युत भार के लाइनों को ऊर्जीकृत रखने से, अनधिकृत टैपिंग (कटिया संयोजन) में वृद्धि हुई जैसा कि भदोही में 25/30 अनधिकृत संयोजन, परिषद कर्मचारियों द्वारा देखे गये।

अन्य कार्यों के लिये निधि का अपवर्तन किया गया

- विद्युत वितरण खण्ड–I (वि वि ख) गाजीपुर ने निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु सामग्री की अधिप्राप्ति करने के लिये 39.17 लाख रुपये का अपवर्तन किया जबकि वि वि ख भदोही ने 1995–96 के दौरान 'अम्बेदकर ग्राम विकास योजना' निधि से 2.65 लाख रुपये की लागत पर एक ग्राम तारापुर, जो अम्बेदकर ग्राम नही था, विद्युतीकृत किया।

- वि वि ख बदायूँ, बुलन्दशहर, बांदा, बिजनौर एवं मेरठ ने 30 ग्रामों में 25 के वी ए के परिवर्तक के प्रावधान के विरुद्ध, 9.01 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय पर 63 के वी ए के परिवर्तक संस्थापित किये। आगे, गश्त लगाने के लिए चौकीदार एवं रक्षक के न होने से, जून 1997 में 12.50 लाख रुपये की लागत पर वि वि ख–I बदायूँ द्वारा विद्युतीकृत बखतपुर ग्राम से 1.90 लाख रुपये के मूल्य की लाइन सामग्री की चोरी हो गई।

एल टी लाइनों पर व्यय मानक से अधिक हो गया

- प्रति कि मी एल टी लाइनों के मानक व्यय जो 69800 रुपये (1995–96) एवं 75250 रुपये (1997–98) के मध्य था, के समक्ष 10 खण्डों का वास्तविक व्यय क्रमशः 80781 रुपये (1995–96) से 172653 (1997–98) के मध्य रहा। मानक का अनुपालन न करने से, 547.451 कि मी लाइनों के निर्माण पर 1997–98 के अन्त तक के तीन वर्षों में 152.75 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- परिषद द्वारा लाइन की सामग्री की अधिप्राप्ति किये जाने के राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध, जिलाधिकारी, मेरठ ने मार्च 1996 के दौरान 110.16 लाख रुपये के क्रय आदेश प्रेषित कर दिये जिसका भुगतान जिलाधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण में से अवमुक्त किया गया। सम्प्रेक्षा के विश्लेषण में स्पष्ट हुआ कि 499.902 कि मी ए सी एस आर वीजल कन्डक्टर एवं 25 के वी ए के 150 परिवर्तकों को, परिषद द्वारा उसी अवधि में उन्हीं मदों पर भुगतान किये गये दर से ऊँची दर पर की गई अधिप्राप्ति से 5.12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, अपनी हरिजन बस्तियों सहित पूर्व वर्षों में ही विद्युतीकृत किए जा चुके, 20 ग्रामों को अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 52.62 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुनः विद्युतीकृत दिखाया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व में विद्युतीकृत ग्रामों को अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत पुनः विद्युतीकृत दिखाया गया

- परिषद ने योजना के अन्तर्गत 1998–99 तक अभिलिखित, 173.18 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के समक्ष सरकार को 269.45 करोड़ रुपये व्यय सूचित किया।

प्रकरण, परिषद एवं सरकार को सूचित किया गया था (मई 1999); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1999)।

पी. मुखर्जी

लखनऊ,
दिनांक 6-4-2000

(पी. मुखर्जी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली,
दिनांक 6-4-2000
7-4-2000

(वी.के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(प्रस्तर संख्या 1.2.1 व 1.4 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1999 को पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण एवं बकाया ऋण

(स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण*	1998–99 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			1998–99 के लिए ऋण/अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ. सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17	332.83	--	--	4000.00	--	1000.00	--	--	--	--	-- (0.17:1)
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री ऐण्ड लाइवस्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (243.50)	6.00	--	--	50.00 (243.50)	--	--	--	109.75	--	109.75	0.37:1 (2.19:1)
3.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	146.85 (126.00)	--	--	--	146.85 (126.00)	--	156.22	--	61.11	--	61.11	0.22:1 (0.79:1)
4.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25	--	--	32.96 (0.46)	71.21 (0.46)	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
5.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50	--	--	--	50.50	--	--	--	--	--	--	-- (14.39:1)
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73	--	--	7.67 (0.44)	30.40 (0.44)	--	--	--	--	--	--	-- (10.87:1)
7.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	--	--	7.85 (2.03)	23.15 (2.03)	--	--	--	--	118.00	118.00	4.69:1 (30.39:1)
8.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस ऐण्ड टयूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	540.00 (447.00)	100.00	--	--	640.00 (447.00)	--	--	--	--	--	--	-- (--)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68	--	--	64.25	704.93	--	--	--	122.48	--	122.48	0.17:1 (0.38:1)
10.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00	--	--	--	150.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
11.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00	--	--	--	107.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**5422.48** **(816.50)**	**438.83**	**--**	**112.73** **(2.93)**	**5974.04** **(819.43)**	**--**	**1156.22**	**--**	**293.34**	**118.00**	**411.34**	**0.06:1** **(0.51:1)**
	उद्योग												
12.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05	--	--	--	596.05	--	600.00	--	631.41	--	631.41	1.06:1 (0.67:1)
13.	महमूदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06	--	--	2.55	5.61	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(र)	4(र)	5
14.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	1.63	--	1.63	--			3.00	--	3.00	1.84:1 (0.94:1)
15.	आटो ट्रैक्टर्स	562.59	--	--	187.41	750.00	--			37.50	--	37.50	0.05:1 (0.05:1)
16.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट लिमिटेड की सहायक)	--	--	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	--	84.00		--	1157.40	1157.40	5.72:1 (5.83:1)
17.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	--	--	137.80	0.44	138.24	75.00	--		--	250.00	250.00	1.81:1 (6.80:1)
18	नार्दन इलेक्ट्रिक इक्यूपमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	--	--	0.07	--	0.07	--	--		--	--	--	-- (--)
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट ऐण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94	--	--	--	573.94	--	--		191.40	--	191.40	0.33:1 (0.33:1)
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट ऐण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00	--	--	537.86	--	--		194.23	--	194.23	0.36:1 (0.36:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
21.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	76.25	--	76.25	--	--		--	--	--	-- (1.61:1)
22.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	35.20	--	35.20	--	--	32.5	--	467.66	467.66	13.29:1 (12.36:1)
23.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	2922.00	1702.00	4624.00	--	--		--	13820.00	13820.00	2.99:1 (3.05:1)
24.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	--	--	15.56	--	15.56	--	--		--	--	--	-- (--)
25.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	2.74	--	--	--	2.74	--	--		--	--	--	-- (--)
26.	उत्तर प्रदेश एस्कोट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	4.85	--	4.85	--	--	--	--	--	--	-- (--)
27.	उत्तर प्रदेश टायर ऐण्ड ट्यूबस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	183.16	--	183.16	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
28.	यू पी ए आई लिमिटेड	17.01	--	--	--	17.01	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**2283.25**	**10.00**	**3554.24**	**1907.90 (9.00)**	**7755.39 (9.00)**	**75.00**	**684.00**	**32.50**	**1057.54**	**15695.06**	**16752.60**	**2.16:1 (2.22:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
29.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7030.07 (721.24)	--	--	--	7030.07 (721.24)	639.37	698.00	--	3544.00	--	3544.00	0.46:1 (0.40:1)
30.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	117.00	--	117.00	--	--	--	--	20.00	20.00	0.17:1 (0.03:1)
S31.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	124.08	50.63	174.71	--	--	--	--	324.00	324.00	1.85:1 (3.06:1)
32.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	5315.59	--	5315.59	--	--	--	--	8507.96	8507.96	1.60:1 (1.60:1)
33.	उत्तर प्रदेश हिल इलेद्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	894.53	--	--	--	894.53	--	--	--	--	--	--	-- (--)
34.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	9.34	8.97	18.31	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
35	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	1.67	1.60	3.27	--	--	--	--	--	--	-- (--)
36.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	0.79	--	0.79	--	--	--	--	--	--	-- (--)
37.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	--	--	110.00	64.71	174.71	--	--	--	--	--	--	-- (--)
38.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	2.55	--	2.55	--	--	--	--	2.77	2.77	1.09:1 (1.23:1)
39.	कुमाँयू टेलीविजन लिमिटेड (कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	--	--	52.00	47.75	99.75	--	--	--	--	--	--	-- (--)
40.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	5.25	--	5.25	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**7924.60** **(721.24)**	**--**	**5738.27**	**173.66**	**13836.53** **(721.24)**	**639.37**	**698.00**	**--**	**3544.00**	**8854.73**	**12398.73**	**0.85:1** **(0.86:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वस्त्र												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	20732.37	--	--	--	20732.37	--	3206.00	--	--	24.33	24.33	-- (0.42:1)
42.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	3190.52	--	3190.52	--	--	--	2175.00	950.50	3125.50	0.98:1 (0.62:1)
43.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	7842.83 (1022.78)	0.01	7842.84 (1022.78)	--	--	1498.00	--	3404.56	3404.56	0.38:1 (0.39:1)
44.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20	--	26.00	--	42.20	--	--	--	--	--	--	-- (--)
45.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	375.54	--	375.54	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**20748.57**	**--**	**11434.89** **(1022.78)**	**0.01**	**32183.47** **(1022.78)**	**--**	**3206.00**	**1498.00**	**2175.00**	**4379.39**	**6554.39**	**0.20:1** **(0.43:1)**
	हैण्डलूम ऐण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
46.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49	1062.95	--	--	4707.44	--	535.00	--	1375.71	--	1375.71	0.29:1 (0.40:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
47.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर व बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	3.00	--	3.00	--	--	--	19.06	41.34	60.40	20.13:1 (20.13:1)
48.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	2.00	--	2.00	--	--	--	208.67	--	208.67	104.33:1 (104.33:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49**	**1062.95**	**5.00**	**--**	**4712.44**	**--**	**535.00**	**--**	**1603.44**	**41.34**	**1644.78**	**0.35:1** **(0.46:1)**
	खनन												
49.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5943.48	--	--	--	5943.48	--	--	--	1828.86	--	1828.86	0.31:1 (0.31:1)
50.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	3.73	3.87	7.60	--	--	6.75	--	84.42	84.42	11.11:1 (10.21:1)
	क्षेत्रवार योग	**5943.48**	**--**	**3.73**	**3.87**	**5951.08**	**--**	**--**	**6.75**	**1828.86**	**84.42**	**1913.28**	**0.32:1** **(0.32:1)**
	निर्माण												
51.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00	--	--	--	1000.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
52.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
53.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00	--	--	--	300.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00**	**--**	**--**	**--**	**1400.00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--** **(--)**
	क्षेत्र विकास												
54.	कुमांयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1341.88	--	--	--	1341.88	--	292.50	--	--	--	--	-- (0.51:1)
55.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30	--	--	--	123.30	--	--	--	5.00	--	5.00	0.04:1 (--)
56.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80	--	--	--	129.80	--	--	--	--	--	--	-- (0.27:1)
57.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रेक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	--	--	1.22	--	1.22	--	--	--	--	--	--	-- (--)
58.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00	--	--	--	67.00	--	--	--	65.93	--	65.93	0.98:1 (0.98:1)
59.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00	--	--	--	125.00	--	--	--	--	--	--	-- (0.17:1)
60.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	--	--	--	70.00	--	--	--	85.79	--	85.79	1.22:1 (1.22:1)
61.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	5.00	--	5.00	0.05:1 (0.05:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
62.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56	--	--	32.47	126.03	--	--	--	91.60	--	91.60	0.73:1 (0.73:1)
63.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	646.00	--	--	--	646.00	33.85	--	--	957.42	--	957.42	1.48:1 (2.09:1)
64.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
65.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	--	--	--	70.00	--	--	--	30.00	--	30.00	0.43:1 (0.43:1)
66.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00	--	--	--	25.00	--	--	--	64.60	--	64.60	2.58:1 (2.58:1)
67.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00	--	--	--	46.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**2937.54**	**--**	**1.22**	**32.47**	**2971.23**	**33.85**	**292.50**	**--**	**1305.34**	**--**	**1305.34**	**0.44:1 (0.81:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
68.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स ऐण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5989.31	4665.43	--	--	10654.74	1500.00	--	510.50	--	--	--	-- (0.27:1) *
69.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	20.00	--	30.00	--	50.00	--	--	--	17.48	--	17.48	0.35:1 (0.35:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
70.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	22.00	--	28.00	--	50.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)
71.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00	--	--	--	45.00	--	--	--	125.00	--	125.00	2.78:1 (2.78:1)
72.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00	--	--	--	15.00	--	--	--	--	187.83	187.83	12.52:1 (23.01:1)
73.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	910.00 (100.00)	--	--	--	910.00 (100.00)	100.00	--	1360.37	--	629.00	629.00	0.62:1 (0.94:1)
	क्षेत्रवार योग	**7001.31** **(100.00)**	**4665.43**	**58.00**	**--**	**11724.74** **(100.00)**	**1600.00**	**--**	**1870.87**	**142.48**	**816.83**	**959.31**	**0.08:1** **(0.38:1)**
	सार्वजनिक वितरण												
74	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	--	--	--	500.00 (50.39)	--	--	--	1496.50	--	1496.50	2.72:1 (3.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00** **(50.39)**	**--**	**--**	**--**	**500.00** **(50.39)**	**--**	**--**	**--**	**1496.50**	**--**	**1496.50**	**2.72:1** **(3.03:1)**
	चीनी												
75.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	48001.92	--	--	--	48001.92	--	3658.00	--	--	11767.31	11767.31	0.24:1 (2.45:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
76.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	32.59 (0.40)	--	1620.99	45.06	1698.64 (0.40)	--	--	--	--	--	--	-- (--)
77.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	1224.52	--	1224.52	--	--	--	--	505.60	505.60	0.41:1 (1.61:1)
78.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	3404.05	--	3404.05	--	--	15.00	--	763.57	763.57	0.22:1 (0.55:1)
79.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	879.85	15.00	894.85	--	--	--	--	1832.41	1832.41	2.05:1 (2.05:1)
	क्षेत्रवार योग	**48034.51** **(0.40)**	**--**	**7129.41**	**60.06**	**55223.98** **(0.40)**	**--**	**3658.00**	**15.00**	**--**	**14868.89**	**14868.89**	**0.27:1** **(2.23:1)**
	सीमेण्ट												
80.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00	--	--	--	6828.00	--	--	--	12476.52	--	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00**	**--**	**--**	**--**	**6828.00**	**--**	**--**	**--**	**12476.52**	**--**	**12476.52**	**1.83:1** **(1.83:1)**
	पर्यटन												
81.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53	--	--	--	1512.53	--	--	--	48.33	--	48.33	0.03:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53**	**--**	**--**	**--**	**1512.53**	**--**	**--**	**--**	**48.33**	**--**	**48.33**	**0.03:1** **(0.03:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	दवा, रसायन एवं दवा निर्माण												
82.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.73	--	--	3.29	22.02	--	--	--	45.00	--	45.00	2.04:1 (3.87:1)
83.	उत्तर प्रदेश कार्बन ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	1.27	--	1.27	--	--	--	--	--	--	-- (--)
84.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	658.73	--	658.73	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**18.73**	**--**	**660.00**	**3.29**	**682.02**	**--**	**--**	**--**	**45.00**	**--**	**45.00**	**0.07:1 (0.12:1)**
	विद्युत												
85.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	25280.50	--	--	--	25280.50	--	--	--	--	--	--	-- (--)
86.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	70.00	--	--	--	70.00	--	360.00	--	2760.00	--	2760.00	39.43:1 (34.29:1)
	क्षेत्रवार योग	**25350.50**	**--**	**--**	**--**	**25350.50**	**--**	**360.00**	**--**	**2760.00**	**--**	**2760.00**	**0.11:1 (0.09:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वित्त												
87.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51	--	--	--	2407.51	--	500.00	1000.00	3869.39	3550.00	7419.39	3.08:1 (2.45:1)
88.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल ऐण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50	--	--	--	11057.50	--	--	--	--	51009.03	51009.03	4.61:1 (4.61:1)
89.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77	--	--	70.02	147.79	--	--	--	--	--	--	-- (--)
90.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2352.50	--	--	--	2352.50	200.00	90.00	933.38	1010.42	4441.18	5451.60	2.32:1 (2.20:1)
91.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	100.00	5.87	105.87	--	--	--	--	--	--	-- (3.93:1)
	क्षेत्रवार योग	**15895.28**	**--**	**100.00**	**75.89**	**16071.17**	**200.00**	**590.00**	**1933.38**	**4879.81**	**59000.21**	**63880.02**	**3.97:1 (3.91:1)**
	विविध												
92.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27	--	--	70.00	704.27	--	200.00	--	151.88	10.00	161.88	0.23:1 (0.22:1)
93.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.20	--	--	0.22	818.42	--	--	--	697.04	--	697.04	0.85:1 (--)
94.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	-- (--)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
95.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00	--	--	--	350.00	100.00	--	--	--	--	--	-- (--)
96.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	61.00	48.03	--	--	109.03	--	--	--	--	--	--	-- (--)
97.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54	--	--	--	42.54	--	--	--	--	--	--	-- (--)
	क्षेत्रवार योग	**2006.01**	**48.03**	**--**	**70.22**	**2124.26**	**100.00**	**200.00**	**--**	**848.92**	**10.00**	**858.92**	**0.40:1 (0.07:1)**
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियाँ)	**157451.28 (1688.53)**	**6225.24 (--)**	**28684.76 (1022.78)**	**2440.10 (11.93)**	**194801.38 (2723.24)**	**2648.22**	**11379.72**	**5356.50**	**34505.08**	**103868.87**	**138373.95**	**0.70:1 (1.37:1)**
ब.	**सांविधिक निगम**												
	विद्युत												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	--	--	--	--	--	--	112893.00	56484.00	1227737.00	290138.00	1517875.00	--
	क्षेत्रवार योग	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**112893.00**	**56484.00**	**1227737.00**	**290138.00**	**1517875.00**	**--**
	परिवहन												
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25231.95	6925.29	--	--	32157.24	573.95	--	3152.05	1171.05	9411.45	10582.50	0.33:1 (0.31:1)
	क्षेत्रवार योग	**25231.95**	**6925.29**	**--**	**--**	**32157.24**	**573.95**	**--**	**3152.05**	**1171.05**	**9411.45**	**10582.50**	**0.33:1 (0.31:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वित्त												
3.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	6345.00	--	--	3655.00	10000.00	--	--	--	1125.60	141178.10	142303.70	14.23:1 (13.91:1)
	क्षेत्रवार योग	**6345.00**	**--**	**--**	**3655.00**	**10000.00**	**--**	**--**	**--**	**1125.60**	**141178.10**	**142303.70**	**14.23:1 (13.91:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	758.95	518.25	--	--	1277.20	140.00	--	--	--	142.59	142.59	0.11:1 (0.16:1)
	क्षेत्रवार योग	**758.95**	**518.25**	**--**	**--**	**1277.20**	**140.00**	**--**	**--**	**--**	**142.59**	**142.59**	**0.11:1 (0.16:1)**
	वन												
5.	उत्तर प्रदेश वन निगम	--	--	--	--	--	--	700.00	--	--	700.00	700.00	--
	क्षेत्रवार योग	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**700.00**	**--**	**--**	**700.00**	**700.00**	**--**
	विविध												
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	--	--	--	--	--	--	750.00	670.66	2826.29	--	2826.29	--
7.	उत्तर प्रदेश जल निगम	--	--	--	--	--	--	605.80	--	28745.30	1475.10	30220.40	--

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
8.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	--	--	--	--	--	--	--	--	237.48	--	237.48	--
	क्षेत्रवार योग	--	--	--	--	--	--	1355.80	670.66	31809.07	1475.10	33284.17	--
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	32335.90	7443.54	--	3655.00	43434.44	713.95	114948.80	60306.71	1261842.72	443045.24	1704887.96	39.25:1 (37.38:1)
	कुल योग	189787.18 (1688.53)	13668.78 (--)	28684.76 (1022.78)	6095.10 (11.93)	238235.82 (2723.24)	3362.17	126328.52	65663.21	1296347.80	546914.11	1843261.91	7.74:1 (8.08:1)

टिप्पणीःउन कम्पनियों और निगमों, जिन्होंने 1998–99 तक लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था (क्रम संख्या 30, 31 और 82), को छोड़कर आंकड़े अनन्तिम हैं और कम्पनियों/निगमों द्वारा दिए गये है।

* बाण्ड, डिवेंचर, अन्तर निगम जमा को शामिल करके।

** 1998–99 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घ अवधि ऋण को दर्शाता है।

परिशिष्ट–2

(प्रस्तर संख्या 1.2.1, 1.2.2, 1.5.1, 1.6, 1.6.1.1, 1.6.2.1, व 1.7 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 7 से 12 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/ निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी (अ)[1]	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	कम्पनी/ निगम की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
अ	सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय													
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	1997-98	1998-99	(+)328.99	--	4000.00	(-)5309.36	(-) 38.62	536.61	--	1	कार्यरत कम्पनी
2.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशिलिटीज लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	07.12.1974	1994-95	1997-98	(-) 4.91	--	163.50	(-) 11.26	196.71	(-) 4.91	--	4	कार्यरत कम्पनी
3.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	05.03.1975	1990-91	1996-97	(-) 16.10	--	146.85	(-) 168.72	220.44	(-) 6.63	--	8	अकार्यरत – कम्पनी

1 नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों को निरूपति करती है (वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों क्रम संख्या अ–68,73,87,88,89,90,91 एवं ब–3 जहाँ नियोजित पूँजी का आगणन प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड, जमा और पुनर्वित्तपोषण सहित ऋणों के कुल योग के औसत के मध्यमान के रूप में किया जाता है, के प्रकरण को छोड़कर पूँजीगत कार्य एवं कार्यरत पूँजी सहित)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1997-98	1998-99	(-) 42.76	--	70.75	(-) 29.19	1515.08	156.72	10.34	1	कार्यरत कम्पनी
5.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1997-98	1998-99	(+)17.10	(+) 1.57	61.32	(+) 35.56	990.22	207.56	20.96	1	कार्यरत कम्पनी
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1997-98	1998-99	(-) 5.05	--	30.05	(+) 1.99	361.56	28.38	7.85	1	कार्यरत कम्पनी
7.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1997-98	1998-99	(+) 8.18	--	25.00	(+) 1.00	749.31	55.02	7.34	1	कार्यरत कम्पनी
8.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	1997-98	1998-99	(-) 281.77	(-) 7.39	590.00	(-) 721.23	342.54	(-) 281.77	--	1	अकार्यरत– अन्य
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोडयूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य प्रक्रिया एवं उद्यान	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	--	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	--	14	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	1997-98	1998-99	(+) 0.05	--	150.00	(-) 54.13	11140.75	0.05	--	1	कार्यरत कम्पनी
11.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	27.10.1979	1990-91	1998-99	(-) 33.25	--	100.00	(-)153.60	519.47	(-) 9.27	--	8	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग	--	--	--	--	**(+) 354.32** **(-) 450.41**	**(+) 1.57** **(-) 7.39**	**5528.23**	**(+) 38.55** **(-) 6702.82**	**(+) 16116.80** **(-) 38.62**	**(+) 984.34** **(-) 354.55**	--	--	--
	उद्योग													
12.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	01.06.1958	1992-93	1996-97	(-) 340.82	--	596.05	(-) 448.52	1737.51	(-) 98.06	--	6	कार्यरत कम्पनी
13.	महमूदाबाद पीपुल्स टेन्नरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	--	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	--	22	अकार्यरत – अन्य
14.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्सन अप्लाऐन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	--	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	--	24	अकार्यरत – अन्य
15	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	(+) 10.71	--	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	7	अकार्यरत – अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16.	उत्तर प्रदेश इन्सट्रूमेण्टस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	01.01.1975	1996-97	1998-99	(-) 674.96	--	193.22	(-) 2907.16	(-) 1798.36	(-) 674.96	--	2	कार्यरत कम्पनी
17.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	29.11.1973	1994-95	1997-98	(-) 46.38	--	63.24	(-) 270.66	104.00	(-) 23.80	--	4	कार्यरत कम्पनी
18.	नार्दन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	29.01.1974	1989-90	1997-98	(-) 0.01	--	0.07	(-)0.55	0.07	(-) 0.01	--	9	अकार्यरत – अन्य
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	12.02.1974	1996-97	1997-98	(+) 13.99	(+) 2.59	573.94	(-) 667.11	461.94	23.75	5.14	2	कार्यरत कम्पनी
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	12.02.1974	1991-92	1995-96	(-) 45.29	--	537.86	(-) 648.86	793.04	(-) 34.96	--	7	अकार्यरत – अन्य
21	यू पी एस आई सी पोटट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	27.04.1976	1990-91	1998-99	(-) 47.05	--	76.26	(-) 272.71	(-) 54.51	(-) 28.61	--	8	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22.	उत्तर प्रदेश डिजिटलस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	08.03.1978	1996-97	1997-98	(-) 118.66	--	35.20	(-) 694.54	35.26	(-) 57.60	--	2	कार्यरत कम्पनी
23.	कान्टीनेटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	12.04.1985	1995-96	1996-97	--	--	4599.95	--	11818.42	--	--	3	अकार्यरत – अन्य
24.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेन्टाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977-78	--	(-) 1.91	--	15.56	--	11.64	(-) 0.47	--	Nil	01.04.78 से समापन के अन्तर्गत
25.	इण्डियन बोबिन कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1964	1973-74	--	(+) 0.03	--	2.74	--	3.67	0.03	0.82	Nil	10.09.73 से समापन के अन्तर्गत
26.	उत्तर प्रदेश एबस्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	--	(-) 1.55	--	4.85	--	12.39	(-) 0.41	--	10	19.04.86 से समापन के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
27.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	--	(-) 217.08	--	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	--	3	09.01.96 से समापन के अन्तर्गत
28.	यू पी ए आई लिमिटेड	उत्तरांचल विकास	20.04.1977	1985-86	--	(-) 0.35	--	17.01	(+) 3.17	12.39	(-) 0.35	--	5	31.03.91 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 24.73** **(-) 1494.88**	**(+) 2.59**	**7655.64**	**(+) 3.17** **(-) 13394.23**	**(+) 16112.65** **(-) 2258.83**	**(+) 269.63** **(-) 920.05**	--	--	
	इलेक्ट्रानिक्स													
29.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	20.03.1974	1997-98	1998-99	(+) 0.30	--	7111.44	(+) 38.82	4025.88	0.30	--	1	कार्यरत कम्पनी
30.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	10.04.1977	अप्रैल 1997 से सितम्बर 1998	1998-99	(-) 13.81	--	117.00	(-)57.92	520.65	78.71	15.12	Nil	कार्यरत कम्पनी
31.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	01.02.1979	1998-99	1998-99	(+) 10.08	--	174.71	(-) 260.79	988.16	65.32	6.61	Nil	कार्यरत कम्पनी
32.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-) 3212.23	--	5315.59	(-) 19693.43	3275.69	(-) 406.07	--	3	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
33.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उत्तरांचल विकास	26.06.1985	1993-94	1997-98	(-) 21.41	--	794.03	(-) 68.10	447.27	(-) 21.41	--	5	कार्यरत कम्पनी
34.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	27.04.1987	1989-90	1990-91	(-) 1.61	--	18.31	(-) 1.61	12.35	(-) 1.61	--	9	अकार्यरत – अन्य
35.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	10.08.1987	*									13	अकार्यरत – अन्य
36.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	18.07.1989	*									11	अकार्यरत – अन्य
37.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	27.01.1973	1992-93	1998-99	(-) 79.09	--	174.71	(-) 230.11	211.37	(-) 73.29	--	4	30.11.96 से समापन के अन्तर्गत
38.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	--	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	--	16	10.06.96 से समापन के अन्तर्गत
39.	कुमाँयू टेलीविजन लिमिटेड (कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	24.08.1977	1995-96	1998-99	(-) 43.48	--	99.75	(-) 276.91	101.72	(-) 3.71	--	1	30.11.96 से समापन के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
40.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	31.03.1978	*	--	--	--	5.25	--	--	--	--	18	10.06.96 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 10.38** **(-) 3372.41**	--	**13813.34**	**(+) 38.82** **(-) 20592.24**	**(+)9584.95**	**(+) 144.33** **(-) 506.45**	--	--	
	वस्त्र													
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	02.12.1969	1997-98	1998-99	(+) 280.63	--	16079.37	(-) 18056.07	3844.60	1700.60	44.23	1	कार्यरत कम्पनी
42.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	20.08.1974	1997-98	1998-99	(-) 545.05	--	3190.52	(-)5635.61	1598.58	(-) 337.72	--	1	कार्यरत कम्पनी
43.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पीनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	20.08.1976	1997-98	1998-99	(+)1860.42	--	7842.84	(-)8041.21	5454.74	2353.63	43.15	1	कार्यरत कम्पनी
44.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा	05.12.1975	1988-89	1998-99	(-)13.52	--	26.00	(-) 11.56	36.74	(-)13.52	-	2	विलय के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
45.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.06.1976	1994-95	--	(-) 165.77	--	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	--	1	20.02.96 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 2141.05** **(-) 724.34**	--	**27514.27**	**(-) 32940.36**	**(+) 10934.66** **(-) 49.09**	**(+) 4139.58** **(-) 351.24**	--	--	
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स													
46.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा	09.01.1973	1988-89	1998-99	(+) 38.12	--	1193.49	(-)1123.26	4339.83	134.00	3.09	10	कार्यरत कम्पनी
47.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर व बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा	26.05.1976	1989-90	1998-99	(+)4.55	--	3.00	(+) 2.71	88.41	103.21	116.74	1	विलय के अन्तर्गत
48.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा	13.09.1976	1986-87	1998-99	(+) 36.16	--	2.00	(+)71.72	314.79	55.38	17.59	4	विलय के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 78.83**	--	**1198.49**	**(+) 74.43** **(-) 1123.26**	**(+) 4743.03**	**(+) 292.59**	--	--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	खनन													
49.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	23.03.1974	1994-95	1997-98	(-) 108.44	--	5640.48	(-) 209.27	3018.69	(-) 106.60	-	4	कार्यरत कम्पनी
50.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	--	270.00	(-) 76.93	0.79	(-) 10.86	-	11	अकार्यरत – अन्य
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(-) 120.22**	--	**5910.48**	**(-) 286.20**	**(+) 3019.48**	**(-) 117.46**	--	--	
	निर्माण													
51.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	1997-98	1998-99	(+) 264.21	--	1000.00	(+) 744.24	2191.20	264.21	12.05	1	कार्यरत कम्पनी
52.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	1997-98	1998-99	(+) 64.97	(+) 249.47	100.00	(+)1132.35	1469.81	72.59	4.94	1	कार्यरत कम्पनी
53.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	1997-98	1998-99	(+) 132.34	--	300.00	(+)386.52	697.96	132.34	18.96	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 461.52**	**(+) 249.47**	**1400.00**	**(+) 2263.11**	**(+) 4358.97**	**(+) 469.14**	--	--	
	क्षेत्र विकास													
54.	कुमाँयू मण्डल विकास निगम लिमिटेड	उत्तरांचल विकास	30.03.1971	1995-96	1998-99	(-) 14.80	(-) 106.59	836.61	(-) 257.68	994.71	29.00	2.92	3	कार्यरत कम्पनी
55.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	--	123.30	(-) 134.50	(-) 0.98	(-) 8.71		7	अकार्यरत – अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
56.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-) 13.64	--	114.80	(-) 107.90	19.02	(-) 13.64	-	11	अकार्यरत – अन्य
57.	बुन्देलखण्ड कोनक्रीट स्ट्रेक्चरलस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	भूमि विकास एवं जल संसाधन	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	--	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	12	अकार्यरत – अन्य
58.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	--	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	--	15	अकार्यरत – अन्य
59.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1984-85	1994-95	(-) 69.26	--	125.00	(-) 90.00	449.13	(-) 56.84	--	14	अकार्यरत – अन्य
60.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.01.1976	1981-82	1992-93	(+) 0.44	--	50.00	(+) 1.49	60.57	0.52	0.86	17	अकार्यरत – अन्य
61.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1986-87	1989-90	(+) 11.24	(+) 2.51	100.00	(-) 33.13	132.02	12.48	9.45	12	अकार्यरत – अन्य
62.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1985-86	1995-96	(+) 2.36	--	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	13	अकार्यरत – अन्य
63.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	उत्तरांचल विकास	31.03.1976	1992-93	1996-97	(+) 88.50	--	451.50	90.30	2769.60	110.62	3.99	6	कार्यरत कम्पनी
64.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1993-94	1996-97	(-) 10.48	--	100.00	(-) 76.95	29.25	(-) 10.48	--	5	अकार्यरत – अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
65.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-) 2.71	--	70.00	(-) 26.38	88.29	(-) 2.71	--	11	अकार्यरत – अन्य
66.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	30.03.1978	1987-88	1996-97	(-) 15.30	--	25.00	(-) 10.57	80.51	(-) 4.64	--	11	अकार्यरत – अन्य
67.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	15.03.1975	1976-77	--	(+) 0.28	--	46.00	--	46.27	0.28	0.61	Nil	07.06.77 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 102.82** **(-) 146.34**	**(+) 2.51** **(-) 106.59**	**2233.64**	**(+) 91.79** **(-) 867.34**	**(+) 4774.65** **(-) 0.98**	**(+) 155.26** **(-) 101.00**	--	--	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास													
68.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	समाज कल्याण	25.03.1975	1992-93	1997-98	(+) 171.39	--	3663.88	(+) 605.78	4666.97	172.96	3.71	6	कार्यरत कम्पनी
69.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	30.06.1975	1987-88	1992-93	(-) 9.19	--	50.00	(-) 41.94	20.48	(-) 8.93	--	11	कार्यरत कम्पनी
70.	कुमांऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	उत्तरांचल विकास	30.06.1975	1985-86	1998-99	(-) 2.01	--	36.00	(-) 2.85	34.64	(-) 2.01	--	13	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
71.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	--	45.00	(+) 0.45	70.44	(-) 4.00	--	16	अकार्यरत – अन्य
72.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	25.06.1976	1997-98	1998-99	(-) 107.97	--	15.00	(+) 550.34	931.34	(-) 107.33	--	1	कार्यरत कम्पनी
73.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.04.1991	1994-95	1996-97	(-) 10.54	--	100.00	(-) 20.89	1380.12	(-) 7.79	--	4	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 171.39** **(-) 133.71**	--	**3909.88**	**(+) 1156.57** **(-) 65.68**	**(+) 7103.99**	**(+) 172.96** **(-) 130.06**	--	--	
	सार्वजनिक वितरण													
74.	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड ऐण्ड एसेंशियल कोमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	22.10.1974	1985-86	1995-96	(+) 34.71	--	50.00	(+) 95.11	524.11	120.97	23.08	13	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 34.71**	--	**50.00**	**(+) 95.11**	**(+) 524.11**	**(+) 120.97**	--	--	
	चीनी													
75.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1994-95	1997-98	(-) 4189.46	(-) 52.40	46740.12	(-) 56265.94	46804.44	1511.52	3.23	4	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
76.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	17.02.1972	1997-98	1998-99	(+) 33.03	--	1698.64	(-) 724.02	4526.38	504.90	11.15	1	कार्यरत कम्पनी
77.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1996-97	1998-99	(-) 636.26	--	1224.52	(-) 3042.36	1715.44	(-) 261.20	--	2	कार्यरत कम्पनी
78.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1995-96	1998-99	(-) 759.71	(+) 6.05	3404.05	(-) 6659.56	(-) 136.44	(-) 426.34	--	3	कार्यरत कम्पनी
79.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	1996-97	1998-99	(-) 541.67	--	894.86	(-) 2843.15	85.44	(-) 247.69	--	2	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 33.03** **(-) 6127.10**	**(+) 6.05** **(-) 52.40**	**53962.19**	**(-) 69535.03**	**(+) 53131.70** **(-) 136.44**	**(+) 2016.42** **(-) 935.23**	--	--	
	सीमेण्ट													
80.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-) 4775.52	--	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	--	3	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(-) 4775.52**	--	**6828.00**	**(-)42599.38**	**(-) 23980.30**	**(-) 2291.33**	--	--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	पर्यटन													
81.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	1997-98	1998-99	(+)20.51	(+) 23.42	1512.53	(-) 165.61	1405.20	22.20	1.58	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 20.51**	**(+) 23.42**	**1512.53**	**(-) 165.61**	**(+) 1405.20**	**(+) 22.20**	--	--	
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स													
82.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1924	1998-99	1998-99	(-) 417.45	--	22.02	(-) 2139.28	(-) 1859.51	(-) 405.02	--	शून्य	कार्यरत कम्पनी
83.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	12.01.1982										10	अकार्यरत – अन्य
84.	उत्तर प्रदेश कार्बाईड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	--	(-) 617.54	--	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	--	1	19.02.94 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(-) 1034.99**	--	**680.75**	**(-) 5670.79**	**(-) 3704.37**	**(-) 455.59**	--	--	

* सरकारी कम्पनी बनने (23 फरवरी 1989) से लेखे नहीं तैयार किये गये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	विद्युत													
85.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	1997-98	1998-99	(-) 6.93	--	100.00	(-) 10901.77	14383.06	(-) 6.93	--	1	कार्यरत कम्पनी
86.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	1997-98	1998-99	(+) 262.11	--	70.00	(+) 518.15	9192.60	262.11	2.85	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 262.11** **(-) 6.93**	--	**170.00**	**(+) 518.15** **(-) 10901.77**	**(+) 23575.66**	**(+) 262.11** **(-) 6.93**	--	--	
	वित्त													
87.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1961	1997-98	1998-99	(+) 614.61	--	2407.51	(+) 892.35	8554.70	1249.00	14.60	1	कार्यरत कम्पनी
88.	दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	1997-98	1998-99	(-) 3794.18	(-) 146.62	11057.50	(-) 5931.13	70196.37	5321.16	7.58	1	कार्यरत कम्पनी
89.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1989-90	1996-97	(-) 3.42	--	132.46	(+) 3.06	143.07	(-) 3.42	--	9	कार्यरत कम्पनी
90.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	17.11.1984	1989-90	1995-96	(+) 7.20	--	327.50	(-) 4.32	389.17	11.64	2.99	9	कार्यरत कम्पनी
91.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	--	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 621.81** **(-) 3837.15**	**(-) 146.62**	**14030.84**	**(+) 895.41** **(-) 5974.98**	**(+) 79817.39**	**(+) 6596.23** **(-) 3.42**	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	विविध													
92.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन/लघु उद्योग	20.01.1966	1995-96	1997-98	(-) 68.69	(-) 31.35	674.27	(-) 687.35	215.49	(-) 43.17	--	3	कार्यरत कम्पनी
93.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	कर एवं संस्थागत वित्त	10.09.1975	1996-97	1998-99	(+) 52.73	--	818.42	(-) 872.22	228.56	99.99	43.75	2	अकार्यरत – अन्य
94.	उत्तर प्रदेश डेवलमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	1996-97	1998-99	(-) 16.81	--	100.00	(-) 34.46	65.54	(-) 16.81	--	2	कार्यरत कम्पनी
95.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	27.04.1987	1991-92	1997-98	(+) 0.57	--	150.00	(+) 0.55	121.03	0.57	0.47	7	कार्यरत कम्पनी
96.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण एवं बाल विकास	17.03.1988	1996-97	1998-99	(-) 14.51	--	25.00	(-) 32.97	188.05	(-) 14.51	--	2	कार्यरत कम्पनी
97.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23.05.1989	1995-96	1998-99	(+) 144.68	--	42.54	(+) 174.42	216.26	144.68	66.90	3	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 197.98** **(-) 100.01**	**(-) 31.35**	**1810.23**	**(+) 174.97** **(-) 1627.00**	**(+) 1034.93**	**(+) 245.24** **(-) 74.49**	--	--	
	योग (अ सरकारी कम्पनियाँ)		--	--	--	**(+) 4515.19** **(-) 22324.01**	**(+) 285.61** **(-) 344.35**	**148208.51**	**(+) 5350.08** **(-) 212446.69**	**(+) 236238.17** **(-) 30168.63**	**(+) 15891.00** **(-) 6247.80**	--	--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ब. सांविधिक निगम														
	विद्युत													
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	ऊर्जा	01.04.1959	1998-99	1999-2000	(+)41064.00	(-) 221361.86	--	-	661521.00	193962.00	29.32	--	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+)41064.00**	**(-)221361.86**	--	--	**661521.00**	**193962.00**	--	--	
	परिवहन													
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	1997-98	1998-99	(-) 4506.00	(-) 591.88	32157.24	(-) 48239.51	(-) 6997.00	(-) 2982.00	--	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(-) 4506.00**	**(-) 591.88**	**32157.24**	**(-) 48239.51**	**(-) 6997.00**	**(-) 2982.00**	--	--	
	वित्त													
3.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	1997-98	1998-99	(-) 2469.29	--	10000.00	(-) 77752.50	152779.00	11473.00	7.51	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(-) 2469.29**	--	**10000.00**	**(-) 77752.50**	**152779.00**	**11473.00**	--	--	
	कृषि एवं समवर्गीय													
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम	सहकारिता	19.03.1958	1998-99	1998-99	(+)374.00	--	1277.20	(+)886.92	4314.00	910.00	21.09	--	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+)374.00**	--	**1277.20**	**(+)886.92**	**4314.00**	**910.00**	--	--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	वन													
5.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1997-98	1998-99	(+)3579.90	--	--	(+)32314.98	33030.00	3580.00	10.84	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+)3579.90**	--	--	**(+)32314.98**	**33030.00**	**3580.00**	--	--	--
	विविध													
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	06.04.1966	1994-95	1998-99	(+)84.00	-	-	(+)2728.54	28619.00	2512.00	8.78	3	कार्यरत
7.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	1997-98	1998-99	(-) 110.95	--	--	(-) 16021.87	333252.00	1957.00	0.59	1	कार्यरत
8.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम*	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	05.05.1965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	क्षेत्रवार योग		--	--	--	**(+) 84.00** **(-) 110.95**	--	--	**(+) 2728.54** **(-) 16021.87**	**361871.00**	**4469.00**	--	--	--
	योग–ब (सांविधिक निगम)		--	--	--	**(+)45101.90** **(-)7086.24**	**(-)221953.74**	**43434.44**	**(+)35930.44** **(-)142013.88**	**(+)1213515.00** **(-)6997.00**	**(+)214394.00** **(-)2982.00**	--	--	--
	कुल योग(अब)		--	--	--	**(+)49617.09** **(-)29410.25**	**(+)285.61** **(-)222298.09**	**191642.95**	**(+)41280.52** **(-)354460.57**	**(+)1449753.17** **(-)37165.63**	**(+)230285.00** **(-)9229.80**	--	--	--

* लेखा परीक्षण 1997–98 में सौंपा गया। लेखे अब तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

परिशिष्ट–3

(प्रस्तर संख्या 1.4 में संदर्भित)

प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और मार्च 1999 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को दर्शाती हुई विवरणी

;स्तम्भ 3 (अ) से 7 के आकड़े लाख रुपये में हैंद्ध

क्र म सं 0	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया**					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद/ उधार	अन्य स्रोतों से ऋण	निर्यातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये लेटर आफ क्रेडिट	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	2000.00 (2000.00)	--	--	--	2000.00 (2000.00)	--	--	--	--	--	--

* वर्ष के समाप्ति पर प्राप्त उपदान को कोष्ठकों में दिखाया है।

** वर्ष की समाप्ति पर कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	1800.00 (1800.00)	--	--	--	1800.00 (1800.00)	--	--	--	--	--	--
3.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	298.00 (298.00)	--	--	--	298.00 (298.00)	--	--	--	--	--	--
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	600.00 (600.00)	--	--	--	600.00 (600.00)	--	--	--	--	--	--
5.	उत्तर प्रदेश हार्टीकल्चरल प्रोडयूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	--	-- (55.51)	--	--	-- (55.51)	--	--	--	--	--	--
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	75.00 (75.00)	--	--	--	75.00 (75.00)	--	--	--	--	--	--
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	2170.00 (2170.00)	--	--	--	2170.00 (2170.00)	--	--	--	--	--	4653.00

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पीनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	--	--	1030.00 (1030.00)	--	--	--	1030.00 (1030.00)	--	--	--	--	--	--
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	1140.00 (1140.00)	--	--	--	1140.00 (1140.00)	--	--	--	--	--	--
10.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	(25.50)	--	--	(25.50)	--	--	--	--	--	--
11.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	--	7062.23 (--)	--	7062.23 (--)	--	3012.50 (5446.57)	--	--	3012.50 (5446.57)	--	--	--	--	--	--
12.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-- (31.12)	-- (10.12)		-- (41.24)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	-- (37.83)	--	--	-- (37.83)	--	--	--	--	--	--
14.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	--	--	--	--	--	-- (2265.04)	--	--	-- (2265.04)	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
15.	उत्तर प्रदेश फूड एण्ड ऐसेन्सियल कामोडीटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	1000.00 (-)	750.00 (-)	--	--	1750.00 (-)	--	--	--	--	--	--
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	--	--	--	--	63528.00 (63528.00)	-- (11767.31)	--	--	63528.00 (75295.31)	--	--	--	--	--	--
17.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	--	--	--	--	4760.00 (3050.78)	--	--	--	4760.00 (3050.78)	--	--	--	--	--	--
18.	दि इण्डियन टरपेनटाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	--	-- (188.00)	-- (188.00)	--	--	--	--	--	--
19.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	--	1000.00 (--)	--	1000.00 (--)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	--	-- (175.00)	--	-- (175.00)	--	-- (1265.00)	--	--	-- (1265.00)	--	--	--	--	--	--
21.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	-- (174.40)	--	--	-- (174.40)	--	--	--	--	--	--
	योग–अ	**--** **(31.12)**	**8062.23** **(185.12)**	**--**	**8062.23** **(216.24)**	**78401.00** **(75691.78)**	**3762.50** **(21037.16)**	**--**	**--** **(188.00)**	**82163.50** **(96916.94)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4653.00**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
ब. सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	--	13392.00 (1128798.00)	--	13392.00 (1128798.00)	1300.00 (1300.00)	(50135.00)*	13600.00 (13600.00)	--	14900.00 (65035.00)	--	--	--	--	--	--
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	--	--	--	--	--	4500.10 (5369.54)	-- (--)	-- (--)	4500.10 (5369.54)	--	--	--	--	--	500.00
3.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	112.95	77.85	--	190.80	--	99943.50 (79523.50)	--	--	99943.50 (79523.50)	--	--	--	--	--	--
4.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारगार निगम	--	30.00	--	30.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	--	--	--	--	--	--	-- (3814.60)	--	-- (3814.60)	--	--	--	--	--	--
6.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	--	193.20	--	193.20	200.00 (214.25)	--	--	--	200.00 (214.25)	--	--	--	--	--	--
	योग ब	**112.95**	**13693.05** **(1128798.00)**	**--**	**13806.00** **(1128798.00)**	**1500.00** **(1514.25)**	**104443.60** **(135028.04)**	**13600.00** **(17414.60)**	**--**	**119543.60** **(153956.89)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**500.00**
	कुल योग (अ ब)	**112.95** **(31.12)**	**21755.28** **(1128983.12)**	**--** **(--)**	**21868.23** **(1129014.24)**	**79901.00** **(77206.03)**	**108206.10** **(156065.20)**	**13600.00** **(17414.60)**	**--** **(188.00)**	**201707.10** **(250873.83)**	**--** **(--)**	**--** **(--)**	**--** **(--)**	**--** **(--)**	**--** **(--)**	**5153.00**

* 13ण631 बिलियन जापानी येन

परिशिष्ट–4

(प्रस्तर संख्या 1.2.2 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) देयतायें			
अंश पूंजी	--	--	--
सरकार से ऋण	10447.56	11268.49	12277.37
अन्य दीर्घावधि ऋण (बाण्ड सहित)	2579.56	2329.82	2901.38
सरकार एवं अन्य से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान	201.12	281.17	322.48
संचय एवं आधिक्य	1526.26	1992.77	2685.95
चालू देयतायें एवं प्रावधान	10541.92	13287.18	14655.75
योग (अ)	**25296.42**	**29159.43**	**32842.93**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	14032.16	14784.42	15680.69
घटायाः ह्रास	3533.56	4231.56	4976.60
घटायाः उपभोक्ता अंशदान	781.24	867.67	988.95
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	9717.36	9685.19	9715.14
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	1939.14	2543.42	2775.79
आस्थगित लागत	--	--	--
चालू परिसम्पत्तियाँ	5965.81	7474.16	8780.03
सरकार से प्राप्य उपदान	7404.40	9243.30	11266.38
निवेश	269.23	212.00	304.05
विविध व्यय	0.48	1.36	1.54
संचित घाटा	--	--	--
योग (ब)	**25296.42**	**29159.43**	**32842.93**
(स) नियोजित पूँजी*	**7080.39**	**6415.59**	**6615.21**

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है। कार्यशील पूँजी के आगणन में चालू परिसम्पत्तियों में से आस्थगित लागत एवं निवेशों के तत्व को हटा दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(अ) देयतायें			
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंशपूँजी सहित)	314.01	314.69	315.83
ऋणः सरकारी	--	--	--
अन्य	147.62	123.37	97.16
निधियाँ *	0.29	0.30	0.31
व्यापारिक देय और अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	163.42	241.68	338.96
योग (अ)	**625.34**	**680.04**	**752.26**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	498.95	510.75	557.34
घटायाः ह्रास	329.64	347.91	369.74
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	169.31	162.84	187.60
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	3.29	2.57	2.83
निवेश	1.30	0.75	0.87
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	63.14	76.55	78.56
आस्थगित लागत	--	--	--
संचित हानि	388.30	437.33	482.40
योग (ब)	**625.34**	**680.04**	**752.26**
(स) **नियोजित पूँजी****	**72.32**	**0.28**	**(-) 69.97**

* ह्रास निधियों को छोड़कर

** नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

3. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00
अंश आवेदन राशि	--	--	--
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.85	20.72	20.60
ऋण:			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	694.71	777.53	817.83
(ii) स्थायी जमा	--	--	--
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	500.65	536.99	511.85
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	17.25	17.35	--
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण			
	9.80	9.80	9.80
(अ) राज्य सरकार	8.80	8.80	8.80
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	54.76	40.76	74.76
(vi) अन्य (राज्य सरकार सम्मलित करके)	157.50	249.08	300.22
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	**1564.32**	**1761.03**	**1843.86**
योग (अ)			
(ब) परिसम्पत्तियाँ	73.67	66.20	83.28
नकद एवं बैंक अवशेष	2.73	24.24	35.85
निवेश	1254.38	1310.81	1251.48
ऋण एवं अग्रिम	41.05	61.83	41.68
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	39.18	29.44	37.03
अन्य परिसम्पत्तियाँ	--	--	--
विविध व्यय	153.31	268.51	394.54
लाभ एवं हानि खाता	**1564.32**	**1761.03**	**1843.86**
योग (ब)	**1297.24**	**1459.38**	**1527.79**
(स) नियोजित पूँजी**			

** नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य, पूँजी के स्थान पर ऋण, सीड राशि, ऋण पत्र संचय (उनको छोड़कर जिन्हें बाहर के निवेशों द्वारा स्पष्ट रूप से निधि प्रदान एवं समर्थन किया गया), बाण्ड, जमा एवं ऋण (पुनः वित्तीय पोषण को शामिल करके) को बताता है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	11.17	11.37	12.77
आरक्षण एवं आधिक्य	12.44	21.67	28.34
उपदान	--	--	0.30
ऋण: सरकारी	--	--	--
अन्य	2.57	1.82	1.73
व्यापार देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मलित करके)	12.04	14.16	16.62
योग (अ)	**38.22**	**49.02**	**59.76**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	39.39	39.56	41.82
घटाया: ह्रास	14.72	9.76	10.22
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	24.67	29.80	31.60
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	0.77	1.38	0.77
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	12.78	17.84	27.39
संचित हानि	--	--	--
योग (ब)	**38.22**	**49.02**	**59.76**
(स) नियोजित पूँजी**	**26.18**	**34.86**	**43.14**

** नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपति करती है।

5. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
(अ) देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	242.71	287.35	323.14
ऋण:	7.00	7.00	7.00
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मलित करके)	97.40	73.51	103.85
अन्य देयतायें	0.16	0.16	0.16
योग (अ)	**347.27**	**368.02**	**434.15**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	11.37	10.92	10.31
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	333.15	357.10	423.84
संचित हानि	2.75	-	-
योग (ब)	**347.27**	**368.02**	**434.15**
(स) नियोजित पूँजी**	**247.12**	**294.51**	**330.30**

** नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपति करती है।

6. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
(अ) देयतायें			
आधिक्य	25.85	26.45	27.29
ऋण	289.54	248.32	249.78
जमा	29.36	32.35	38.90
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	186.41	221.19	218.13
योग (अ)	**531.16**	**528.31**	**534.10**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.08	1.04	1.06
निवेश	12.17	7.66	29.78
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	517.91	519.61	503.26
योग (ब)	**531.16**	**528.31**	**534.10**
(स) नियोजित पूँजी*	**332.58**	**229.46**	**286.19**

7. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(अ) देयतायें			
ऋण	255.52	273.24	286.96
सरकार से उपदान	1807.42	2127.72	2495.85
जमा	755.48	808.55	878.29
चालू देयतायें	125.80	148.53	158.22
उपभोग की गई सामग्री पर सेन्टेज	21.42	23.88	29.08
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	6.00	6.00	6.00
अवर्गीकृत आरक्षण	20.51	20.51	20.48
योग (अ)	**2992.15**	**3408.43**	**3874.88**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	370.16	450.17	591.28
घटाया: ह्रास	4.32	4.67	5.04
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	365.84	445.50	586.24
निवेश	172.30	166.06	223.93
चालू परिसम्पत्तियाँ	2146.36	2436.87	2904.50
खण्डीय आधिक्य	267.51	307.64	159.10
घाटा	40.14	52.36	1.11
योग (ब)	**2992.15**	**3408.43**	**3874.88**
(स) नियोजित पूँजी	**2386.40**	**2733.84**	**3332.52**

* नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपति करती है।

परिशिष्ट–5

(प्रस्तर संख्या 1.2.2 व 1.6 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यात्मक परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. (अ) राजस्व प्राप्तियाँ		4250.96	5087.98	5634.78
(ब) सरकार से उपदान/आर्थिक सहायता		1556.77	1839.61	2157.55
योग		**5807.73**	**6927.59**	**7792.33**
2.	राजस्व व्यय (कुल पूँजीगत व्यय घटा करके) अपलिखित की गई अदृश्य परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करके परन्तु ह्रास व ब्याज को छोड़कर	3785.17	4467.70	4791.57
3.	वर्ष के लिये सकल आधिक्य(+)/कमी(–) (1–2)	2022.56	2459.89	3000.76
4.	गत वर्षो से सम्बन्धित समायोजन	346.56	191.63	(-) 258.29
5.	वर्ष के लिए अन्तिम सकल आधिक्य(+)/कमी(–)	2369.12	2651.52	2742.47
6.	विनियोग:			
(अ)	ह्रास (घटाया: पूँजीगत)	736.67	758.33	802.85
(ब)	सरकारी ऋण पर ब्याज	1036.16	1166.01	1244.27
(स)	अग्रिम, बाण्ड तथा अन्य पर ब्याज एवं वित्त प्रभार	624.84	722.50	566.02
(द)	ऋण पर कुल ब्याज एवं वित्त प्रभार (ब+स)	1661.00	1888.51	1810.29
(य)	घटाया: पूँजीगत ब्याज	199.34	286.96	281.31
(र)	राजस्व को प्रभारित निवल ब्याज (द–य)	1461.66	1601.55	1528.98
(ल)	कुल विनियोग (अ+र)	2198.33	2359.88	2331.83
7.	राज्य सरकार के उपदान को लेखांकित करने से पूर्व आधिक्य(+)/कमी(–) {5–6(ल)–1(ब)}	(-) 1385.98	(-) 1547.97	(-) 1746.91
8.	निवल आधिक्य(+)/कमी(–) {5–6(ल)}	170.79	291.64	410.64
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ*	1632.45	1893.19	1939.62
10.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	23.06	29.51	29.32

* नियोजित पूँजी पर प्रति लाभ, शुद्ध आधिक्य(+)/कमी(–) एवं लाभ हानि खाते को प्रभारित कुल ब्याज (पूँजीकृत ब्याज घटा कर) को निरुपति करता है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण		1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
परिचालन				
(अ)	राजस्व	490.79	526.67	584.17
(ब)	व्यय	525.14	564.85	629.56
(स)	आधिक्य(+)/कमी(–)	(-) 34.35	(-) 38.18	(-) 45.39
अपरिचालन				
(अ)	राजस्व	15.12	13.95	15.57
(ब)	व्यय (+)	22.64	23.90	15.16
(स)	आधिक्य(+)/कमी(–)	(-) 7.52	(-) 9.95	(+) 0.41
योग				
(अ)	राजस्व	505.91	540.62	599.74
(ब)	व्यय (+)	547.78	588.75	644.72
(स)	शुद्व लाभ(+)/हानि(–)	(-) 41.87	(-) 48.13	(-) 44.98
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	22.64	23.90	15.16
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 19.23	(-) 24.23	(-) 29.82
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	--	--	--

3. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1 आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	163.30	151.42	142.35
(ब) अन्य आय	16.55	23.65	12.68
योग 1	**179.85**	**175.07**	**155.03**
2 व्यय			
(अ) दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि ऋण पर ब्याज	151.21	178.72	190.76
(ब) निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	--	142.02	90.51
(स) अन्य व्यय	42.90	21.04	40.30
योग 2	**194.11**	**341.78**	**321.57**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–) (1–2)	(-) 14.26	(-) 166.71	(-) 166.54
4. पूर्व अवधि के समायोजन	--	--	--
5. कर के लिए प्रावधान	--	--	--
6. कर के पश्चात् लाभ(+)/हानि(–)	(-) 14.26	(-) 166.71	(-) 166.54
7. अन्य विनियोग	--	--	--
8. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	--	--	--
9. लाभांश दत्त/देय	--	--	--
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	136.95	12.01	24.22
11. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	10.56	0.82	1.59

4. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1 आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	15.51	17.65	61.34
(ब) अन्य आय	5.04	6.51	0.28
योग 1	**20.55**	**24.16**	**61.62**
2 व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	10.83	12.17	12.76
(ब) ब्याज	0.27	0.28	0.26
(स) अन्य व्यय	7.39	9.46	39.76
योग 2	**18.49**	**21.91**	**52.78**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	(+) 2.06	(+) 2.25	(+) 8.84
4. कर का प्रावधान	--	--	--
5. पूर्व अवधि के समायोजन	(-) 1.35	(+) 1.49	(-) 1.64
6. अन्य विनियोग	--	--	--
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	0.71	3.74	7.20
8. लाभांश दत्त/देय	0.21	0.21	0.31
9. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	2.33	2.53	9.10
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	8.90	7.26	21.09

5. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
1 आय			
विक्रय	179.31	178.37	128.12
अन्य राजस्व	21.44	30.89	29.09
अन्तिम स्टाक	117.19	67.91	106.77
योग 1	**317.94**	**277.17**	**263.98**
2 व्यय			
क्रय	72.35	37.92	73.84
अन्य व्यय	86.22	77.43	86.42
प्रारम्भिक स्टाक	122.30	117.19	67.92
योग 2	**280.87**	**232.54**	**228.18**
शुद्ध लाभ	37.07	44.63	35.80
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	37.07	44.63	35.80
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.00	15.15	10.84

6. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
1 आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	48.09	59.03	47.71
(ब) अन्य आय	11.16	12.38	10.57
योग 1	**59.25**	**71.41**	**58.28**
2 व्यय			
(अ) स्थापना	15.42	16.95	19.14
(ब) ब्याज	31.49	28.28	24.28
(स) अन्य व्यय	11.47	25.58	14.02
योग 2	**58.38**	**70.81**	**57.44**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	0.87	0.60	0.84
4. नियोजित पँजी पर कुल प्रति लाभ	32.36	28.88	25.12
5. नियोजित पँजी पर प्रति लाभ का प्रतिशत	9.73	12.59	8.78

7. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1 आय			
सेन्टेज	37.75	38.31	56.50
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	7.60	11.38	15.36
ब्याज	20.80	16.43	21.33
अनुदान	20.02	42.10	36.42
अन्य	9.76	10.89	51.01
योग 1	**95.93**	**119.11**	**180.62**
2 व्यय			
स्थापना प्रभार	62.00	68.50	81.43
रख रखाव पर व्यय	39.48	62.16	66.46
ब्याज	20.91	26.15	20.68
अन्य व्यय	13.28	14.30	12.80
ह्रास	0.39	0.36	0.36
योग 2	**136.06**	**171.47**	**181.73**
घाटा	(-) 40.13	(-) 52.36	(-) 1.11
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 19.22	(-) 26.21	19.57
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	--	--	0.59

परिशिष्ट–6

(प्रस्तर संख्या 1.6.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1 संस्थापित क्षमता		(मेगा वाट)	
(अ) ताप	4544.00	4544.00	4564.00
(ब) जल	1504.75	1504.75	1501.44
(स) गैस	--	--	--
(द) अन्य	--	--	--
योग	**6048.75**	**6048.75**	**6065.44**
सामान्य अधिकतम मांग		(मिलियन यूनिट)	
उत्पादित विद्युतः	18423.00	18379.82	18742.00
(अ) ताप	5232.00	5427.78	6196.00
(ब) जल	--	--	--
(स) गैस	--	--	--
(द) अन्य	**23655.00**	**23807.60**	**24938.00**
योग	1812.00	1897.00	1867.00
घटायाः आनुसंगिक खपत (एम यू में)	1796 (9.75)	1879 (10.22)	1848 (9.86)
(अ) ताप (प्रतिशत)	16 (0.31)	18 (0.33)	19 (0.31)
(ब) जल (प्रतिशत)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
(स) गैस (प्रतिशत)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
(द) अन्य (प्रतिशत)	**1812** (7.66)	**1897** (7.97)	**1867** (7.49)
योग (प्रतिशत)	21843.00	21910.60	23071.00
शुद्व उत्पादित विद्युत	**14009.00**	**14540.00**	**15927.00**
क्रय की गई विद्युत	-- -- -- 14009.00	33.00 71.00 -- 14436.00	25.00 123.00 -- 15779.00
(अ) राज्य के अन्दर – सरकारी – निजी	35852.00	36450.60	38998.00
(ब) अन्य राज्य	**27041.00**	**27130.00**	**28524.00**
(स) केन्द्रीय ग्रिड			
विक्रय के लिए उपलब्ध कुल विद्युत			
विक्रय की गई विद्युत			

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) राज्य के अन्दर	26592.00	26655.00	27990.00
(ब) राज्य के बाहर	449.00	475.00	534.00
पारेषण एवं वितरण हानियाँ	8811.00	9320.60	10474.00
भार कारक (प्रतिशत)	49.24	49.13	49.14
विक्रय के लिए उपलब्ध कुल विद्युत पर पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत	24.58	25.57	26.86
विद्युतीकृत ग्रामों/कस्बों की संख्या	87079	87930	88641
ऊर्जीकृत पम्प सेटों/कुओं की संख्या	778689	790153	774024
उपकेन्द्रों की संख्या*	अनुपलब्ध	232	240
पारेषण/वितरण लाईनें (स कि मी)			
(अ) उच्च/मध्यम वोल्टेज	233631	237302	242660
(ब) कम वोल्टेज	224781	228119	232043
संयोजित भार (मेगा वाट में)	13954.00	14499.00	15946.00
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)**	64.53	67.09	76.97
कर्मचारियों की संख्या***	96053	92732	87380
उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	64:1	72:1	88:1
वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	938.49	1082.96	1161.01
कुल राजस्व व्यय से कर्मचारियों पर व्यय का प्रतिशत	24.79	24.24	24.23
विक्रय की गई यूनिट	(मिलियन यूनिट)		
(अ) कृषि	9800	9420	9982
(कुल विक्रय की गई यूनिटों का प्रतिशत अंश)	(36.3)	(34.7)	(35.0)
(ब) औद्योगिक	6290	6056	5901
(कुल विक्रय की गई यूनिटों का प्रतिशत अंश)	(23.3)	(22.3)	(20.7)
(स) वाणिज्यिक	1902	1926	2024
(कुल विक्रय की गई यूनिटों का प्रतिशत अंश)	(7.0)	(7.1)	(7.1)
(द) घरेलू	6555	7238	8079
(कुल विक्रय की गई यूनिटों का प्रतिशत अंश)	(24.2)	(26.7)	(28.3)
(इ) अन्य	2494	2490	2538
(कुल विक्रय की गई यूनिटों का प्रतिशत अंश)	(9.2)	(9.2)	(8.9)
योग	**27041**	**27130**	**28524**
	(पैसे प्रति यूनिट)		
(अ) आय (सरकार से प्राप्त उपदान को कम करके)	148	177	186
(ब) व्यय ****	221	245	259
(स) लाभ()/हानि(–)	(-) 73	(-) 68	(-) 73
(द) सरकार से दावा किया गया औसत उपदान (रुपये में)	0.58	0.68	0.76
(इ) औसत ब्याज प्रभार (रुपये में)	0.54	0.59	0.54

*132 केवी, 220 केवी एवं 400 केवी के उपकेन्द्रों को इंगित करता है।

**वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ताओं की संख्या

*** वर्ष के प्रारम्भ पर कर्मचारियों की संख्या

**** राजस्व व्यय में ह्रास शामिल है लेकिन दीर्घ अवधि ऋण पर ब्याज शामिल नहीं।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) अपनी बसें	7570	7352	6859
(ब) किराये की बसें	497	846	982
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	6432	6432	6177
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत	85	87	90
कर्मचारियों की संख्या	53539	52537	50552
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.52	7.26	7.10
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2382	2305	2234
मार्ग किलोमीटर	561772	503160	492505
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	6224	6726	7160
(ब) प्रभावी	6072	6560	6988
(स) मृत एवं ह्रासित	152	166	172
मृत किलोमीटर का सकल किलोमीटर पर प्रतिशत	2.44	2.47	2.40
प्राप्त औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	206	218	243
प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसे)	890	914	949
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	970	983	974
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)	(-) 80	(-) 69	(-) 25
परिचालित डिपो की संख्या	110	114	114
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	5.70	5.50	4.55
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.20	0.20	0.22
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	62.24	67.26	71.60
धारित अनुपात	67	64	65
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटरः	4.53	4.56	4.60
(अ) डीजल			
(ब) इंजन तेल	859	823	870

3. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97		1997-98		1998-99 (अनन्तिम)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	261	110.46	175	68.43	111	28.79
प्राप्त आवेदन पत्र	2982	994.11	2077	581.87	1078	302.80
योग	**3243**	**1104.57**	**2252**	**650.30**	**1189**	**331.59**
स्वीकृत आवेदन पत्र	2687	707.45	1741	360.26	560	106.18
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन पत्र	381	328.70	400	261.25	290	145.44
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	175	6843	111	28.78	339	79.97
वितरित ऋण	1491	423.14	1300	268.89	637	129.39
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	20669	1254.38	21452	1310.81	--	--
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	--	137.65	--	164.60	--	238.22
(ब) ब्याज	--	370.52	--	377.04	--	498.89
योग	**--**	**508.17**	**--**	**541.64**	**--**	**737.11**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	--	146.18	--	280.03	--	--
योग	**--**	**146.18**	**--**	**280.03**	--	--
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	**--**	**40.51**	**--**	**41.32**	**--**	**--**

4. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
आवृत केन्द्रों की संख्या	100	101	118
वर्ष की समाप्ति तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	11.78	11.80	11.81
(ब) किराये पर	1.17	1.09	1.72
योग	**12.95**	**12.89**	**13.53**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	10.40	10.58	11.91
उपयोग का प्रतिशत	80.31	82.08	88.03
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	195.50	227.06	517.38
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	177.78	207.09	443.16
लाभ(+)/हानि(–) प्रति टन (रुपये)	(+) 17.72	(+) 19.97	(+) 74.22

5. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
1 लकड़ी, सन्न लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	6.69	4.45	3.92
(ब) विक्रय	4.35	3.40	1.87
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	--	--
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.01	0.03	0.02
(इ) अन्तिम शेष	2.32	1.02	2.03
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	6.54	5.20	4.41
(ब) विक्रय	5.17	4.09	4.19
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.03	--	--
(द) अन्तिम शेष	1.34	1.11	0.22

* प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित करता है।

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
3 बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.12	2.00	2.51
(ब) विक्रय	2.20	1.47	0.90
(स) हानियाँ/कमियाँ	--	--	--
(द) अन्तिम शेष	0.92	0.53	1.61
4 कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	0.48	0.40	0.38
(ब) विक्रय	0.40	0.34	0.33
(स) अन्तिम शेष	0.08	0.06	0.05
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.36	0.34	0.30
(ब) विक्रय	0.34	0.32	0.15
(स) अन्तिम शेष	0.02	0.02	0.15
6. जड़ी बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	--	--	3.41
(ब) विक्रय	--	--	0.28
(स) अन्तिम शेष	--	--	3.13

* प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित करता है।

परिशिष्ट–7

(प्रस्तर संख्या 2.4 में संदर्भित)

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	दायित्व					
(अ)	अंश पूंजी	22.55	22.55	24.07	24.07	24.07
(ब)	संचय निधि एवं आधिक्य	12.61	12.60	12.27	22.23	26.62
(स)	उधारी:					
(i)	उत्तर प्रदेश सरकार से ऋण	37.10	42.07	44.51	47.82	52.32
(ii)	ऋण पत्र सहित अन्य	4.75	2.02	1.21	15.48	25.54
(द)	व्यापारिक देय एवं अन्य					
(i)	चलू दायित्व, प्रावधान सहित	163.95	179.03	198.93	253.21	295.43
(ii)	सरकार द्वारा प्रायोजित विशिष्ट योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ	2.08	2.08	4.95	0.94	3.53
(iii)	उद्योग निदेशक (पी एल ए में)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
	योग	**244.08**	**261.39**	**286.98**	**364.79**	**428.55**
2.	**परिसम्पत्तियाँ**					
(अ)	सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	14.77	23.94	25.64	26.33	26.24
	घटाया ह्रास	3.97	4.77	6.20	7.63	8.80
(ब)	शुद्व अचल परिसम्पत्तियाँ	10.80	19.17	19.44	18.70	17.44
(स)	पूँजीगत प्रगति में कार्य	5.23	1.33	0.94	1.40	3.32
(द)	निवेश	9.30	8.75	8.72	24.39	12.23
(य)	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	218.75	232.14	257.88	320.30	395.56
(र)	विविध व्यय	---	---	---	---	---
	योग	**244.08**	**261.39**	**286.98**	**364.79**	**428.55**
3.	**नियोजित पूंजी***	73.78	78.13	80.65	95.83	119.08
4.	**शुद्व मूल्य****	35.16	35.15	36.34	46.30	50.69

* नियोजित पूँजी, (i) प्रदत्त अंश पूँजी (ii) आरक्षित निधि एवं आधिक्य, विशिष्ट रुप से उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों एवं वाहर से निवेशों द्वारा निरुद्व हुई को छोड़कर और (iii) ऋण पत्रों एवं ऋणों, के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य का प्रतिनिधित्व करती है।

** शुद्व मूल्य, प्रदत्त पूँजी तथा संचय एवं आधिक्य में से अदृश्य सम्पत्तियों को घटाने के बाद का प्रतिनिधित्व करती है।

परिशिष्ट–8

(प्रस्तर संख्या 2.4 में संदर्भित)

कम्पनी के कार्यात्मक परिणाम को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
(i)	**आय**					
	ब्याज	9.52	10.90	14.98	22.13	32.80
	लाभांश	0.44	0.63	0.36	0.12	0.05
	अन्य आय	1.47	1.17	1.72	1.97	2.19
	योग	**11.43**	**12.70**	**17.06**	**24.22**	**35.04**
(ii)	व्यय					
	प्रशासनिक, परिचालनात्मक एवं अन्य व्यय	6.40	8.17	12.18	21.07	22.78
	ह्रास	0.91	0.80	1.48	1.51	1.40
	ब्याज	3.13	3.39	2.67	3.80	6.34
	योग	**10.44**	**12.36**	**16.33**	**26.38**	**30.52**
(iii)	वर्ष का लाभ(+)/हानि(–)	(+) 0.99	(+) 0.34	(+) 0.73	(-) 2.16	(+) 4.52
(iv)	गतवर्षो से सम्बन्धित समायोजन	(-) 0.04	(+) 0.08	(-) 0.04	(+) 13.91	(+) 1.62
(v)	कर से पूर्व लाभ	0.95	0.42	0.69	11.75	6.14
(vi)	कराधान के लिए प्रावधान	0.44	0.20	0.55	1.26	1.23
(vii)	कर के पश्चात लाभ	0.51	0.22	0.14	10.49	4.91
(viii)	गतवर्ष के लाभ/आरक्षित निधि की राशि को अग्रसारित करते हुए	0.94	1.12	1.75	0.01	--
(ix)	(9) विनियोग के लिए उपलब्ध आधिक्य (vii+viii)	1.45	1.34	1.89	10.50	4.91
(x)	विनियोग					
	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	0.99	1.11	1.40	2.66	2.78
	लाभांश, आयकर सहित	0.45	0.22	0.48	0.53	0.53
	सामान्य संचय	0.01	0.01	0.01	7.31	1.60

परिशिष्ट–9

(प्रस्तर 3अ.4.1 में संदर्भित)

दर सूची का संशोधन दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	उपभोक्ताओं की श्रेणी	जनवरी 1992 से प्रभावी दर सूची	16 जुलाई 1994 से प्रभावी दर सूची		3 जनवरी 1997 से प्रभावी दर सूची		25 जनवरी 1999 से प्रभावी दर सूची	
		दर (रुपये)	दर (रुपये)	वृद्धि प्रतिशत	दर (रुपये)	वृद्धि प्रतिशत	दर (रुपये)	वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4(अ)	4(ब)	5(अ)	5(ब)	6	7
(1)	**घरेलू बिजली एवं पंखे**							
(a)	ग्रामीण (2 किलो वाट तक) प्रति माह	37	37	शून्य	37	शून्य	52	40.54
(b)	अन्य (प्रति यूनिट)	1.23 से 1.60	1.25 से 1.70	1.63 से 6.25	1.50 से 2.05	20 से 20.59	1.80 से 2.60	20 से 26.83
(2)	**वाणिज्यिक बिजली एवं पंखा**							
(a)	ग्रामीण (2 किलो वाट तक) प्रति माह	42	42	शून्य	50	19.05	80	60
(b)	अन्य (प्रति यूनिट)	2.13	2.40	12.68	2.90	20.83	4.25*	----
(3)	**सार्वजनिक लैम्प्स**							
(a)	मापित आपूर्ति (प्रति यूनिट)	1.40	1.40	शून्य	2.00	42.86	2.50	25
(b)	निश्चित दरें प्रति बिन्दु प्रति माह (100 वाट्स से 500 वाट्स के बिन्दु)	26 से 154	26 से 154	शून्य	38 से 225	46.15 से 46.10	55 से 280	44.74 से 24.44
(4)	**जनता सेवा संयोजन (एक, दो और तीन बिजली बिन्दुओं के लिए प्रतिमाह)**	7.50 से 12.50	7.50 से 12.50	शून्य	10 से 15	33.33 से 20	घरेलू बिजली एवं पंखे की श्रेणी को स्थानान्तरित	

* दर सूची में समाहित, विद्यमान ईंधन एवं स्थापना प्रभारों (1.59 रुपये प्रति यूनिट) को सम्मिलित करता है। इस प्रकार, वस्तुतः 0.24 रुपये प्रति यूनिट की कमी थी (घटाया 8.28 प्रतिशत)।

1	2	3	4(अ)	4(ब)	5(अ)	5(ब)	6	7
(5)	**सिंचाई के उददेश्य के लिए निजी ट्यूबवेल/पम्पिंग सेट्स**							
(a)	निर्धारित दर (प्रति बी एच पी प्रति माह)	30	1 अगस्त 1996 से 50 को कम करके	66.67 से (-) 20	40	शून्य	40	शून्य
(b)	मापित आपूर्ति (प्रति यूनिट)	---	0.50	---	0.50	शून्य	0.50	शून्य
(6)	छोटे एवं मध्यम शक्ति (100 बी एच पी तक भार पर आधारित दरें)							
(a)	नियत प्रभार (प्रति बी एच पी प्रति माह)	22 से 40	25 से 45	13.64 से 12.50	28 से 50	12 से11.11	28 से 50	शून्य
(b)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.35 से 1.50	2.05 से 2.25	51.85 से 50.00	2.25 से 2.50	9.76 से 11.11	3.60 से 3.95*	-----
(7)	**स्टेट ट्यूबवेल/पम्पिंग सेट्स (प्रति बी एच पी प्रति माह)**	120	192	60.00	230	19.79	230	शून्य
(8)	**आर्क/उत्प्रेरण भट्ठी/रोलिंग, रिरोलिंग मिल्स/लघु स्टील संयंत्र**							
(a)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	2.00	2.80	40.00	3.08	10	1.00	
(b)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	---	---	---	---		(i) 700 (उत्प्रेरण भट्ठी)	
							(ii) 615 (आर्क भट्ठी)	

* दर सूची में संमाहित ईंधन एवं स्थापना प्रभार (1.59 रुपये प्रति यूनिट) शामिल है। इस प्रकार, वस्तुतः 0.06 रुपये से 0.24 रुपये प्रति यूनिट की कमी थी (घटाया 2.53 से 10.67 प्रतिशत)।

1	2	3	4(अ)	4(ब)	5(अ)	5(ब)	6	7
(9)	**बड़े एवं भारी शक्ति (100 बी एच पी के ऊपर)**							
(a)	विरल प्रक्रिया							
(i)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	100	112	12.00	125	11.61	125	शून्य
(ii)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.45	2.18	50.34	2.40	10.09	3.70*	------
(b)	**अविरल प्रक्रिया**							
(i)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	120	134	11.67	150	11.94	150	शून्य
(ii)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.60	2.35	46.88	2.60	10.64	3.90**	------
(10)	**रेलवे कर्षण**							
(a)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	140	157	12.14	165	5.01	125	(-) 24.24
(b)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.74	2.50	43.68	2.65	6.00	3.75***	------
(11)	**विश्व बैंक**							
(a)	**ट्यूबवेल्स**							
(i)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	80	80	शून्य	440 प्रति बीएचपी प्रति माह	--	440 प्रति बीएचपी प्रति माह	शून्य
(ii)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.27	1.77	39.37	---	---	---	

* दर सूची में संमाहित ईंधन एवं स्थापना प्रभार (1.59 रुपये प्रति यूनिट) शामिल है। इस प्रकार, वस्तुतः 0.29 रुपये प्रति यूनिट की कमी थी (घटाया 12.08 प्रतिशत)।

** दर सूची में संमाहित ईंधन एवं स्थापना प्रभार (1.59 रुपये प्रति यूनिट) शामिल है। इस प्रकार, वस्तुतः 0.29 रुपये प्रति यूनिट की कमी थी (घटाया 11.15 प्रतिशत)।

*** दर सूची में संमाहित ईंधन एवं स्थापना प्रभार (1.59 रुपये प्रति यूनिट) शामिल है। इस प्रकार, वस्तुतः 0.49 रुपये प्रति यूनिट की कमी थी (घटाया 18.49 प्रतिशत)।

1	2	3	4(अ)	4(ब)	5(अ)	5(ब)	6	7
(b)	**लिफ्ट इरिगेशन कार्य**							
(i)	मांग प्रभार (प्रति के वी ए प्रति माह)	87	87	शून्य	105	20.69	105	शून्य
(ii)	विद्युत प्रभार (प्रति यूनिट)	1.40	1.90	35.71	2.30	21.05	230	शून्य
(12)	**पुष्पोत्पादन एवं मशरुम प्रक्रिया (नई दर सूची)**							
	ऊर्जा प्रभार (प्रति यूनिट)	---	---	---	---	---	2.75	---

परिशिष्ट 10

(प्रस्तर 3अ.4.2 में संदर्भित)

उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व में अंशदान और आधिक्य/कमी को दर्शाती विवरणी

वर्ष	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सिंचाई व कृषि	सार्वजनिक जल कार्य	सार्वजनिक विद्युत	रेलवे कर्षण	अन्तर्राज्यीय उपभोक्ता	अन्य उपभोक्ताओं को बल्क आपूर्ति	योग
	ऊर्जा की खपत (मिलियन यूनिट में)									
1993-94	5124	1706	6030	8924	474	250	722	452	128	23810
	(21.52)	(7.16)	(25.33)	(37.48)	(1.99)	(1.05)	(3.03)	(1.90)	(0.54)	(100)
1994-95	6025	1901	6281	9485	498	296	766	417	141	25810
	(23.34)	(7.37)	(24.34)	(36.75)	(1.93)	(1.15)	(2.97)	(1.60)	(0.55)	(100)
1995-96	6148	2142	6674	9507	529	266	773	470	262	26771
	(22.97)	(8.00)	(24.93)	(35.50)	(1.98)	(0.99)	(2.89)	(1.76)	(0.98)	(100)
1996-97	6555	1902	6290	9800	561	341	846	449	297	27041
	(24.24)	(7.03)	(23.26)	(36.24)	(2.08)	(1.26)	(3.13)	(1.66)	(1.10)	(100)
1997-98	7238	1926	6056	9420	564	385	858	475	208	27130
	(26.68)	(7.10)	(22.32)	(34.72)	(2.08)	(1.42)	(3.16)	(1.75)	(0.77)	(100)
	अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)									
1993-94	468.33	259.50	1379.66	271.11	114.20	37.28	182.59	18.15	17.12	2747.94
	(17.04)	(9.44)	(50.20)	(9.87)	(4.16)	(1.37)	(6.64)	(0.66)	(0.62)	(100)
1994-95	514.41	523.00	1452.42	332.26	106.60	60.10	244.50	10.80	31.90	3275.99
	(15.70)	(15.96)	(44.34)	(10.14)	(3.25)	(1.85)	(7.46)	(0.33)	(0.97)	(100)
1995-96	545.82	596.48	1712.41	462.99	95.97	96.33	237.40	11.22	56.37	3814.99
	(14.31)	(15.64)	(44.89)	(12.14)	(2.50)	(2.53)	(6.22)	(0.29)	(1.48)	(100)
1996-97	698.57	519.30	1792.84	417.87	92.01	103.89	299.99	6.51	65.12	3996.10
	(17.48)	(13.00)	(44.86)	(10.46)	(2.30)	(2.60)	(7.51)	(0.16)	(1.63)	(100)
1997-98	864.58	594.04	2268.21	484.94	133.54	71.77	355.67	17.65	40.39	4830.79
	(17.90)	(12.29)	(46.95)	(10.04)	(2.76)	(1.49)	(7.36)	(0.37)	(0.84)	(100)

वर्ष	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सिंचाई व कृषि	सार्वजनिक जल कार्य	सार्वजनिक विद्युत	रेलवे कर्षण	अन्तर्राज्यीय उपभोक्ता	अन्य उपभोक्ताओं को बल्क आपूर्ति	योग
	आधिक्य/कमी (करोड़ रुपये में)									
1993-94	(387.37)	(25.40)	372.65	(1219.20)	35.04	(4.47)	62.01	(57.33)	(4.25)	(1228.32)
1994-95	(521.89)	196.03	372.09	(1299.16)	20.95	9.19	112.75	(60.92)	7.65	(1163.31)
1995-96	(745.26)	146.66	310.87	(1533.48)	(15.12)	40.47	75.07	(87.48)	1.35	(1806.92)
1996-97	(730.42)	104.67	421.62	(1718.53)	(30.29)	29.55	115.56	(91.37)	0.37	(1898.84)
1997-98	(908.73)	122.17	784.49	(1822.96)	(4.64)	(22.56)	145.46	(98.72)	(10.57)	(1816.06)
योग	**(3293.67)**	**544.13**	**2261.72**	**(7593.33)**	**5.94**	**52.18**	**510.85**	**(395.82)**	**(5.45)**	**(7913.45)**

परिशिष्ट 11

(प्रस्तर 3अ 5.5(iii) में संदर्भित)

दर सूची के त्रुटिपूर्ण लागू करने से राजस्व के कम प्रभारण को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या/नाम	ऊर्जा आपूर्ति की प्रकृति	लागू की जाने वाली दर सूची	लगाई गई दर सूची	राजस्व का कम प्रभारण	
					अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)
धामपुर, महराजगंज, झांसी (I तथा II) गोला एवं इटावा के 6 वि वि ख	23	शीतगृहों, बर्फ कारखाने, कागज बोर्ड और ट्यूबवेल परिचालन के लिए	एल एम वी–6 (अविरल) जैसा कि जनवरी 1992 से संशोधित किया गया	एल एम वी–6 (विरल)	जनवरी 1992 से जून 1999 तक	48.24 (न्यूनतम प्रभारों के अन्तरीय दरों के आधार पर)
वि वि ख देहरादून	हिमालयन इन्स्टीट्यूट हास्पिटल ट्रस्ट	अशासकीय अस्पताल के लिए	एल एम वी–2 अशासकीय अस्पताल पर लागू	एल एम वी–1 शासकीय अस्पताल पर लागू	मई 1996 से मार्च 1999	87.07
वि वि ख–I मऊ	फातिमा अस्पताल	तदैव	तदैव	तदैव	मई 1995 से मार्च 1999	11.89
वि वि ख बलरामपुर	1	विश्व बैंक ट्यूबवेल के लिए	3 जनवरी 1997 से एल एम वी–8	2 जनवरी 1997 तक लागू एच वी–4	जनवरी 1997 से जुलाई 1998	16.60
वि वि ख धामपुर	2121	1995 से मार्च 1996 के दौरान जनता सेवा संयोजन (जे एस सी) के रुप में अवमुक्त जब जे एस सी योजना लागू नहीं थी	एल एम वी–1 (ग्रामीण दर अनुसूची के अनुसार आपूर्ति)	1987 तक अवमुक्त जे एस सी पर लागू एल एम वी–4	दिसम्बर 1995 से मई 1999	23.25
धामपुर, वाराणसी (I), बुलन्दशहर (I) एवं कासिया के 4 वि वि ख	4	106 से 150 बी एच पी संयोजित भार सहित पाये गये उद्योग	एच वी–2 100 बी एच पी से अधिक भार के मामले में लागू	एल एम वी–**6 100** बी एच पी तक के भार के मामले में लागू	जून 1996 से अप्रैल 1999	11.88
कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन	ओबेराय ग्लास लिमिटेड 145 केवीए भार के साथ	ग्लास प्रक्रिया (टफिंग) के लिए	एच वी–2 (अविरल)	एच वी–2 (विरल)	अप्रैल 1994 से दिसम्बर 1998	6.36
वि वि ख रामपुर	चड्ढा पेपर लिमिटेड (1500 केवीए)	पेपर मिल के लिए	एच वी–2 (अविरल)	एच वी–2 (विरल)	अप्रैल 1992 से जुलाई 1993	13.32
वि वि ख हापुड़	सेन्चुरी लैमिनेशन कम्पनी लिमिटेड (375 केवीए)	लैमिनेटेड शीट्स जिसमें हाट ट्रीटमेन्ट होता है के निर्माण के लिए	एच वी–2 (अविरल)	एच वी–2 (विरल)	अक्टूबर 1995 से अगस्त 1998	15.01
योग	**2154**					**233.62**

परिशिष्ट 12

(प्रस्तर 3अ 5.6 में संदर्भित)

भार में अनियमित कमी के कारण राजस्व में कमी दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम संसोधन पूर्व भार के साथ	भार में कमी के आदेश की तिथि घटे हुए भार के साथ	घटे हुए भार की अवधि	भार घटाने में अनियमितता	राजस्व की हानि (लाख रुपये में)
वि वि ख बांदा	परेरहाट स्टील लिमिटेड (4000 के वी ए)	जनवरी 1997 (3500 के वी ए), अगस्त 1997 (2000 के वी ए) और अक्टूबर 1998 (300 के वी ए)	जनवरी 1997 से अक्टूबर 1998	अगस्त 1997 में 100.59 लाख रुपये, अक्टूबर 1998 में 110.49 लाख रुपये का अनिस्तारित बकाया और अगस्त 1997 से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व अक्टूबर 1998 में भार घटाया जाना	120.56
वि वि ख हमीरपुर	वन्दना स्टील लिमिटेड (2940 के वी ए)	जुलाई 1996 (2690 के वी ए)	अक्टूबर 1993 से जुलाई 1996	पूर्ववर्ती प्रभाव से भार कम करना और दिसम्बर 1993 से फरवरी 1996 के दौरान 2720 से 2855 के वी ए अभिलिखित वास्तविक भार	28.67
वि वि ख हमीरपुर	हंस कास्टिंग्स लिमिटेड (4500 के वी ए)	जून 1997 (3800 के वी ए)	फरवरी 1997 से मई 1997	पूर्ववर्ती प्रभाव से भार कम करना जबकि फरवरी 1997 में भार 4040 के वी ए अभिलिखित किया गया	9.24
वि वि ख हमीरपुर	हिन्दुस्तान फेरो एलौयस लिमिटेड (4000 के वी ए)	अगस्त 1994 (3000 के वी ए)	सितम्बर 1993 से अगस्त 1994	पूर्ववर्ती प्रभाव से भार में कमी	4.82
वि वि ख II झाँसी	इन्दर स्टील लिमिटेड (2000 के वी ए)	मार्च 1999 (1800 के वी ए)	मार्च 1998 से मार्च 1999	पूर्ववर्ती प्रभाव से भार में कमी जबकि उपभोक्ता ने दिसम्बर 1998 में प्रक्रिया शुल्क जमा किया, फरवरी 1998 में 11.20 लाख रुपये का अनिस्तारित बकाया और मार्च 1999 में 2520 के वी ए का वास्तविक भार	10.07
योग					**173.36**

परिशिष्ट 13

(प्रस्तर 3अ 5.9 में संदर्भित)

खराब मीटरों के कारण राजस्व का अमूल्यांकन/कम मूल्यांकन दर्शाती हुई विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम संविदा भार के साथ	मीटर में खराबी की प्रकृति एवं अवधि	मूल्यांकन का आधार	राजस्व का कम प्रभारण		
				अवधि	यूनिट (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख इटावा	इटावा दुग्ध उत्पादन संघ (105 के वी ए)	7 जनवरी 1997 को संस्थापित जांच मीटर के अनुसार पुराना मीटर 68.14 प्रतिशत धीमा पाया गया	जाँच मीटर पर अभिलेखित किया गया उपभोग	7 जनवरी से 17 मई 1997	0.92	
			68.14 प्रतिशत धीमा	जुलाई से दिसम्बर 1996 (पिछले 6 माह)	1.19	6.71
वि वि ख उरई	रीयल सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (1800 के वी ए)	28 मार्च 1997 को संस्थापित जांच मीटर के अनुसार संयोजन के उपरान्त संस्थापित मीटर (19 मार्च 1997) 9.2 प्रतिशत धीमा पाया गया और जून से अक्टूबर 1997 के दौरान तीन अन्य मीटर खराब व जले बताये गये	28 मार्च से 29 अप्रैल 1997 के दौरान जांच मीटर पर अभिलिखित 14160 यूनिट प्रतिदिन	मार्च से सितम्बर 1997	11.76	21.38
वि वि ख उरई	शताब्दी स्टील्स लिमिटेड (3200 के वी ए)	30 जून 1997 को दिये गये संयोजन के उपरान्त संस्थापित पी टी के बी फेज 2 अगस्त 1997 की प्रथम मीटर रीडिंग तिथि पर क्षतिग्रस्त पाया गया	सितम्बर 1997 में नई पी टी की संस्थापना के बाद मीटर पर अभिलिखित 25475 यूनिट प्रतिदिन	जुलाई एवं अगस्त 1997	4.76	14.23

1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख रुद्रपुर	यू बी एग्रो मिल्स (220 के वी ए)	जून 1998 में संस्थापित जांच मीटर के अनुसार पुराना मीटर धीमा पाया गया, सी टी का 'बी' फेज क्षतिग्रस्त और अगस्त 1998 में पुराना मीटर रुका हुआ था	सितम्बर से नवम्बर 1998 के दौरान नये मीटर पर अभिलिखित 28597 इकाइयाँ	जनवरी 1998, (जून 1998 से 6 माह पूर्व) एवं अगस्त 1998	2.96	11.53
वि वि ख फतेहपुर	माया एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड (1500 के वी ए)	क्षतिग्रस्त पी टी के कारण 31 मई 1997 से मीटर रुका था जोकि 11 सितम्बर 1997 को बदला गया	मार्च से मई 1997 के दौरान औसत उपभोग	जून से सितम्बर 1997	7.15	25.77
वि वि ख (ग्रामीण) देहरादून	तायल केमिकल लिमिटेड (348 के वी ए)	सितम्बर 1997 में जांच खण्ड द्वारा हाई टेन्सन पोलैरिटी का विपरीत होना सूचित किया गया	मार्च से मई 1997 के दौरान 4488 यूनिट प्रतिदिन का औसत उपभोग	जून से सितम्बर 1997	1.73	6.53
वि वि ख चंदौली	गंगा बैग उद्योग लिमिटेड (175 के वी ए)	29 जुलाई 1997 को रुके हुये मीटर को 27 जनवरी 1998 को बदला गया।	27 जनवरी से अप्रैल 1998 के दौरान नये मीटर ने 34169 यूनिट प्रतिदिन अभिलिखित की गई।	जनवरी 1997 (जुलाई 1997 से 6 माह पूर्व) से जनवरी 1998	2.35	8.42
वि वि ख चंदौली	भारत पेट्रोलियम (130 के वी ए)	अगस्त 1995 से दिसम्बर 1996 के दौरान खराब/रुक–रुक चलने वाला मीटर जिसमें 11382 यूनिट प्रतिदिन की खपत अभिलेखित थी	जनवरी से अप्रैल 1997 के दौरान नये मीटर पर अभिलेखित 20520 यूनिट प्रतिदिन	अगस्त 1995 से दिसम्बर 1996	1.55	4.35

1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख–I बुलन्दशहर	ओरियन्ट सीरैमिक्स लिमिटेड (1500 के वी ए)	अनन्तिम रुप से देयकीकृत किया गया क्योंकि मार्च से जुलाई 1998 के दौरान, संगामो मीटर नौब के द्वारा परिचालित नहीं था। जुलाई 1998 में संस्थापित किया गया सिक्योर मीटर सितम्बर 1998 में रुक गया जिसे अन्य सिक्योर मीटर से सितम्बर 1998 में बदला गया	अगस्त 1998 और अक्टूबर 1998 के दौरान औसत 10394 यूनिट प्रतिदिन।	मार्च से जुलाई 1998 और सितम्बर 1998	6.97	27.88
योग						**126.80**

परिशिष्ट–14

(प्रस्तर 3अ.5.10 में संदर्भित)

निम्नतर संविदागत भार के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	भट्ठी की क्षमता (टन में)	क्षमता का आधार	देयक योग्य संविदागत भार (के वी ए में)	देयकीकृत किया गया भार (के वी ए में)	राजस्व का कम प्रभारण	
						अवधि	राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लिमिटेड	10	मार्च 1997 का भार अवमुक्त आदेश	6000	5000	जून 1998 से दिसम्बर 1998	28.67
वि वि ख काशीपुर	अर्पित स्टील लिमिटेड	3.62	जुलाई 1998 में मुरादाबाद क्षेत्रीय समिति द्वारा सत्यापन (एक भट्ठी का भार असम्बद्ध किया)	2175	1500	जून 1998 से अप्रैल 1999	49.30
वि वि ख काशीपुर	काशी विश्वनाथ स्टील लिमिटेड	9	तदैव	5400 एवं 1200 रोलिंग मिल के लिए	4800	तदैव	131.46
वि वि ख उरई	गनपति इण्डस्ट्रीज़	3	सितम्बर 1998 में परिषद के दल द्वारा सत्यापित	1800	1110	जुलाई 1998 से अप्रैल 1999	48.30
वि वि ख उरई	वी वी एस कास्टिंगस लिमिटेड	6.10	तदैव	3660	3400	तदैव	18.20
वि वि ख उरई	रामचरण स्टील	4.50	तदैव	2700	2500	तदैव	14.60
वि वि ख उरई	शिवांगी फेरस	3.60	तदैव	2160	1600 (दिसम्बर 1998 से 2100)	तदैव	21.10
वि वि ख उरई	महावीर आइरन	4.70	तदैव	2820	1800 (अक्टूबर 1998 से 2500)	तदैव	37.10
वि वि ख उरई	रामश्री स्टील	3.30	तदैव	1980	1800 (मई 1999 से 2100)	तदैव	10.08
वि वि ख–II झाँसी	मीनाक्षी कास्टिंग	15	मई 1999 में सक्षम समिति द्वारा सत्यापित	9000	5050	तदैव	276.50
योग		**72.22 एवं एक रोलिंग मिल**		**44535**	**32860**		**635.31**

परिशिष्ट–15

(प्रस्तर 3अ.5.12 (iii) में संदर्भित)

विद्युत चोरी के लिए गलत/मूल्याकंन न करने के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम संविदा मार सहित	विद्युत चोरी की प्रकृति एवं अवधि	मूल्यांकन का आधार	राजस्व का कम प्रभारण		
				अवधि	यूनिट (लाख में)	राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख– II झाँसी	मीनाक्षी कास्टिंग (5050 के वी ए)	जून 1998 में परिषद के दल द्वारा मीटर में सी टी शार्ट सर्किट से विद्युत की चोरी	एमएफएचडी सूत्र से मीटर की संस्थापना की तिथि से मीटर के क्षतिग्रस्त होने की तिथि के स्थान पर, मीटर की संस्थापन की तिथि से चोरी के उजागर होने की तिथि तक दर सूची के तीन गुने पर	27 मार्च से 3 जून 1998 (68 दिन)	25.79	238.31
वि वि ख–II झाँसी	जय जगदम्बा मैलियेबल्स (2000 के वी ए)	तदैव	तदैव	19 फरवरी से 3 जून 1998 (104 दिन)	14.58	134.70
वि वि ख– II झाँसी	शिवांगी स्टील (3000 के वी ए)	तदैव	तदैव	27 मार्च से 3 जून 1998 (68 दिन)	10.43	96.39
वि वि ख– II झाँसी	कृष्णा स्टील (352 के वी ए)	तदैव	तदैव	24 फरवरी से 3 जून 1998 (99 दिन)	4.92	45.44

1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख रुद्रपुर	शीलचन्द एग्रो राजस्वल्स लिमिटेड (जनवरी 1998 में 450 के वी ए से बढ़ाकर 950 के वी ए)	जनवरी 1998 की मीटर रीडिंग स्लिप से पुरानी एवं नई सील गायब और मार्च 1998 की मीटर रीडिंग स्लिप में दो गड़बड़ियां अभिलेखित	जून से अगस्त 1998 के दौरान दर सूची से तीन गुने पर 5324 यूनिट प्रतिदिन	जनवरी से मई 1998	8.04	58.61
वि वि ख इटावा	श्री कोल्ड स्टोरेज (151 के वी ए)	अप्रैल, मई एवं जून 1998 की मीटर रीडिंग स्लिप में, मीटर के साथ छेड़छाड़ अभिलेखित	मार्च 1998 में अभिलिखित 2101 यूनिट प्रतिदिन दरसूची के तीन गुने पर	अप्रैल से जून 1998 (93 दिन)	1.25	16.77
वि वि ख चंदौली	पी सी डी एफ कैटिल फूड्स (200 के वी ए)	सितम्बर से नवम्बर 1998 के दौरान विद्युत चोरी के कारण अनुमानित यूनिट के आधार पर बिल किया, तत्पश्चात् दिसम्बर 1998 में मीटर की टूटी हुई पी टी सील	एलगएफगएचगडी सूत्र पर 16 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति के आधार पर दर सूची के तीन गुने पर	जून से नवम्बर 1998 (पिछले 6 माह)	2.04	18.15
वि वि ख (नगरीय –II) गाजियाबाद	अरिहन्त एक्सपोर्ट्स (300 के वी ए)	पुराने मीटर की सील फर्जी पाई और जनवरी 1998 में संस्थापित जांच मीटर से विद्युत चोरी सत्यापित हुई	तदैव	जुलाई से दिसम्बर 1997 (पिछले 6 माह)	1.02	9.42

1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)
वि वि ख काशीपुर	राम कृष्णा कोल्डकेम लिमिटेड (98 बी एच पी)	मार्च से अक्टूबर 1998 के दौरान डिफ्यूजर टाईप के शीतगृह के लिए मात्र 1.2 लाख यूनिट देयकीकृत की गई	दिसम्बर 1991 के मु.अ. (वाणिज्य) के परिपत्र में 9.6 यूनिट प्रति बैग पर निर्धारित 60000 बैग की भण्डारण क्षमता के लिए 5.76 लाख यूनिट	मार्च से अक्टूबर 1998	4.55	19.01
वि वि ख वाराणसी	शर्मा कोल्ड स्टोरेज (100 बी एच पी)	मीटर खराब घोषित (अप्रैल 1997), जला हुआ (जून 1997 तथा अप्रैल 1998) और गड़बड़ी की गई (जुलाई 1998)	90 बी एच पी के संविदागत भार वाले प्रभात कोल्ड स्टोरेज को 6.02 लाख यूनिट के विरुद्व 3.57 लाख यूनिट देयकीकृत की	मार्च से दिसम्बर 1998	2.45	6.03
वि वि ख बुलन्दशहर	मोहन डेरी ऐण्ड कोल्ड स्टोरेज (256 के वी ए)	मई 1996 से नवम्बर 1997 के दौरान संस्थापित 4 मीटर रुके हुए, असामान्य, अवरुद्व एवं धीमे बताये गये और अप्रैल 1998 में स्थापित मीटर की पेपर सील क्षतिग्रस्त पाई गई	जनवरी से जून 1996 में 3.06 लाख देयकीकृत यूनिट के विरुद्व जनवरी से जून 1997 के दौरान 1.78 लाख यूनिट देयकीकृत की गई	जनवरी से जून 1997	1.28	4.22
			171 के वी ए के संविदागत भार वाले आनन्द कोल्ड स्टोरेज के मामले में देयकीकृत की गई 4.28 लाख यूनिट के विरुद्व 3.98 लाख यूनिट देयकीकृत की गई	जुलाई से सितम्बर 1997 और अप्रैल से अक्टूबर 1998	0.84	3.01
योग						**650.06**

परिशिष्ट–16

प्रस्तर 3अ.5.13 (ii) में सन्दर्भित

मांग प्रभारों की कम देयकीकरण के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम लागू दर सूची के साथ	अनुबंधित भार	देयक योग्य मांग	देयकीकृत की गई मांग	मांग प्रभारों का कम अवधि	देयकीकृत करना राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख–I झांसी	स्पिनिंग मिल (एच वी–2)	2000 के वी ए प्रत्येक के दो संयोजन	अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत(1500 के वी ए)	शून्य से 744 के वी ए	दिसम्बर 1995 और अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998	18.12
वि वि ख ऊरई	विश्व बैंक ट्यूबवेल (एच वी–4)	305 बी एच पी (268 के वी ए) एवं 642.5 बी एच पी (564 के वी ए) के दो समूह	मीटर न होने पर अनुबंधित मांग पर 70 रुपये प्रति बी एच पी	अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत 80 रूपये प्रति के वी ए पर	जनवरी 1992 से दिसम्बर 1996	10.34
वि वि ख काशीपुर	काशी विश्वनाथ लि0 एवं अर्पित स्टील लि0(एच वी–1)	4800 के वी ए और 1500 के वी ए	18 से 30 जून 1998 तक अनुबंधित मांग	18 से 23 जून 1998 तक अनुबंधित मांग	जून 1998	11.28
वि वि ख चंदौली	भूपौली पम्प कैनाल (एच वी –4)	4100 के वी ए	नवम्बर 1996 से जनवरी 1997 के दौरान 3384 के वी ए का औसत	अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत (3075 के वी ए)	फरवरी 1997 से दिसम्बर 1998 तक जब एम डी आई खराब थी	6.81
वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0(एच वी –1)	30 अक्टूबर 1998 से 750 के वी ए बढ़ाकर 1200 के वी ए	750 के वी ए के अनुबंधित मांग के आधार पर 600 के वी ए की अधिक मांग	1200 के वी ए के अनुबंधित मांग के आधार पर 150 के वी ए की अधिक मांग	अक्टूबर 1998	3.15
वि वि ख– II झाँसी	विकास मेट्ौल	2500 के वी ए	2660 के वी ए	2500 के वी ए	अगस्त एवं सितम्बर 1998	2.24
वि वि ख–II झाँसी	मीनाक्षी कास्टिंग	5050 के वी ए	5130 से 5535 के वी ए	5050 के वी ए	अगस्त 1998 से अप्रैल 1999	5.19
वि वि ख–II झाँसी	शिवांगी स्टील्स	3000 के वी ए	3015 से 3040 के वी ए	3000 के वी ए	नवम्बर 1998 और जनवरी 1999	0.29
योग						57.42

परिशिष्ट–17

(प्रस्तर 3अ.5.15(i)में संदर्भित)

मीटरों की विशुद्धता का परीक्षण न करने के कारण राजस्व की हानि दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	अनुबंधित भार (के वी ए)	दर अनुसूची	सिक्योर मीटर की संस्थापना तिथि	प्रतिदिन उपभोग				पुराने मीटर में अभिलिखित खपत का प्रतिशत		सिक्योर मीटर में अभिलेखित खपत के निम्न स्तर की तुलना में राजस्व की हानि
						पुराना मीटर सिक्योर मीटर की संस्थापना तिथि से पूर्व		नया मीटर सिक्योर मीटर की संस्थापना के बाद				
						अवधि	यूनिट	अवधि	यूनिट		अवधि	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)
1	वि वि ख देहरादून	गढ़वाल रोलिंग मिल्स लि0, देहरादून	1000	एच वी –1	10 जून 1998	11 अप्रैल से 10 जून 1998	2871	10 जून से 27 अगस्त 1998	5032	42.94	12 फरवरी 1997 से 10 जून 1998	14.07
2	वि वि ख रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	एम बी राईस मिल्स, रुद्रपुर	800	एच वी –2	19 मार्च 1998	8 मार्च से 19 मार्च 1998	2757	19 मार्च से 6 अप्रैल 1998	5873	53.06	25 अक्टूबर 1997 से 19 मार्च 1998	33.02
3	वि वि ख रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	खटीमा फाइबर्स लि0, रुद्रपुर	2600	एच वी –2	2 जून 1998	5मई से 2 जून 1998	21282	2 जून से 2 जुलाई 1998	41028	48.13	4 दिसम्बर 1997 से 2 जून 1998	144.36

1	2	3	4	5	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)
4	वि वि ख रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	पौली फ्लेक्स कार्पोरेशन लि0, रुद्रपुर	2000	एच वी – 2	28 अप्रैल 1997	9 अप्रैल से 28 अप्रैल 1997	19958	28 अप्रैल से 8 जून 1997	21901	8.87	30 दिसम्बर 1996 से 28 अप्रैल 1997	8.46
5	वि वि ख रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	नैनीताल रोलर फ्लोर मिल्स, रुद्रपुर	495	एच वी – 2	30 जुलाई 1998	2 जुलाई से 30 जुलाई 1998	2295	30 जुलाई से 29 अगस्त 1998	3592	36.11	फरवरी 1998 से जुलाई 1998	9.40
6	वि न वि ख–प मुरादाबाद	खण्डीय अभियन्ता दूर संचार केन्द्र, मुरादाबाद	206	एच वी – 2	22 सितम्बर 1998	24 अगस्त से 22 सितम्बर 1998	1224	22 सितम्बर से 5 अक्टूबर 1998	2532	51.66	24 मार्च से 22 सितम्बर 1998	7.44
7	वि न वि ख–प गोरखपुर	बुद्धा फ्लोर मिल्स, गोरखपुर	700	एच वी –2	4 जुलाई 1998	1 जून से 4 जुलाई 1998	3141	4 जुलाई 1998 से 1 अगस्त 1998	6049	48.07	5 जनवरी से 4 जुलाई 1998	22.91
8	वि न वि ख–प गोरखपुर	गोविन्द मिल्स लि0, गोरखपुर	600	एच वी –2	4 जुलाई 1998	4 जुलाई से 31 मार्च 1998	3636	1 अगस्त से 1 नवम्बर 1998	4010	9.33	5 जनवरी से 4 जुलाई 1998	7.72
9	वि न वि ख–ए गोरखपुर	जालान कोनकोस्ट लि0, गोरखपुर		एच वी –1	2 जून 1998	1 जून से 29 जून 1998	2073	29 जून से 1 अगस्त 1998	4055	48.88	1 जनवरी से 29 जून 1998	26.43

1	2	3	4	5	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)
10	वि वि ख बाराबंकी	विश्वकर्मा स्टील्स, बाराबंकी	जून 1998 तक 400 और जून 1998 के बाद 470	एच वी –1	18 जून 1998	30 मई 1998 से 18 जून 1998	937	18 जून से 27 जून 1998	1947	51.87	जनवरी से 18 जून 1998	5.50
11	वि वि ख बाराबंकी	किसान कोल्ड स्टोरेज, बाराबंकी	मार्च 1998 तक 400 और मार्च 1998 के बाद 150	एच वी – 2	16 जनवरी 1998	1 दिसम्बर 1997 से 16 जनवरी 1998	221	16 जनवरी से 27 जनवरी 1998	508	56.50	अप्रैल से दिसम्बर 1997	15.94
12	वि वि ख—ι बुलन्दशहर	सूरज वनस्पति लि0, बुलन्दशहर	3200	एच वी –2	22 जून 1998	29 मई 1998 से 22 जून 1998	12903	22 जून 1998 से 2 जुलाई 1998	18050	28.52	24 दिसम्बर 1997 से 22 जून 1998	49.27
13	वि वि ख—ι बुलन्दशहर	बिबकोल चोला, बुलन्दशहर	1800	एच वी –2	20 जून 1998	27 अप्रैल 1998 से 26 जून 1998	2085	20 जून 1998 से 4 अगस्त 1998	2379	12.36	जनवरी 1998 से जून 1998	2.31
14	वि वि ख—ι बुलन्दशहर	जिन्दल पोलीस्टर फोटो फिल्म्स लि0, बुलन्दशहर	600	एच वी –2	22 अगस्त 1998	22 जुलाई 1998 से 22 अगस्त 1998	4487	22 अगस्त 1998 से 28 अगस्त 1998	6136	26.87	27 फरवरी 1998 से 28 अगस्त 1998	11.94
15	वि वि ख काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	अर्पित स्टील्स एलौय (प्रा0) लि0, काशीपुर	1500	एच वी –1	26 जून 1998	जून 1998	6554	जुलाई 1998	16488	60.25	जनवरी 1998 से जून 1998	70.44

1	2	3	4	5	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)
16	वि वि ख काशीपुर	सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर	2100	एच वी –2	26 अगस्त 1998	30 जुलाई 1998 से 26 अगस्त 1998	28875	26 अगस्त 1998 से 27 सितम्बर 1998	32382	10.83	मार्च 1998 से अगस्त 1998	23.58
17	वि वि ख काशीपुर	सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर	1500	एच वी –2	26 अगस्त 1998	30 जुलाई 1998 से 26 अगस्त 1998	16607	26 अगस्त 1998 से 27 सितम्बर 1998	20382	18.52	मार्च 1998 से अगस्त 1998	26.92
18	वि वि ख काशीपुर	मित्तल फ्लोर मिल्स, रामनगर (काशीपुर)		एच वी –2	20 अगस्त 1998	1 अगस्त 1998 से 19 अगस्त 1998	799	20 अगस्त 1998 से 31 अगस्त 1998	1732	53.87	मार्च 1998 से अगस्त 1998	7.13
19	वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0, ग्राम मुरका (बादाँ)	1200	एच वी –1	1 जून 1998	11 मई से 1 जून 1998	2040	1 जून से 29 जून 1998	4268	52.20	दिसम्बर 1997 से मई 1998	17.18
20	वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0, ग्राम मुरका (बादाँ)	2000	एच वी –1	1 जून 1998	11 मई से 1 जून 1998	9543	1 जून से 29 जून 1998	16376	42.34	दिसम्बर 1997 से मई 1998	52.80
21	वि वि ख चंदौली	इन्डस्ट्रीयल बोर्ड मिल्स, रामनगर (चंदौली)	126	एच वी –2	3 दिसम्बर 1997	नवम्बर 1997	433	3 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 1997	655	33.90	जून 1997 से नवम्बर 1997	2.60

1	2	3	4	5	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)
22	वि वि ख चंदौली	हेम गंगा पोलीटेक्स (प्रा0) लि0, रामनगर (चंदौली)	250	एच वी –2	13 फरवरी 1998	30 जनवरी से 13 फरवरी 1998	1211	13 फरवरी से 26 फरवरी 1998	13088	60.78	अगस्त 1997 से जनवरी 1998	8.17
23	वि वि ख चंदौली	वाराणसी मेटल्स क्राफ्ट्स, (चंदौली)	600	एच वी –1	28 सितम्बर 1998	22 अगस्त से 28 सितम्बर 1998	1327	28 सितम्बर से 31 अक्टूबर 1998	2904	54.30	अप्रैल 1998 से सितम्बर 1998	5.92
24	वि वि ख चंदौली	कनोरीय फ्लोर मिल्स	515	एच वी –2	23 सितम्बर 1998	31 अगस्त से 23 सितम्बर 1998	1053	23 सितम्बर से 31 अक्टूबर 1998	2967	64.51	अप्रैल 1998 से सितम्बर 1998	40.10
25	वि वि ख महराजगंज	प्रेम कोल्ड स्टोरेज, आनन्दनगर (महराजगंज)	177	एच वी –2	19 अगस्त 1998	4 अगस्त से 19 अगस्त 1998	419	19 अगस्त से 31 अगस्त 1998	635	34.02	मार्च 1998 से अगस्त 1998	2.19
26	वि वि ख महराजगंज	दुर्गा एग्रो फार्म्स लि0,	712	एच वी –2	13 अगस्त 1997	30 जून से 25 जुलाई 1997	1904	13 अगस्त से 6 दिसम्बर 1997	3309	39.2	फरवरी से जुलाई 1997	7.69
		तदैव	तदैव	तदैव	17 जुलाई 1998	16 जनवरी से 16 जुलाई 1998	2873	17 जुलाई से 3 अगस्त 1998	3672	22.6	जनवरी से जून 1998	6.30
27	वि वि ख–८ वाराणसी	जयको रबर लि0	99	एच वी –2	9 अक्टूबर 1998	3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 1998	286	9 अक्टूबर से 3 नवम्बर 1998	564	49.29	अप्रैल 1998 से सितम्बर 1998	4.47
28	वि वि ख–८ वाराणसी	एस के ग्लास वर्क्स	600	एच वी –2	3 सितम्बर 1998	1 अगस्त से 3 सितम्बर 1998	4024	3 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998	6323	36.36	मार्च 1998 से अगस्त 1998	19.32
	योग											653.58

परिशिष्ट–18

(प्रस्तर 3अ.5.16(i)में संदर्भित)

विद्युत प्रभारों आदि की कम देयकीकरण/देयकीकरण न करने को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	*उपभोक्ता का विवरण*	*अनुबंधित भार*	*कम देयकीकरण/देयकीकरण न करने के कारण*	*कम देयकीकरण/देयकीकरण न करने की अवधि*	*राशि (लाख रुपये में)*
1	2	3	4	5	6
वि वि ख अमरोहा	विश्व बैंक ट्यूबवेल	420 बी एच पी	440 रुपये प्रति बी एच पी के स्थान पर 230 रुपये पर देयकीकृत किया	अप्रैल 1998 से मार्च 1999	10.59
वि वि ख अमरोहा	विश्व बैंक ट्यूबवेल	435 बी एच पी	440 रुपये प्रति बी एच पी के स्थान पर 230 रुपये पर देयकीकृत किया	जनवरी 1997 से मार्च 1998	13.70
वि वि ख अमरोहा	कुटीर ज्योति संयोजन	805 संख्या	देयकीकृत नही किया गया	अप्रैल 1993 से अप्रैल 1999	6.91
वि वि ख अमरोहा	जनता सेवा संयोजन	578 संख्या	देयकीकृत नही किया गया	अप्रैल 1995 से अप्रैल 1999	5.35
वि वि ख काशीपुर	विश्व बैंक टयूबवेल	3075 बी एच पी	237.5 बी एच पी के लिए देयकीकृत किया	अक्टूबर 1997 से मई 1999	5.85
वि वि ख काशीपुर	कुटीर ज्योति और जनता सेवा संयोजन	1977 संख्या	देयकीकृत नहीं किया	फरवरी 1996 से मई 1999	14.45
वि वि ख काशीपुर	7 घरेलू बिजली एवं पंखा उपभोक्ता	1229 के डब्ल्यू	2.35 रुपये से 2.60 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर रु 2.20 पर देयकीकृत किया	फरवरी से अप्रैल 1999	3.02
वि वि ख काशीपुर	सार्वजनिक लैम्प संयोजन	5 संख्या	विलम्ब भुगतान प्रभार नहीं लगाया	अप्रैल 1998 से मार्च 1999	10.19
वि वि ख–ɩ वाराणसी	चन्द्रावती पम्प कैनाल	210.8 के डब्ल्यू	186 के डब्ल्यू के लिए देयकीकृत किया	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	13.69
वि वि ख–ɩ वाराणसी	राज्य ट्यूबवेल	9869 बी एच पी	273 से 392 बी एच पी के लिए कम देयकीकृत किया	अप्रैल 1996 से सितम्बर 1997	11.73
वि वि ख–ɩ वाराणसी	हरिहर कोल्ड स्टोरेज		यूनिट कम देयकीकृत की गई	अक्टूबर 1997 से मार्च 1998	0.72
वि वि ख कासिया	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	3063 संख्या	देयकीकृत नहीं किया गया	फरवरी 1996 से अक्टूबर 1998	10.87

1	2	3	4	5	6
वि वि ख कासिया	यू पी शुगर कम्पनी सिराही, कुशीनगर	395 के वी ए	खराब मीटर के कारण अमूल्यांकन	मई से अक्टूबर 1998	3.87
वि वि ख महराजगंज	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	3758 संख्या	कुटीर ज्योति के लिए रु 10 के स्थान पर 7.50 रुपये और जनता सेवा के लिए 15 रुपये के स्थान पर 10 रुपये देयकीकृत किया	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1998	3.48
वि वि ख महराजगंज	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	3758 संख्या	देयकीकृत नही किया गया	जनवरी से मई 1999	9.84
वि वि ख महराजगंज	दुर्गा एग्रो फार्म्स लि0, निचलौल (महराजगंज)	265 के वी ए	कम वोल्टेज प्रभार देयकीकृत नही किया गणना त्रुटि	जून 1997 से अक्टूबर 1998 2 दिसम्बर 1997 से 16 जनवरी 1998	2.44 2.71
वि वि ख महराजगंज	सार्वजनिक लैम्प संयोजन	6 संख्या	कम दर पर देयकीकृत किया	फरवरी से मई 1999	0.77
वि वि ख धामपुर	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	4824 संख्या	कम दर पर देयकीकृत किया	जनवरी 1997 से अप्रैल 1999	8.52
वि वि ख धामपुर	सार्वजनिक लैम्प संयोजन	6 संख्या	कम दर पर देयकीकृत किया	जनवरी 1997 से मई 1999	4.17
वि वि ख धामपुर	धामपुर शुगर मिल्स	979 के वी ए	विद्युत प्रभार एवं कम पावर फैक्टर प्रभार देयकीकृत नहीं किया	नवम्बर और दिसम्बर 1996, मार्च 1997 से मई 1997 और जनवरी 1999	3.43
वि वि ख धामपुर	श्री राजेश कुमार (केन कशर)	130 के वी ए	यूनिटस कम देयकीकृत किया	नवम्बर 1998 से जनवरी 1999	4.30
वि वि ख बाराबंकी	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	2528 संख्या	देयकीकृत नही किया	जनवरी 1999 से अप्रैल 1999	5.56
वि वि ख लखीमपुर	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	1017 संख्या	देयकीकृत नही किया	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1998	1.25
वि वि ख लखीमपुर	विश्व बैंक ट्यूबवेल	1207 बी एच पी	देयकीकृत नही किया	अक्टूबर से दिसम्बर 1998	15.94

1	2	3	4	5	6
वि वि ख रुद्रपुर	कुटीर ज्योति एवं जनता सेवा संयोजन	228 से 1181 संख्या	देयकीकृत नही किया	अप्रैल 1993 से अप्रैल 1999	6.35
वि वि ख (नगरीय)–II मुरादाबाद	वाटर वर्क्स	996 एच पी	देयकीकृत नही किया	अक्टूबर 1998 से मार्च 1999	48.05
वि वि ख–I बुलन्दशहर	बिबकोल, चोल बुलन्दशहर	1800 के वी ए	लो पावर फैक्टर प्रभार देयकीकृत नही किया	अक्टूबर 1997 से जून 1998	1.16
वि वि ख–I बुलन्दशहर	जय सिलेन्डर्स (प्रा) लि0, सिकन्दराबाद	360 के वी ए	लो पावर फैक्टर प्रभार देयकीकृत नही किया	नवम्बर 1996 से अप्रैल 1998	2.33
वि वि ख–I बुलन्दशहर	एशियन पैकिंग लि0, सिकन्दराबाद	200 के वी ए	खराब सी टी के लिए अमूल्यांकन	अगस्त और सितम्बर 1998	1.48
वि वि ख खुर्जा	सार्वजनिक लैम्प संयोजन	3 संख्या	कम दर पर देयकीकृत किया	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1998	2.03
वि वि ख चंदौली	सार्वजनिक लैम्प संयोजन	4 संख्या	विलम्ब भुगतान पर प्रभार के साथ देयकीकृत नही किया गया	अप्रैल 1996 से जनवरी 1999	6.89
वि वि ख चंदौली	लक्ष्मी बिजनेस प्रमोटर्स, चंदौली	1000 के वी ए	ईधन प्रभार देयकीकृत नहीं किया	मई से सितसम्बर 1998	1.48
वि वि ख (नगरीय) – II गोरखपुर	गोविंद मिल्स लि0 (रोलिंग मिल्स)	1200 के वी ए	मॉग प्रभार एवं लो पावर फैक्टर प्रभार देयकीकृत नही किया	मई से जून 1998	0.86
वि वि ख (नगरीय) – II गोरखपुर	गोविंद मिल्स लि0 (आक्र फरनेस)	2610 के वी ए	अधिक मांग प्रभार देयकीकृत नही किया	जनवरी और फरवरी 1999	0.90
वि वि ख– गोरखपुर	विश्व बैंक ट्यूबवेल	3 समूह	शन्ट कैपिसिटर प्रभार देयकीकृत नहीं किया	जनवरी 1997 से अगस्त 1998	8.1
वि वि ख–I गोरखपुर	सार्वजनिक लैम्प	11 उपभोक्ता	देयकीकृत नहीं किया	अप्रैल 1997 से अगस्त 1998	19.96
वि वि ख–I गाजीपुर	राज्य ट्यूबवेल		230 रुपये प्रति वी एच पी के स्थान पर 192 रुपये पर देयकीकृत किया और शन्ट कैपिसिटर प्रभार देयकीकृत नहीं किया	जनवरी 1997 से मार्च 1999	69.10
योग					**342.05**

परिशिष्ट–19

(प्रस्तर 3अ.5.16(ii) में संदर्भित)

विद्युतीकृत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों को देयकीकृत न किये जाने को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	*खण्ड का नाम*	*अवधि*	*विद्युतीकृत (संख्या में)*		*कुल प्रकाश विन्दु*	*अमूल्यांकित राशि (लाख रुपये में)*		
			ग्राम	हरिजन बस्तियां	(संख्या में)	ईसी	ईडी	योग
1.	वि वि ख–II लखीमपुर	अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1998	270	317	3334	90.42	12.08	102.50
2.	वि वि ख–II बुलन्दशहर	अप्रैल 1990 से जनवरी 1999	169	171	2032	55.88	7.52	63.40
3.	वि वि ख खुर्जा	अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1998	262	255	3130	84.45	11.30	95.75
4.	वि वि ख चंदौली	अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1998	374	420	4580	123.57	16.53	140.10
5.	वि वि ख देहरादून	अप्रैल 1990 से मार्च 1999	649	437	7364	177.03	22.15	199.18
6.	वि वि ख बांदा	अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1998	491	491	5892	158.97	21.27	180.24
7.	वि वि ख रुद्रपुर	अप्रैल 1990 से मार्च 1999	371	224	4228	120.92	16.57	137.49
8.	वि वि ख–II वाराणसी	अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1998	404	294	4528	122.17	16.35	138.52
9.	वि वि ख बाराबंकी	अप्रैल 1990 से मार्च 1999	455	455	5460	156.16	21.40	177.56
10.	वि वि ख कासिया	अप्रैल 1990 से अक्टूबर 1998	708	641	8362	219.25	28.92	248.17
11.	वि वि ख धामपुर	अप्रैल 1990 से मई 1999	338	112	3604	91.65	13.38	105.03
12.	वि वि ख काशीपुर	अप्रैल 1990 से अप्रैल 1999	488	294	5468	158.63	21.96	180.59
13.	वि वि ख महराजगंज	अप्रैल 1990 से मई 1999	679	691	8172	242.14	33.57	275.71
	योग					**1801.24**	**243.00**	**2044.24**

परिशिष्ट–20

(प्रस्तर 3अ 5.16(iii) में संदर्भित)

विद्युत देयकों के अतिविलम्ब से निर्गमन के कारण ब्याज की हानि दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं०	*खण्ड का नाम*	*कम प्रभार की राशि* (लाख रुपये में)	*कम प्रभार की प्रकृति एवं अवधि*	*मूल्यांकन का माह*	*वसूली की राशि एवं वसूली का माह* (लाख रुपये में)	*ब्याज की हानि @ 18% प्रतिवर्ष*	*ब्याज की अवधि*
1	वि वि ख (आर) देहरादून	6.26	लो पावर फैक्टर प्रभार न लगाना (अप्रैल 1996 से जुलाई 1998)	सितम्बर 1998	शून्य	1.25	अप्रैल 1996 से सितम्बर 1998
2		7.87	विद्युत प्रभार एवं विद्युत शुल्क की कम देयकीकरण (दिसम्बर 1992 से मई 1998)	अप्रैल 1999	शून्य	1.30	जून 1998 से मई 1999
3		19.64	विलम्ब भुगतान प्रभार न लगाना (जनवरी 1993 से जून 1998)	अप्रैल 1999	12.45 (जून 1998)	11.41	जनवरी 1993 से मई 1999
4	वि वि ख–II अलीगढ़	4.31	कैपेसिटर्स प्रभार न लगाना (अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1998)	अप्रैल 1999	शून्य	1.10	मई 1996 से अप्रैल 1999
5	वि वि ख कोटद्वार	12.22	विलम्ब भुगतान प्रभार न लगाना (अप्रैल 1996 से फरवरी 1998)	उपलब्ध नहीं	शून्य	1.97	मई 1996 से अप्रैल 1998
6	वि वि ख–I इलाहाबाद	64.72	मांग प्रभार का कम लगाना (अप्रैल 1996 से सितम्बर 1998)	जनवरी 1999	53.94(फरवरी 1999)	15.67	अप्रैल 1996 से जनवरी 1999
7	वि वि ख–II जौनपुर	7.47	मांग प्रभार का कम लगाना (जुलाई 1998 से सितम्बर 1998)	नवम्बर/ दिसम्बर 1998	5.35 (नवम्बर 1998 से जनवरी 1999)	0.17	अगस्त से दिसम्बर 1998
8	वि न वि ख–III आगरा	47.28	मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के सत्यापन न होने के कारण कम मूल्यांकन (जून 1995 से नवम्बर 1998)	फरवरी 1999	शून्य	16.42	जून 1995 से नवम्बर 1998
9	वि न वि ख हुसैनगंज लखनऊ	15.98	एक मार्ग प्रकाश उपभोक्ता का कम मूल्यांकन (जनवरी 1997 से जून 1998)	जुलाई 1998 (12.67 लाख रुपये)	शून्य	2..72	जनवरी 1997 से जून 1998
10	वि वि ख–II मथुरा	7.44	लो वोल्टेज प्रभार न लगाना (अप्रैल 1996 से अप्रैल 1998)	मई 1998 (7.44 लाख रुपये)	शून्य	1.34	अप्रैल 1996 से अप्रैल 1998
11	वि न वि ख (ऐशबाग) लखनऊ	7.70	विद्युत शुल्क न लगाना (अप्रैल 1996 से अगस्त 1998)	सितम्बर 1998 (7.70 लाख रुपये)	शून्य	1.32	अप्रैल 1996 से अगस्त 1998
	योग	**200.89**			**71.74**	**54.67**	

परिशिष्ट–21

(प्रस्तर 3अ.5.18 मे संदर्भित)

परिषद की सतर्कता शाखा एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के स्थलों की जाँच को दर्शाती विवरणी

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
कुल उपभोक्ता (लाख में)	55.90	58.87	61.40	64.53	67.09
उपभोक्ताओं के जाँच किये गये स्थल (संख्या) सतर्कता शाखा	56432	58447	61497	57354	69096
विभागीय अधिकारी	9240	10104	17022	9507	11497
योग	**65672**	**68551**	**78519**	**66861**	**80593**
उपभोक्ताओं के जाँच किये गये स्थल का प्रतिशत	1.17	1.16	1.27	1.04	1.20
प्रस्तावित मूल्यांकन सतर्कता शाखा (संख्या)	18897	19788	20226	14350	26027
राशि (लाख रुपये में)	1350.50	2006.16	1821.58	1133.32	2141.66
विभागीय अधिकारी (संख्या)	6493	3733	9120	5582	7248
राशि (लाख रुपये में)	324.32	468.20	390.06	364.23	391.29
मूल्यांकन किया गया					
सतर्कता मामले (संख्या)	9142	9186	12551	8771	12615
राशि (लाख रुपये में)	254.94	475.17	653.02	501.17	665.26
विभागीय अधिकारी (संख्या)	6493	3733	9120	5882	12486
राशि (लाख रुपये में)	324.32	468.20	390.06	364.23	391.29
मूल्यांकन नहीं किया गया (लाख रुपये में)	**1095.56**	**1530.99**	**1168.56**	**632.15**	**1476.40**
वसूली (लाख रुपये में)					
सतर्कता मामले	85.11	90.31	172.09	160.69	166.37
विभागीय अधिकारी	98.41	136.27	139.38	122.84	190.33
मूल्यांकनों के विरुद्ध बकाया (लाख रुपये में)					
सतर्कता मामले	169.94	384.86	480.93	340.88	498.89
विभागीय अधिकारी	225.91	331.80	250.68	241.39	200.96

परिशिष्ट–22

(प्रस्तर 3अ.6.1 में संदर्भित)

राजस्व के बकायों का अवधि वार विवरण दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी/अवधि	एक वर्ष से कम	एक से दो वर्ष	दो से तीन वर्ष	तीन से चार वर्ष	चार से अधिक वर्ष	श्रेणी का योग	
सरकारी उपभोक्ता						राशि	बकायों का प्रतिशत
जल कार्य	91.07	118.23	110.21	77.01	404.09	800.61	21.42
राज्य ट्यूबवेल्स/पम्प कैनाल	15.04	115.78	83.30	---	117.81	331.93	8.87
सार्वजनिक लैम्प	48.72	42.16	36.79	25.59	77.30	230.56	6.17
सरकारी उपभोक्ताओं का योग	**154.83**	**276.17**	**230.30**	**102.60**	**599.20**	**1363.10**	**36.46**
गैर सरकारी उपभोक्ता							
बिजली एवं पंखे (घरेलू एवं वाणिज्यिक)	337.15	185.56	227.65	171.35	415.68	1337.39	35.78
औद्योगिक	209.93	86.34	38.98	131.32	288.30	754.87	20.20
निजी ट्यूबवेल्स	15.64	43.77	78.62	(-) 66.16	105.11	176.98	4.74
अन्य	10.14	29.33	28.55	8.89	28.67	105.58	2.82
गैर सरकारी उपभोक्ताओं का योग	**572.86**	**345.00**	**373.80**	**245.40**	**837.76**	**2374.82**	**63.54**
कुल योग	**727.69**	**621.17**	**604.10**	**348.00**	**1436.96**	**3737.92**	**100**
प्रतिशत	19.47	16.61	16.17	9.30	38.45	100	

परिशिष्ट–23

(प्रस्तर 3अ.6.2.1 में संदर्भित)

किश्तों में भुगतान की सुविधा प्राप्त उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम अनुबंधित भार के साथ	किश्तों को निश्चित करने की संख्या	प्रारम्भिक किश्तों को निश्चित करते समय बकाया (लाख रुपये में)	बकाया की उपलब्ध नवीनतम स्थिति	
				तिथि	राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख–II, मेरठ	संगल पेपर मिल्स (प्रा) लि0, मावाना मेरठ	जनवरी 1997, मई 1997 एवं अगस्त 1997 में 3 बार	44.32	दिसम्बर 1997 (विच्छेदित)	93.78
वि वि ख–II, गाजियाबाद	हिंडन रिवर मिल्स, गाजियाबाद (3000 के वी ए) और दासाना कास्टोन स्पिनिंग लि0, गाजियाबाद (2000 के वी ए)	अगस्त एवं नवम्बर 1998 में 2 बार	75.40	नवम्बर 1998	277.00
वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0, मुरका बाँदा (5000 के वी ए)	अगस्त 1997, नवम्बर 1997, मई 1998 एवं जनवरी 1999 में 4 बार	72.83	जनवरी 1999	410.46
वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0, मुरका बाँदा (3500/2000 के वी ए)	नवम्बर 1997, मई 1998 एवं जनवरी 1999 में 3 बार	129.26	जनवरी 1999	223.03
वि वि ख बाँदा	परेरहाट स्टील लि0, मुरका बाँदा (1200 के वी ए)	नवम्बर 1997 एवं मई 1998 में 2 बार	28.13	दिसम्बर 1998	47.80
वि वि ख (ग्रामीण) देहरादून	गढ़वाल स्टील ऐण्ड एलॉयस लि0, ऋषीकेश, देहरादून (2500 के वी ए)	मार्च 1996, मई 1996, अक्टूबर 1996, नवम्बर 1996 एवं जनवरी 1997 में 5 बार	17.87	अप्रैल 1997	95.10
वि वि ख–I, बुलन्दशहर	कैलाशपति पेपर मिल्स (प्रा) लि0, सिकन्दराबाद (675 के वी ए)	अगस्त 1997, फरवरी 1998 से सितम्बर 1998 में 3 बार	10.32	मार्च 1999	22.89
योग			**378.13**		**1170.06**

परिशिष्ट–24

(प्रस्तर 3अ.6.2.5 में संदर्भित)

सरकारी उपभोक्ताओं से प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूल न होने को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	उपभोक्ता की श्रेणी	माँगी जाने योग्य प्रतिभूति	उठाई गई माँग	ब्याज की हानि
1.	वि न वि ख–III, बरेली	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य	3.02 5.75	---- ----	2.27 4.31
2.	वि वि ख–III, बुलन्दशहर	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य राज्य ट्यूबवेल	1.72 1.49 17.12	1.72 1.49 17.12	1.29 1.12 12.84
3.	वि वि ख–II, अलीगढ़	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य राज्य ट्यूबवेल विश्व बैंक ट्यूबवेल	6.20 5.43 10.07 1.71	-- -- -- --	4.65 4.07 7.55 1.28
4.	वि न वि ख–I, वाराणसी	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य	37.98 32.05	37.98 32.05	28.48 24.04
5.	केसा	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य	43.60 64.62	43.60 64.62	32.70 48.47
6.	वि न वि ख–I, गाजियाबाद	मार्ग प्रकाश राज्य ट्यूबवेल सार्वजनिक जल कार्य	14.51 0.22 11.54	14.51 0.22 11.54	10.88 0.16 8.66
7.	वि वि ख, रानीखेत	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य	0.15 31.32	-- --	0.11 23.49
8.	वि वि ख, हरदोई	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य राज्य ट्यूबवेल विश्व बैंक ट्यूबवेल	2.25 3.43 26.25 12.14	-- -- -- --	1.69 2.57 19.69 9.11
9.	वि न वि ख–II, अलीगढ़	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य	1.44 5.32	-- --	1.08 3.99
10.	वि वि ख, इटावा	मार्ग प्रकाश सार्वजनिक जल कार्य विश्व बैंक ट्यूबवेल	5.07 12.57 10.30	-- -- --	3.80 9.43 7.73
			योग		**275.46**

परिशिष्ट–25

(प्रस्तर 3अ 6.2.6 में संदर्भित)

दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विच्छेदित न किये जाने की स्थिति दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

	बिजली एवं पंखा (घरेलू)		बिजली एवं पंखा (वाणिज्यिक)		छोटे एवं मध्यम विद्युत		निजी ट्यूबवेल		उपभोक्ता ओं की कुल संख्या	राशि
अविच्छेदित	उपभोक्ता ओं की संख्या	देय	उपभोक्ता ओं की संख्या	देय	उपभोक्ता ओं की संख्या	देय	उपभोक्ता ओं की संख्या	देय		
4 माह से कम	210082	1713.35	33801	612.86	8031	1481.89	25008	1289.17	276922	5097.27
4 से 6 माह पुराने	26189	369.94	5543	350.18	1120	407.56	1996	60.90	34848	1188.58
7 से 12 माह पुराने	20015	604.21	4653	353.06	951	379.15	2117	105.97	27736	1442.39
12 माह से अधिक पुराने	71806	5468.41	16443	3149.64	3484	4652.86	21118	2935.75	112851	16206.66
योग	328092	8155.91	60440	4465.74	13586	6921.46	50239	4391.79	452357	23934.90
विच्छेदित										
4 से 6 माह पुराने	198	15.02	72	10.71	69	26.73	1126	74.07	1465	126.53
7 से 12 माह पुराने	335	22.39	127	20.24	107	66.58	4130	312.34	4699	42155
12 माह से अधिक पुराने	4567	319.38	1446	199.70	975	504.37	4658	2123.28	11646	3146.73
असंचालित लेखे	20306	731.88	2520	236.17	7033	961.52	4173	313.64	34032	2243.21
योग	**25406**	**1088.67**	**4165**	**466.82**	**8184**	**1559.20**	**14087**	**2823.33**	**51842**	**5938.02**
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	**353498**	**9244.58**	**64605**	**4932.56**	**21770**	**8480.66**	**64326**	**7215.12**	**504199**	**29872.92**

परिशिष्ट–26

(प्रस्तर 3अ 6.4.1 में संदर्भित)

बैक मिलान विवरण में अन्तरों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	माह जब तक बी आर विवरणी तैयार की गयी	अन्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख बाराबंकी	जून 1997 तक और अप्रैल 1998 से नवम्बर 1998 तक (बी आर विवरण जुलाई 1997 से मार्च 1998 तक तैयार नहीं किया गया)	नवम्बर 1998 के रोकड़ बही और पास बुक के अन्तिम शेषों में अन्तर के कारण कमियां (मिलान नहीं किया गया)	162.82
वि वि ख (नगरीय)–II, गोरखपुर	अप्रैल 1999	अप्रैल 1989 से नवम्बर 1997 तक का अनएक्नालेज्ड प्रेषण	10.46
		दिसम्बर 1989 से मार्च 1998 के दौरान बैंक द्वारा अधिक डेबिट	0.99
वि वि ख (ग्रामीण)–देहरादून	अक्टूबर 1997	अन्य बैकों द्वारा अस्थानान्तरित	50.87
		अप्रैल 1997 के दौरान अनएक्नालेज्ड प्रेषण	3.20
वि वि ख रुद्रपुर	फरवरी 1998	दिसम्बर 1995 से दिसम्बर 1997 के दौरान बैंक द्वारा अधिक डेबिट	233.87
		बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट	(-)119.67
वि वि ख (नगरीय)–II, मुरादाबाद	जून 1998	अप्रैल 1995 से जुलाई 1997 तक अनएक्नालेज्ड प्रेषण	0.58
वि वि ख (नगरीय/दक्षिण) देहरादून	मार्च 1998	सितम्बर 1990 से जुलाई 1996 तक अनएक्नालेज्ड चेक	44.69

खण्ड का नाम	माह जब तक बी आर विवरणी तैयार की गयी	अन्तर की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)
वि वि ख महराजगंज	जुलाई 1998	फरवरी 1992 से जून 1998 तक का अनएक्नालेज्ड चेक	14.69
		बैंक द्वारा अधिक डेबिट	6.86
		अन्य अन्तर (कोई ब्यौरा नहीं)	72.87
वि वि ख बाँदा	मार्च 1998	जनवरी 1995 से दिसम्बर 1997 तक अनएक्नालेज्ड चेक	7.09
		रोकड़ बही और बैंक के बन्द खातों (जनवरी 1995) के शेषों के मध्य अन्तर के अनुसार कमियाँ	113.68
वि वि ख अमरोहा	जुलाई 1996	मार्च 1994 तक किये गये अनएक्नालेज्ड प्रेषण	120.73
वि वि ख काशीपुर	अक्टूबर 1998	अक्टूबर 1992 तक अनएक्नालेज्ड प्रेषण	92.07
वि वि ख चंदौली	अक्टूबर 1998	रोकड़ बहीएवं बी आर विवरण के अन्तिम शेषों के अनुसार कमियाँ	68.68
वि वि ख–ःवाराणसी	जनवरी 1999	फरवरी 1996 से दिसम्बर 1998 के अनएक्नालेज्ड चेक	22.79
		जनवरी 1990 से जनवरी 1998 के दौरान बैंक द्वारा अधिक डेबिट	1.98
वि वि ख धामपुर	जनवरी 1999	अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1998 के अनएक्नालेज्ड प्रेषण	2.99
		अन्य कमियाँ (स्पष्ट नहीं)	19.97
योग			**932.21**

परिशिष्ट–27

(प्रस्तर 3ब.4.3 में संदर्भित)

1985–90 के दौरान ताप विद्युत सयंत्रों में प्राप्त पी एल एफ, सम्भावित उत्पादन और उत्पादन में कमी की विवरणी

ताप विद्युत केन्द्र/क्षमता	वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मि यू)	प्राप्त पी एल एफ (प्रतिशत)	पी एल एफ जैसा संकल्पित था (प्रतिशत)	सम्भावित उत्पादन (मि यू)	उत्पादन में कमी (मि यू)
विद्यामन टी पी एस ओबरा ताप	1985-86	923	42.2	57.07	1248	325
5x50 मेगावाट	1986-87	839	38.3	57.07	1250	411
	1987-88	717	32.7	57.07	1251	534
	1988-89	899	41.1	57.07	1248	349
	1989-90	932	44.5	57.07	1195	263
ओबरा विस्तार–I	1985-86	825	31.4	57.07	1499	674
3x100 मेगावाट	1986-87	632	24.1	57.07	1496	864
	1987-88	959	36.4	57.07	1503	544
	1988-89	1281	48.8	57.07	1498	217
	1989-90	1362	52.5	57.07	1480	118
ओबरा विस्तार–II & III	1985-86	3136	35.7	61.07	5365	2229
5x200 मेगावाट	1986-87	3657	37.8	61.07	5908	2251
	1987-88	5583	63.6	61.07	--	--
	1988-89	5713	65.2	61.07	--	--
	1989-90	4710	53.8	61.07	5346	636
पनकी	1985-86	319	56.9	57.07	--	--
2x32 मेगावाट	1986-87	86	28.5	57.07	172	92
	1987-88	0	0	57.07	--	--
	1988-89	98	34.9	57.07	160	62
	1989-90	155	55.3	57.07	159	4
पनकी विस्तार	1985-86	531	27.6	57.07	1097	566
2x110 मेगावाट	1986-87	1097	56.9	57.07	1100	3
	1987-88	391	20.3	57.07	1099	708
	1988-89	1144	59.3	57.07	--	--
	1989-90	804	42.1	57.07	1089	285
आर.पी.एच. कानपुर	1985-86	82	14.5	57.07	322	240
75 मेगावाट	1986-87	65	11.4	57.07	322	257
	1987-88	76	13.4	57.07	323	247
	1988-89	53	9.3	57.07	325	272
	1989-90	39	6.9	57.07	322	283

ताप विद्युत केन्द्र/क्षमता	वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मि यू)	प्राप्त पी एल एफ (प्रतिशत)	पी एल एफ जैसा संकल्पित था (प्रतिशत)	सम्भावित उत्पादन (मि यू)	उत्पादन में कमी (मि यू)
हरदुआगंज 'ए'	1985-86	185	30.2	57.07	349	164
3x30 मेगावाट	1986-87	117	22.3	57.07	299	182
	1987-88	108	41.1	57.07	149	41
	1988-89	74	28.3	57.07	149	75
	1989-90	53	20.1	57.07	150	97
	1985-86	185	30.2	57.07	349	164
	1986-87	117	22.3	57.07	299	182
	1987-88	108	41.1	57.07	149	41
	1988-89	74	28.3	57.07	149	75
	1989-90	53	20.1	57.07	150	97
हरदुआगंज 'बी'	1985-86	558	30.3	57.07	1050	492
2x50 मेगावाट व 2x55 मेगावाट	1986-87	738	40.1	57.07	1050	312
	1987-88	669	36.3	57.07	1051	381
	1988-89	421	22.9	57.07	1049	628
	1989-90	425	23.6	57.07	1027	602
हरदुआगंज 'सी'	1985-86	645	32.0	57.07	1150	505
2x60 मेगावाट व 1x110 मेगावाट	1986-87	866	43.0	57.07	1149	283
	1987-88	1056	52.3	57.07	1152	96
	1988-89	1013	50.3	57.07	1149	136
	1989-90	554	21.6	57.07	1477	923
परीछा	1985-86	358	29.8	57.07	685	327
2x110 मेगावाट	1986-87	966	50.1	57.07	1100	134
	1987-88	754	39.0	57.07	1103	349
	1988-89	1000	57.1	57.07	--	--
	1989-90	993	51.5	57.07	1100	107
छोटा तापीय	1985-86	67	20.5	57.07	186	119
25 मेगावाट	1986-87	26	8.1	57.07	183	157
	1987-88	21	67.2	57.07	--	--
	1988-89	34	15.7	57.07	123	89
	1989-90	18	8.0	57.07	128	110
योग						**18743**

ताप विद्युत केन्द्र/क्षमता	वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मि यू)	प्राप्त पी एल एफ (प्रतिशत)	पी एल एफ जैसा संकल्पित था (प्रतिशत)	सम्भावित उत्पादन (मि यू)	उत्पादन में कमी (मि यू)
नये टी पी एस						
आनपारा 'ए'	1985-86	--	--	--	--	--
3x210 मेगावाट	1986-87	427	71.7	28.53	--	--
	1987-88	1509	49.1	45.66	--	--
	1988-89	2218	60.5	57.07	--	--
	1989-90	3342	60.6	61.07	3367	25
टाँडा	1985-86	--	--	--	--	--
3x110 मेगावाट	1986-87	--	--	--	--	--
	1987-88	--	--	--	--	--
	1988-89	--	--	--	--	--
	1989-90	97	40.9	57.07	135	38
योग						**63**
कुल योग						**18806**

परिशिष्ट—28

(प्रस्तर 3ब.4.4 में संदर्भित)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के प्रमुख मापदण्ड (लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ)

विवरण	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
सकल उत्पादन (मि यू)												
ताप विद्युत	8648	7629	12622	9516	13093	11884	16567	13948	16919	13484	67849	56461
जल विद्युत	4906	4597	4716	5224	4916	4707	4916	4745	4939	5083	24393	24356
योग	**13554**	**12226**	**17338**	**14740**	**18009**	**16591**	**21483**	**18693**	**21858**	**18567**	**92242**	**80817**
आनुषंगिक उपभोग (मि यू)												
ताप विद्युत	1081	1038 (13.61)	1463	1083 (11.38)	1898	1307 (11.0)	2079	1546 (11.0)	1997	1544 (11.45)	8518	6318
जल विद्युत	25	13 (0.28)	25	15 (0.29)	25	13 (0.28)	26	13 (0.27)	30	13 (0.26)	131	67
योग	**1106**	**1051**	**1488**	**1098**	**1923**	**1320**	**2105**	**1559**	**2027**	**1557**	**8649**	**6585**
शुद्ध उत्पादन (मि यू)	12448	11175	15132	13642	18178	15271	21206	17134	23020	17010	89984	74232
विद्युत क्रय (मि यू)	1933	3791	2170	3591	4155	4516	6380	4744	7668	7497	22306	24139
विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत (मि यू)	14381	14966	17302	17233	22333	19787	27586	21878	30688	24507	112290	98371
टी व डी हानियाँ (मि यू)	2660 (18.5)	3079 (20.57)	3114 (18)	3578 (20.76)	4020 (18)	5307 (26.82)	4965 (18)	5785 (26.44)	5524 (18)	6396 (26.10)	20283	24145
ऊर्जा विक्रय (निर्यात सहित) (मि यू)	11721	11887	14188	13655	18313	14480	22621	16093	25164	18111	92007	74226
ऊर्जा विक्रय की औसत दर	52.31	54.07	52.31	62.10	52.31	65.53	52.31	67.55	52.31	71.47	--	--
विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत से विद्युत क्रय का प्रतिशत		31.9		26.3		31.2		29.5		41.4	--	--

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत बताते हैं।

परिशिष्ट–29

(प्रस्तर 3ब.4.5 में संदर्भित)

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को किये गये विक्रय का विवरण

(प्रतिशत)

श्रेणी	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	योजना	वास्तविक	योजना	वास्तविक	योजना	वास्तविक	योजना	वास्तविक	योजना	वास्तविक
घरेलू	12.55	15.55	12.55	14.16	12.55	12.52	12.55	13.03	12.55	15.47
वाणिज्यिक	2.22	5.65	2.22	5.57	2.22	5.61	2.22	7.75	2.22	5.36
कृषि/सिंचाई	32.00	31.32	32.00	36.16	32.00	40.53	32.00	37.42	32.00	39.92
उद्योग	42.95	37.64	42.95	34.98	42.95	32.98.	42.95	32.87	42.95	31.95
कर्षण	4.56	4.84	4.56	4.67	4.56	4.53	4.56	3.53	4.56	3.43
राज्य के बाहर	3.23	2.39	3.23	1.77	3.23	0.68	3.23	2.08	3.23	0.61
अन्य	2.49	2.61	2.49	2.69	2.49	3.15	2.49	3.32	2.49	3.26
योग	**100.09**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

परिशिष्ट–30

(प्रस्तर 3ब.5.3 में संदर्भित)

श्रेणीवार दर सूची एवं ऊर्जा विक्रय

	1985-86			1986-87			1987-88			1988-89			1989-90		
उपभोक्ताओं की श्रेणी	दर सूची (प्रति यूनिट) (पैसे)	कुल विक्रय से विक्रय (मि यू) का प्रतिशत	कुल विक्रय से विक्रय (रुपये) का प्रतिशत	दर सूची (प्रति यूनिट) (पैसे)	कुल विक्रय से विक्रय (मि यू) का प्रतिशत	कुल विक्रय से विक्रय (रुपये) का प्रतिशत	दर सूची (प्रति यूनिट) (पैसे)	कुल विक्रय से विक्रय (मि यू) का प्रतिशत	कुल विक्रय से विक्रय (रुपये) का प्रतिशत	दर सूची (प्रति यूनिट) (पैसे)	कुल विक्रय से विक्रय (मि यू) का प्रतिशत	कुल विक्रय से विक्रय (रुपये) का प्रतिशत	दर सूची (प्रति यूनिट) (पैसे)	कुल विक्रय से विक्रय (मि यू) का प्रतिशत	कुल विक्रय से विक्रय (रुपये) का प्रतिशत
घरेलू	51.82	15.55	14.90	55.20	14.16	12.58	72.35	12.52	13.82	77.53	13.03	14.95	60.21	15.47	13.04
वाणिज्यिक	73.67	5.65	7.70	72.75	5.57	6.52	98.11	5.61	8.41	69.50	7.75	7.98	113.38	5.36	8.51
कृषि/सिंचाई	28.04	31.32	16.24	26.85	36.16	15.63	23.50	40.53	14.53	24.21	37.42	13.46	22.42	39.92	12.52
उद्योग	70.61	37.64	49.16	93.57	34.98	52.67	102.35	32.98	51.51	107.12	32.87	52.13	125.15	31.95	55.96
कर्षण	70.37	4.84	6.30	99.12	4.67	7.46	104.95	4.53	7.26	113.21	3.53	5.92	95.29	3.43	4.58
राज्य के बाहर	58.22	2.39	2.57	55.41	1.77	1.58	61.89	0.68	0.65	13.60	2.08	0.42	35.82	0.61	0.30
सम्पूर्ण	54.07	--	--	62.10	--	--	65.33	--	--	67.55	--	--	71.47	--	--

परिशिष्ट–31

(प्रस्तर 3ब.7 में संदर्भित)

लघु/अति लघु जल विद्युत उत्पादन इकाईयों का ब्यौरा

क्रम संख्या/परियोजना का नाम	क्षमता (किलावाट में)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	प्रारम्भ होने की अधिसूचित तिथि	प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)	1997–98 तक कुल व्यय (लाख रुपये में)
1. छिरकिला	1500	191.60 (3/86)	जून 1989	मई 1997	94	460.87
2. कंचौटी	2000	284.99 (3/86)	जून 1989	अगस्त 1993	4 9	477.24
3. सीबला	6000	756.75 (3/86)	जून 1990	मार्च 1998	92	1433.19
4. कोटाबाग	200	34.99*	जून 1988	अप्रैल 1990	21	129.06
5. कुलागड़	1200	259.22 (4/87)	जून 1990	सितम्बर 1994	50	286.52
योग		**1527.55**				**2786.88**
6. बेल्का	3000	734.05 (9/86)	जून 1990	निर्माणाधीन	---	921.04
7. बबैल	3000	780.30 (9/86)	जून 1990	तदैव		1270.95
8. बहादुरबाद	250	86.76*	जून 1989	तदैव		0.58
योग	**17150**	**3128.66**				**4979.45**

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े परियोजना के अनुमोदन की तिथि को इंगित करते हैं।

* अनुमोदन की तिथि उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट–32

(प्रस्तर 3ब.8 में संदर्भित)

नवीकृत इकाईयों का उत्पादन सम्पादन

	पी एल एफ (प्रतिशत)/तेल खपत (ओ सी) प्रति यूनिट (मिली लिटर में)											
विद्युत केन्द्र	नवीकरण से पूर्व		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
	पीएलएफ	ओ सी	पीएल एफ	ओ सी	पीएलएफ	ओ सी	पीएलएफ	ओ सी	पीएलएफ	ओ सी	पीएलएफ	ओ सी
ओबरा	44.5	5.53	51.3	10.86	39.2	11.95	53.1	8.96	36.0	13.93	14.09	23.30
ओबरा विस्तार I	52.5	3.58	51.4	3.39	41.6	4.80	35.6	6.88	37.2	9.61	19.94	15.14
ओबरा विस्तार II व III	53.8	4.30	69.2	2.69	5.63	5.34	62.1	4.88	57.7	3.92	41.02	47.22
पनकी	55.3	8.46	31.9	18.25	18.6	14.27	43.4	18.09	30.9	21.71	32.70	25.61
पनकी विस्तार	42.1	7.98	28.7	13.19	15.4	20.58	24.3	16.58	15.4	12.50	28.90	10.37
हरदुआगंज 'ए'	20.1	24.64	13.2	30.84	1.8	24.54	--	--	--	--	--	--
हरदुआगंज 'बी'	28.5	11.98	23.1	16.32	18.7	18.46	35.1	18.47	33.4	13.81	24.38	27.07
हरदुआगंज 'सी'	27.6	8.09	24.7	17.32	22.7	15.73	23.7	22.76	28.9	19.84	21.83	28.28

परिशिष्ट–33

(प्रस्तर 3ब.12 में संदर्भित)

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों में भौतिक एवं वित्तीय, लक्ष्य और उपलब्धियाँ

विवरण	भौतिक उपलब्धि (संख्या में)						वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रुपये में)	
	पीटीडब्ल्यू/पीएस का ऊर्जाकरण		ग्रामों का विद्युतीकरण		हरिजन बस्ती			
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अ. योजनागत निधियाँ	--	--	--	--	--	--	461.53	405.42
सामान्य	31000	8450 (27.26%)	--	--	24300	18612 (76.59%)	63.52	57.95 (91.20%)
आर ई सी सामान्य	31000	40713 (131.33%)	7400	5783 (78.15%)	--	--	130.90	184.44 (140.90%)
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	10000	18791 (187.91%)	8400	7730 (92.02%)	--	--	117.11	159.03 (135.80%)
एस पी ए	157450	53891 (34.23%)	4000	3745 (93.62%)	--	--	150.00	4.00 (2.67)
ब. विद्युत योजना से बाहर की निधियाँ	18500	8 (0.04%)	5370	25 (0.47%)	--	--	200.00	--
योग	**247950**	**121853**	**25170**	**17283**	**24300**	**18612**	**661.53**	**405.42**

परिशिष्ट–34

(प्रस्तर 3स.4 में संदर्भित)

बजट प्रावधान, स्रोतो एवं निधि को उपयोग का विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99			कुल योग
	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक
(अ) स्रोत												
ऊर्जा का विक्रय	3093.39	3301.67	3862.09	3828.85	4126.80	3992.17	4943.90	4793.16	5419.86	5304.48	21446.04	21220.33
सरकार से उपदान	960.00	71.69	930.00	97.62	1366.00	145.19	1672.00	167.20	1853.11	297.06	6781.11	778.76
ऋण	1317.09	1152.20	1520.34	660.69	1209.99	1387.11	1654.60	942.83	2012.20	2106.05	7714.22	6248.88
अन्य आय	1160.77	2194.49	1669.54	3192.06	1621.00	2864.53	2001.93	4082.21	2598.00	2726.45	9051.24	15059.74
योग (अ)	6531.25	6720.05	7981.97	7779.22	8323.79	8389.00	10272.43	9985.40	11883.17	10434.04	44992.61	43307.71
(ब) उपयोग												
ऊर्जा का क्रय	1296.42	1398.36	1440.88	1828.20	1603.00	1677.33	1902.70	1950.67	2326.09	2028.95	8569.09	8883.51
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	967.69	1412.99	1045.76	1551.85	977.61	1661.00	1130.67	1888.51	1159.86	1810.29	5281.59	8324.64
ऋण का पुनर्भुगतान	318.23	327.80	405.21	368.68	368.53	333.90	853.89	371.64	623.00	525.61	2568.86	1927.63
पूँजीगत कार्य	897.94	1003.63	1659.44	960.34	1199.21	1486.64	1600.09	1357.42	1796.12	1128.81	7152.80	5936.84
अन्य व्यय	2476.27	2577.27	2973.73	3070.15	3324.95	3230.13	4232.80	4417.16	4811.16	4940.38	17818.91	18235.09
आधिक्य	574.70	-	456.95	-	850.49	-	552.28	-	1166.94	-	3601.36	-
योग (ब)	6531.25	6720.05	7981.97	7779.22	8323.79	8389.00	10272.43	9985.40	11883.17	10434.04	44992.61	43307.71

परिशिष्ट–35

(प्रस्तर 3स.6.1 में संदर्भित)

अपूर्ण कार्यों में निधियों का अवरोध

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	शीर्षक	राशि	प्रस्तर संख्या	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
1.	सर्कुलर रेल पथ की मेरी गो राउन्ड प्रणाली में निधि का अवरोध	11.24	3अ.2.3	1995
2.	आस्थगित पारेषण प्रणाली	4.95	3 ब.3.3	1995
3.	आवासीय भवन का अपूर्ण निर्माण	0.94	3 अ.12.2	1996
4.	ओवर हैड टैंक का निर्माण	0.07	3 अ.12.3	-- तदैव--
5.	मनेली भाली, चरण–II एवं लखवार व्यासी एच ई पी	390.19	3 अ.1.	मार्च 1997
6.	श्रीनगर एच ई पी	87.16	3 अ.1	-- तदैव --
7.	400 केवी उपकेन्द्र, मुजफफर नगर का निर्माण	2.61	4 अ.4	-- तदैव --
		497.16		